छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2016-17

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर

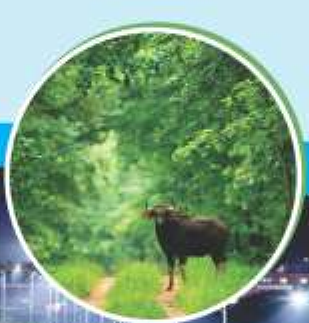

छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2016-17

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, 2016–17'' नामक प्रकाशन आर्थिक एवं सॉख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, समाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, 2016–17'' प्रकाशन को परिमार्जन एवं नवीनता प्रदान करने में श्री एन. के. असवाल, अपर मुख्य सचिव, योजना आर्थिक एवं सॉख्यिकी विभाग, श्री आशीष कुमार भट्ट, सचिव, योजना आर्थिक एवं सॉख्यिकी विभाग के निर्देशन में संचालनालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्होंने इस प्रकाशन का अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं।

संबंधित विभागाध्यक्षों, निगम एवं सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

अमिताभ पाण्डा
आयुक्त, सह–संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनायल
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

रायपुर,
दिनांक : फरवरी, 2017

विषय सूची

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति – एक समीक्षा	1–6
2	जनसंख्या	7–18
3	राज्यीय आय	19–32
4	मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	33–54
5	लोक वित्त	55–62
6	संस्थागत वित्त एवं विनियोजन	63–79
7	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	80–115
8	वानिकी	116–125
9	खनिज	126–136
10	उद्योग	137–162
11	विद्युत एवं आधारभूत संरचना	163–186
12	ग्रामीण विकास एवं रोजगार	187–204
13	नगरीय विकास	205–225
14	शिक्षा	226–251
15	स्वास्थ्य	252–277
16	सामाजिक सेवाएं	278–292

01

आर्थिक स्थिति एक समीक्षा

आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन

1 भारतीय अर्थव्यवस्थाः

1.2 अरब जनसंख्या के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था मूल्यों के अनुपात में सकल घरेलू उत्पाद में विश्व का 10वां एवं क्रय शक्ति अनुपात में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 में क्रमशः 5.6, 6.6, 7.2, 7.6 एवं 7.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ औसत वृद्धि 6.75 प्रतिशत रहा। आजादी के बाद पिछले साढ़े छह दशकों में, हमारे देश के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जिससे हमारा देश अनाज आयात करने वाले देश के स्थान पर अनाज निर्यात करने वाला विश्व का कृषि केंद्र बन चुका है। आयु संभाव्यता दुगनी से अधिक, साक्षरता दर चार गुना एवं स्वास्थ्य की स्थिति मे काफी सुधार हुआ है। भारत वैश्विक परिदृश्य में सबसे ज्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है। साथ ही, हमारा देश में शहरीकरण बहुत तेजी से होता जा रहा है। ग्रामीण विकास, विकेन्द्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, शहरीकरण, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास एवं विस्तार, उन्नत संचार एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास, अंतरिक्ष प्रोद्यौगिकी में विकास, निर्यात में वृद्धि तथा 65 प्रतिशत युवा जनसंख्या आदि वे सकारात्मक बिन्दु हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। विपुल जनसंख्या आधारित मॉग, सुलभ एवं कुशल श्रमिक उपलब्धता, अनुकूल मुद्रास्फीति के कारण भारत एक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है।

नोटबंदी, वस्तु एवं सेवाकर (GST) जैसे साहसिक कदमों से राष्ट्र की छवि में सुधार हुआ है। नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था में जहाँ एक ओर नगदी की कमी, कीमतों में कमी और विकास दर में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, वहीं दूसरी ओर राजस्व जमा में वृद्धि, बैंकों के पास जमा में वृद्धि, कालेधन/भ्रष्टाचार में कमी दीर्घकाल में विकास दर में वृद्धि को आधार प्रदान करेंगे।

2 छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था :

छत्तीसगढ़ भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है जो कि वन बाहुल्य, विपुल खनिज संपदा से संपन्न एवं कम जनघनत्व वाला प्रदेश है। छत्तीसगढ़ 2.55 करोड जनसंख्या के साथ देश का सोलहवां बड़ा राज्य है। जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है। राज्य में सकल लिंगानुपात 991 (ग्रामीण विस्तार का लिंगानुपात 1001, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 956) है, जो भारत संघ में 5वें स्थान को इंगित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 70.3% है। राज्य में शिशु मृत्यु दर सन 2000 में 77 प्रति हजार थी जो घटकर वर्तमान में 46 हो चुकी है इसी प्रकार जन्म दर, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में कमी हुई है जो प्रदेश में सुधरते स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य की 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है एवं मुख्यतः कृषि व लघु उद्योगों पर निर्भर है। वर्ष 2014–15 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र एवं गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग की गई भूमि को छोड़कर शेष भूमि के 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसल बोया जाता है तथा बोये गये क्षेत्र के 31 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। खनिज और वनसंसाधन से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ द्वारा आर्थिक गतिबिधियों को गति देने हेतु अनेक उपाय किए जा रहे हैं, इसके फलस्वरूप राज्य Ease of Doing Business सूचकांक वर्ष 2016 में देश में आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और गुजरात के बाद चौथे स्थान पर है।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2016–17 में कृषि क्षेत्र की भागीदारी जहाँ 15 प्रतिशत अनुमानित है वहीं प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों से जुड़ी है। कृषि पर आधारित जनसंख्या के आर्थिक कल्याण के लिए यह आवश्यक है, कि इस क्षेत्र से जुड़ी जनसंख्या को प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे औद्यौगिक एवं सेवाक्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। इस स्थानांतरण में मेक–इन इंडिया, स्टार्ट–अप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, जनधन योजना इत्यादि योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

3.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद

किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में वृद्धि क्रमशः 4.97, 9.82, 7.57, 6.63 एवं 7.14 तथा औसत वृद्धि 7.23 प्रतिशत दर्ज की गई। सकल घरेलू उत्पाद अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी धीमी गति में कम हो रही है। वहीं सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है। यह स्थिति विकासशील देश में प्रायः परिलक्षित होती है। वर्ष 2016–17 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 15.2 एवं उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.2 प्रतिशत अनुमानित है। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 35.6 प्रतिशत रहने की संभावना है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

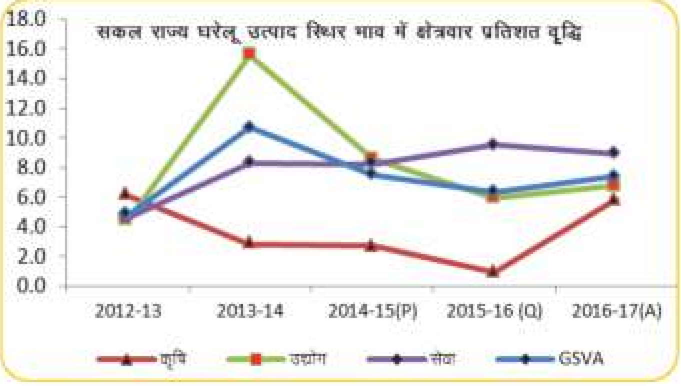

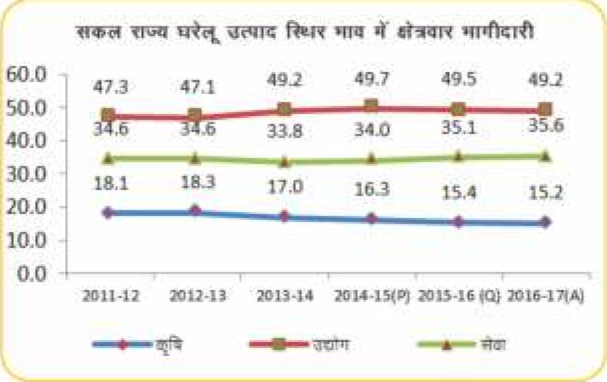

छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योगसमूहवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर

3.1.1 कृषिः— इस क्षेत्र में वर्ष 2012—13, 2013—14, 2014—15, 2015—16 एवं 2016—17 में वृद्धि क्रमशः 6.12, 2.83, 2.71, 0.94, तथा 5.87 औसत वृद्धि 3.69 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2015—16 में प्रदेश में कई जनपद सूखाग्रस्त होने के कारण वृद्धि केवल 0.94 प्रतिशत थी। वर्ष 2011—12 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत थी, वहीं निरंतर किंतु धीमी गति में घटते हुए वर्ष 2016—17 में 15.2 प्रतिशत पर आ गई है।

3.1.2. उद्योगः— इस क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2012—13, 2013—14, 2014—15, 2015—16 एवं 2016—17 में **उद्योग** क्षेत्र में वृद्धि क्रमशः 4.4, 15.6, 8.6, 5.9, तथा 6.8 औसत वृद्धि 8.3 प्रतिशत दर्ज की गई। जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 7.50 से अधिक है। वर्ष 2011—12 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.3 प्रतिशत थी, वहीं विगत तीन वर्षों में 49.7 प्रतिशत से घटते हुए वर्ष 2016—17 में 49.2 प्रतिशत पर आ गई है।

3.1.3 सेवा क्षेत्र :— छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत 4 वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। इस क्षेत्र के अंतर्गत रियल इस्टेट, वित्तीय सेवाओं, लोक प्रशासन के क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी है। इसके साथ ही संचार के क्षेत्र, लोक प्रशासन, भण्डारण एवं यातायात (रेल्व के अतिरिक्त) के क्षेत्र में तेज वृद्धि हो रही है। वर्ष 2012—13, 2013—14, 2014—15(P), 2015—16(Q) तथा 2016—17(A) में क्रमशः 4.6, 8.3, 8.2, 9.6 तथा 8.9 के वृद्धि के साथ औसत 7.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हो रही है। वर्ष 2013—14 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 33.8 प्रतिशत थी, यह निरंतर बढ़ते हुए वर्ष 16—17 में 35.6 होना अनुमानित है।

4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दिसंबर—16 में दिसम्बर—15 की तुलना में ग्रामीण, नगरीय, संयुक्त क्षेत्र में क्रमशः 1.1, 2.4 एवं 1.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। भारत के कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक के लिए मूल्य सूचकांक (CPI-AL) तथा (CPI-RL) दिसम्बर—16 में क्रमशः 876 एवं 881 था जो कि गत् वर्ष इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 2.7 एवं 2.80 प्रतिशत अधिक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकॉक (औद्यौगिक श्रमिक) दिसंबर—16 में दिसम्बर—15 की स्थिति से छत्तीसगढ़ के भिलाई केन्द्र में 1.99 प्रतिशत वृद्धि हुई है। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) माह दिसंबर—16 में माह दिसम्बर—15 से 3.39 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

4.2 वर्ष 2016—17 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड—ए) के समर्थन मूल्य कमशः 1470 एवं 1510 भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। वर्ष 2015—16 में राशि रू. 8430.11 करोड़ से 59.29 लाख टन धान खरीदा गया। वर्ष 2016—17 में जनवरी 17 तक राशि रू. 8523.24 करोड़ से 56.35 लाख टन धान खरीदा गया। 31 जनवरी 2016 की स्थिति में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकाने क्रमशः 1320 तथा 11027 संचालित है। वर्तमान में कुल 5850307 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

5.1 वित्तीय वर्ष 2015—16 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 18.18 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2015—16 में कुल कर राजस्व में 31.55 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 24.17 प्रतिशत रही। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 34.66 प्रतिशत अनुमानित है। गैर कर राजस्व में

प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है। वर्ष 2015–16 में कुल गैर कर राजस्व रू. 21657.25 करोड़ है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से रू. 12994.26 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है। वर्ष 2015–16 में राजस्व प्राप्ति रू. 57956.46 करोड़ एवं राजस्व व्यय रू. 53729.82 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व आधिक्य रू. 4226.64 करोड़ दर्शाता है।

5.2 वर्ष 2015-16 में वैट (प्रान्तीय) कर संग्रहण सितंबर 2015 तक 3,413.35 करोड़ रू प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च 2016 की स्थिति में 7,996.97 करोड़ रू. प्राप्त हुआ। वर्ष 2016–17 में माह सितंबर 2016 तक 3,627.89 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.1 वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय विक्रय कर संग्रहण सितंबर 2015 तक 396.31 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च 2016 की स्थिति में 911.32 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई। साथ ही वर्ष 2016–17 में माह सितंबर 2016 तक 367.91 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.2 वर्ष 2015-16 में प्रवेशकर संग्रहण सितंबर 2015 तक 442.21 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, तथा 31 मार्च 2016 की स्थिति में 1040.26 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2016–17 में माह सितंबर 2016 तक 513.05 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका हैं।

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। राज्य में बैकों की संख्या जून 2016 अंत की स्थिति में 52, शाखाओं की संख्या 2623 एवं एटीएम की संख्या 2754 है। जिनमें कुल जमा 108795.94 करोड़ रूपये है। प्राथमिकता क्षेत्र में आबंटित ऋण में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में 17.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रधानमत्री जन–धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। दिनॉक 08/02/2017 की स्थिति में राज्य में 12158934 खाते हैं।

6.2 राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 07 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 257 है। वर्ष 2015–16 में बैंकों की अंशपूंजी 30001.39 लाख रू. हो गई, इसमें राज्य शासन का अंशदान 1290.80 लाख रूपये रहा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की कुल 543 सहकारी समितियां सदस्य हैं। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1982 केन्द्रों पर धान उपार्जन किया जा रहा है।

7.1 वर्ष 2015–16 के आंकड़ों के अनुसार कुल बोये गये क्षेत्र का लगभग 31% सिंचित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला तथा कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना लागू होने के कारण 8 बी.एच.पी. एवं अधिक के पावर टिलर, शक्ति चलित/बैल चलित/हस्त चलित कृषि यंत्रों को 40% से 50% अनुदान पर वितरित करने की योजना वर्ष 2014–15 से क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2016–17 में योजनांतर्गत 7091 कृषि यंत्रों के वितरण हेतु रूपये 1082.34 लाख का प्रावधान किया गया है। राज्य में वर्तमान में 69 कृषि

उपज मंडियाँ एवं 118 उप–मंडियाँ कार्यरत है। प्रदेश में वर्तमान में दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र एवं दो सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है।

8.1 वर्ष 2015–16 में देश में 234171 करोड मूल्य के मुख्य खनिज का दोहन किया गया जो कि छत्तीसगढ़ में 19213 करोड़ (8.2%) था। वर्ष 2016–17 में नवंबर अंत तक यह हिस्सा लगभग 8.5 प्रतिशत होना संभावित।

8.2 31 मार्च 2016 की स्थिति में कोयले का उत्पादन 130500 हजार टन, लौह अयस्क का 24592 हजार टन, चूना पत्थर का 27553 हजार टन, बाक्साइट का 1991 हजार टन, डोलोमाइट का 3228 हजार टन तथा टिन का 13541 कि. ग्राम उत्पादन हुआ है।

8.3 विगत वर्ष 2015–16 में मुख्य खनिज से 2944.86 करोड़ आय हुई, जहां गौण खनिज से उसी अवधि में 243.08 करोड़ आय हुई है। राज्य की खनिज राजस्व आय मूलतः कोयला एवं लौह अयस्क से ही प्राप्त होती है। राज्य में वर्ष 2015–16 में खनिजों से कुल राजस्व आय 3709.57 करोड़ थी। वर्ष 2016–17 में माह नवंबर तक 2442.86 करोड़ राजस्व आय प्राप्त हुई।

9.1 राज्य में सुनियोजित विकास के लिये वर्तमान में "औद्योगिक नीति 2014–19" अपनायी गई है। सीएसआईडीसी द्वारा नया रायपुर में आबंटित 28 हेक्टेयर भूमि पर आबंटित भूमि पर इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। परियोजना की लागत रु. 92.06 करोड़ है। परियोजना का कियान्वयन तीन वर्ष में पूर्ण किया जाना है।

एक स्थान पर एक जैसे उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। जैसेः– मैटल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, मेगा फूड पार्क। राजनांदगांव जिले के ग्राम खैरझीटी में 40 हेक्टेयर पर प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है। परियोजना की लागत रु. 100 करोड़ है। राज्य में दो रेल्वे कॉरिडोर ईस्ट एवं वेस्ट की स्थापना प्रस्तावित है जो पूर्ण होने पर राज्य के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिणाम आयेंगे।

10.1 राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 15603.92 मिलियन यूनिट (तापीय 15278.50, जलीय 315.68 एवं अन्य सह–उत्पादन 9.74 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया। दिसंबर 2016 तक कुल स्थापित क्षमता 3424.70 मेगावाट है। इसमें 3280 मेगावाट ताप विद्युत, 138.7 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पा.) की स्थापित क्षमता है। वर्ष 2015–16 में वितरण हानि का प्रतिशत 21. 53 रहा, जो वर्ष 2014–15 की अपेक्षा 0.62 प्रतिशत कम है।

10.2 जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19567 ग्रामों में से वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत की स्थिति में 18891 ग्राम विद्युतीकृत है। राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 96.54 प्रतिशत रहा।

10.3 वर्ष 2015–16 के अंत में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 45 लाख 13 हजार है जो वर्ष 2014–15 की तुलना में 5.05 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 29 लाख 99 हजार उपभोक्ता अर्थात् 66.43 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के है जो विगत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 5.19 प्रतिशत अधिक है।

11 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में कुल उपलब्ध राशि रु. 1324.08 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 1242.86 करोड़ व्यय कर 949.19 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। वर्ष 2016–17 में सितंबर तक कुल उपलब्ध राशि रु. 2047.37 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 1883.22 करोड़ व्यय कर 629.47 लाख मानव दिवस सृजित किए गए।

12 दिसम्बर 2016 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19716 ग्रामों के 74647 बसाहटों में 263072 हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें 70478 बसाहटों में पूर्ण रूप से, 3021 बसाहटों में आंशिक रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है शेष 1148 बसाहटें गुणवत्ता से प्रभावित हैं जिसमें 1025 लौह, 77 फ्लोराइड एवं 46 लवण प्रभावित बसाहटें हैं। राज्य में 2822 नलजल प्रदाय योजनाएं एवं 2915 स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।

13 वर्ष 2015–16 माह सितंबर 15 तक 300250 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्षान्त (31 मार्च 16) तक 496592 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्ष 2016–17 में माह सितंबर 16 तक 210444 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

02

जनसंख्या

मुख्य बिन्दु

तीसरे और चौथे राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, क्रमशः वर्ष 2005–06 एवं 2015–16 के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से विभिन्न सूचकांकों में राज्य की प्रगति परिलक्षित होती है।

- विगत पांच वर्षो के दौरान जन्म लिए बच्चों का लिंगानुपात 971 ।
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जन्म का पंजीयन 73% से बढ़कर 86% ।
- राज्य के 90% मकानों में विद्युत और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता।
- राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं/बीमा के लाभार्थियों का प्रतिशत 3.3 से बढ़कर 68.5% ।
- महिला साक्षरता दर 66.3% एवं पुरूष साक्षरता दर 85.7% ।
- 15–49 आयु वर्ग के महिलाओं का कुल प्रजनन दर 2005–06 के 2.6% से घटकर 2015–16 में 2.2%।
- आधुनिक परिवार नियोजन साधनों का प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़कर 54.5%।
- वर्ष 2015–16 के दौरान कुल संस्थागत प्रसवों के लगभग 66% महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत् आर्थिक सुरक्षा प्रदान।
- विगत 10 वर्षो में संस्थागत प्रसव 5 गुना बढ़कर 70.2%।
- पूर्णतः टीकाकृत शिशुओं (12 से 23 माह आयु के) का प्रतिशत 10 वर्षों में 48.7 से बढ़कर 76.4%।
- stunted और under weight बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 53% एवं 47% से घटकर 37% एवं 38%।

जनसंख्या

जनसंख्या एक समीक्षा – राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चयनित सूचकांकों के आधार पर
"स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है न कि स्वर्ण और रजत खण्ड।"

-मोहनदास करमचंद गांधी

मूलभत जनसांख्यिकी और स्वस्थ्य जनसंख्या गतिकी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो कि राज्य के आर्थिक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। स्वस्थ जनसंख्या आर्थिक विकास में बेहतर योगदान करती है और चक्रीय प्रक्रिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था अपनी जनसंख्या को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने के लिए संसाधन निर्मित करता है। राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सूचकांकों से परिलक्षित होते हैं जो कि न केवल राज्य की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है वरन् भावी स्थिति की ओर भी इंगित करता है।

अन्य देशों के साथ ही भारत में भी 90 के दशक में जनसांख्यिकीय एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। भारत में इसे राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है यह 1992–93 में प्रारंभ हुआ इसके पश्चात दूसरा दौर 1998–99 में, तीसरा दौर 2005–06 में एवं चौथा दौर हाल ही में वर्ष 2015–16 के दौरान किया गया। यद्यपि वर्ष 1992–93 एवं 1998–99 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की जानकारी उपलब्ध नहीं है तथापि विगत दो दौरों अर्थात 2005–06 एवं 2015–16 के सर्वेक्षणों की जानकारी के आधार पर कुछ चयनित सूचकांकों की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अद्यतन दौर के सर्वेक्षण जिला स्तरीय अनुमान भी उपलब्ध कराते हैं किंतु ये अनुमान जनगणना वर्ष 2011 की स्थिति में उपलब्ध केवल 18 जिलों तक ही सीमित हैं।

1. 6 वर्ष अथवा अधिक की जनसंख्या (महिला) जो कभी शाला गये हों :–

इस सूचकांक में महिला जनसंख्या के कई समूह शामिल हैं जो कि 6 वर्ष से अधिक की जनसंख्या में शिक्षा के स्तर के संचयी प्रभाव को दर्शाता है। इस सूचकांक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मुख्यतः 7–25 वर्ष आयु वर्ग के समूहों में शैक्षणिक गतिविधियों की वर्तमान प्रवृत्ति को दर्शाता है।

राज्य में 6 वर्ष अथवा अधिक आयु वर्ग की महिला जनसंख्या, जो कभी शाला में उपस्थित हुए हैं, उसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है। वर्तमान में कुल जनसंख्या में से 68 प्रतिशत महिलाओं ने शाला में उपस्थिति दर्ज करायी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिक से अधिक बालिकायें शाला जा रही हैं। राज्य मेंवर्तमान में शाला में उपस्थित हुईं 6 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं का नगरीय क्षेत्र में 80 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 64 प्रतिशत है। इस संदर्भ में राज्य के सभी जिलों में से दंतेवाड़ा (वर्तमान में दंतेवाड़ा एवं सुकमा) में न्यूनतम 43.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है और तुलनात्मक रूप से अधिक शहरीकृत जिलों जैसे–दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर और कोरबा में 70 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया है।

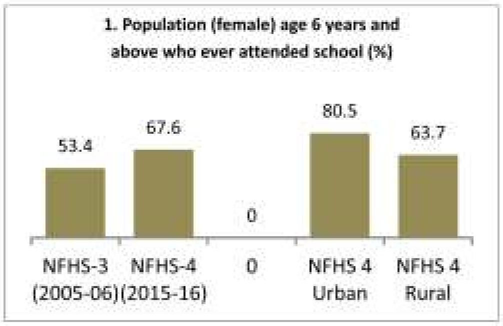

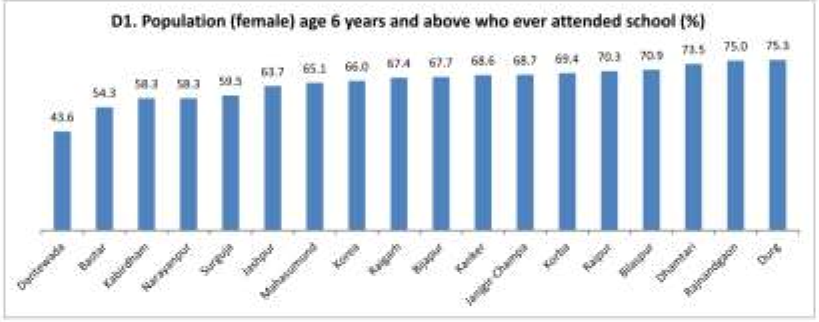

2. 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्याः–

15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या से हमें शालागामी बच्चों की संख्या का अनुमान ज्ञात होता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के जनसंख्या पिरामिड के 0 से 19 वर्ष आयु वर्ग वाले समूह में संकुचन हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सूचकांक में कमी की प्रवृत्ति देखी जाएगी। वर्ष 2005–06 के राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत 15 वर्ष की आयु के कम का था, जबकि वर्ष 2015–16 में यह घटकर 29 प्रतिशत हो गया। इस आयु वर्ग की जनसंख्या में यह कमी जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देता है, वहीं इसके लिए संसाधनों की कमआवश्यकता होगी। राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रजननता में काफी अंतर है और यह 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या के आंकड़ों से परिलक्षित होता है। कुल नगरीय जनसंख्या का 26 प्रतिशत 15 से कम आयु का है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 30 प्रतिशत है। कबीरधाम जिले में यह सर्वाधिक (33 प्रतिशत) है।

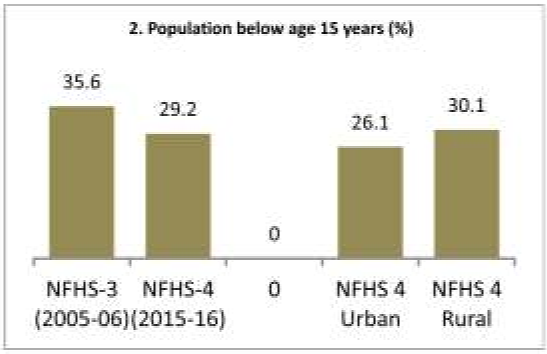

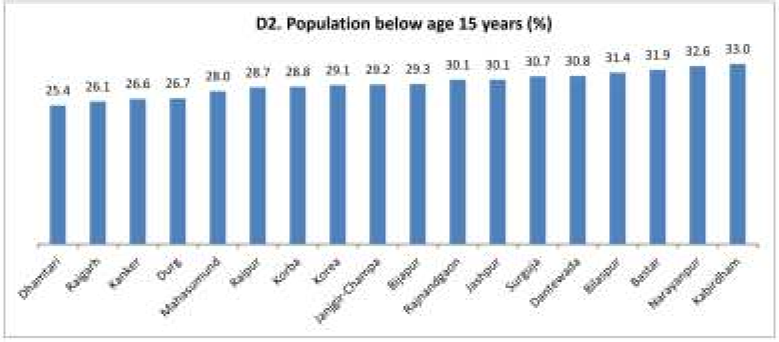

3. लिंगानुपात :–

भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ हमेशा से ही अग्रणी रहा है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) वर्ष 2005–06 में लिंगानुपात 1015 तथा वर्ष 2015–16 में यह 1019 था। किंतु शहरी क्षेत्रों की ओर पुरूष जनसंख्या के आप्रवासनके कारण शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 992 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1027 दर्ज किया गया। जिलेवार आंकड़ों का परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि लिंगानुपात न्यूनतम 985 (रायगढ़) और अधिकतम 1094 (नारायणपुर) है।

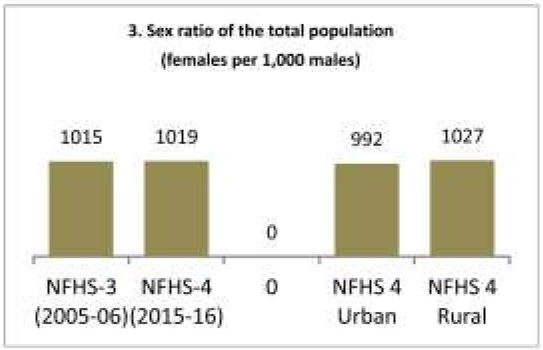

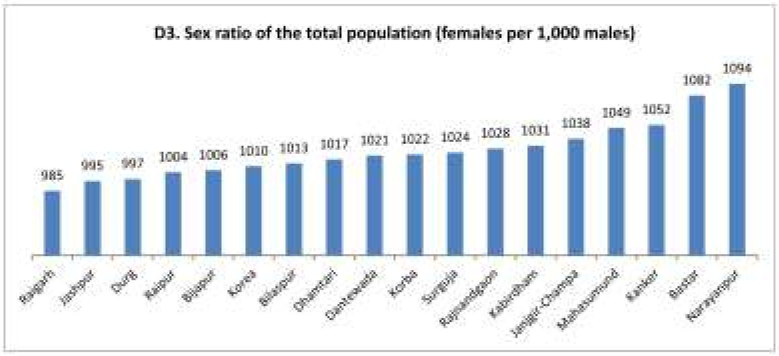

सर्वेक्षण के दौरान विगत 5 वर्ष की अवधि के दौरान जन्म लिये बच्चों का लिंगानुपात 977 दर्ज किया गया है, जो कि राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) वर्ष 2005–06 से 5 अधिक है। किंतु 18 जिलों में से 11 जिलों में राज्य के औसत लिंगानुपात की तुलना में कमी एक चिंता का विषय है। विशेषकर कांकेर, जांजगीर–चांपा, नारायणपुर, दुर्ग, कबीरधाम एवं महासमुंद में जन्म के समय लिंगानुपात 900 से कम है।

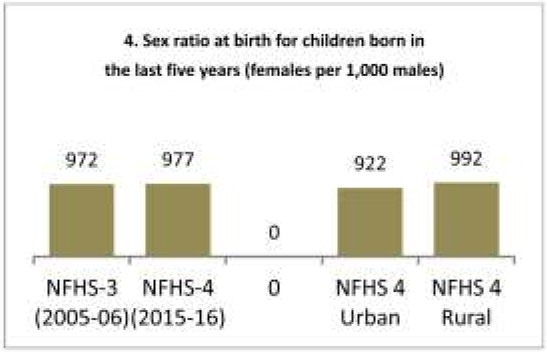

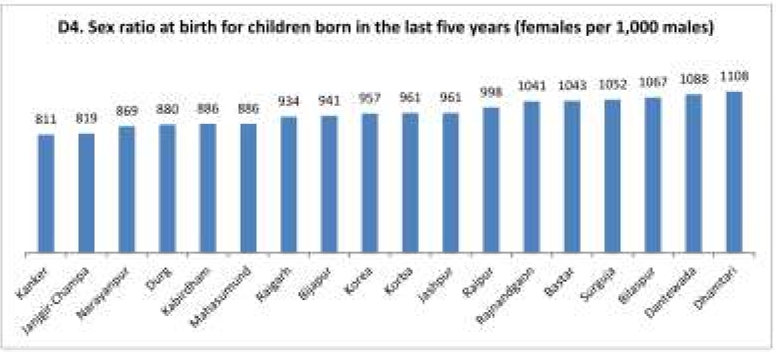

4. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका जन्म पंजीकरण हो चुका है:–

सतत विकास ध्येय के अंतर्गत जन्म पंजीकरण को विशेषकर विगत 5 वर्षों के दौरान जन्म लिये शिशुओं के लिए शत–प्रतिशत किया जाना है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) वर्ष 2005–06 के दौरान कुल जन्मों का 73 प्रतिशत पंजीकृत हुआ, जबकि यह 2015–16 में बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया। नगरीय क्षेत्रों में जहां यह लगभग 93 प्रतिशत है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 84 प्रतिशत दर्ज किया गया है। लगभग सभी जिलों में 70 प्रतिशत से अधिक का जन्म पंजीकरण किया गया एवं 5 जिलों (राजनांदगांव, बीजापुर, बिलासपुर, धमतरी, नारायणपुर, महासमुंद) में 90 प्रतिशत से अधिक जन्म पंजीकरण किया गया है।

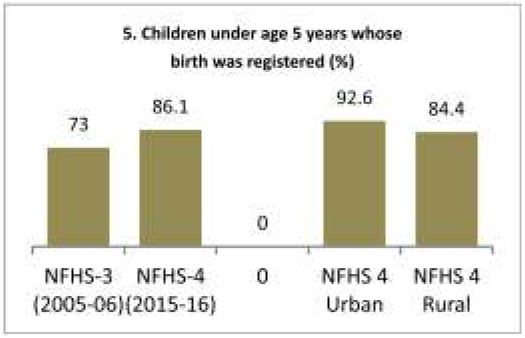

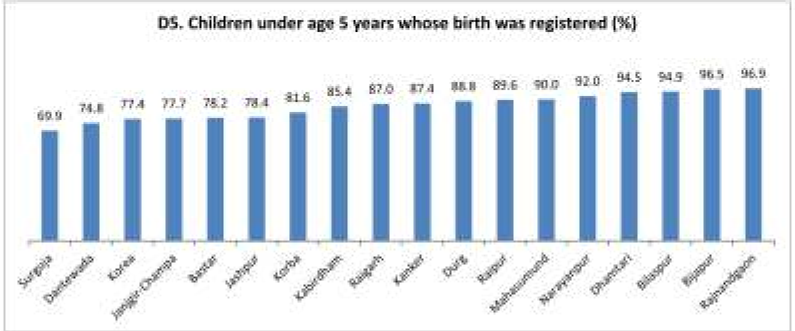

5. घरेलू सुविधायें:–

राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण में विद्युत, बेहतर पेयजल स्रोत, उन्नत निकासी सुविधा एवं रसोई हेतु स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाओं को सूचकांक के रूप में शामिल किया गया। चौंथे दौर के सर्वेक्षण में सर्वेक्षित मकानों के 90 प्रतिशत मकानों में विद्युत और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पायी गयी। जबकि 32.7 प्रतिशत मकानों में ही उन्नत निकासी सुविधा पायी गई। लगभग 64 प्रतिशत शहरी मकानों एवं 23 प्रतिशत ग्रामीण मकानों में उन्नत निकासी सुविधा पायी गयी। यह स्थिति रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता की स्थिति में और भी खराब हो जाती है। पूरे राज्य में लगभग 23 प्रतिशत घरों में ही स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता दर्ज की गयी।

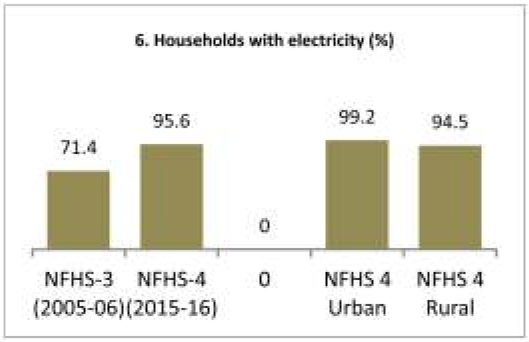

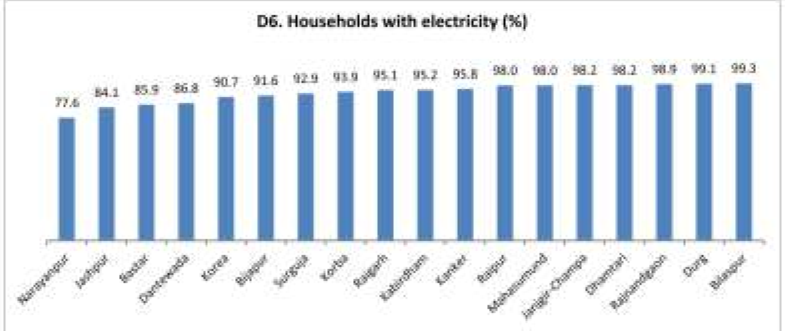

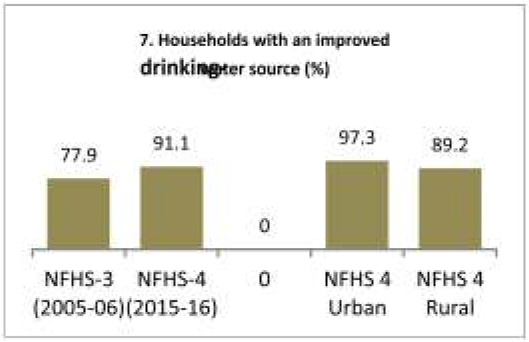

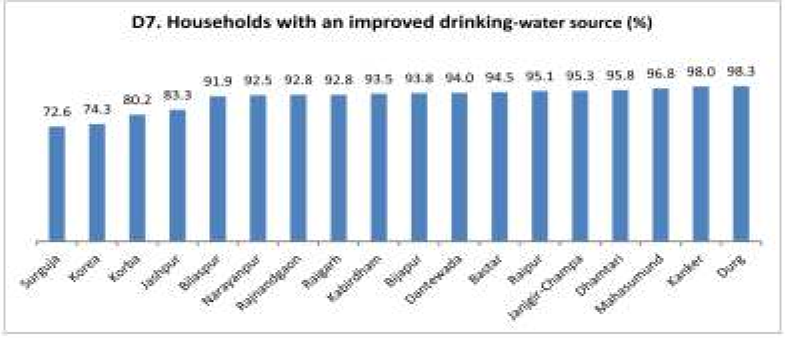

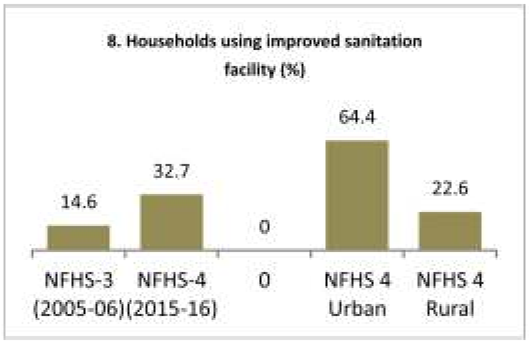

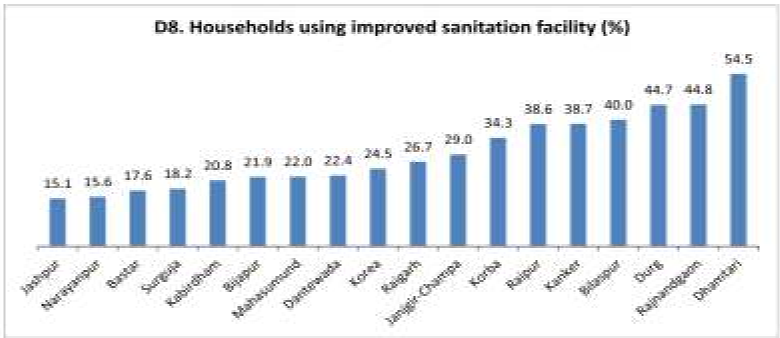

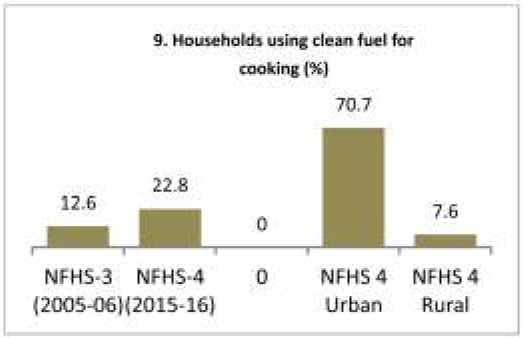

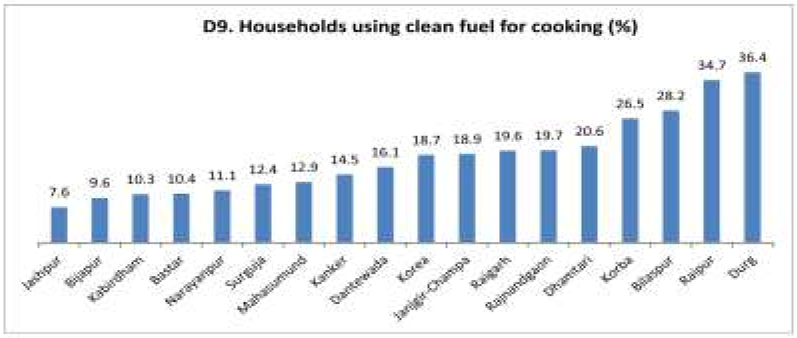

6. ऐसे परिवार जिनके कम से कम एक सदस्य स्वास्थ्य योजनाओं / बीमा के लाभार्थी है:–

वर्ष 2005–06 के दौरान सर्वेक्षित परिवारों में से स्वास्थ्य योजनाओं / बीमा के लाभार्थियों का प्रतिशत 3.3 था, किंतु अगले 10 वर्षों में इसमें उल्लेखनीय प्रगति देखी गयी है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015–16 अनुसार यह आंकड़ा 68.5 प्रतिशत था। यद्यपि कई सूचकांकों में शहरी क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं, किंतु राज्य में इस सूचकांक में विपरीत छवि प्रदर्शित होती है। शहरी क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य योजनाओं / बीमा के लाभार्थी हैं, जबकि यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 71 प्रतिशत है।

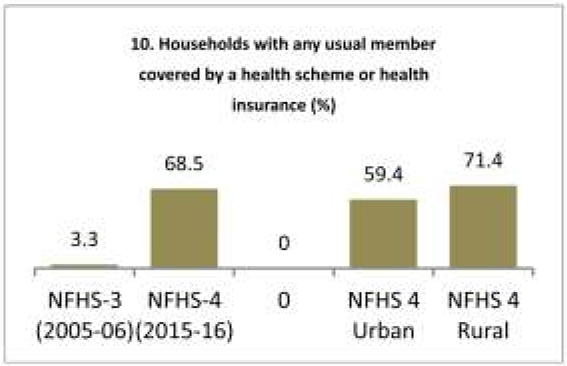

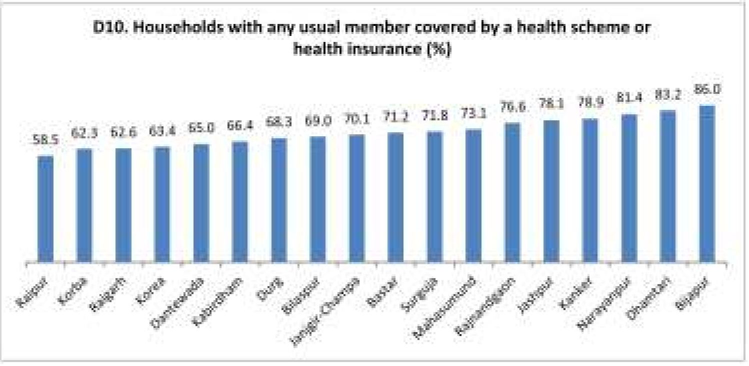

7. साक्षरता:–

राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 के अनुसार महिला साक्षरता दर 66.3 प्रतिशत (सर्वेक्षण 2005–06 की तुलना में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि) और पुरूष साक्षरता दर 85.7 प्रतिशत (सर्वेक्षण 2005–06 की तुलना में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि) दर्ज की गयी। जबकि 10 अथवा अधिक वर्षों की स्कूल शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत केवल 26.5 प्रतिशत पाया गया, जो कि अधिक संख्या में शाला त्याज्यता को दर्शाता है। नगरीय क्षेत्रों में यह आंकड़ा लगभग 46 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

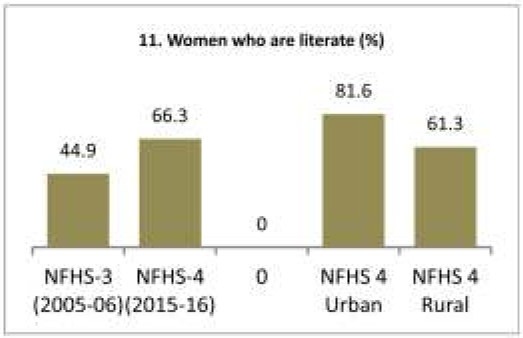

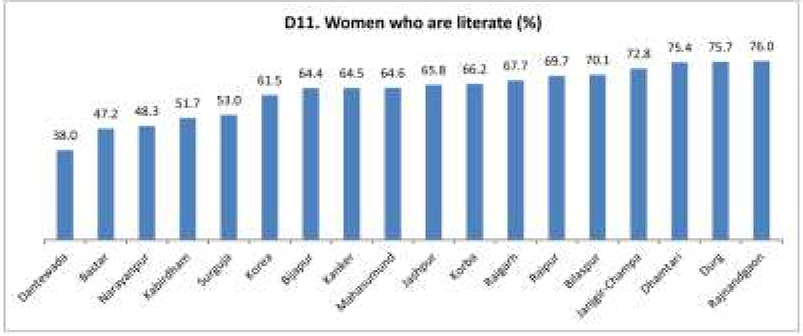

8. **विवाह और प्रजननता :–**

कम उम्र में विवाह, जल्दी गर्भाधारण के रूप में फलित होता है, जिससे अवांछित स्वास्थ्यगत समस्यायें होती हैं। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005–06 और 2015–16 में 20–24 वर्ष की आयु महिलाओं से उनके विवाह के समय की आयु पूछी गयीं। परिणामस्वरूप यह पाया गया कि सर्वेक्षण 2005–06 में लगभग 55 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व हुआ था, जो कि सर्वेक्षण 2015–16 में घटकर 21 प्रतिशत हो गया। जिला सरगुजा में 43 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनका विवाह 18 वर्ष के पूर्व हुआ था, जबकि जिला कबीरधाम, कोरबा एवं जशपुर में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत है। राज्य में 15–49 आयु वर्ग के महिलाओं का कुल प्रजनन दर सर्वेक्षण 2015–16 में घटकर 2.2 रहा जबकि यह आंकड़ा विगत सर्वेक्षण में 2.6 था।

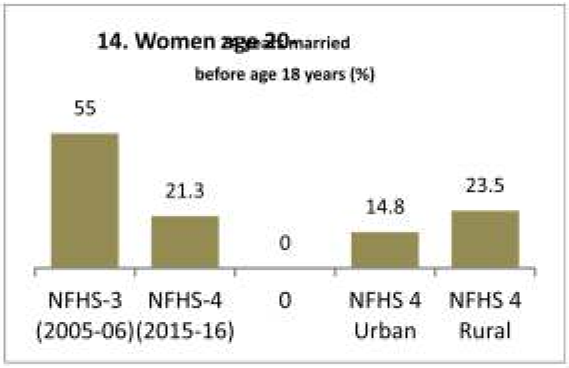

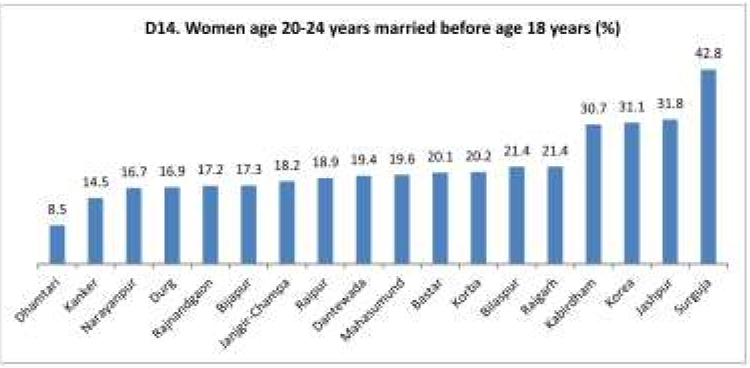

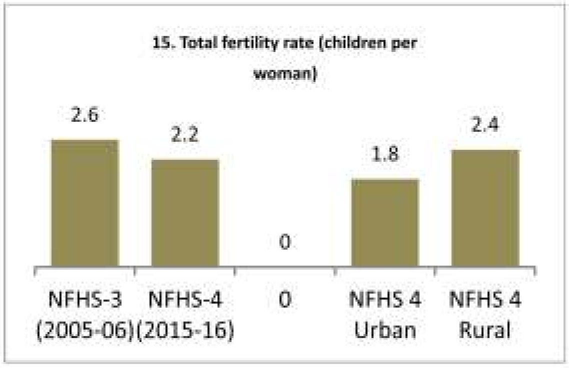

(Total fertility rate is only available for state level)

9. **मृत्यु दर :–**

राज्य में राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 एवं 4 के दौरान मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी देखी गयी है। शिशु मृत्यु दर जहां 2005–06 में 71 थी, वहीं 2015–16 में घटकर 54 हो गई। इसी प्रकार 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं के मृत्यु दर 90 से घटकर 64 हो गयी। इन दोनों ही स्थितियों में नगरीय क्षेत्रों में कम मृत्यु दर दर्ज की गई।

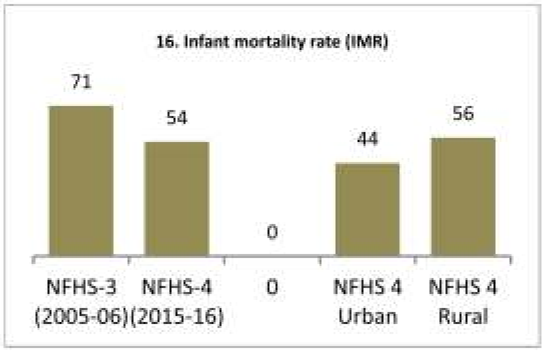

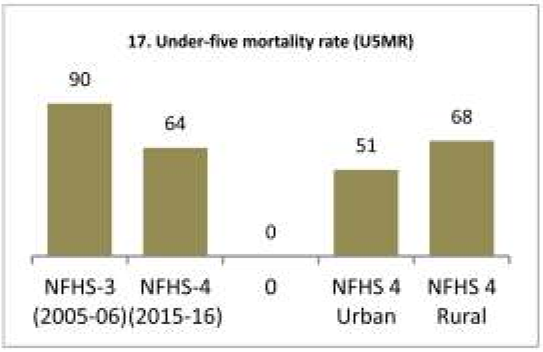

10. परिवार नियोजनः–

परिवार कल्याण में बच्चों के बीच समुचित अंतर के द्वारा माता एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिये प्रयास किया जाता है। किसी भी प्रकार के आधुनिक परिवार नियोजन साधनों का प्रयोग करने वाले परिवारों की संख्या दोनों दौर के सर्वेक्षणों के दौरान 49.1 प्रतिशत से बढ़कर 54.5 प्रतिशत हो गया।

सामान्यतः यह देखा गया है कि जनजातीय जनसंख्या द्वारा आधुनिक परिवार नियोजन साधनों का कम प्रयोग किये जाने के उपरांत भी प्रजनन दर कम बनाये रखा जाता है। जनजातीय बहुल जिलों में आधुनिक परिवार नियोजन साधनों का प्रयोग करने वालों की संख्या कम दर्ज की गयी, इससे स्पष्ट है कि परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों का प्रयोग करने वाले जिलों में अनमेट नीड्स (Unmet needs) कम है। दंड आलेख डी 19 एवं डी 20 से समझा जा सकता है।

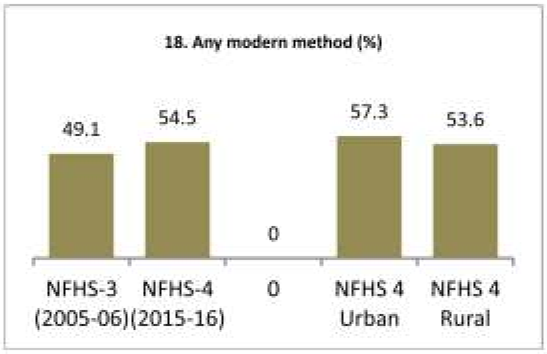

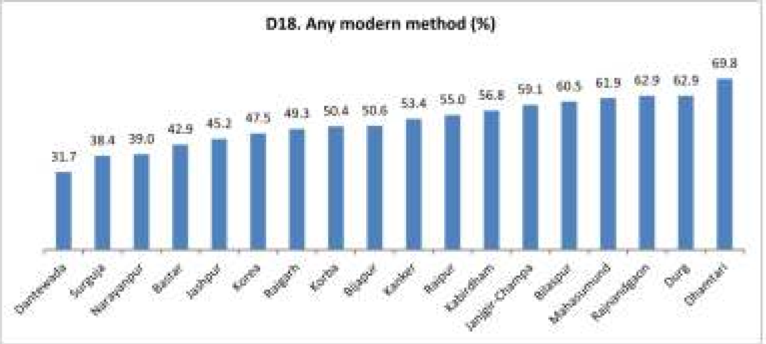

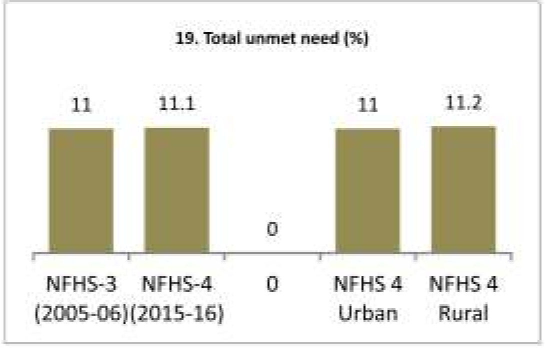

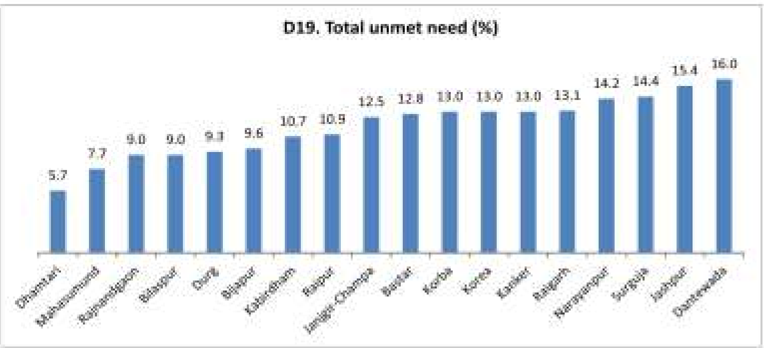

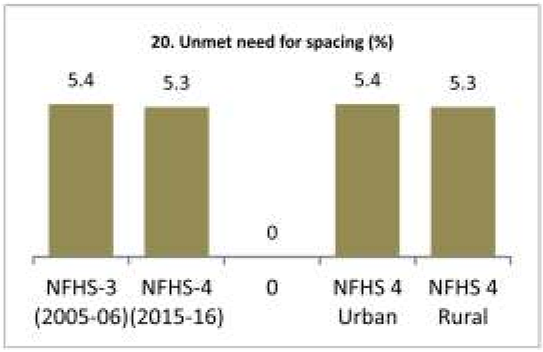

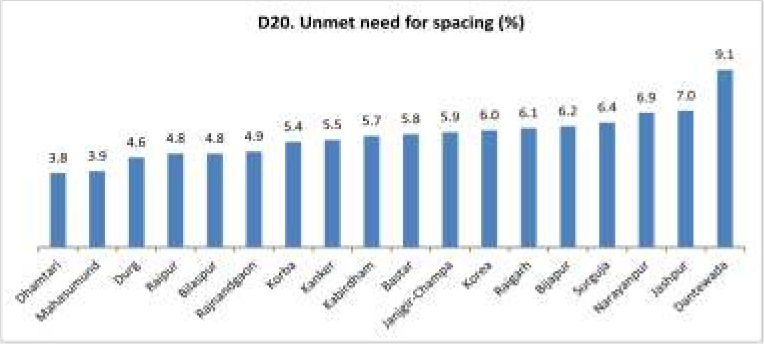

11. स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवादः—

वर्ष 2005—06 के दौरान परिवार नियोजन के किसी भी साधन का प्रयोग नहीं करने वाली केवल 14.1 प्रतिशत महिलाओं से स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने संवाद किया, जबकि यह वर्ष 2015—16 में लगभग दुगुना होकर 28.5 प्रतिशत दर्ज किया गया। वर्ष 2015—16 के दौरान परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा संपर्क किए जाने वाले परिवारों का प्रतिशत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कमशः 28 एवं 30.3 प्रतिशत रहा।

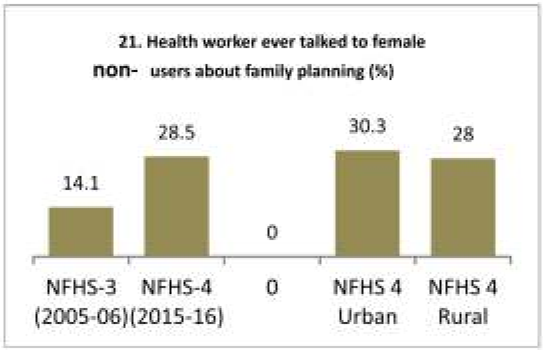

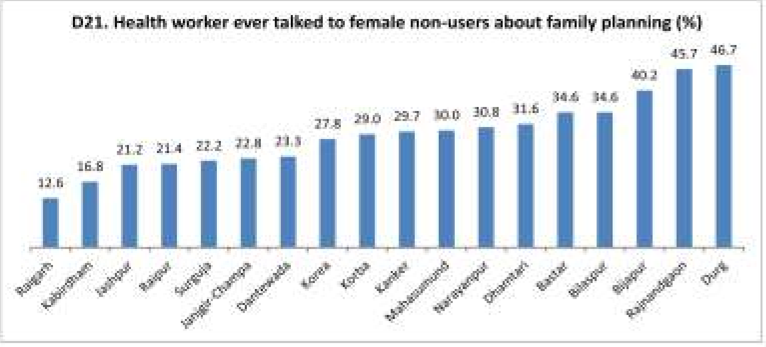

12. प्रसवपूर्व देखभाल :–

गर्भावधि के दौरान प्रसवपूर्व 4 बार सामान्य जांच, कम से कम एक टीटनेस इंजेक्शन और कम से कम 100 दिवस आयरन फॉलिक एसीड टेबलेट अथवा सीरप लेने वाले महिलाओं को पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) प्राप्त माना गया। राज्य में वर्ष 2005–06 में पूर्ण प्रसवपूर्व देखभालप्राप्त महिलाओं का प्रतिशत केवल 5.6 था, जो कि वर्ष 2015–16 में बढ़कर 21.7 प्रतिशत हो गया है। गहन परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि आयरन फॉलिक एसीड की उचित मात्रा न लेने के कारण पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल का स्तर कम है। निम्नांकित दंड आलेख से स्पष्ट है कि राज्य के 18 में से 16 जिलों के आंकड़े राज्य के औसत स्तर से कम है।

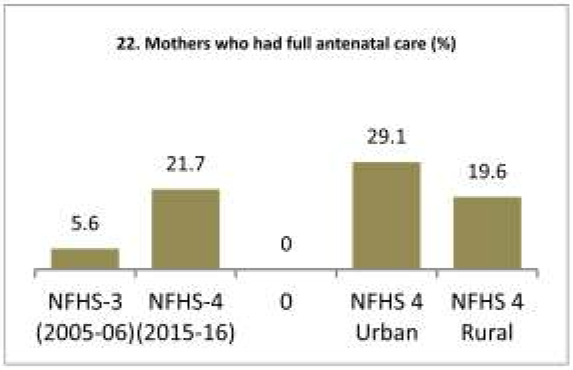

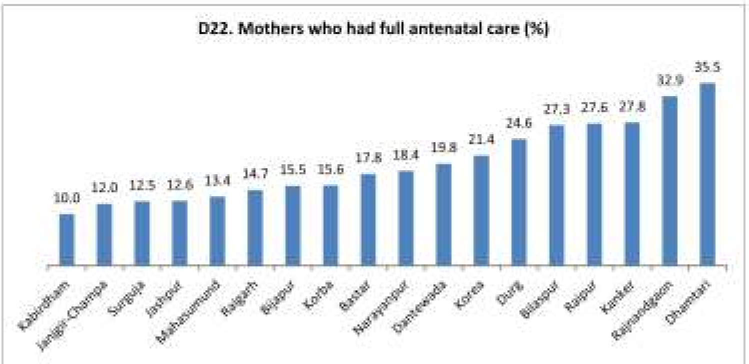

13. जननी सुरक्षा योजना आर्थिक सहायता:–

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल संस्थागत प्रसवों के लगभग 66 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। नगरीय क्षेत्रों में लगभग 50 प्रतिशत महिलायें इस योजना से लाभान्वित हुईं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 72 प्रतिशत रहा। जिला बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में योजनांतर्गत लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक रही जबकि जिला कोरिया, रायपुर एवं जांजगीर–चांपा में यह 60 प्रतिशत से कम रहा।

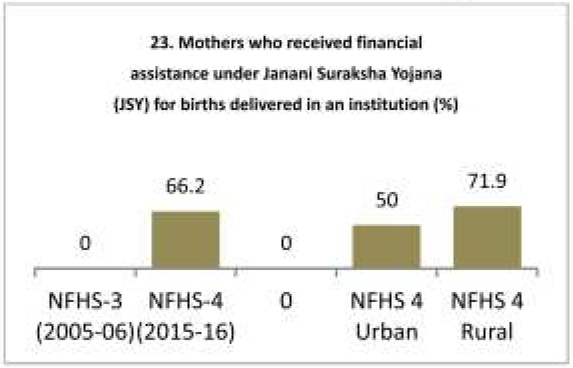

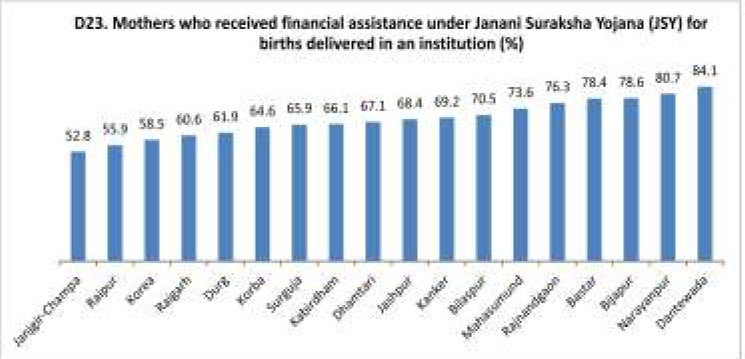

14. संस्थागत प्रसवः–

वर्ष2005–06 में संस्थागत प्रसव 14.3 प्रतिशत से लगभग 5 गुना बढ़कर वर्ष 2015–16 में 70.2 प्रतिशत दर्ज किए गए। नगरीय क्षेत्रों में लगभग 83 प्रतिशत संस्थागत प्रसव दर्ज किया गया, जबकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में 66.8 प्रतिशत रहा। जिला धमतरी एवं राजनांदगांव में संस्थागत प्रसव 80 प्रतिशत से अधिक रहा, जबकि जिला कबीरधाम जिले में यह आंकड़ा 44.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

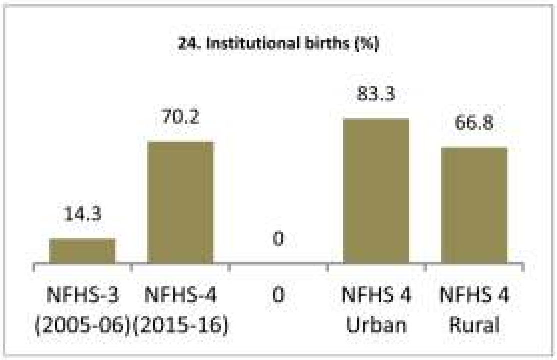

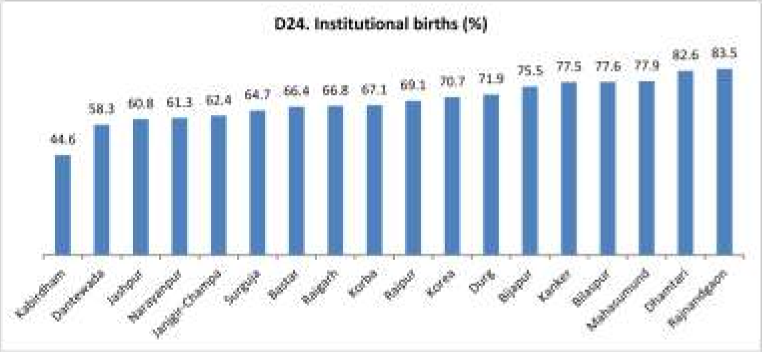

15. सिजेरियन द्वारा प्रसव :–

सिजेरियनद्वारा प्रसव का आंकड़ा दोनों दौरों के सर्वेक्षणों के दौरान बढ़कर लगभग दुगुना हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में देखी गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि शासकीय चिकित्सालयों में प्रसवों की संख्या में वर्ष 2005–06 से 2015–16 की अवधि में कमी दर्ज की गयी है। जहां नगरीय क्षेत्रों में 19 प्रतिशत सिजेरियन द्वारा हुए वहीं यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7.5 प्रतिशत रहा।

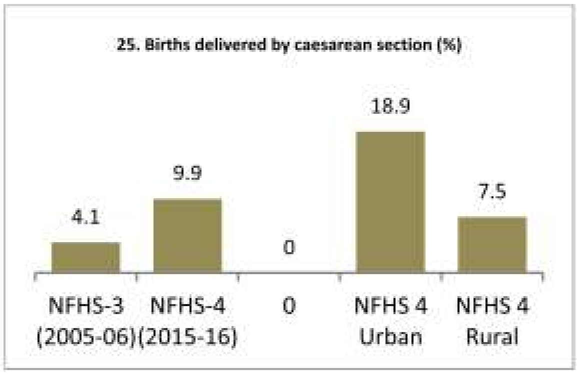

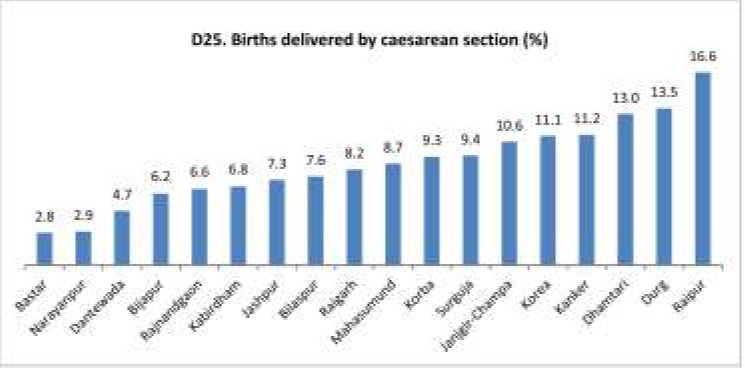

16. शिशु टीकाकरण:–

राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दोनों दौरों की अवधि में पूर्णतः टीकाकृत शिशुओं के प्रतिशत में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005–06 के दौरान 12 से 23 माह के आयु के 48.7 प्रतिशत शिशु पूर्णतः टीकाकृत थे। जबकि यह आंकड़ा वर्ष 2015–16 में बढ़कर 76.4 प्रतिशत हो गया। सार्वभौमिक टीकाकरण को प्राथमिकता देने के बाद भी जिले यथा–जशपुर, कबीरधाम, नारायणपुर, सरगुजा दंतेवाड़ा और रायगढ़ में पूर्ण टीकाकरण 70 प्रतिशत से कम रहा, जिसके कारण राज्य का औसत कम हो रहा है। जिला रायपुर, कोरबा, कांकेर, बिलासपुर, बीजापुर, राजनांदगांव एवं धमतरी में टीकाकरण का स्तर 80–88 प्रतिशत है, जबकि दुर्ग एकमात्र जिला है जिसने 90 प्रतिशत टीकाकरण का स्तर प्राप्त किया।

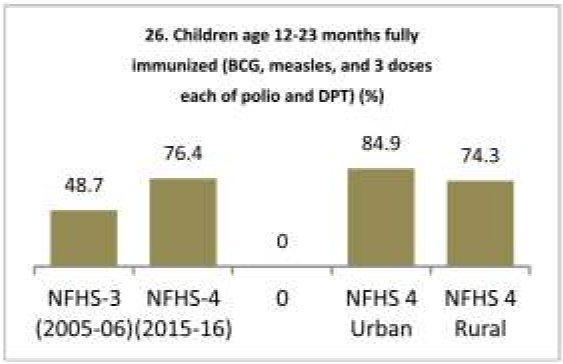

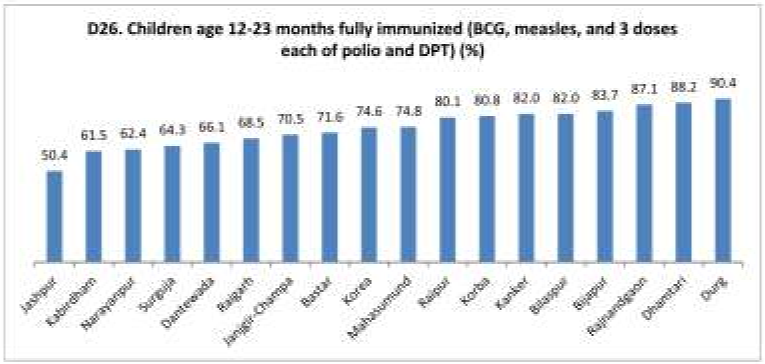

17. पोषणः–

राज्य में वर्ष 2005–06 से 2015–16 की अवधि के दौरान stunted और under weight वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आयी है। जहां वर्ष 2005–06 में 5 वर्ष के कम आयु के 53 प्रतिशत बच्चे stunted पाये गये वहीं वर्ष 2015–16 के दौरान घटकर 37 प्रतिशत हो गया। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में stunted बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 31.6 और 39.2 प्रतिशत है। under weight वाले बच्चों का प्रतिशत भी दोनों दौरों के सर्वेक्षण के दौरान 47 प्रतिशत से घटकर 38 प्रतिशत हो गया। बस्तर संभाग में stunted और under weight वाले बच्चों की अधिक संख्या पायी गयी।

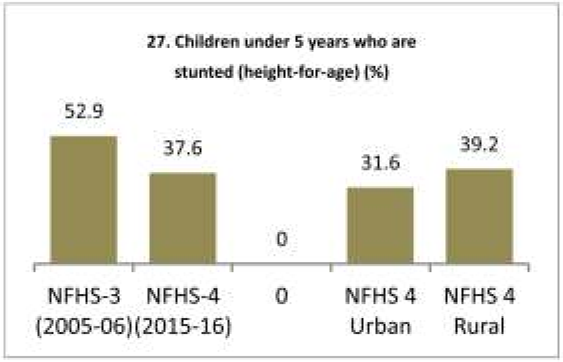

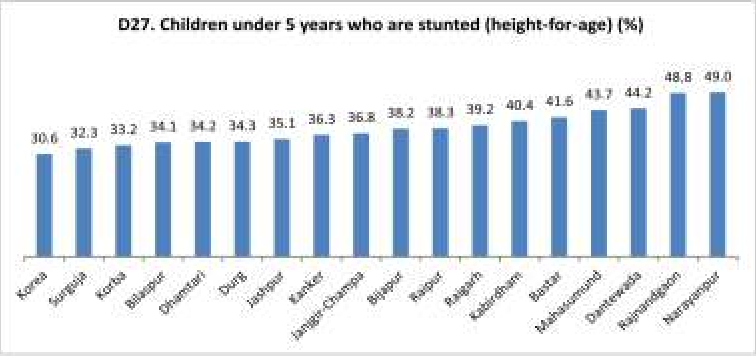

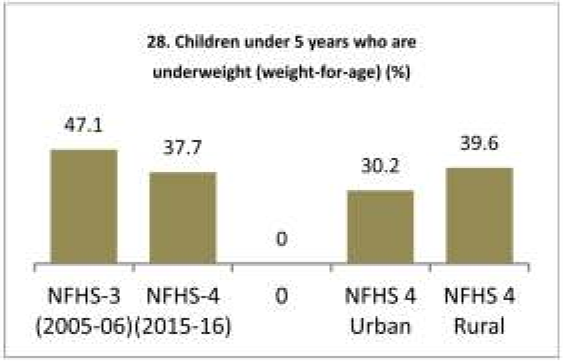

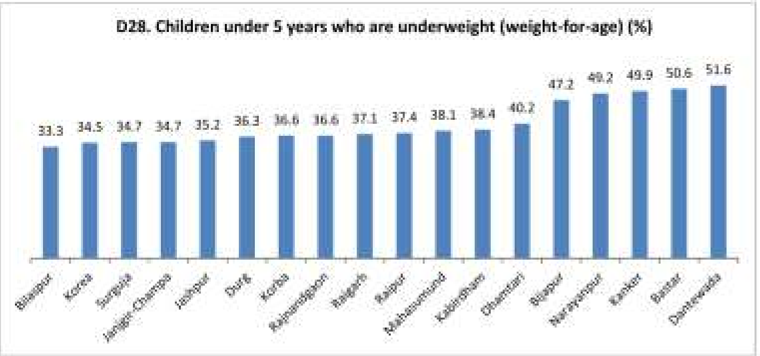

03

राज्यीय आय

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2016–17 के प्रचलित भाव में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में 29013970 लाख रू., वर्ष 2015–16 से 11.26 प्रतिशत अधिक।
- वर्ष 2016–17 के स्थिर भाव (2011–12) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर 22393201 लाख रू., वर्ष 2015–16 से 7.14 प्रतिशत अधिक।
- राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि (स्थिर भाव–अग्रिम अनुमान 2016–17) कृषि 5.87, उद्योग 6.11, सेवा 9.90 प्रतिशत अनुमानित।
- इसी अवधि में अखिल भारत के स्थिर भाव (2011–12) में सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में 7.1 प्रतिशत वृद्धि जिसमें कृषि क्षेत्र का 4.1, उद्योग क्षेत्र में 5.2 एवं सेवा क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत वृद्धि आधार मूल्यों पर अनुमानित।
- पिछले 5 वर्षों की भांति उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (2011–12) 2016–17 में सर्वाधिक 48.90 होना अनुमानित।
- वर्ष 2015–16 की तुलना में 2016–17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (2011–12) में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक लोकप्रशासन (18.21%) प्रक्षेत्र एवं न्यूनतम वानिकी (-2.17%) प्रक्षेत्र में रहा।
- प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2016–17 के अग्रिम अनुमान अनुसार 91772 रू. वहीं अखिल भारत के लिए यह 103007 रू. अनुमानित।

राज्यीय आय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान वर्ष 2016–17 के लिए आधार वर्ष 2011–12 एवं प्रचलित भावों पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार अनुमानित किये गये है। यह अनुमान तालिका कमांक 3.1 से 3.14 में दर्शाये गये है।

राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बेंचमार्क सूचकांक दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किये जाते है। क्षेत्रवार अनुमान तैयार करने के लिए सूचकांको से बाह्यगणन के आधार पर किया जाता है। जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, वित्तीय वर्ष के प्रथम 7–8 माह के थोक मूल्य सूचकांक, कृषि फसलों के प्रथम पूर्वानुमान, पशुधन के उत्पादन लक्ष्य, वानिकी विभाग के लक्ष्य, सूचीबद्ध कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन की प्रवृत्ति, राज्य सरकार के बजट लेखा, बिक्रीकर, बैंक के अग्रिम एवं केडिट लेखा, वायु यातायात आगम निर्गत यात्री संख्या, स्टाम्प शुल्क, पंजीकृत वाहनों की संख्या की जानकारी आदि।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान (2016–17), स्थिर भाव (2011–12) पर

3.1 अग्रिम अनुमान – वर्ष 2016–17 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकाँकों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2016–17 का अग्रिम अनुमान बाजार भाव में स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर रु. 22393201 लाख अनुमानित है जो की गत वर्ष 2015–16 से 7.14 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। क्षेत्रवार अनुमान निम्नांकित तालिका में दिये गये हैं।

तालिका 3.1 छत्तीसगढ़ : क्षेत्रवार अनुमान : स्थिर भाव (2011–12) (लाख रु.में)

समूह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)	2015-16(Q)	2016-17 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	2685950	2850360	2930967	3010401	3038667	3217003
उद्योग (खनन, उत्खनन सहित)	7016612	7326445	8468830	9197511	9741709	10337106
सेवाएँ	5140420	5375988	5820607	6300299	6902740	7586174
सकल राज्य घेरलू उत्पाद (आधार मूल्य पर)	14842982	15552792	17220404	18508211	19683116	21140283
उत्पाद शुल्क (जोड़)–.सब्सिडी	964400	1040858	1002494	1094090	1218057	1252918
सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	15807382	16593650	18222898	19602301	20901173	22393201

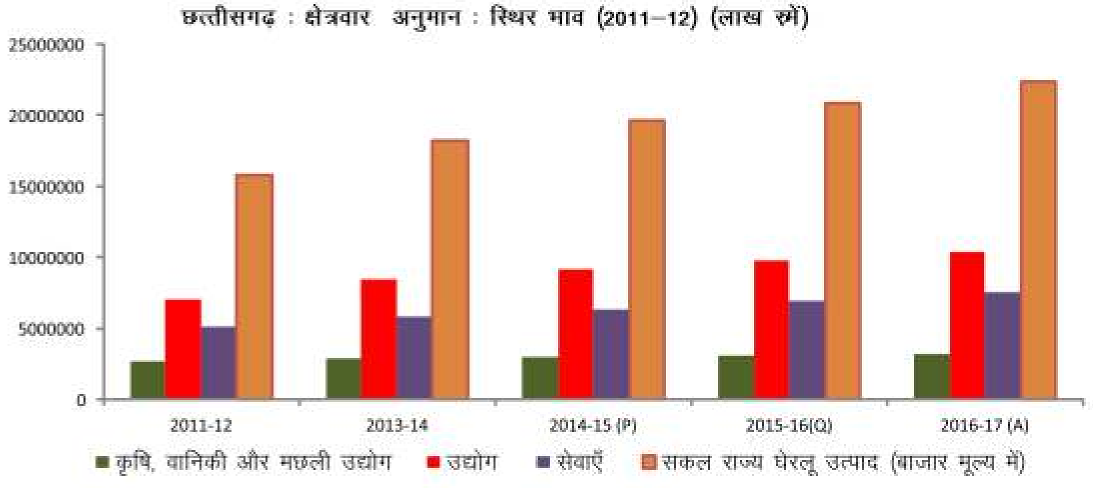

तालिका 3.2 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (वर्ष 2011–12) पर क्षेत्रवार प्रतिशत् वृद्धि दर

उद्योग समूह	2012-13	2013-14	2014-15 (P)	2015-16(Q)	2016-17 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	6.12	2.83	2.71	0.94	5.87
उद्योग (खनन, उत्खनन सहित)	4.42	15.59	8.60	5.92	6.11
सेवाएँ	4.58	8.27	8.24	9.56	9.90
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (मूल्य वर्धन)	4.78	10.72	7.48	6.35	7.40
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	4.97	9.82	7.57	6.63	7.14

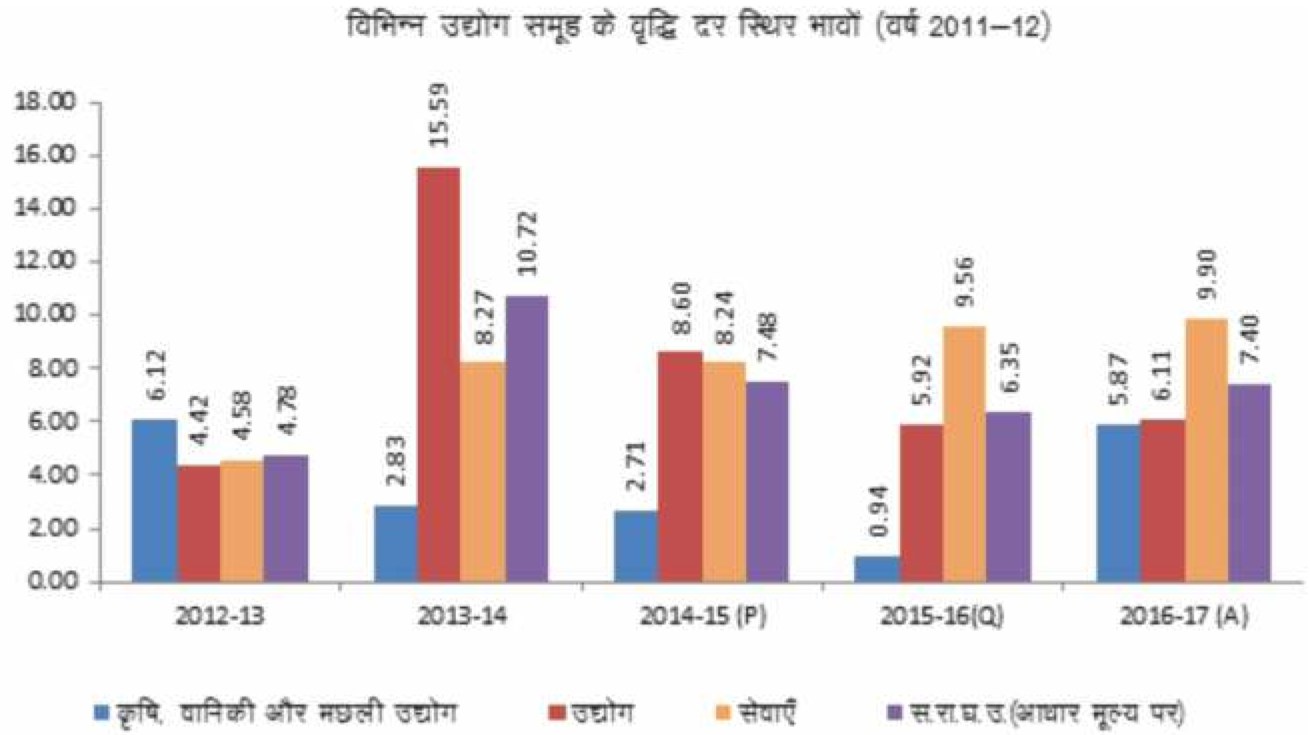

तालिका 3.3 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा–स्थिर भावों (वर्ष 2011–12) पर

उद्योग समूह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)	2015-16(Q)	2016-17(A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	18.10	18.33	17.02	16.27	15.44	15.22
उद्योग	47.27	47.11	49.18	49.69	49.49	48.90
सेवाएँ	34.63	34.57	33.80	34.04	35.07	35.88

2011 - 12

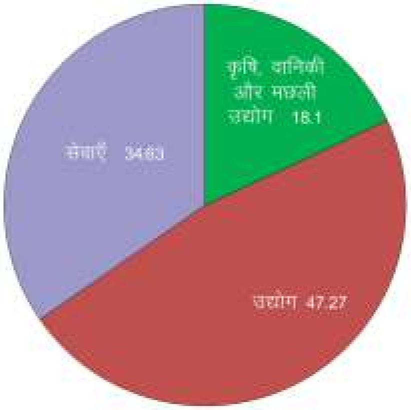

2016 - 17 (A)

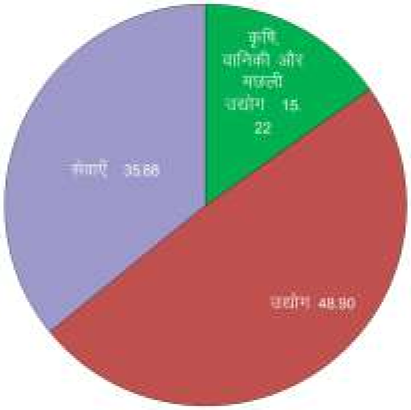

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान (2016–17), प्रचलित भाव पर

3.2 अग्रिम अनुमान – वर्ष 2016–17 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकाँकों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2016–17 का अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में **प्रचलित भाव पर** रु. 29013970 लाख अनुमानित है जो की गत वर्ष 2015–16 से 11.26 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। क्षेत्रवार अनुमान निम्नांकित तालिका में दिये गये हैं।

तालिका 3.4 छत्तीसगढ़ : क्षेत्रवार अनुमान : प्रचलित भाव पर (लाख रु.में)

समूह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)	2015-16(Q)	2016-17 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग	2685950	3180908	3589934	3948847	4341869	4852218
उद्योग	7016612	7632393	9266257	10690856	11658854	12738892
सेवाएँ	5140420	5800031	6672218	7588778	8698541	9974377
सकल राज्य घेरलू उत्पाद (आधार मूल्य पर)	14842982	16613332	19528409	22228481	24699264	27565487
उत्पाद शुल्क (जोड़)– सब्सिडी	964400	1137800	1140607	1269699	1378301	1448483
सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	15807382	17751132	20669016	23498180	26077565	29013970

तालिका 3.5 प्रचलित भाव पर प्रतिशत् वृद्धि दर

उद्योग समूह	2012-13	2013-14	2014-15 (P)	2015-16(Q)	2016-17 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	18.43	12.86	10.00	9.95	11.75
उद्योग (ब)	8.78	21.41	15.37	9.05	9.26
सेवाएँ (स)	12.83	15.04	13.74	14.62	14.67
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	12.30	16.44	13.69	10.98	11.26

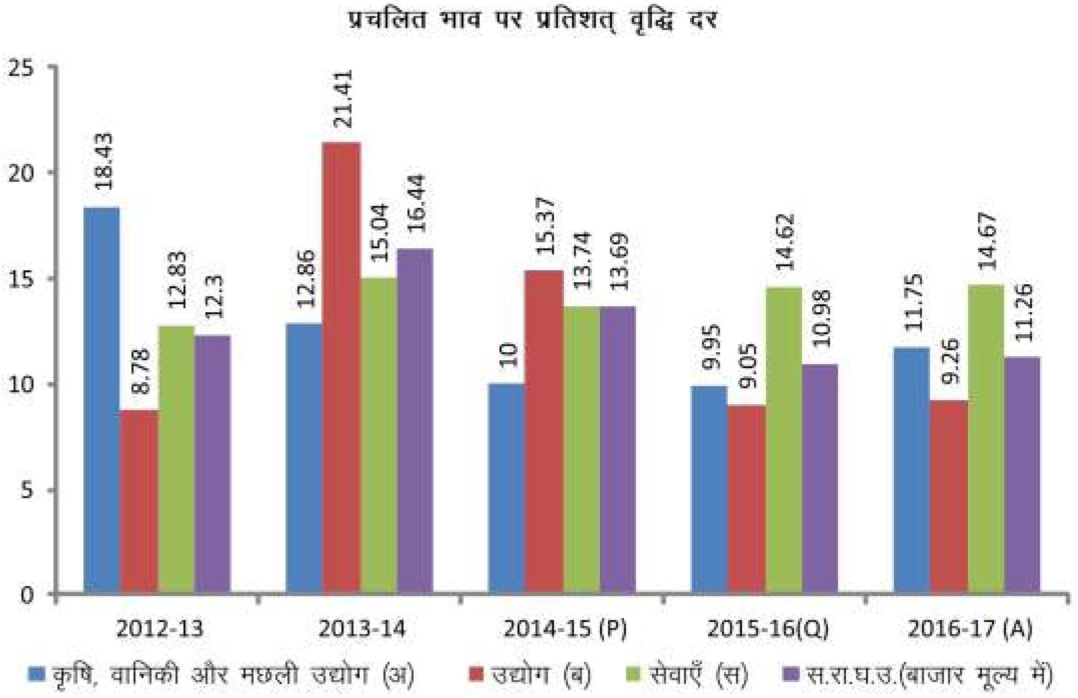

तालिका 3.6 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा– प्रचलित भाव पर

उद्योग समूह	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(P)	2015-16(Q)	2016-17 (A)
कृषि, वानिकी और मछली उद्योग (अ)	18.10	19.15	18.38	17.76	17.58	17.60
उद्योग (ब)	47.27	45.94	47.45	48.10	47.20	46.21
सेवाएँ (स)	34.63	34.91	34.17	34.14	35.22	36.18

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2015–16 (त्वरित)

3.3 स्थिर भाव – सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2015–16 के लिए स्थिर मूल्यों (2011–12) पर त्वरित अनुमान रु. 20901173 लाख है। जो कि वर्ष 2014–15 के अनुमानों से 6.63 प्रतिशत कुल अर्थव्यवस्था में वृद्धि आंकलित है।

कृषि क्षेत्र – स्थिर भाव पर वर्ष 2015–16 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि 0.94 प्रतिशत पूर्व वर्ष 2014–15 की तुलना में परिलक्षित हुई है, इस क्षेत्र के अंतर्गत फसलों में वृद्धि मात्र 0.50, मत्स्य क्षेत्र में 8.96 रही जबकि वानिकी एवं पशुधन क्षेत्र में कमशः1.34 एवं 1.05 प्रतिशत कमी अनुमानित है।

उद्योग समूह क्षेत्र – उद्योग समूह क्षेत्र में वर्ष 2015–16 में 5.92 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 11.29 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 9.30 प्रतिशत, निर्माण गतिविधियों में 6.48 प्रतिशत वृद्धि अंकित है जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 4.06 प्रतिशत कमी दर्ज की गयी।

सेवा क्षेत्र – सेवा क्षेत्र के अधिकांश अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रदाय किये जाते है। अतः इस उप क्षेत्र के प्रारंभिक अनुमानों के लिये प्रवृत्तियों एवं अन्य परिणामों के आधार पर अनुमान तैयार किये जाते है। सेवा क्षेत्र वर्ष 2015–16

के दौरान 9.56 प्रतिशत वृद्धि आंकलित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में अधिकतम हिस्सेदारी 10.65 प्रतिशत स्थावर सम्पदा इत्यादि क्षेत्र का है, जिसमें कि 6.45 प्रतिशत वृद्धि हुई। द्वितीय स्थान व्यापार, होटल एवं जलपान गृह क्षेत्र का रहा जिसका हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 7.18 प्रतिशत रहा, जिसमें कि 10.17 प्रतिशत वृद्धि हुई। परिवहन, भण्डार एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि 11.77 प्रतिशत हुई।

3.4 प्रचलित भाव – सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2015–16 बाजार मूल्य प्रचलित भावों पर रु. 26077565 लाख है। जो की पिछले वर्ष 2014–15 की तुलना में 10.98 प्रतिशत अधिक है।

कृषि क्षेत्र – प्रचलित भाव पर वर्ष 2015–16 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 9.95 प्रतिशत पूर्व वर्ष 2014–15 की तुलना में वृद्धि परिलक्षित हुई है, इस क्षेत्र के अंतर्गत फसलों में 8.29 प्रतिशत, मत्स्य क्षेत्र में 10.88 प्रतिशत, वानिकी एवं पशुधन क्षेत्र में कमशः 12.42 एवं 17.12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

उद्योग समूह क्षेत्र – प्रचलित भाव पर उद्योग समूह क्षेत्र में वर्ष 2015–16 में 9.05 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 12.73 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 12.68 प्रतिशत, निर्माण गतिविधियों में 13.00 प्रतिशत वृद्धि अंकित है, जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 3.51 प्रतिशत कमी दर्ज की गयी।

सेवा क्षेत्र – सेवा क्षेत्र के अधिकांश अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रदाय किये जाते है। अतः इस उप क्षेत्र के प्रारंभिक अनुमानों के लिये प्रवृत्तियों एवं अन्य परिणामों के आधार पर अनुमान तैयार किये जाते है। सेवा क्षेत्र वर्ष 2015–16 के दौरान 14.62 प्रतिशत वृद्धि आंकलित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में मुख्य उपक्षेत्र यथा – स्थावर सम्पदा इत्यादि क्षेत्र में 11.66 प्रतिशत, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह क्षेत्र में 16.10 प्रतिशत एवं परिवहन, भण्डार एवं संचार क्षेत्र में 15.07 प्रतिशत वृद्धि हुई।

3.5 निवल राज्य घरेलू उत्पाद– वर्ष 2015–16 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (बाजार मूल्य) पर अनुमानों के अनुसार रू. 18469257 लाख था जो कि वर्ष 2014–15 के अनुमान की तुलना में 5.29 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित भावों में वर्ष 2015–16 बाजार मूल्य पर आय का अनुमान रू. 23302325 लाख आंकलित है, जो कि वर्ष 2014–15 की तुलना में 10.43 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

प्रति व्यक्ति आय

3.6 प्रति व्यक्ति आय, निवल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। वर्ष 2016–17 में प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रचलित भावों पर) बाजार मूल्य पर रू. 91772 अनुमानित है, जबकि वर्ष 2015–16 में प्रति व्यक्ति आय रू. 84767 थी। जो की 8.26 की वृद्धि दर्शाता हैं। वर्ष 2011–12 से 2016–17 की प्रति व्यक्ति आय निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7 प्रति व्यक्ति आय रुपये में

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16(Q)	2016-17 (A)
प्रति व्यक्ति आय (रु.)	55177	60849	69839	78001	84767	91772

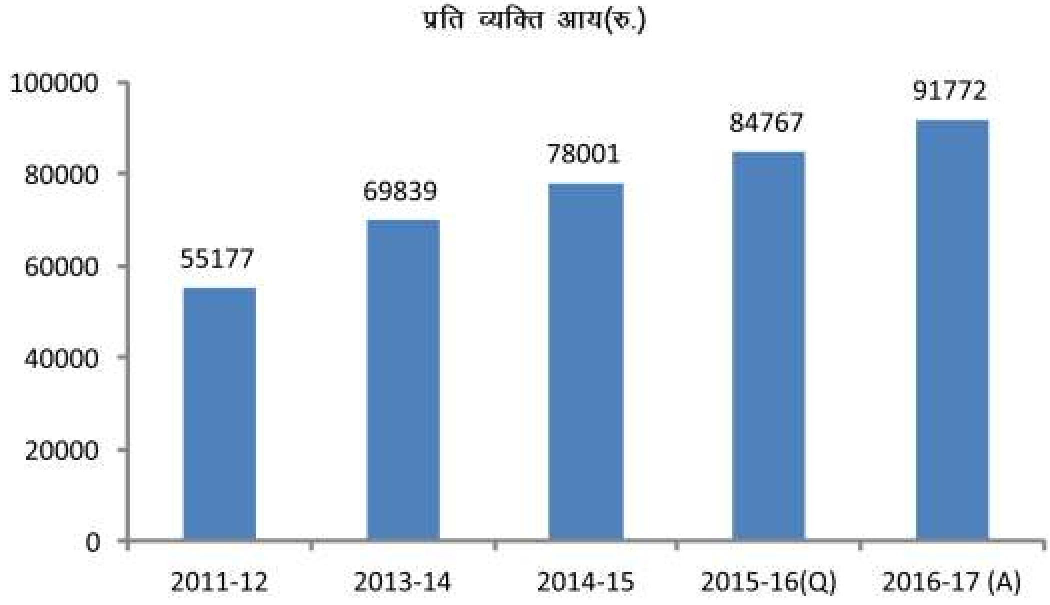

तालिका क्र. 3.8 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर

लाख रुपए में

क्र. सं.	उद्योग समूह	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	2015–16 (Q)	2016–17 (A)
1.1	फसलें	1798258	2140927	2395705	2613371	2829924	3132527
1.2	पशुपालन	226704	255035	310931	352208	412501	467223
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	426205	503309	559637	597785	672022	778945
1.4	मछली उद्योग	234783	281637	323661	385483	427422	473523
1.5	खनन तथा उत्खनन	1970258	1923021	2144358	2451970	2365874	2482291
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	4656208	5103929	5734292	6400817	6707743	7334509
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	2685950	3180908	3589934	3948847	4341869	4852218
2	विनिर्माण	2435032	2817915	3810105	4370593	4925000	5403213
3	विद्यूत गैस तथा जल आपूर्ति अन्य	709991	970686	1051772	1198438	1351026	1461841
4	निर्माण	1901330	1920771	2260022	2669855	3016954	3391547
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	5046354	5709372	7121899	8238886	9292980	10256601
	उद्योग (B+1.5)	7016612	7632393	9266257	10690856	11658854	12738892
5	व्यापार, होटल, एवं जलपान गृह	932617	1101271	1288982	1535571	1782734	1979656
6	परिवहन संग्रहण एवं संचार	583708	683320	783315	871770	1003151	1165466
6.1	रेलवे	121509	140418	150098	159176	173471	186151
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	281709	329096	365284	401367	459377	533798
6.3	भण्डारण	10189	11689	14026	16675	19415	22675
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	170301	202117	253906	294552	350888	422842
7	वित्तीय सेवा	537699	609344	676094	739057	813950	903006
8	स्थावर संपदा अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक	1755211	1919629	2227586	2462166	2749303	3034840
9	लोक प्रशासन	549383	611344	781483	867982	1028511	1274761
10	अन्य सेवाएं	781802	875123	914758	1112232	1320891	1616648
C	योग (सेवाएं)	5140420	5800031	6672218	7588778	8698541	9974377
11	योग स.रा.घ. मूल्य वर्धन आधार मूल्य पर	14842982	16613332	19528409	22228481	24699264	27565487
12	उत्पाद कर –उत्पाद अनुदान	964400	1137800	1140607	1269699	1378301	1448483
13	सकल राज्य घरेलु उत्पाद (बाजार मूल्य मे)	15807382	17751132	20669016	23498180	26077565	29013970
14	जनसंख्या (हजार मे)	25785	26201	26624	27053	27490	27933
15	प्रति व्यक्ति आय (स.रा.घ.उ.)	61305	67750	77633	86860	94862	103870

तालिका क. 3.9 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2011–2012) पर

लाख रुपए में

क्र.	उद्योग समूह	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	2015–16 (Q)	2016–17 (A)
1.1	फसलें	1798258	1923736	1986080	2040506	2050750	2198871
1.2	पशुपालन	226704	237979	249536	248185	245571	258761
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	426205	449230	428448	427452	421736	412592
1.4	मछली उद्योग	234783	239415	266903	294258	320610	346779
1.5	खनन तथा उत्खनन	1970259	1923176	2072375	2113041	2027310	2074193
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	4656209	4773536	5003342	5123442	5065977	5291196
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	2685950	2850360	2930967	3010401	3038667	3217003
2	विनिर्माण	2435032	2660179	3588922	4065674	4443783	4777067
3	विद्यूत गैस तथा जल आपूर्ति अन्य	709991	955984	1047311	1167621	1299486	1394311
4	निर्माण	1901330	1787106	1760222	1851175	1971130	2091535
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	5046353	5403268	6396455	7084470	7714399	8262913
	उद्योग (B+1.5)	7016612	7326445	8468830	9197511	9741709	10337106
5	व्यापार, होटल, एवं जलपान गृह	932617	1021682	1129497	1282528	1412901	1511804
6	परिवहन संग्रहण एवं संचार	583708	650790	726990	796455	890159	991589
6.1	रेलवे	121509	133946	139290	135941	141903	142260
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	281709	312165	339701	375638	411286	452021
6.3	भण्डारण	10189	11087	12696	14810	17028	19165
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	170301	193592	235303	270066	319941	378144
7	वित्तीय सेवा	537699	597241	618887	675796	740195	785411
8	स्थावर संपदा अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक	1755211	1741686	1895155	1969011	2096091	2230717
9	लोक प्रशासन	549383	562938	661283	671086	744778	880365
10	अन्य सेवाएं	781802	801651	788795	905423	1018616	1186288
C	योग (सेवाएं)	5140420	5375988	5820607	6300299	6902740	7586174
11	योग स.रा.घ. मूल्य वर्धन आधार मूल्य पर	14842982	15552792	17220404	18508211	19683116	21140283
12	उत्पाद कर –उत्पाद अनुदान	964400	1040858	1002494	1094090	1218057	1252918
13	सकल राज्य घरेलु उत्पाद (बाजार मूल्य मे)	15807382	16593650	18222898	19602301	20901173	22393201
14	जनसंख्या (हजार मे)	25785	26201	26624	27053	27490	27933
15	प्रति व्यक्ति आय (स.रा.घ.उ.)	61305	63332	68445	72459	76032	80168

तालिका क. 3.10 छत्तीसगढ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर

लाख रुपए में

क्र.	उद्योग समूह	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	2015–16 (Q)	2016–17 (A)
1.1	फसलें	1646143	1963201	2187845	2376124	2551395	2853998
1.2	पशुपालन	221527	249016	304221	345123	405630	460352
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	421532	497684	553321	590867	665498	771545
1.4	मछली उद्योग	207185	250029	289553	347071	379671	420621
1.5	खनन तथा उत्खनन	1732435	1689652	1836289	2067214	1869134	1943437
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	4228822	4649583	5171229	5726399	5871328	6449953
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	2496387	2959930	3334940	3659185	4002194	4506516
2	विनिर्माण	2096873	2457605	3440532	3963733	4557849	4712358
3	विद्यूत गैस तथा जल आपूर्ति अन्य	471685	634688	695984	775361	808877	852459
4	निर्माण	1811676	1819654	2143948	2537776	2866663	3220533
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	4380235	4911947	6280464	7276870	8233389	8785350
	उद्योग (B+1.5)	6112670	6601599	8116753	9344084	10102523	10728787
5	व्यापार, होटल, एवं जलपान गृह	868351	1022444	1195215	1429548	1659646	1842971
6	परिवहन संग्रहण एवं संचार	489851	577283	635801	695268	798401	925502
6.1	रेलवे	101630	118355	124514	132770	144693	155270
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	240528	282193	306448	343306	392975	456649
6.3	भण्डारण	8723	10121	11948	14205	16539	19316
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	138970	166614	192890	204987	244193	294267
7	वित्तीय सेवा	529208	598550	664800	725587	799115	886548
8	स्थावर संपदा अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक	1609432	1747425	2032613	2243574	2503845	2764032
9	लोक प्रशासन	423898	475364	613867	685129	811840	1006214
10	अन्य सेवाएं	733146	822746	859324	1049558	1246460	1525550
C	योग (सेवाएं)	4653886	5243812	6001620	6828664	7819307	8950817
11	योग स.रा.घ. मूल्य वर्धन आधार मूल्य पर	13262943	14805341	17453313	19831933	21924024	24186120
12	उत्पाद कर –उत्पाद अनुदान	964400	1137800	1140607	1269699	1378301	1448483
13	सकल राज्य घरेलु उत्पाद (बाजार मूल्य मे)	14227343	15943141	18593920	21101632	23302325	25634603
14	जनसंख्या (हजार मे)	25785	26201	26624	27053	27490	27933
15	प्रति व्यक्ति आय (स.रा.घ.उ.)	55177	60849	69839	78001	84767	91772

तालिका क. 3.11 सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भावों पर

क्र. सं.	उद्योग समूह	2012–13	2013–14	2014–15(P)	2015–16 (Q)	2016–17(A)
1.1	फसलें	19.06	11.90	9.09	8.29	10.69
1.2	पशुपालन	12.50	21.92	13.28	17.12	13.27
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	18.09	11.19	6.82	12.42	15.91
1.4	मछली उद्योग	19.96	14.92	19.10	10.88	10.79
1.5	खनन तथा उत्खनन	-2.40	11.51	14.35	-3.51	4.92
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	9.62	12.35	11.62	4.80	9.34
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	18.43	12.86	10.00	9.95	11.75
2	विनिर्माण	15.72	35.21	14.71	12.68	9.71
3	विद्यूत गैस तथा जल आपूर्ति अन्य	36.72	8.35	13.94	12.73	8.20
4	निर्माण	1.02	17.66	18.13	13.00	12.42
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	13.14	24.74	15.68	12.79	10.37
	उद्योग (B+1.5)	8.78	21.41	15.37	9.05	9.26
5	व्यापार, होटल, एवं जलपान गृह	18.08	17.04	19.13	16.10	11.05
6	परिवहन संग्रहण एवं संचार	17.07	14.63	11.29	15.07	16.18
6.1	रेलवे	15.56	6.89	6.05	8.98	7.31
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	16.82	11.00	9.88	14.45	16.20
6.3	भण्डारण	14.72	19.99	18.89	16.43	16.79
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	18.68	25.62	16.01	19.13	20.51
7	वित्तीय सेवा	13.32	10.95	9.31	10.13	10.94
8	स्थावर संपदा अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक	9.37	16.04	10.53	11.66	10.39
9	लोक प्रशासन	11.28	27.83	11.07	18.49	23.94
10	अन्य सेवाएं	11.94	4.53	21.59	18.76	22.39
C	योग (सेवाएं)	12.83	15.04	13.74	14.62	14.67
11	योग स.रा.घ. मूल्य वर्धन आधार मूल्य पर	11.93	17.55	13.83	11.12	11.60
12	उत्पाद कर –उत्पाद अनुदान	17.98	0.25	11.32	8.55	5.09
13	सकल राज्य घरेलु उत्पाद (बाजार मूल्य मे)	12.30	16.44	13.69	10.98	11.26
14	जनसंख्या (हजार मे)	26201	26624	27053	27490	27933
15	प्रति व्यक्ति आय (स.रा.घ.उ.)	10.51	14.59	11.89	9.21	9.50

तालिका क. 3.12 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि स्थिर भावों (वर्ष 2011–12) पर

क्र.	उद्योग समूह	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	2015–16 (Q)	2016–17 (A)
1.1	फसलें	6.98	3.24	2.74	0.50	7.22
1.2	पशुपालन	4.97	4.86	-0.54	-1.05	5.37
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	5.40	-4.63	-0.23	-1.34	-2.17
1.4	मछली उद्योग	1.97	11.48	10.25	8.96	8.16
1.5	खनन तथा उत्खनन	-2.39	7.76	1.96	-4.06	2.31
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	2.52	4.81	2.40	-1.12	4.45
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	6.12	2.83	2.71	0.94	5.87
2	विनिर्माण	9.25	34.91	13.28	9.30	7.50
3	विद्यूत गैस तथा जल आपूर्ति अन्य	34.65	9.55	11.49	11.29	7.30
4	निर्माण	-6.01	-1.50	5.17	6.48	6.11
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	7.07	18.38	10.76	8.89	7.11
	उद्योग (B+1.5)	4.42	15.59	8.60	5.92	6.11
5	व्यापार, होटल, एवं जलपान गृह	9.55	10.55	13.55	10.17	7.00
6	परिवहन संग्रहण एवं संचार	11.49	11.71	9.56	11.77	11.39
6.1	रेलवे	10.24	3.99	-2.40	4.39	0.25
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	10.81	8.82	10.58	9.49	9.90
6.3	भण्डारण	8.81	14.51	16.65	14.98	12.55
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	13.68	21.55	14.77	18.47	18.19
7	वित्तीय सेवा	11.07	3.62	9.20	9.53	6.11
8	स्थावर संपदा अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक	-0.77	8.81	3.90	6.45	6.42
9	लोक प्रशासन	2.47	17.47	1.48	10.98	18.21
10	अन्य सेवाएं	2.54	-1.60	14.79	12.50	16.46
C	योग (सेवाएं)	4.58	8.27	8.24	9.56	9.90
11	योग स.रा.घ. मूल्य वर्धन आधार मूल्य पर	4.78	10.72	7.48	6.35	7.40
12	उत्पाद कर –उत्पाद अनुदान	7.93	-3.69	9.14	11.33	2.86
13	सकल राज्य घरेलु उत्पाद (बाजार मूल्य मे)	4.97	9.82	7.57	6.63	7.14
14	जनसंख्या (हजार मे)	26201	26624	27053	27490	27933
15	प्रति व्यक्ति आय (स.रा.घ.उ.)	3.31	8.07	5.86	4.93	5.44

तालिका क. 3.13 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत विवरण – प्रचलित भावों पर

क्र.	उद्योग समूह	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	2015–16 (Q)	2016–17 (A)
1.1	फसलें	12.12	12.89	12.27	11.76	11.46	11.36
1.2	पशुपालन	1.53	1.54	1.59	1.58	1.67	1.69
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	2.87	3.03	2.87	2.69	2.72	2.83
1.4	मछली उद्योग	1.58	1.70	1.66	1.73	1.73	1.72
1.5	खनन तथा उत्खनन	13.27	11.58	10.98	11.03	9.58	9.01
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	31.37	30.72	29.36	28.80	27.16	26.61
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	18.10	19.15	18.38	17.76	17.58	17.60
2	विनिर्माण	16.41	16.96	19.51	19.66	19.94	19.60
3	विद्यूत गैस तथा जल आपूर्ति अन्य	4.78	5.84	5.39	5.39	5.47	5.30
4	निर्माण	12.81	11.56	11.57	12.01	12.21	12.30
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	34.00	34.37	36.47	37.06	37.62	37.21
	उद्योग (B+1.5)	47.27	45.94	47.45	48.10	47.20	46.21
5	व्यापार, होटल, एवं जलपान गृह	6.28	6.63	6.60	6.91	7.22	7.18
6	परिवहन संग्रहण एवं संचार	3.93	4.11	4.01	3.92	4.06	4.23
6.1	रेलवे	0.82	0.85	0.77	0.72	0.70	0.68
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	1.90	1.98	1.87	1.81	1.86	1.94
6.3	भण्डारण	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	1.15	1.22	1.30	1.33	1.42	1.53
7	वित्तीय सेवा	3.62	3.67	3.46	3.32	3.30	3.28
8	स्थावर संपदा अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक	11.83	11.55	11.41	11.08	11.13	11.01
9	लोक प्रशासन	3.70	3.68	4.00	3.90	4.16	4.62
10	अन्य सेवाएं	5.27	5.27	4.68	5.00	5.35	5.86
C	योग (सेवाएं)	34.63	34.91	34.17	34.14	35.22	36.18
11	योग स.रा.घ. मूल्य वर्धन आधार मूल्य पर	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

तालिका क्र. 3.14 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत विवरण – स्थिर भावों (वर्ष 2011–12) पर

क्र. सं.	उद्योग समूह	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	2015–16 (Q)	2016–17 (A)
1.1	फसलें	12.12	12.37	11.53	11.02	10.42	10.40
1.2	पशुपालन	1.53	1.53	1.45	1.34	1.25	1.22
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	2.87	2.89	2.49	2.31	2.14	1.95
1.4	मछली उद्योग	1.58	1.54	1.55	1.59	1.63	1.64
1.5	खनन तथा उत्खनन	13.27	12.37	12.03	11.42	10.30	9.81
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	31.37	30.69	29.05	27.68	25.74	25.03
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	18.10	18.33	17.02	16.27	15.44	15.22
2	विनिर्माण	16.41	17.10	20.84	21.97	22.58	22.60
3	विद्यूत गैस तथा जल आपूर्ति अन्य	4.78	6.15	6.08	6.31	6.60	6.60
4	निर्माण	12.81	11.49	10.22	10.00	10.01	9.89
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	34.00	34.74	37.14	38.28	39.19	39.09
	उद्योग (B+1.5)	47.27	47.11	49.18	49.69	49.49	48.90
5	व्यापार, होटल, एवं जलपान गृह	6.28	6.57	6.56	6.93	7.18	7.15
6	परिवहन संग्रहण एवं संचार	3.93	4.18	4.22	4.30	4.52	4.69
6.1	रेलवे	0.82	0.86	0.81	0.73	0.72	0.67
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	1.90	2.01	1.97	2.03	2.09	2.14
6.3	भण्डारण	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	1.15	1.24	1.37	1.46	1.63	1.79
7	वित्तीय सेवा	3.62	3.84	3.59	3.65	3.76	3.72
8	स्थावर संपदा अवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक	11.83	11.20	11.01	10.64	10.65	10.55
9	लोक प्रशासन	3.70	3.62	3.84	3.63	3.78	4.16
10	अन्य सेवाएं	5.27	5.15	4.58	4.89	5.18	5.61
C	योग (सेवाएं)	34.63	34.57	33.80	34.04	35.07	35.88
11	योग स.रा.घ. मूल्य वर्धन आधार मूल्य पर	100	100	100	100	100	100

04

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मुख्य बिन्दु

- उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक ***(CPI)*** दिसंबर–16 में दिसम्बर–15 की स्थिति से ग्रामीण, नगरीय, संयुक्त क्षेत्र में क्रमशः 1.1, 2.4 एवं 1.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- भारत के कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक के लिए औसत मूल्य सूचकांक ***(CPI-AL)*** तथा ***(CPI-AL)*** जनवरी से दिसम्बर–16 का औसत क्रमशः 864 एवं 869 था जो कि गत् वर्ष इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 4.7 एवं 4.8 प्रतिशत अधिक है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक (औद्यौगिक श्रमिक) दिसंबर–15 में दिसम्बर–16 की स्थिति से सम्पूर्ण भारत एवं छत्तीसगढ़ के भिलाई केन्द्र में क्रमशः 4.99 एवं 5.02 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- थोक मूल्य सूचकाँक दिसंबर–16 में दिसम्बर–15 की स्थिति से 3.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2015–16 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड–ए) के समर्थन मूल्य कमशः 1410 एवं 1450 भारत सरकार द्वारा घोषित।
- 31 जनवरी 2016 की स्थिति में कुल 5948154 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं।
- वर्ष 2014–15 में राशि रू. 8671.65 करोड़ से 63.10 लाख टन धान खरीदा गया।
- वर्ष 2015–16 में जनवरी 16 तक राशि रू. 8413.30 करोड़ से 59.17 लाख टन धान खरीदा गया।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 31 जनवरी 2016 की स्थिति में उचित मूल्य की क्रमशः 1303 तथा 11002 दुकानें संचालित है।

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.1 मूल्यः— आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन का समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विक्रेता के दृष्टिकोण से, एक प्रभावी कीमत वह मूल्य है जो उस अधिकतम के बहुत निकट हैं, जितना ग्राहक भुगतान करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक संदर्भ में, यह वही मूल्य है जो उपभोक्ता के अधिकांश अधिशेष को निर्माता को अंतरित करता है। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय के समूह में शामिल प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का अनुमान लगाने हेतु मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आर्थिक योजना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा विक्रेता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत आधार पर उत्पन्न वास्तविक मुद्रा स्फीति को दर्शाता है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाने वाला प्राथमिक मापक है।

4.1.1 भारत में मूल्य स्थितिः— केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2012) जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर 2015 में 134.9, 122.8 एवं 130.2 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो दिसम्बर 2016 में 136.4, 125.7 एवं 132.3 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया। दिसम्बर 2015 के लिए भारत की सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 127.9, 124 एवं 126.1 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो दिसम्बर 2016 में 132.8, 127.6 एवं 130.4 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया। इस अवधि में, बिंदु से बिंदु आधार पर वार्षिक मुद्रास्फीति दर क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए जहां छ. ग. में वार्षिक औसत 5.8, 4.23 एवं 5.20 रही, वहीं भारत में 5.60, 4.22 एवं 4.96 थी। अतः न केवल वर्ष 2015 की स्थिति में छ.ग. में तीनों क्षेत्र में सूचकांक का स्तर भारत के स्तर से अधिक था, बल्कि परवर्ती एक वर्ष मे भी मुद्रास्फीति दर भी अधिक रहा, फलस्वरुप दिसंबर 2016 की स्थिति में छ.ग. एवं भारत के सूचकांक का अंतर बढ़ गया है। (विस्तृत विवरण — परिशिष्ट 4.1, 4.2 एवं 4.3)

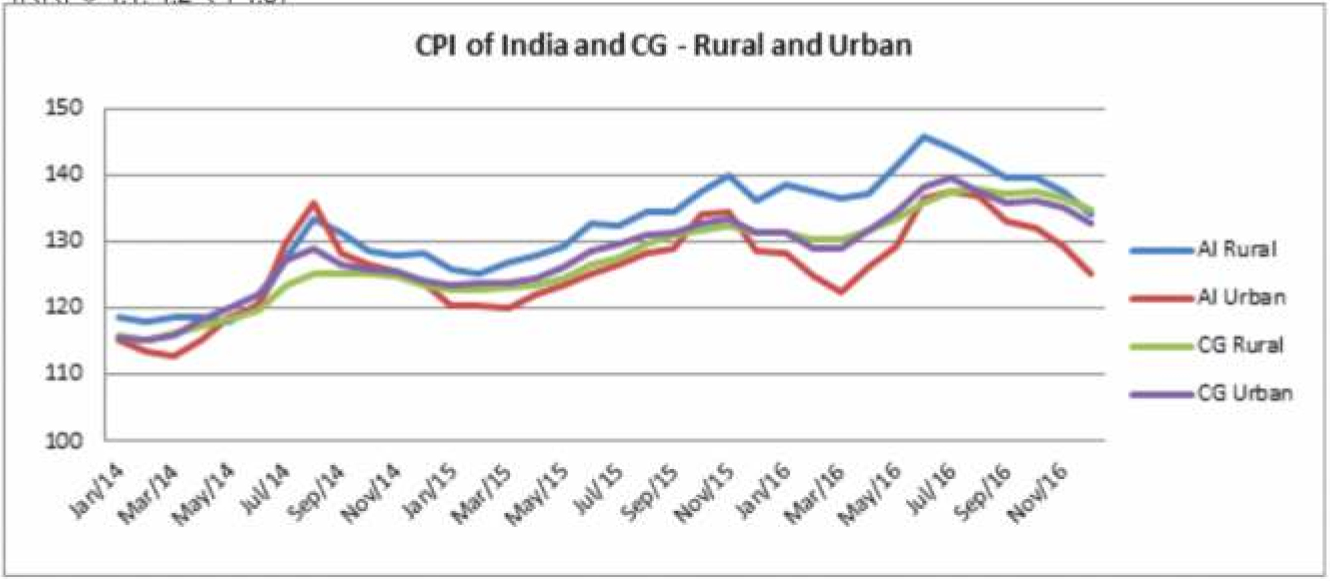

तालिका 4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकॉंक

भारत / राज्य	दिसंबर–2015			दिसंबर –2016			वार्षिक वृद्धि (%)		
	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त
छ.ग.	134.9	122.8	130.2	136.4	125.7	132.3	1.1	2.4	1.6
भारत	127.9	124	126.1	132.8	127.6	130.4	3.8	2.9	3.4

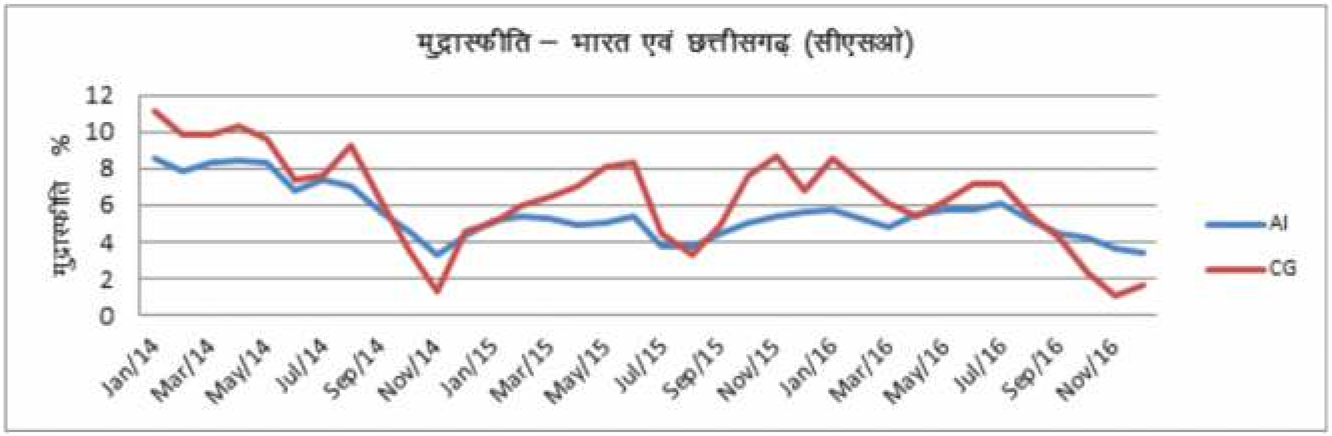

मुद्रास्फीति – मुद्रास्फीति की दर एक स्थिति है जहाँ निरंतर, सामान्य मूल्य स्तर में अनियंत्रित वृद्धि और पैसे की क्रय शक्ति में गिरावट होती है। इस प्रकार, मुद्रास्फीति की कीमतों में बढ़ोतरी की एक परिस्थिति है। मुद्रास्फीति की दर तीन स्तरों पर मापी जा सकती है – निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा (उपभोक्ता). कीमतें आम तौर पर प्रत्येक स्तर में बढती है जब तक वस्तु अंत में उपभोक्ता के हाथ में पहुंचता है। इस समय, निर्माता स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए कोई सूचकांक नहीं है। उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अभी तक इस प्रकार की मुद्रास्फीति की गणना शुरूआत नहीं किया गया है। थोक मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए सूचकांक के रूप में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का इस्तेमाल किया जाता है। यह मुद्रास्फीति की दर अक्सर सकल मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। थोक मूल्य सूचकांक मुख्य आर्थिक सलाहकार, कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक आइटम बास्केट 676 वस्तुओं को शामिल कर उनके संयुक्त मूल्य को दर्शाता है। लेकिन थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं पर आधारित वस्तुओं को शामिल नहीं करता, और यह न तो निर्माता और थोक व्यापारी के बीच न ही और थोक व्यापारी और खुदरा (उपभोक्ता) के बीच बाधाओं को दर्शाता है। पिछले 50 वर्षों में, थोक मूल्य सूचकांक आधारित

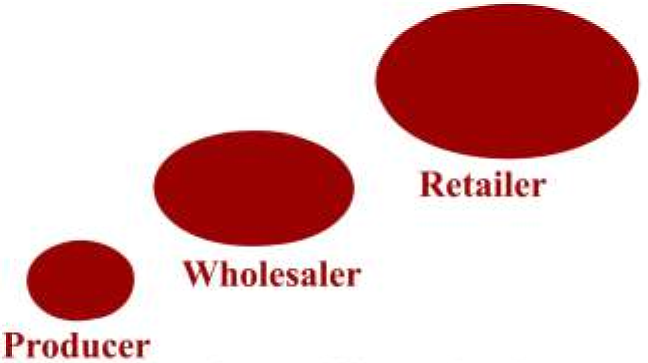

Price rise at different levels

मुद्रास्फीति की दर औसत 7.8% के आसपास रहा है। भारत में उच्चतम थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति दर 34.68 प्रतिशत सितंबर 1974 में देखा गया है। जबकि यह मई 1976 में न्यूनतम 11.31% दर्ज किया गया था, जो कि मुद्रास्फीति को दर्शाता है। खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक (सीपीआई) की दर से पता चलता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 260 वस्तुओं पर आधारित है, एवं इसमें कुछ सेवाये भी शामिल है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों की समाविष्टि के लिए तीन उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का निर्धारण किया गया है।

4.1.2 :– श्रम ब्यूरो, भारत सरकार तीन प्रकार के मासिक सूचकांक– कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL), ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL) एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) तैयार करता है। (CPI-AL) एवं (CPI-RL) का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु किया जाता है। सारणी 4.3 में CPI-AL एवं CPI-RL की श्रृंखला दर्शाई गई है। भारत के कृषि श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का जनवरी से दिसंबर 16 तक का औसत 864 रहा, जो कि गत् वर्ष की तुलना में 4.7 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार भारत के ग्रामीण श्रमिक के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकाक (CPI-RL) 869 है जो गत् वर्ष की तुलना में 4.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। परिशिष्ट 4.4 में विस्तृत जानकारी दर्शित है।

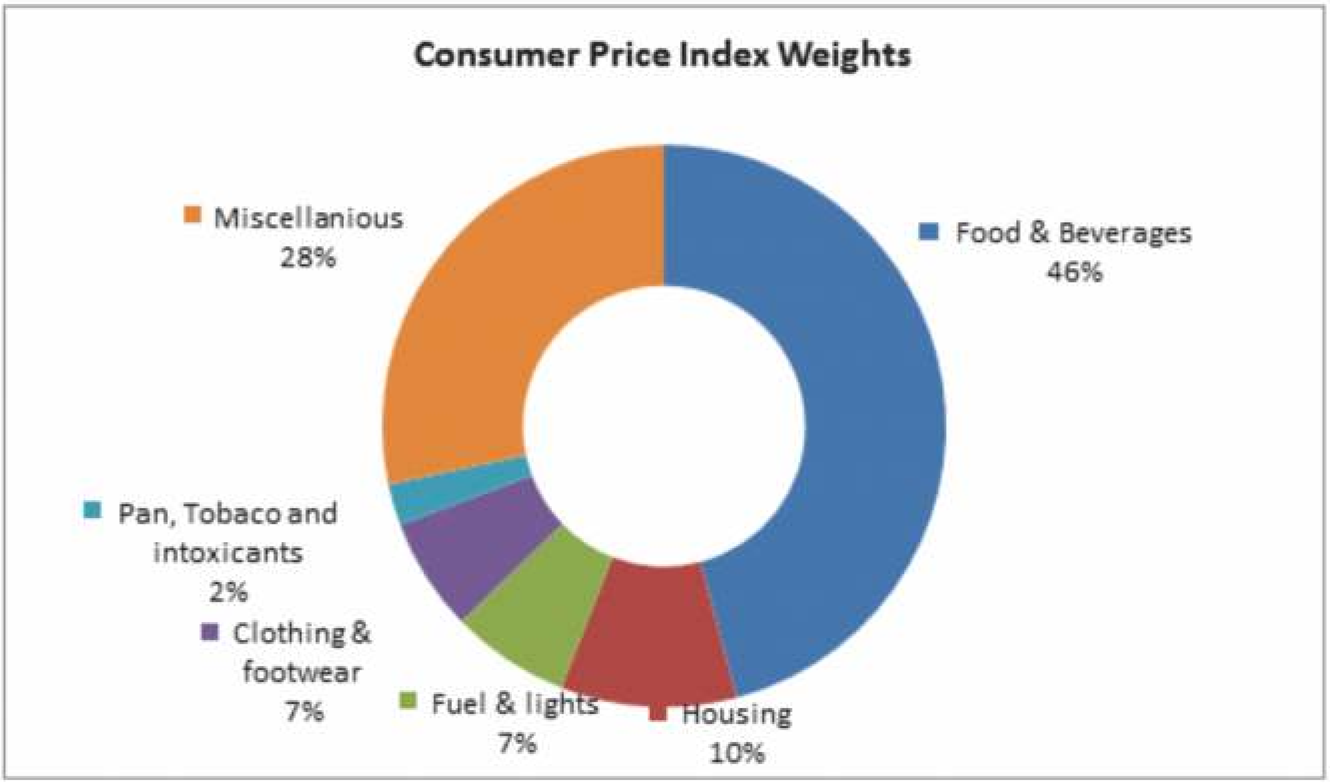

4.1.3 :– श्रम ब्यूरो द्वारा जारी (CPI-IW) मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, संगठित क्षेत्र की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। यह औद्योगिक रूप से विकसित 78 चुने हुए केंद्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य पर आधारित है। भारत के लिए जनवरी से दिसंबर 2015 तक का औसत CPI-IW 261.4 था जो 2016 में बढ़कर 274.3 हो गया एवं भिलाई केंद्र में 291.1 था जो 2016 में बढ़कर 302.9 हो गया यह पिछले वर्ष के संबंधित अवधि की तुलना में भारत के लिए 4.99 प्रतिशत एवं भिलाई केंद्र में 5.02 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट –4.5)

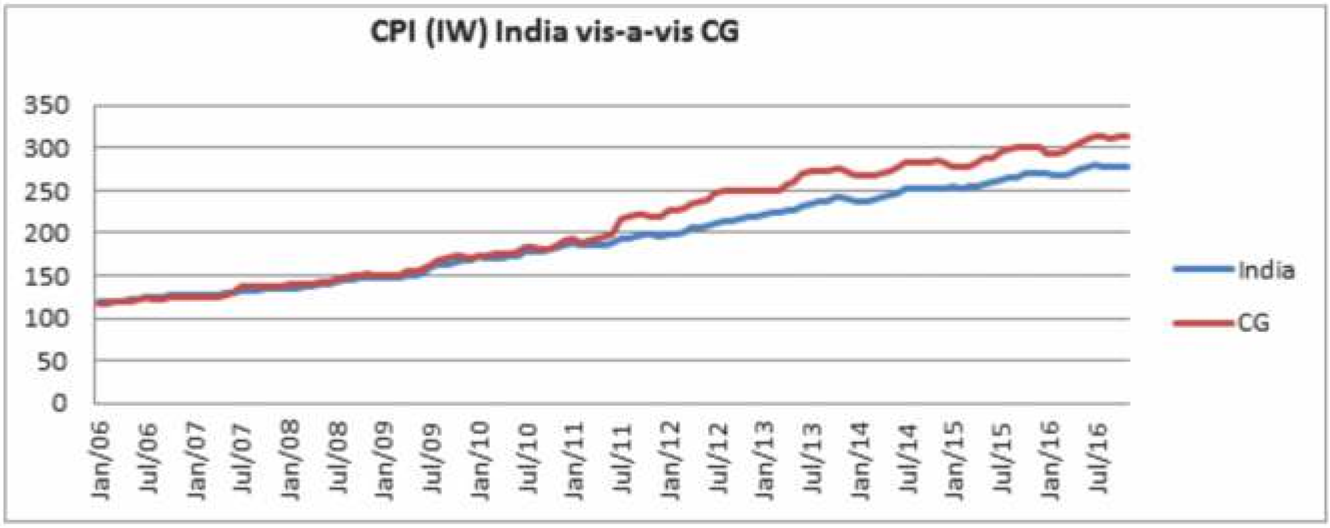

4.1.4 थोक मूल्य सूचकांक :–भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05) तैयार किया जाता है, जो शासन की व्यापार, राजकोषीय एवं अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण एवं पुनरीक्षण में प्रमुख निर्धारक है।

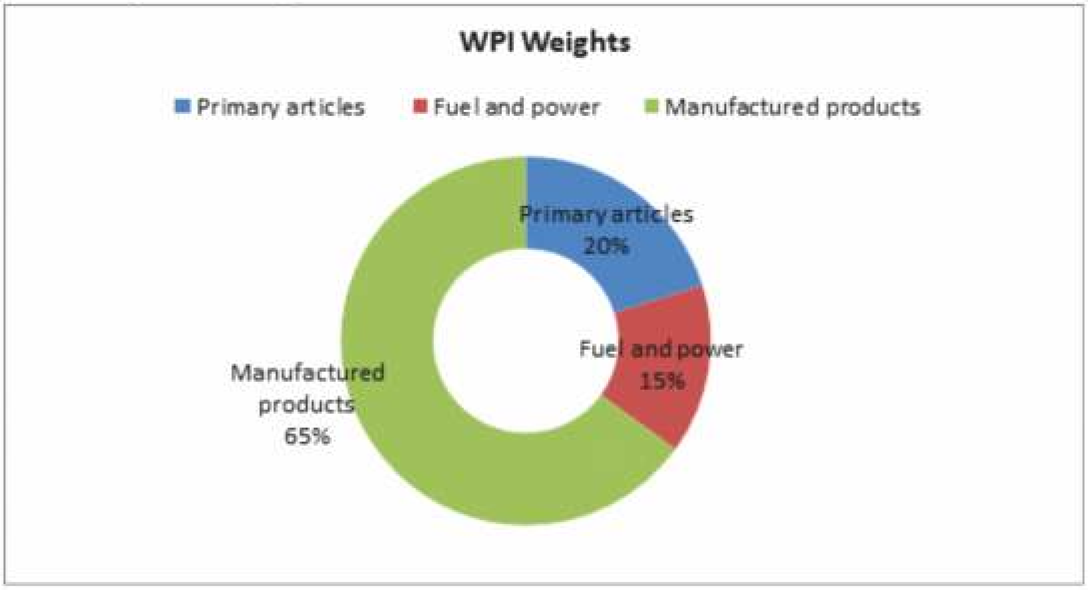

सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक जो माह दिसम्बर 2014 में 178.7 एवं माह दिसम्बर 2015 में 176.8 था वह माह दिसम्बर 2016 में 182.8 हो गया है। जोकि दिस.15 से दिस.16 की अवधि में बिन्दु से बिन्दु मुदास्फीति में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि (दिस.14 से दिस.15) में (–)1.1 प्रतिशत की कमी थी। यद्यपि (दिस.15 से दिस.16) अवधि में प्राथमिक वस्तुओं के समूह में मुदास्फीति (+) 0.27 प्रतिशत थी तथापि ईंधन एवं ऊर्जा समूह के लिए (+) 8.65 प्रतिशत एवं विनिर्माण उत्पाद के लिए (+) 3.67 प्रतिशत मुद्रास्फ्रीति होने के फलस्वरूप सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक में (+) 3.4 प्रतिशत की तेजी परिलक्षित हो रही है। क्षेत्रवार थोक मूल्य सूचकांक निम्नांकित चार्ट में दर्शाया गया है। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4.6)

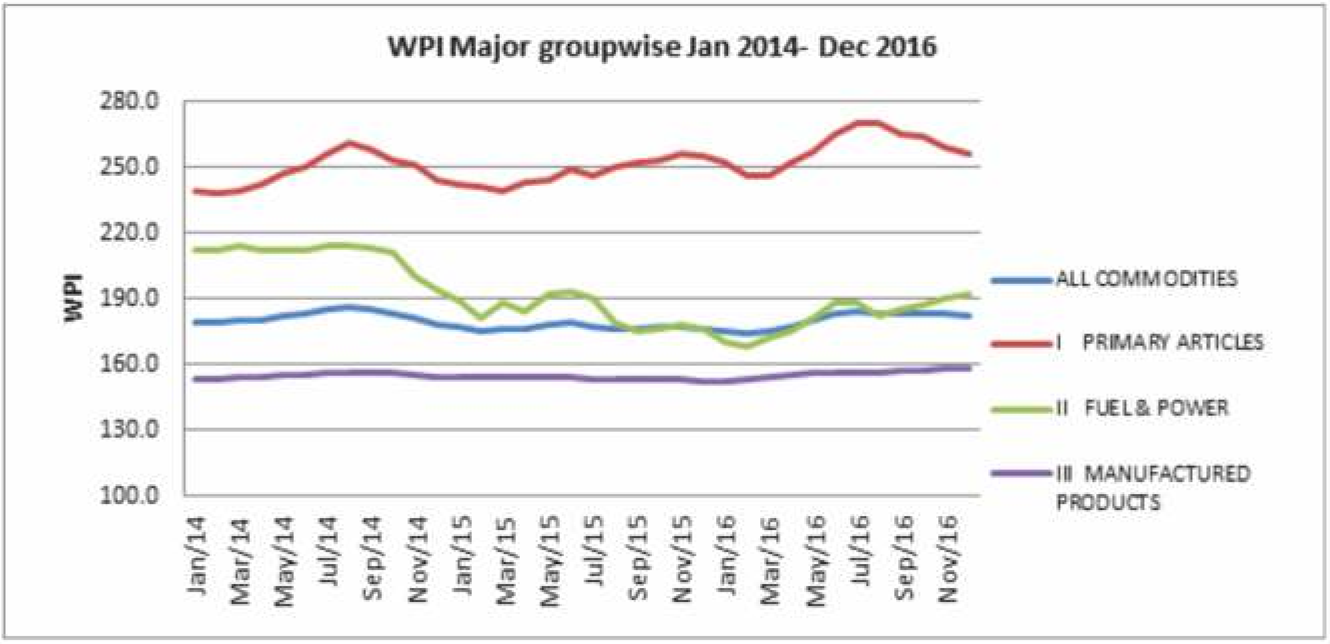

उपरोक्त परिच्छेद से यह दृष्टिगत होता है कि दिसंबर 2014 की तुलना में दिसंबर 2015 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में 4.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं थोक मूल्य सूचकांक में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समान अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि व थोक मूल्य सूचकांक (WPI) दोनों में वृद्धि होने के कारण को इस प्रकार समझा जा सकता है–

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खपत योग्य आवश्यक वस्तु व सेवाओं की पर केंद्रित होता है एवं थोक मूल्य सूचकांक देश के अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं पर केंद्रित होता है। थोक मूल्य सूचकांक में तीन क्षेत्र शामिल है यथा, प्राथमिक वस्तु समूह (वेटेज 20.1), ईंधन–ऊर्जा समूह (वेटेज 14.9), एवं विनिर्मित वस्तु समूह (वेटेज 65.0)। साधारणतः प्राथमिक वस्तु समूह के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं (वेटेज 14.33) के थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लगभग समानता दर्शाता है। इसलिए सम्पूर्ण थोक मूल्य सूचकांक में 3.4 प्रतिशत वृद्धि एवं इसके अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के समूह के थोक मूल्य सूचकांक में (–) 0.7 प्रतिशत कमी के कारण भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (+) 4.96 प्रतिशत वृद्धि असंभव नहीं है।

परिशिष्ट 4.1

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्माण–सीएसओ (आधार वर्ष 2012) – भारत

माह	खाद्य एवं पेय			मदक द्रव्य			कपड़े एवं जूते			भवन नि.		ईंधन एवं प्रकाश			विविध			सामान्य सूची		
	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी
Jan-14	116	115.5	115.8	114	115.7	114.5	116.2	114.3	115.4	111.6	111.6	113	111	112.2	110.6	110.5	110.6	114.2	112.9	113.6
Feb-14	115.3	115.2	115.3	114.2	116.2	114.7	116.7	114.7	115.9	112.5	112.5	113.2	111.1	112.4	110.9	111	110.9	114	113.1	113.6
Mar-14	116.2	116	116.1	114.6	116.7	115.2	117.2	115.2	116.4	113.2	113.2	113.4	110.9	112.5	111.3	111.4	111.3	114.6	113.7	114.2
Apr-14	117.2	118.2	117.6	115.4	117.6	116	117.8	115.7	117	113.9	113.9	113.4	110.9	112.5	111.5	111.4	111.5	115.4	114.7	115.1
May-14	118.2	120	118.9	116.3	118.3	116.8	118.5	116.2	117.6	114.3	114.3	113.4	111.1	112.5	111.8	111.7	111.8	116	115.6	115.8
Jun-14	119.5	122	120.4	117.3	119	117.8	119.3	116.7	118.3	113.9	113.9	114.4	111.2	113.2	112.3	112.2	112.3	117	116.4	116.7
Jul-14	123.3	127.1	124.7	118	121	118.8	120.3	117.4	119.1	114.8	114.8	115.3	111.6	113.9	113.1	113.5	113.3	119.5	118.9	119.2
Aug-14	125.3	128.9	126.6	118.8	123	119.9	120.7	117.9	119.6	115.5	115.5	115.4	111.8	114	113.5	113.9	113.7	120.7	119.9	120.3
Sep-14	125.3	126.7	125.8	119.5	124.3	120.8	121.3	118.4	120.1	116.1	116.1	115.8	111.8	114.3	113.7	113.6	113.7	120.9	119.2	120.1
Oct-14	125.1	125.8	125.4	120	124.3	121.1	122.3	118.9	121	116.7	116.7	116.4	112	114.7	114	113.7	113.9	121	119.1	120.1
Nov-14	124.9	125.4	125.1	120.8	125.8	122.1	122.9	119.5	121.6	117.1	117.1	117.3	112.6	115.5	114.1	113.4	113.8	121.1	119	120.1
Dec-14	123.3	124	123.6	121.7	126.4	123	123.3	120	122	116.5	116.5	117.4	113	115.7	114.2	113.4	113.8	120.3	118.4	119.4
Jan-15	122.8	123.5	123.1	122.7	127.4	124	124	120.2	122.5	117.3	117.3	118.4	113.4	116.5	114.5	113.4	114	120.3	118.5	119.5
Feb-15	122.8	123.7	123.1	124.2	128.1	125.2	125	120.6	123.3	118.1	118.1	120	114	117.7	115	113.2	114.1	120.6	118.7	119.7
Mar-15	123.1	123.9	123.4	124.7	128.8	125.8	125.5	120.9	123.7	118.6	118.6	120.6	114.4	118.3	115.5	113.8	114.7	121.1	119.1	120.2
Apr-15	123.6	124.6	124	125.7	130.1	126.9	126	121.3	124.1	119.2	119.2	121.2	114.7	118.7	116	114.2	115.1	121.5	119.7	120.7
May-15	124.4	126.1	125	126.7	131.3	127.9	126.8	121.6	124.7	119.6	119.6	121.9	114.9	119.2	116.9	115.2	116.1	122.4	120.7	121.6
Jun-15	126.6	128.5	127.3	128.2	132.1	129.2	128	122.3	125.7	119	119	122.6	115.1	119.8	117.9	116	117	124.1	121.7	123
Jul-15	127.5	129.5	128.2	129.4	133.1	130.4	128.3	122.7	126.1	119.9	119.9	123	115.3	120.1	118.1	116.3	117.2	124.7	122.4	123.6
Aug-15	129.8	131.1	130.3	130.1	134.2	131.2	129	122.9	126.6	120.9	120.9	123.8	115.3	120.6	118.2	116.2	117.2	126.1	123.2	124.8
Sep-15	131	131.5	131.2	131	134.7	132	129.9	123.2	127.2	121.6	121.6	123.7	115.1	120.4	118.8	116.2	117.5	127	123.5	125.4
Oct-15	131.8	132.6	132.1	131.5	135.3	132.5	130.6	123.6	127.8	122.4	122.4	124.4	114.9	120.8	119.2	116.5	117.9	127.7	124.2	126.1
Nov-15	132.4	133.3	132.7	132.2	137.6	133.6	131.5	124.2	128.6	122.9	122.9	125.6	115.1	121.6	119.6	116.6	118.1	128.3	124.6	126.6
Dec-15	131.4	131.5	131.4	133.1	138.2	134.5	131.9	124.5	129	122.4	122.4	125.7	116	122	119.8	116.7	118.3	127.9	124	126.1
Jan-16	131.4	131.2	131.3	133.6	139.5	135.2	132.6	124.9	129.5	123.4	123.4	126.2	116.9	122.7	120.1	116.8	118.5	128.1	124.2	126.3
Feb-16	130.3	129.1	129.9	134.4	140	135.9	133.4	125.3	130.2	124.4	124.4	127.5	116	123.1	120.9	117.2	119.1	127.9	123.8	126
Mar-16	130.4	128.9	129.8	135	140.6	136.5	133.8	125.5	130.5	124.9	124.9	127	114.8	122.4	121.1	117.3	119.3	128	123.8	126
Apr-16	131.8	131.8	131.8	135.5	141.5	137.1	134.4	125.8	131	125.6	125.6	127	114.6	122.3	121.7	118.2	120	129	125.3	127.3
May-16	133.6	134.6	134	136	142.2	137.7	134.8	126.2	131.4	126	126	127.4	115	122.7	122.5	118.7	120.7	130.3	126.6	128.6
Jun-16	136	138.2	136.8	137.2	142.7	138.7	135.6	126.6	132	125.5	125.5	128	115.5	123.3	123.3	119.6	121.5	131.9	128.1	130.1
Jul-16	137.6	139.8	138.4	138	142.9	139.3	136.5	126.9	132.7	126.4	126.4	128.2	115.5	123.4	123.8	119.9	121.9	133	129	131.1
Aug-16	138	137.6	137.9	138.9	143.6	140.2	137.1	127.3	133.2	127.3	127.3	129.1	114.7	123.6	124.2	119.9	122.1	133.5	128.4	131.1
Sep-16	137.2	135.7	136.6	139.9	143.9	141	137.8	127.7	133.8	127.9	127.9	129.7	114.8	124.1	124.9	120.5	122.8	133.4	128	130.9
Oct-16	137.4	136.3	137	140.9	144.3	141.8	138.8	128	134.5	128.7	128.7	129.8	115.2	124.3	125.7	120.9	123.4	133.8	128.6	131.4
Nov-16	136.6	135.2	136.1	141.2	144.3	142	139.2	128.5	135	129.1	129.1	130.3	116.2	125	126.1	121.3	123.8	133.6	128.5	131.2
Dec-16	134.7	132.8	134	142.4	145	143.1	139.6	128.8	135.3	128.5	128.5	132	117.8	126.6	126.2	121.4	123.9	132.8	127.6	130.4

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्माण–सीएसओ (आधार वर्ष 2012) – छत्तीसगढ़

परिशिष्ट 4.2

माह	खाद्य एवं पेय			मदक द्रव्य			कपड़े एवं जूते			भवन नि.		ईंधन एवं प्रकाश			विविध			सामान्य सूची		
	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी .	ग्रा.	श.	सभी.
Jan-14	118.7	115.1	117.6	119.2	115.9	118.3	117.6	116.2	117.1	111.7	111.7	120.7	106.8	116.7	112.7	107.1	110.3	117.4	111.7	115.2
Feb-14	118	113.3	116.6	119.3	116.1	118.4	118.2	116.1	117.5	112.2	112.2	118.8	106.9	115.4	112.6	107.4	110.4	116.9	111.2	114.7
Mar-14	118.6	112.9	116.9	119.7	116.6	118.8	119.1	117.5	118.6	113.6	113.6	119	107	115.5	113.3	107.7	110.9	117.4	111.6	115.2
Apr-14	118.7	115.1	117.6	120.4	116.8	119.4	120.9	118.1	120	113.7	113.7	119.8	107	116.1	114.2	107.5	111.3	118	112.4	115.8
May-14	117.9	118.7	118.1	120	116.9	119.1	120.6	119.4	120.2	114.5	114.5	120.2	107.2	116.4	113.8	107.9	111.3	117.4	114	116.1
Jun-14	120.8	120.5	120.7	123.1	117.5	121.5	120.5	120.7	120.6	114.5	114.5	119.4	107.6	116	113.8	108.4	111.5	119	115	117.5
Jul-14	127.7	130	128.4	124.6	118.6	122.9	122.3	121.2	121.9	114.9	114.9	116.8	109	114.5	114.9	109.5	112.6	122.9	118.9	121.4
Aug-14	133.5	135.8	134.2	125.5	120.3	124	121.2	122.4	121.6	115.6	115.6	118.9	111.7	116.8	115.7	109.7	113.1	126.4	121.5	124.5
Sep-14	131.2	128.4	130.4	122.8	121.1	122.3	122.4	123.2	122.7	116.4	116.4	121.6	112.3	118.9	116.5	108.9	113.2	125.7	118.9	123.1
Oct-14	128.6	126.6	128	124.9	121.4	123.9	123.7	124.4	123.9	117	117	120.8	114	118.8	118	108.7	114	124.7	118.5	122.3
Nov-14	128	125.5	127.3	125.7	124.3	125.3	124.1	124.7	124.3	117.9	117.9	121.6	119.3	120.9	116.8	108.3	113.1	124.3	118.6	122.1
Dec-14	128.1	123.8	126.8	123.5	125.9	124.2	124.4	125.4	124.7	118.5	118.5	121	121.5	121.1	116.4	108.5	113	124.1	118.4	121.9
Jan-15	125.7	120.4	124.1	125	125.7	125.2	125.5	126.1	125.7	118.9	118.9	120.1	121.6	120.5	117.2	108.5	113.5	123.1	117.3	120.9
Feb-15	125.2	120.2	123.7	130.2	125.5	128.9	129.4	127	128.6	119.4	119.4	127.2	123.2	126	118.4	108	113.9	124.3	117.3	121.6
Mar-15	127	120.1	125	130.5	125.6	129.1	130.9	128.7	130.2	119.9	119.9	129.1	123	127.3	119.6	108.8	115	125.9	117.7	122.7
Apr-15	127.8	121.9	126.1	131.2	127.4	130.1	131.3	130.4	131	120.2	120.2	132.3	123.4	129.7	121	109.5	116.1	127.1	118.8	123.9
May-15	129.4	123.4	127.6	133.6	127.1	131.8	135.9	131.2	134.4	120.8	120.8	132.8	123.1	130	123.7	110.3	117.9	129.1	119.7	125.5
Jun-15	132.6	125.2	130.4	133.3	127	131.5	137.2	131.2	135.2	120.3	120.3	135.7	125.7	132.8	125.1	110.9	119	131.5	120.6	127.3
Jul-15	132.3	126.4	130.6	134.4	129.1	132.9	135.1	131.1	133.8	120.7	120.7	130.9	125.4	129.3	124.5	110.9	118.7	130.6	121.1	126.9
Aug-15	134.3	128.1	132.5	135.4	130.5	134	138.5	132.3	136.5	121.5	121.5	135.7	125.3	132.7	126.1	110.3	119.3	132.9	121.8	128.6
Sep-15	134.3	129	132.7	135	129.9	133.6	139.5	132.9	137.3	122.4	122.4	139.1	125.7	135.2	126.3	110.7	119.6	133.3	122.5	129.1
Oct-15	137.7	134.1	136.6	133.6	130.9	132.8	141.6	134.3	139.2	122.5	122.5	143.8	126	138.6	127.4	111.3	120.5	136	124.6	131.6
Nov-15	140.1	134.4	138.4	134.1	130.9	133.2	144.5	134.8	141.3	123.2	123.2	144.7	125.5	139.1	127.7	111.1	120.6	137.7	124.8	132.7
Dec-15	136.1	128.7	133.9	135.6	130	134	143.5	135.5	140.9	123.3	123.3	139.9	125.9	135.8	126.7	110.9	119.9	134.9	122.8	130.2
Jan-16	138.7	128.3	135.6	137.7	130.5	135.7	143.8	136.2	141.3	124.2	124.2	138.8	126.9	135.4	127.2	111.4	120.4	136.4	123.1	131.3
Feb-16	137.6	124.7	133.8	137.9	131.4	136.1	142	137.2	140.4	124.9	124.9	140.5	125.3	136.1	127.2	111.9	120.6	135.8	122.1	130.5
Mar-16	136.7	122.4	132.5	138.9	131.7	136.9	142.3	137.7	140.8	126.2	126.2	138.3	125.1	134.5	128.9	112	121.6	135.6	121.6	130.2
Apr-16	137.3	126.3	134	139.8	132.2	137.7	141.1	137.7	140	127	127	132.3	124.3	130	128.3	113	121.7	135.1	123.4	130.6
May-16	141.3	129.4	137.8	139.7	133.3	137.9	144	137.9	142	128.1	128.1	135.9	124.9	132.7	130.4	114.5	123.6	138.3	125.3	133.3
Jun-16	145.7	136.5	143	142.1	132.9	139.5	143.4	137.8	141.6	128.1	128.1	141.7	128.1	137.8	130.8	115.3	124.1	141.4	128.2	136.3
Jul-16	144	137.5	142.1	143.3	132.2	140.2	144.5	139.2	142.8	129.2	129.2	138.7	130.2	136.2	130.7	115.6	124.2	140.3	129.1	136
Aug-16	142.2	136.9	140.6	142.9	132.4	140	145.4	139.8	143.6	129.7	129.7	142.6	129.7	138.9	130.6	115.4	124.1	139.8	128.9	135.6
Sep-16	139.5	133	137.6	143.7	130.7	140.1	146.1	141.6	144.6	130.3	130.3	143.2	128.8	139	131.6	115.8	124.8	138.7	127.8	134.5
Oct-16	139.8	131.9	137.5	145.7	130.7	141.5	147.6	142.9	146.1	130.6	130.6	140.9	128.8	137.4	132.5	116.6	125.7	139.1	127.8	134.7
Nov-16	137.6	129.4	135.2	146.9	130.2	142.2	147.2	143.5	146	131.1	131.1	144.4	129.7	140.1	133.1	117	126.2	138.3	127.2	134
Dec-16	134.1	125.3	131.5	146.1	130	141.6	146.8	143.8	145.8	130.7	130.7	144.2	130.5	140.2	133.1	116.8	126.1	136.4	125.7	132.3

मुद्रास्फीति भारत एवं छत्तीसगढ़– सीपीआई के अनुमान (सीएसओ) संयुक्त **परिशिष्ट 4.3**

वर्ष	माह	खाद्य एवं पेय		मदक द्रव्य		कपड़े एवं जूते		भवन नि. (श.)		ईंधन एवं प्रकाश		विविध		सामान्य सूची	
		भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.
2014	जन.	9.7	13.5	8.9	13.0	8.7	10.4	11.3	10.8	6.4	12.6	6.5	6.6	8.6	11.2
2014	फर	8.2	11.4	8.5	12.4	8.5	10.0	12.1	11.2	6.0	10.0	6.2	6.0	7.9	9.8
2014	मार्च	8.6	10.9	8.1	11.9	8.5	10.2	12.8	12.6	6.0	10.3	6.3	6.5	8.3	9.8
2014	अप्रेल	9.2	11.5	7.9	12.5	8.4	11.8	13.3	12.7	5.6	8.6	6.4	7.2	8.5	10.3
2014	मई	8.9	10.6	7.6	9.9	8.4	11.3	13.7	13.4	4.8	7.8	6.7	7.0	8.3	9.6
2014	जून	7.3	7.5	7.6	10.7	8.2	9.8	6.9	7.5	4.5	4.8	6.1	6.6	6.8	7.4
2014	जुलाई	8.7	8.6	7.7	9.6	8.3	10.1	6.6	7.2	4.3	2.0	6.0	6.6	7.4	7.6
2014	अगस्त	8.6	11.7	7.8	9.4	8.0	10.1	6.1	6.9	3.9	6.3	5.4	6.1	7.0	9.3
2014	सित.	6.3	5.9	7.9	6.8	7.3	9.0	5.8	6.5	3.4	8.1	4.3	4.8	5.6	6.2
2014	अक्टू.	4.3	1.4	7.6	6.7	7.3	8.0	5.6	6.2	3.4	4.3	4.3	4.7	4.6	3.5
2014	नवं.	2.0	-2.8	8.0	7.6	6.9	7.8	5.4	6.1	3.5	7.6	3.7	3.7	3.3	1.3
2014	दिस.	4.4	4.7	7.9	4.8	6.3	6.9	5.2	6.6	3.4	4.8	3.5	2.9	4.3	4.6
2015	जन.	6.3	5.5	8.3	5.8	6.2	7.3	5.1	6.5	3.8	3.3	3.1	2.9	5.2	5.0
2015	फर	6.8	6.1	9.2	8.9	6.4	9.5	5.0	6.4	4.7	9.2	2.9	3.2	5.4	6.0
2015	मार्च	6.3	6.9	9.2	8.7	6.3	9.8	4.8	5.6	5.2	10.2	3.1	3.7	5.3	6.5
2015	अप्रेल	5.4	7.2	9.4	9.0	6.1	9.2	4.7	5.7	5.5	11.7	3.2	4.3	4.9	7.0
2015	मई	5.1	8.0	9.5	10.7	6.0	11.8	4.6	5.5	6.0	11.7	3.9	5.9	5.0	8.1
2015	जून	5.7	8.0	9.7	8.2	6.3	12.1	4.5	5.1	5.8	14.5	4.2	6.7	5.4	8.3
2015	जुलाई	2.8	1.7	9.8	8.1	5.9	9.8	4.4	5.1	5.4	12.9	3.4	5.4	3.7	4.5
2015	अगस्त	2.9	-1.3	9.4	8.1	5.9	12.3	4.7	5.1	5.8	13.6	3.1	5.5	3.7	3.3
2015	सित.	4.3	1.8	9.3	9.2	5.9	11.9	4.7	5.2	5.3	13.7	3.3	5.7	4.4	4.9
2015	अक्टू.	5.3	6.7	9.4	7.2	5.6	12.4	4.9	4.7	5.3	16.7	3.5	5.7	5.0	7.6
2015	नवं.	6.1	8.7	9.4	6.3	5.8	13.7	5.0	4.5	5.3	15.1	3.8	6.6	5.4	8.7
2015	दिस.	6.3	5.5	9.3	7.7	5.7	12.7	5.1	4.1	5.5	11.7	4.0	6.5	5.6	6.8
2016	जन.	6.7	9.3	9	8.4	5.7	12.4	5.2	4.5	5.3	12.4	4	6.1	5.7	8.6
2016	फर	5.5	8.2	8.6	5.6	5.6	9.2	5.3	4.6	4.6	8	4.4	5.9	5.3	7.3
2016	मार्च	5.2	6	8.5	6	5.5	8.1	5.3	5.3	3.5	5.7	4	5.7	4.8	6.1
2016	अप्रेल	6.3	6.3	8	5.8	5.6	6.9	5.4	5.7	3	0.2	4.3	4.8	5.5	5.4
2016	मई	7.2	8	7.7	4.6	5.4	5.7	5.4	6	2.9	2.1	4	4.8	5.8	6.2
2016	जून	7.5	9.7	7.4	6.1	5	4.7	5.5	6.5	2.9	3.8	3.9	4.3	5.8	7.1
2016	जुलाई	8	8.8	6.8	5.5	5.2	6.7	5.4	7	2.8	5.3	4	4.6	6.1	7.2
2016	अगस्त	5.8	6.1	6.9	4.5	5.2	5.2	5.3	6.8	2.5	4.7	4.2	4	5.1	5.4
2016	सित.	4.1	3.7	6.8	4.9	5.2	5.3	5.2	6.5	3.1	2.8	4.5	4.4	4.4	4.2
2016	अक्टू.	3.7	0.7	7	6.6	5.2	5	5.2	6.6	2.9	-0.9	4.7	4.3	4.2	2.4
2016	नवं.	2.6	-2.3	6.3	6.8	5	3.3	5	6.4	2.8	0.7	4.8	4.6	3.6	1
2016	दिस.	2	-1.8	6.4	5.7	4.9	3.5	5	6	3.8	3.2	4.7	5.2	3.4	1.6

परिशिष्ट 4.4

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक

माह	सीपीआई–एल	सीपीआई–आरएल
जन.–14	757	759
फर.–14	757	759
मार्च–14	763	765
अप्रेल–14	771	773
मई–14	777	780
जून–14	785	787
जुलाई–14	799	801
अगस्त–14	808	810
सित.–14	811	813
अक्टू–14	813	815
नवं–14	813	816
दिस.–14	809	812
जन.–15	804	808
फर.–15	803	806
मार्च–15	803	807
अप्रेल–15	805	809
मई–15	811	816
जून–15	820	824
जुलाई–15	822	827
अगस्त–15	832	836
सित.–15	839	843
अक्टू–15	849	853
नवं–15	853	857
दिस.–15	853	857
जन.–16	849	854
फर.–16	843	849
मार्च–16	843	848

माह	सीपीआई–एल	सीपीआई–आरएल
अप्रेल–16	848	854
मई–16	860	866
जून–16	869	874
जुलाई–16	877	881
अगस्त–16	876	881
सित.–16	873	877
अक्टू–16	876	881
नवं–16	878	883
दिस.–16	876	881

परिशिष्ट 4.5

औद्योगिक श्रमिक की बिन्दु से बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर (आधार वर्ष 2001=100), अखिल भारत

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रे.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2007	6.72	7.56	6.72	6.67	6.61	5.69	6.45	7.26	6.40	5.51	5.51	5.51	6.38
2008	5.51	5.47	7.87	7.81	7.75	7.69	8.33	9.02	9.77	10.45	10.45	9.70	8.32
2009	10.45	9.63	8.03	8.70	8.63	9.29	11.89	11.72	11.64	11.49	13.51	14.97	10.83
2010	16.22	14.86	14.86	13.33	13.91	13.73	11.25	9.88	9.82	9.70	8.33	9.47	12.11
2011	9.30	8.82	8.82	9.41	8.72	8.62	8.43	8.99	10.06	9.39	9.34	6.49	8.87
2012	5.32	7.57	8.65	10.22	10.16	10.05	9.84	10.31	9.14	9.60	9.55	11.17	9.30
2013	11.62	12.06	11.44	10.24	10.68	11.06	10.85	10.75	10.70	11.06	11.47	9.13	10.92
2014	7.24	6.73	6.70	7.08	7.02	6.49	7.23	6.75	6.30	4.98	4.12	5.86	6.38
2015	7.17	6.30	6.28	5.79	5.74	6.10	4.37	4.35	5.14	6.32	6.72	6.32	5.88
2016	5.91	5.53	5.51	5.86	6.59	6.13	6.46	5.3	4.14	3.35	2.59	2.23	4.99

छत्तीसगढ़: सीपीआई (औद्योगिक श्रमिक) आधार वर्ष 2001=100, केन्द्र भिलाई (छत्तीसगढ़)

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रे.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2006	117	116	118	119	120	123	124	122	122	124	124	124	121.1
2007	125	125	125	125	128	129	137	136	136	137	138	137	131.5
2008	140	139	139	140	141	142	146	147	150	151	152	151	144.8
2009	151	151	151	154	156	158	164	168	170	172	173	171	161.6
2010	174	174	175	175	176	179	183	183	181	181	187	190	179.8
2011	194	189	192	193	196	198	216	218	221	221	220	219	206.4
2012	228	228	229	235	237	239	246	249	250	250	250	250	240.9
2013	251	251	251	257	261	269	272	274	272	275	276	269	264.8
2014	267	268	268	270	274	277	284	282	284	284	285	284	277.3
2015	279	277	278	283	287	288	296	298	302	302	301	302	291.1
2016	293	292	297	301	306	310	313	313	312	313	313	308	302.9

औद्योगिक श्रमिक की बिन्दु से बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर की विकास दर (आधार वर्ष 2001=100) भिलाई (छत्तीसगढ़)

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रे.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2007	6.84	7.76	5.93	5.04	6.67	4.88	10.48	11.48	11.48	10.48	11.29	10.48	8.57
2008	12.00	11.20	11.20	12.00	10.16	10.08	6.57	8.09	10.29	10.22	10.14	10.22	10.18
2009	7.86	8.63	8.63	10.00	10.64	11.27	12.33	14.29	13.33	13.91	13.82	13.25	11.50
2010	15.23	15.23	15.89	13.64	12.82	13.29	11.59	8.93	6.47	5.23	8.09	11.11	11.46
2011	11.49	8.62	9.71	10.29	11.36	10.61	18.03	19.13	22.10	22.10	17.65	15.26	14.70
2012	17.53	20.63	19.27	21.76	20.92	20.71	13.89	14.22	13.12	13.12	13.64	14.16	16.91
2013	10.09	10.09	9.61	9.36	10.13	12.55	10.57	10.04	8.80	10.00	10.40	7.60	9.94
2014	6.37	6.77	6.77	5.06	4.98	2.97	4.41	2.92	4.41	3.27	3.26	5.58	4.73
2015	4.49	3.36	3.73	4.81	4.74	3.97	4.23	5.67	6.34	6.34	5.61	6.34	4.97
5.02	5.42	6.83	6.36	6.62	7.64	5.74	5.03	3.31	3.64	3.99	1.99	5.09	5.02

परिशिष्ट 4 6

थोक विक्रय मूल्य				
Month	सभी वस्तुएं	I प्रारंभिक वस्तुएं	II ईधन एवं ऊर्जा	III उत्पादित वस्तुएं
	100.0	20.1	14.9	65.0
जन.–13	170.3	223.6	193.4	148.5
फर.–13	170.9	224.4	195.5	148.6
मार्च–13	170.1	223.1	191.6	148.7
अप्रेल–13	171.3	226.5	193.7	149.1
मई–13	171.4	227.3	191.9	149.3
जून–13	173.2	233.9	194.7	149.5
जुलाई–13	175.5	240.3	199.9	149.9
अगस्त–13	179.0	251.9	204.7	150.6
सित.–13	180.7	252.7	210.6	151.5
अक्टू–13	180.7	251.4	209.8	152.1
नवं–13	181.5	254.9	209.6	152.3
दिस.–13	179.6	243.7	211.1	152.5
जन.–14	179.0	238.8	212.4	152.9
फर.–14	179.5	238.5	212.6	153.6
मार्च–14	180.3	239.4	214.2	154.2
अप्रेल–14	180.8	242.4	211.8	154.6
मई–14	182.0	246.8	212.1	155.1
जून–14	183.0	250.3	212.3	155.4
जुलाई–14	185.0	256.6	214.6	156.0
अगस्त–14	185.9	261.2	214.0	156.1
सित.–14	185.0	257.8	213.4	156.0
अक्टू–14	183.7	253.3	210.8	155.9
नवं–14	181.2	250.8	200.1	155.2
दिस.–14	178.7	244.4	194.6	154.7
जन.–15	177.3	242.1	189.0	154.5
फर.–15	175.6	240.9	181.2	154.0
मार्च–15	176.1	239.0	188.0	153.9
अप्रेल–15	176.4	243.6	184.3	153.9
मई–15	178.0	244.2	192.1	154.3
जून–15	179.1	249.1	193.5	154.2
जुलाई–15	177.6	246.4	189.8	153.6
अगस्त–15	176.5	250.2	179.3	153.0
सित.–15	176.5	251.9	175.6	153.3
अक्टू–15	176.9	253.4	176.4	153.3

Month	सभी वस्तुएं	I प्रारंभिक वस्तुएं	II ईधन एवं ऊर्जा	III उत्पादित वस्तुएं
नवं–15	177.5	256.2	178.1	153.0
दिस.–15	176.8	255.6	176.8	152.4
जन.–16	175.4	252.5	170.3	152.7
फर.–16	174.1	245.8	168.4	153.2
मार्च–16	175.3	246.1	172.4	154.1
अप्रेल–16	177.8	251.9	175.4	155.5
मई–16	180.2	257.6	180.9	156.1
जून–16	182.9	265.5	188.0	156.2
जुलाई–16	184.2	270.4	187.9	156.6
अगस्त–16	183.3	269.6	182.2	156.8

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यह रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण, विशेषतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदाय किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करने में भी उपयोगी है। यह संयुक्त रूप से केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती हैं। इस प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानें विभिन्न एजेंसियों यथा – सहकारी समिति, ग्राम पंचायत, महिला स्व–सहायता समूह, वन रक्षा समिति एवं नगरीय निकाय द्वारा संचालित होती है। जनवरी 2017 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1320 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11029 कुल 12347 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। उचित मूल्य दुकानों का जिलेवार विवरण – परिशिष्ट 1 के अनुसार है।

4.2 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 :–

छत्तीसगढ़ स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। छ.ग. खाद्य सुरक्षा अधिनियम में न सिर्फ खाद्य सुरक्षा हेतु प्रावधान किए गए हैं, अपितु संतुलित आहार की दृष्टि से भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़े इस उद्देश्य से पोषण सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 2012 के तहत राशनकार्ड धारकों के हित में राशन की

तालिका क्रं. 4.2 योजनांतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर

क्रं.	योजना का नाम	खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक	मिट्टी तेल	चना
1.	प्राथमिकता (नीला) राशनकार्ड	7 किलो प्रति सदस्य, 1 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशनकार्ड 1 किलोग्राम ,13.50 रूपये प्रति किलो की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार निःशुल्क	नगरीय क्षेत्र में अधिकतम – 02 लीटर ग्रामीण क्षेत्र में – गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम –2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 लीटर न्यूनतम 15 रू. एवं अधिकतम 17.20 रू. प्रति लीटर की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	अनुसूचित विकासखण्ड के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किग्रा. 5 रू. प्रतिकिलो की दर से
2.	अन्त्योदय (गुलाबी9 राशनकार्ड	35 किलो 1 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
3.	अन्नपूर्णा (स्पेशल गुलाबी)	10 किलो निःशुल्क, 25 किलो 1 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
4.	एकल निराश्रित (गुलाबी)	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड	निरंक	निरंक		निरंक
5.	निःशक्तजन (हरा) राशनकार्ड	10 किलो 1 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				

पात्रता का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इसके तहत 01 अप्रैल 2015 से प्राथमिक श्रेणी के नीले राशनकार्ड धारक परिवारों को राशनकार्ड पर यूनिट संख्या के अनुसार प्रति यूनिट सात किलो के हिसाब से अनाज मिल रहा है। अन्त्योदय परिवारों को मिलने वाले अनाज की पात्रता में कोई बदलाव नहीं किया गया है उन्हें पहले की तरह हर महीने 35 किलो चावल प्राप्त हो रहा है। प्राथमिकता एवं अंत्योदय परिवारों को सिर्फ एक रू. किलो में अनाज मिल रहा है।

4.2.1 राशनकार्ड :– छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को राशनकार्ड जारी करते हैं। जनवरी 2017 की स्थिति में कुल 1488446 अन्त्योदय (गुलाबी), 61185 अन्त्योदय–गुलाबी (नि–शुल्क), 7963 स्पेशल गुलाबी, 4284496 प्राथमिकता (नीला), 8101 निःशक्त–जन (हरा) इस प्रकार कुल 5850191 परिवारों को राशन कार्ड प्रचलित हैं। जिसमें 14.58 प्रतिशत अनु. जाति, 32.57 प्रतिशत जनजाति तथा 47.59 प्रतिशत अ.पि.व. शेष 5.24 सामान्य वर्ग के परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। जिलेवार एवं जातिवार राशन कार्ड का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–2 एवं 3 अनुसार है।

4.2.2 राशन सामग्री का आवंटन :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वर्षवार सामग्रियों का उठाव तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तलिका क्रमांक 4.3 सामग्रियों का वर्षवार उठाव (मात्रा मे.टन में)

क्र	सामग्री	वर्ष					
		2014–15		2015–16		2016–17	
		आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
1	चावल	2461620	2401988	2250452	2188995	1447336	1397866
2	शक्कर	75423	73739	71339	70495	66773	55497
3	नमक	150778	137498	125247	72229	94451	78081
4	चना	61453	60318	33323	29629	55395	33048

4.3 कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य –

भारत एवं छत्तीसगढ़ – उद्देश्य एवं स्थिति

तालिका क्रमांक 4.4 समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल

फसल / किस्म	विपणन वर्ष					
	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
धान–सामान्य	1080	1250	1310	1360	1410	1470
धान– ग्रेड–ए	1110	1280	1345	1400	1450	1510
गेहूं			–	–	–	–
ज्वार	980	980	1500	1530	1570	1625
बाजरा	980	980	1250	1250	1275	1330
मक्का	980	1175	1310	1310	1325	1365
रागी	–	–	1500	1550	1650	1725

तालिका क्रमांक 4.4 समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल						
फसल / किस्म	विपणन वर्ष					
	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
अरहर	—	—	4300	4350	4625 (रू–200 बोनस सहित)	4625
उडद	3300	—	4300	4350	4625 (रू200 बोनस सहित)	4575
मूंगफली	2700	—	4000	4000	4030	4120
मूंग	3500	—	4500	4600	4850 (रू–200 बोनस सहित)	4800
सोयाबीन पीली	1690	—	2560	2560	2600	2675
सूर्यमुखी	2800	—	—	—	3800	3850

न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। मूल्य घोषित करने के समय उत्पादन मूल्य के साथ–साथ समग्र मांग एवं पूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर उपजीय समता एवं अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों यथा– भूमि एवं जल का युक्तिपूर्ण उपयोग को भी CACP द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

यद्यपि CACP एक विशेषज्ञ निकाय है जिसकी अनुशंसाओं को शासन द्वारा यथावत स्वीकार किया जाता है। तथापि विशेष परिस्थितियों यथा– किसी उपज का अधिक उत्पादन एवं किसी अन्य उपज के कम उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उपजों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप शासन द्वारा बोनस की दिया जाता है। वर्ष 2016–17 के लिए खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण तालिका क्र 3. में दर्शित है।

राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किए जाने हेतु घोषित मूल्य पर धान का उपार्जन करता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान किए जाने हेतु राज्य की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से घोषित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है। वर्ष 2015–16 में राशि रू. 843010.812 लाख मूल्य का 59.29 लाख टन धान खरीदा गया वहीं 11 जनवरी 2017 की स्थिति में, वर्ष 2016–17 में राशि रू. 8353.24 करोड़ मूल्य का 56.35 लाख टन धान खरीदा गया। यह उल्लेखनीय है कि भुगतान के समय कृषि के लिए दिए गए ऋण की भी वसूली की जाती है। वर्ष 2015–16 में राशि रू. 1849.57 तथा वर्ष 2016–17 में यह राशि रू. 2107.43 करोड़ की ऋण वसूली की गई। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के धान खरीदी के आंकड़ों के विश्लेषण से यह दृष्टिगत है कि जहां धान मोटा एवं पतला के खरीदी में क्रमशः 14.7% एवं 0.7% कमी देखी गई है वहीं धान सरना के खरीदी में 1.8% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2000–01 में सामान्य तथा ए श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य कमशः रूपये 510 एवं रू. 540 प्रति क्विंटल था। वर्ष 2016–17 में सामान्य तथा ए श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य कमशः रू. 1470 तथा रू. 1510 प्रति क्चिंटल है।

6 **धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण** :– खरीफ वर्ष 2007-08 में विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया। प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा आदि की जानकारी धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही सॉफ्टवेयर में दर्ज कर ली जाती है। किसानों द्वारा उपार्जन केन्द्रों

में धान विक्रय के तुरंत बाद कम्प्यूटर द्वारा निर्मित चेक तत्काल उपलब्ध कराया जाता है। धान खरीदी की व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण के कारण प्रतिदिन किसानों से होने वाली खरीदी की जानकारी राज्य शासन को तत्काल उपलब्ध हो जाती है। राज्य के प्रत्येक जिले के किसान, जिसके द्वारा धान का विक्रय इस साफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, उसकी जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट में हर नागरिक के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

7. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता** :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

(1) **पीडीएस–आनलाईन व्यवस्था** :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया एवं अब तक राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोडा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 12347 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशन कार्डों के आधार पर जनवरी 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है।

(2) **चावल उत्सव** :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा वहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है, तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव आयोजित हो रहा है। इस उत्सव के आयोजन से निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

(3) **कॉल सेंटर** :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से काल सेंटर संचालित किए जा रहा है। जिसका दूरभाष क्रमांक 1800–233–3663 (टोल फ्री) है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

(4) **जनभागीदारी वेबसाईटः**– जनभागीदारी वेबसाईट (www.khadya. nic.in/citizen) राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से

राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है। वर्तमान में खाद्यान्न भंडारण के एस.एम. एस. हेतु 47,252 मोबाईल नंबर पंजीकृत हैं। जिन पर आज तक विभिन्न योजनाओं से संबंधित 16213882 एसएमएस किये जा चुके है।

8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु नेशनल ई–गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई–इंडिया अवार्ड, सी.एस.आई. ई–गवर्नेंस अवार्ड, सी.एस.आई. निहिलेंट ई–गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं।

9. **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** – महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा और पर्यावरण पर भी अनुकूल असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा पहला राज्य है, जो भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के कंडिका 6 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार योजना में भागीदार है। राज्य शासन द्वारा हितग्राही के 200 रूपये के अंशदान पर डबल बर्नर गैस चूल्हा तथा प्रथम रिफिल की सब्सिडी योजना के अंतर्गत वहन की जा रही है। जिसकी अनुमानित सब्सिडी लगभग 1400 रूपये प्रति हितग्राही है।

राज्य में इस योजना के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में 35 लाख बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में 10 लाख नये गैस कनेक्शन बीपीएल महिलाओं को जारी किए जाने का लक्ष्य है। 11 जनवरी 2017 तक 10.71 लाख हितग्राहियों से आवेदन पत्र प्राप्त हो गये है तथा 7.12 लाख महिला हितग्राहियों को गैस कनेक्शन जारी किया जा चुका है।

छत्तीसगढ राज्य पहला ऐसा राज्य है जहां दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 50 दुर्गम क्षेत्र में वितरक के रूप में प्राथमिक कृषि साख समितियों को नियुक्त किया जा रहा है। ये समितियां अप्रैल 2017 तक एलपीजी वितरकों के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देंगी।

तालिका क. 4.5 जिलेवार शहरी एवं ग्रामीण दुकानों की संख्या

क्र.	जिला	शहरी दुकानों की संख्या	गामीण दुकानों की संख्या	कुल दुकानों की संख्या
1	बस्तर	48	366	414
2	बीजापुर	14	173	187
3	दन्तेवाड़ा	19	125	144
4	कांकेर	19	427	446
5	कोंडागांव	15	306	321
6	नारायणपुर	5	99	104
7	सुकमा	7	144	151
8	बिलासपुर	170	664	834
9	जांजगीर–चांपा	44	636	680
10	कोरबा	64	390	454
11	मुंगेली	13	351	364
12	रायगढ़	68	767	835
13	बालोद	21	421	442
14	बेमेतरा	22	386	408
15	दुर्ग	308	297	605
16	कवर्धा	18	461	479
17	राजनांदगांव	70	798	868
18	बलौदाबाजार	26	610	636
19	धमतरी	33	359	392
20	गरियाबंद	7	333	340
21	महासमुंद	31	546	577
22	रायपुर	168	410	578
23	बलरामपुर	5	415	420
24	जशपुर	13	427	440
25	कोरिया	58	290	348
26	सरगुजा	42	402	444
27	सुरजपुर	12	424	436
	कुल योग	**1320**	**11027**	**12347**

तालिका क. 4.6 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत जिलेवार राशन कार्ड की जानकारी

क्र.	जिला	अन्त्योदय (गुलाबी)	अन्त्योदय गुलाबी (एकल निःशुल्क)	स्पेशल गुलाबी	प्रथमिकता (गुलाबी)	निःशक्तजन (हरा)	योग
1	बस्तर	49462	1017	252	131791	8	182530
2	बीजापुर	25776	20	295	37717	34	63842
3	दन्तेवाड़ा	30309	97	136	39357	638	70537
4	कांकेर	36290	578	139	118829	194	156030
5	कोंडागांव	34770	539	131	90581	10	126031
6	नारायणपुर	16703	102	232	13198	5	30240
7	सुकमा	33720	90	104	36078	7	69999
8	बिलासपुर	122272	7707	484	359040	655	490158
9	जांजगरी–चांपा	94322	7267	378	355514	1236	458717
10	कोरबा	61441	3572	305	180425	7	245750
11	मुंगेली	50790	1722	182	140575	158	193427
12	रायगढ़	101820	5274	618	267904	197	375813
13	बालोद	30976	1285	224	128814	760	162059
14	बेमेतरा	43735	4927	455	149210	286	198613
15	दुर्ग	70847	2879	315	225910	881	300832
16	कवर्धा	65053	1330	158	154263	46	220850
17	राजनांदगांव	73543	1264	374	223433	207	298821
18	बलौदाबाजार	62208	4129	251	259936	341	326865
19	धमतरी	45383	1082	317	119487	233	166502
20	गरियाबंद	48874	1741	226	116445	268	167554
21	महासमुद	56800	3585	347	229811	938	291481
22	रायपुर	61974	4593	349	262253	642	329811
23	बलरामपुर	54722	1339	348	113362	34	169805
24	जशपुर	56220	1281	172	138984	61	196718
25	कोरिया	41741	853	243	100637	39	143513
26	सरगुजा	64195	1346	611	153498	123	219773
27	सुरजपुर	54526	1558	316	137542	94	194036
	योग	**1488472**	**61177**	**7962**	**4284594**	**8102**	**5850307**

तालिका क्र. 4.7 जातिवार राशनकार्ड रिपोर्ट

क्र.	जिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल योग
1	बस्तर	7493	120114	38943	15978	182528
2	बीजापुर	3081	54521	5817	457	63876
3	दन्तेवाड़ा	4466	52394	10622	3058	70540
4	कांकेर	8285	84176	36944	26653	156058
5	कोंडागांव	6194	91510	25707	2626	126037
6	नारायणपुर	1133	24553	3830	697	30213
7	सुकमा	1642	58706	7068	2592	70008
8	बिलासपुर	100300	121220	232911	35645	490076
9	जांजगरी–चांपा	123220	52667	270729	12140	458756
10	कोरबा	27549	116131	89090	13070	245840
11	मुंगेली	54931	20530	105860	11924	193245
12	रायगढ़	63670	132936	167707	11477	375790
13	बालोद	15647	49381	93181	3853	162062
14	बेमेतरा	37743	9753	142585	8427	198508
15	दुर्ग	47985	18352	197531	37237	301105
16	कवर्धा	32752	45995	134478	7685	220910
17	राजनांदगांव	33550	80200	175027	10081	298858
18	बलौदाबाजार	81484	43778	194508	7078	326848
19	धमतरी	13563	46387	102162	4357	166469
20	गरियाबंद	17654	62905	83936	2815	167310
21	महासमुद	43453	82283	158263	7624	291623
22	रायपुर	67199	16340	218687	27637	329863
23	बलरामपुर	9533	105387	40393	14347	169660
24	जशपुर	12769	122636	51714	9508	196627
25	कोरिया	12734	72256	48291	10271	143552
26	सरगुजा	13639	129599	67187	9463	219888
27	सुरजपुर	11707	91060	81328	10028	194123
	कुल योग	**853376**	**1905770**	**2784499**	**306728**	**5850373**

05

लोक वित्त

मुख्य बिन्दु

- बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 4.44 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल कर राजस्व में 7.53 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 56.92 प्रतिशत रही।
- कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व का योगदान 35.76 % अनुमानित है।
- गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है।
- वर्ष 2016–17 में कुल गैर कर राजस्व रू. 20812.41 करोड़ है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से रू. 13392.26 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्ति रू. 61426.67 करोड़ एवं राजस्व व्यय रू. 56389.53 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व अधिक्य रू. 5037.14 करोड़ दर्शाता है।

लोक वित्त

5.1 बजट 2016–17 :– बजट का उदेद्श्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये संसाधन उपलब्ध हो सकें। बजट मात्र आय एवं व्यय का पत्रक ही नहीं होता वरन यह शासकीय नीतियों का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र भी होता है। बजट 2016–17 इस दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया कि राज्य की विकास आवश्यकताओं एवं अतिरिक्त कर भार के बीच उचित संतुलन बना रहे। बजट में राजस्व अधिक्य रू. 5037.14 करोड़ के अनुमान के बावजूद पूंजीगत व्यय में 20.98 प्रतिशत वृद्धि हेतु वित्तीय घाटे में 18.73 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जो 2015–16 में रू.(–) 6831.62 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में रू.(–) 8111.32 करोड़ अनुमानित है। बजट सारांश तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1 बजट (राशि करोड़ में)

क्र	मद	2014–15 (लेखा)	2015–16 (पु.अ.)	2016–17 (आ.अ.)
1	राजस्व प्राप्ति	37932.80	58813.72	61426.67
2	राजस्व व्यय	39497.20	54865.65	56389.53
3	राजस्व आधिक्य (+) या घाटा (–)	–1564.4	3948.07	5037.14
4	पूंजीगत प्राप्तियाँ	8186.90	7000.33	8544.96
5	पूजींगत व्यय	6620.56	10749.46	13004.47
6	ऋण एवं अग्रिम	89.54	282.87	664.71
7	कुल प्राप्तियाँ	46119.70	65814.05	69971.63
8	कुल व्यय	46207.30	65897.98	70058.71
9	बजट घाटा	–87.60	–83.93	–87.08
10	वित्तीय घाटा (–)	–8075.43	–6831.62	–8111.32

स्रोत:–छत्तीसगढ़ आय–व्ययक, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ.= आय–व्ययक अनुमान

5.2 राजस्व प्राप्तियाँ– वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 4.44 प्रतिशत वृद्धि के साथ रू. 61426.67 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कर राजस्व रू. 40614.26 करोड़ अनुमानित है, जबकि 2015–16 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 37771.92 करोड़ अनुमानित रहा अर्थात कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 7.53 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसी तरह गैर–कर राजस्व में 1.1 प्रतिशत की कमी अनुमानित है। गैर कर राजस्व का 2015–16 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 21041.80 करोड़ रूपये की तुलना में 2016–17 में रू. 20812.41 करोड़ अनुमानित है। विवरण तालिका 5.2 में है।

तालिका 5.2 राजस्व प्राप्तियाँ (राशि करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	कुल राजस्व प्राप्तियाँ
2011–12	17032.69	8834.69	25867.38
2012–13	20251.81	9326.28	29578.09
2013–14	22222.93	9827.33	32050.26
2014–15	24070.29	13862.51	37932.80
2015–16 (पु.अ.)	37771.92	21041.80	58813.72
2016–17 (आ.अ.)	40614.26	20812.41	61426.67

स्रोत:–छत्तीसगढ़ आय–व्ययक पु.अ.=पुनरीक्षित अनुमानय आ.अ.=आय–व्ययक अनुमान

राजस्व प्राप्तियाँ (राशि करोड़ में)

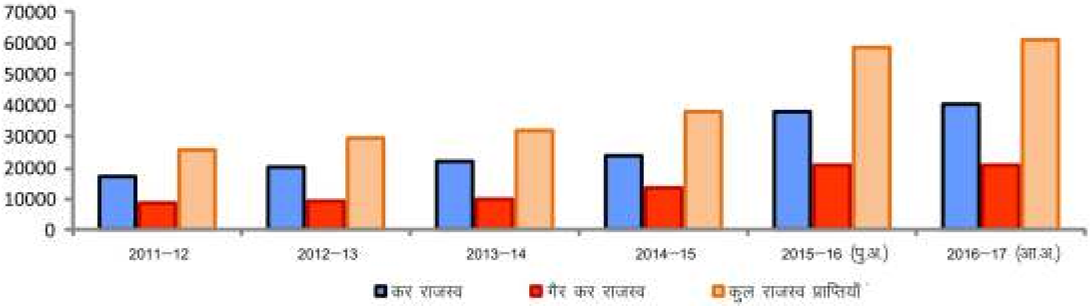

5.3 कर राजस्वः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल कर राजस्व में 7.53 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 56.92 प्रतिशत रही। विगत पांच वर्षों में राज्य के कर राजस्व में औसत 20.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य के कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य के स्वयं का कर राजस्व है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 1.88 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है जबकि केन्दीय करों के कर राजस्व में 15.13 प्रतिशत वृद्धि होना अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 54.08 प्रतिशत अनुमानित है एवं कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 35.76 प्रतिशत अनुमानित है। पिछले छः वित्तीय वर्षों का कर राजस्व का विवरण तालिका 5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3 कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	केंद्रीय करों में राज्य का अंश	योग	कुल कर में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	कुल कर में केन्द्रीय करों का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						स्वयं का कर	केन्द्रीय कर	स्वयं का कर	केन्द्रीय कर
2011–12	10712.25	6320.44	17032.69	62.89	37.11	–	–	–	–
2012–13	13034.21	7217.6	20251.81	64.36	35.64	21.68	14.19	2321.96	897.16
2013–14	14342.71	7880.22	22222.93	64.54	35.46	10.04	9.18	1308.5	662.62
2014–15	15707.27	8363.02	24070.29	65.25	34.75	9.51	6.13	1364.56	482.8
2015–16 (पु.अ.)	21558.56	16213.36	37771.92	57.07	42.93	37.25	93.87	5851.29	7850.34
2016–17 (आ.अ.)	21964.10	18650.16	40614.26	54.08	45.92	1.88	15.13	405.54	2436.8

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्यय, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

कर राजस्व (राशि करोड़ में)

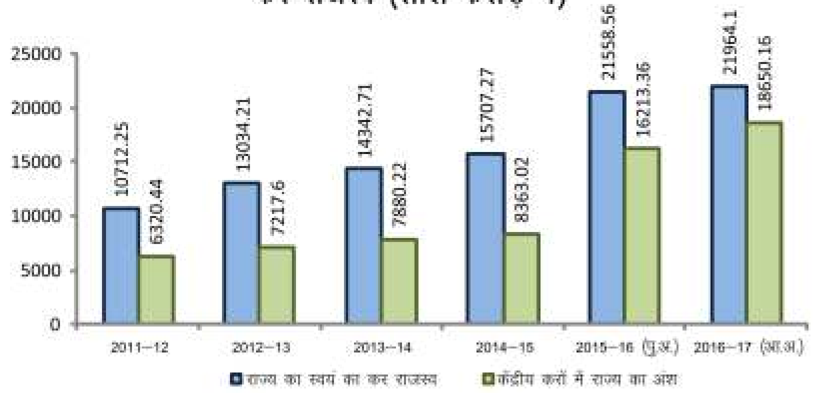

5.4 गैर–कर राजस्व :– गैर–कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर–कर राजस्व रू. 20812.41 करोड़ अनुमानित है। पिछले छः वित्तीय वर्षों में गैर–कर राजस्व की प्रवृत्ति को तालिका 5.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4 गैर कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय सहायता अनुदान	राज्य का गैर कर राजस्व	कुल गैर कर राजस्व	केंद्रीय सहायता का गैर कर राजस्व में प्रतिशत	राज्य के गैर कर राजस्व का कुल गैर कर राजस्व में प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व	केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व
2011–12	4776.21	4058.48	8834.69	54.06	45.94	–	–	–	–
2012–13	4710.33	4615.95	9326.28	51.51	49.49	1.38	13.74	.65.88	557.47
2013–14	4726.16	5101.17	9827.33	48.09	51.91	0.34	10.51	15.83	485.22
2014–15	8987.80	4874.71	13862.51	64.84	35.16	90.17	–4.44	4261.64	–226.46
2015–16(पु.अ.)	12416.48	8625.32	21041.80	59.01	40.99	38.15	76.94	3428.68	3750.61
2016–17(आ.अ.)	13392.26	7420.15	20812.41	64.35	35.65	7.86	–13.97	975.78	–1205.17

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

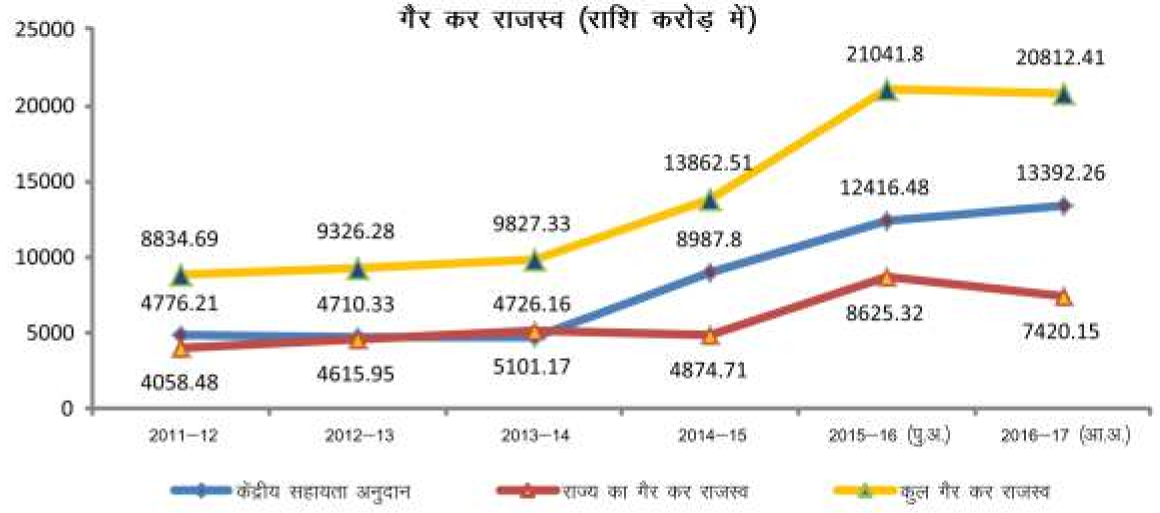

5.5 राजस्व व्ययः– वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के वर्षो में राजस्व अधिक्य की प्राप्ति हुई थी जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में राजस्व घाटा हुआ था। वहीं वित्तीय वर्ष 2015–16 (पु.अ.) एवं 2016–17 (आ.अ.) में पुनः राजस्व अधिक्य की प्राप्ति की गई है। राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का पिछले छः वर्षों का विवरण तालिका 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5 राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	आधिक्य (+) या घाटा (–)	राजस्व प्राप्तियों से व्यय का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
					राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय
2011–12	25867.38	22628.05	3239.33	87	–	–	–	–
2012–13	29578.09	26971.84	2606.25	91	14	19	3710.71	4343.79
2013–14	32050.26	32859.57	–809.31	103	8	22	2472.17	5887.73
2014–15	37932.80	39497.20	–1564.4	104	18	20	5882.54	6637.63
2015–16(पु.अ.)	57956.46	53729.82	4226.64	93	53	36	20023.66	14232.62
2016–17(आ.अ.)	58813.72	54865.65	3948.07	93	1	2	857.26	1135.83

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय (राशि करोड़ में)

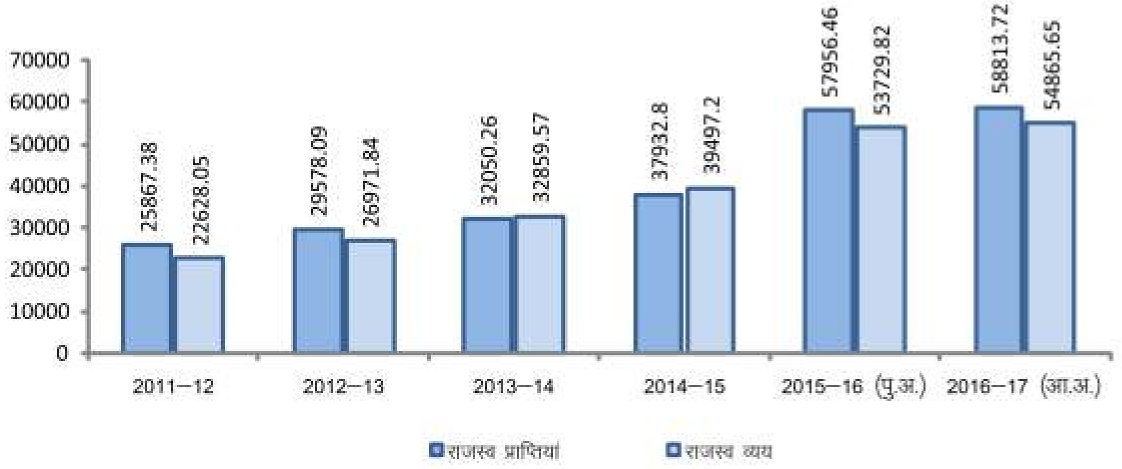

तालिका 5.6 राजस्व व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	पेंशन	वेतन एवं भत्ते	मजदूरी	अन्य	कुल राजस्व व्यय
2014–15 (लेखा)	1663.61	3249.52	9418.51	584.71	24580.85	39497.20
2015–16 (पु.अ.)	2081.30	3780.64	10912.10	663.30	36292.48	53729.82
2016–17 (आ.अ.)	2589.98	5183.66	13759.21	700.54	32632.26	54865.65

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक, पु.अ.=पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ.=आय–व्ययक अनुमान

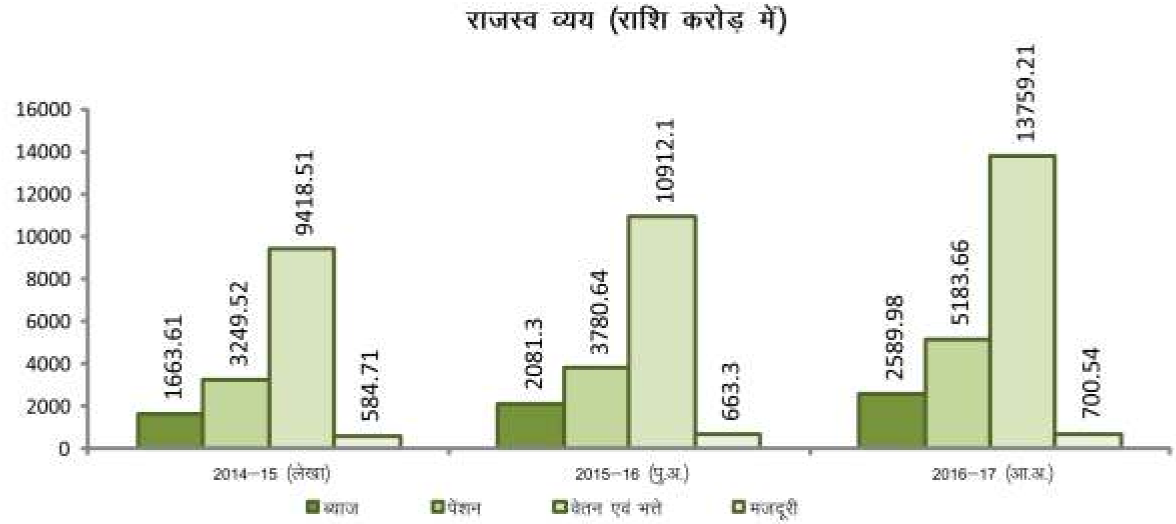

5.6 राजस्व प्राप्तियां– वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल व्यय के 83.95 प्रतिशत भाग की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना अनुमानित है यह भाग 2015–16 के पुनरीक्षित अनुमान में 87.95 प्रतिशत है। राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण तालिका 5.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.7 राजस्व प्राप्तियां (राशि करोड़ में)

क्र.	मद	2014–15 लेखा	2015–16 (पु.अ.)	2016–17 (आ.अ.)
(1)	कर राजस्व	24070.29	37771.92	40614.26
	(i) आय एवं व्यय पर कर	5013.09	9334.03	10733.19
	(ii) सम्पत्ति एवं पंजीगत लेन देनो पर कर	1362.77	2000.31	2034.84
	(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	17694.43	26437.58	27846.23
(2)	गैर कर राजस्व	13862.51	21041.80	20812.41
	(i) राज्य का गैर कर राजस्व	4874.71	8625.32	7420.15
	(ii) केंद्र से सहायता अनुदान	8987.80	12416.48	13392.26
	कुल (1+2)	37932.80	57956.46	58813.72

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक, पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

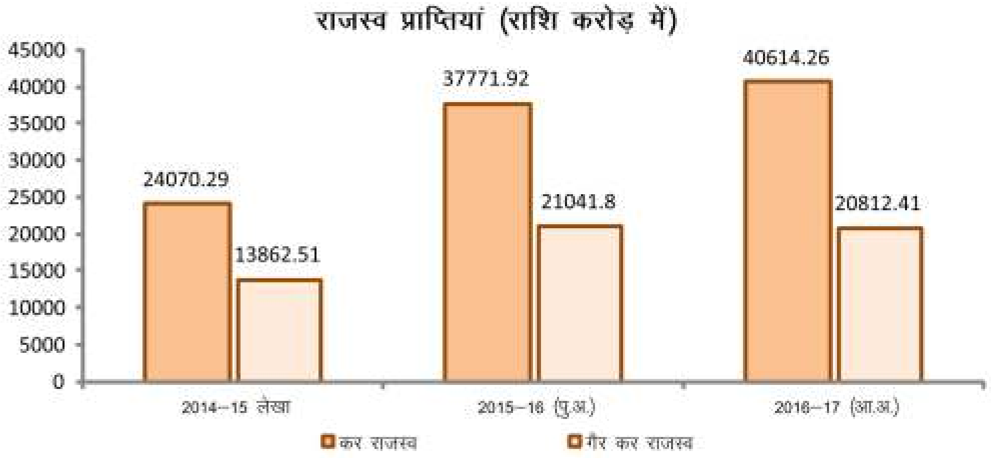

5.7 राज्य की वित्तीय स्थिति– राज्य की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों की वृद्धि का विवरण तालिका 5.8 में दर्शाया गया है:–

तालिका क्रमांक 5.8 राज्य की वित्तीय स्थिति बारहवीं योजना

क्र.	मद	2014–15 लेखा	2015–16 (पु.अ.)	2016–17 (आ.अ.)
I	**राजस्व प्राप्तियां**	37932.80	58813.72	61426.67
(i)	राज्य के स्वयं का राजस्व (A+B)	20581.98	30183.88	29384.25
(A)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व	15707.27	21558.56	21964.10
(B)	राज्य के स्वयं का गैर– कर राजस्व	4874.71	8625.32	7420.15
(ii)	केन्द्र से प्राप्तियाँ (A+B)	17350.82	28629.84	32042.42
(A)	केन्द्रीय करों में हिस्सा	8363.02	16213.36	18650.16
(B)	सहायता अनुदान	8987.80	12416.48	13392.26
II	**पूंजीगत प्राप्तियॉ**	8186.90	7000.33	8544.96
III	**कुल प्राप्तियां (I+II)**	46119.70	65814.05	69971.63
IV	**आयोजनेत्तर व्यय (A+B+C+D)**	18529.07	27224.82	28002.46
(A)	राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान के साथ	18508.26	27211.05	27933.53
(B)	ऋण एवं अग्रिम	11.22	1.45	5.45
(C)	पूंजीगत व्यय	9.59	12.32	63.48
(D)	ब्याज भुगतान	1663.60	2081.30	2571.98
V	**आयोजना व्यय**	27678.23	38673.16	42056.25
	राजस्व व्यय	20988.94	27654.60	28456.00
	पूंजीगत व्यय	6610.97	10737.14	12940.99
	ऋण एवं अग्रिम	78.32	281.42	659.26
VI	**कुल व्यय**	46207.30	65897.98	70058.71
VII	**राजस्व व्यय**	39497.20	54865.65	56389.53
VIII	**पूंजीगत व्यय**	6620.56	10749.46	13004.47
IX	**ऋण एवं अग्रिम**	89.54	282.87	664.71
X	**राजस्व घाटा/आधिक्य**	−1564.40	3948.07	5037.14
XI	**राजकोषीय घाटा**	−8075.43	−6831.62	−8111.32
XII	**प्राथमिक घाटा**	−6411.83	−4750.32	−5539.34

तालिका क्रमांक 5.9 राज्य के राजकोषीय सूचक बारहवीं योजना

क्र.	राजकोषीय सूचक	2014–15 लेखा	2015–16 (पु.अ.)	2016–17 (आ.अ.)
I	**प्राप्तियां**			
(i)	राजस्व प्राप्तियां / कुल प्राप्तियाँ (%)	82.25	89.36	87.79
(ii)	पूजीगत प्राप्तियां / कुल प्राप्तियाँ (%)	17.75	10.64	12.21
(iii)	राज्य के स्वयं का राजस्व प्राप्तियाँ / राजस्व प्राप्तियाँ (%)	54.26	51.32	47.84
(iv)	केन्द्र से प्राप्तियाँ / राजस्व प्राप्तियाँ (%)	45.74	48.68	52.16
(v)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व / राज्य के स्वयं का राजस्व (%)	76.32	71.42	74.75
(vi)	राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व / राज्य के स्वयं का राजस्व(%)	23.37	28.32	25.25
(vii)	केन्दीय करों में हिस्सा / केन्द्र से प्राप्तियाँ (%)	48.20	56.63	58.20
(viii)	सहायता अनुदान / केन्द्र से प्राप्तियाँ (%)	51.80	43.37	41.80
II	**व्यय**			
(i)	आयोजनेत्तर व्यय / कुल व्यय %	40.10	41.31	39.97
(ii)	आयोजना व्यय / कुल व्यय %	59.90	58.69	60.03
III	व्यय / प्राप्तियाँ			
(i)	राजस्व व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ %	104.12	93.29	91.80
(ii)	कुल व्यय / कुल प्राप्तियाँ %	100.19	100.13	100.12
(iii)	ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियाँ %	4.39	3.54	4.19

स्त्रोतः वित्त मंत्री का स्मृति पत्र, बजट 2016–17, छत्तीसगढ़ शासन

06

संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

मुख्य बिन्दु

- छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- वर्ष 2016–17 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान में बैकिंग क्षेत्र का योगदान 785411 लाख रूपये अनुमानित।
- राज्य में बैकों की संख्या जून 2016 अंत की स्थिति में 52, शाखाओं की संख्या 2623 एवं एटीएम की संख्या 2754 है। जिनमें कुल जमा 108795.94 करोड़ रूपये है।
- प्राथमिक क्षेत्र में आबंटित ऋण में वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रधानमत्री जन.धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। 08/02/2017 की स्थिति में राज्य में 12158934 खाते हैं।
- राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 07 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 257 है। वर्ष 2015–16 में बैंकों की अंशपूंजी 30001.39 लाख रू. हो गई, इसमें राज्य शासन का अंशदान 1290.80 लाख रूपये रहा।
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अंतर्गत सदस्य के रूप में कुल 543 सहकारी समितियां हैं।
- विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1982 केन्द्रों पर धान उपार्जन किया जा रहा है।
- वर्ष 2016–17 सितंबर की स्थिति में 2553144 किसान केडिट कार्ड हैं।

संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

6.1 वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास

विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार प्रगतिशील देशों के अनुभव यह बताते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वित्तीय एकीकरण (Financial Integratation) की प्रक्रिया के माध्यम में न केवल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपितु पूँजी जुटाने (Capital Mobilization) में भी सहायक होती है जहाँ एक ओर वित्तीय संस्थायें अर्थव्यवस्था में तरलता एवं गतिशीलता को बनाये रखने हेतु वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से बचत व निवेश को प्रोत्साहन तथा संस्थाओं व व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं वहीं दूसरी तरफ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उत्पादक रूप से वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुये राज्य तथा राष्ट्र के आर्थिक वृद्धि एवं विकास में अपना योगदान देती हैं।

मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (MSMEs) की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन गतिशीलता को बाजार की माँग के अनुरूप बनाये रखने तथा वित्तीय संसाधनों के इष्टितम उपयोग से जोखिम उठाकर निवेश पर आय सुनिश्चित करने वाले उद्यमियों को बैंक व वित्तीय संस्थायें बहुत सहायक होती है। ठीक इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में जहां लघु, एवं सीमांत कृषक उत्पादन के लिये आवश्यक निविष्टियों (Input) जैसे सिंचाई, बीज, खाद ,एवं कीटनाशक दवाओं की खरीदी इत्यादि कृषि–सम्बंधित कार्यों हेतु न्यूनतम–ब्याज दर पर ऋण की अपेक्षा रखते हैं, उनको पूरा करने में भी बैंकों की भूमिका प्रमख भूमिका होती है।

6.1.1 राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर बढ़ कर रहा है, तालिका 6.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.1 बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)	2015-16 (Q)	2016-17 (A)
भागीदारी (लाख)	537699	597241	618887	675796	740195	785411
वृद्धि (प्रतिशत)		11.07	3.62	9.20	9.53	6.11
हिस्सा (प्रतिशत)	3.62	3.84	3.59	3.65	3.76	3.72

बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

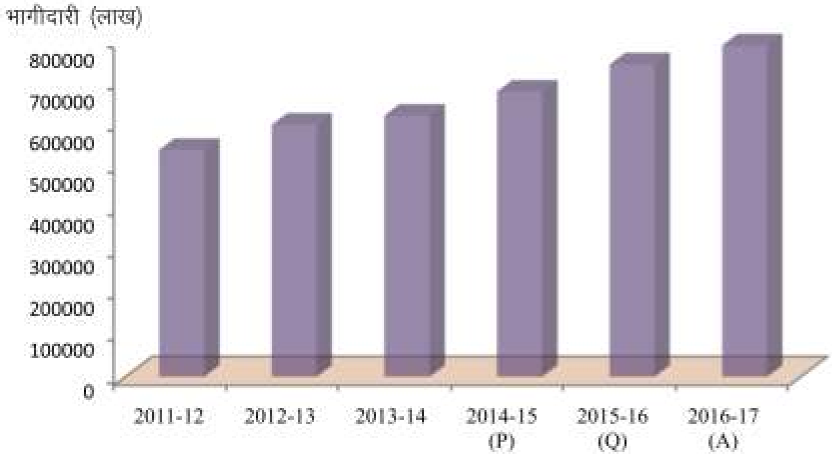

6.1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। बैंकिंग गतिविधियों को गति देने में दिशा देने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से समीक्षा करती हैं। जो कि तालिका क्रमांक 6.2 से स्पष्ट होता है। 30 जून 2016 की स्थिति में 2623 बैंक शाखाएं हैं।

जून 2016 की स्थिति में बैंक जमा राशि 108795.94 करोड़ था जो कि जून 2015 की तुलना में 3.67 प्रतिशत अधिक है।

- जून 2016 की स्थिति में क्रेडिट (अग्रिम) 76163.27 था जो कि जून 2015 की तुलना में 10.15 प्रतिशत अधिक है।
- क्रेडिट (अग्रिम) के स्वरूप के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम की राशि अप्रैल–जून 2015 की स्थिति में रू. 31246.76 करोड़ से बढ़कर अप्रैल–जून 2016 के रू. 36773.03 करोड़ हुआ अर्थात् कुल 17.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथ ही यह भी देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में भी वृद्धि हुई है।
- इस संदर्भ अवधि में कृषि क्षेत्र में क्रेडिट (अग्रिम) में 15.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- साथ ही अप्रैल–जून 2015 से अप्रैल–जून 2016 की अवधि में महिलाओं हेतु प्रदत्त क्रेडिट (अग्रिम) में भी 43.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल–जून 2016 की अवधि में रू. 5514.51 करोड़ राशि स्वीकृत की गई जबकि वर्ष 2015–16 में रू. 5384.14 करोड़ स्वीकृत किया गया था।

6.1.3 विभिन्न जिलों में साख जमा गतिविधियां :–

परिणामों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि साख जमा अनुपात में विभिन्न जिलों में अंतर है। 27 जिलों में से 8 जिलों बालोद, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा में साख जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है।

सारणी 6.2 राज्य में बैंकिंग कार्यों की प्रगति (राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	मार्च 2015	मार्च 2016	अप्रैल–जून 2015	अप्रैल –जून 2016	प्रतिशत वृद्धि (अप्रैल –जून)
1	बैंकों की संख्या	49	52	51	52	–
2	शाखाओं की संख्या	2454	2635	2459	2623	6.28
3	ATM की संख्या	2481	2747	2610	2754	5.51
4	कुल जमा	105022.49	107440.58	104945.52	108795.94	3.67
5	कुल अग्रिम	67690.99	73078.64	69144.47	76163.27	10.15
6	साख–जमा अनुपात प्रतिशत	64.45	68.02	65.89	70.01	-
7	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	30146.88	34694.57	31246.76	36773.03	17.69
8	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	44.54	47.48	45.19	48.28	-

क्र.	विवरण	मार्च 2015	मार्च 2016	अप्रैल–जून 2015	अप्रैल –जून 2016	प्रतिशत वृद्धि (अप्रैल –जून)
9	कृषि में अग्रिम	9773.61	11104.91	11021.33	12712.23	15.34
10	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	14.44	15.20	15.94	16.69	-
11	लघु उद्योगों में अग्रिम	14310.18	17092.55	14840.93	17453.44	17.60
12	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	7925.81	9791.51	8402.18	10390.85	23.66
13	कुल साख में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	11.71	13.40	12.15	13.64	-
14	महिलाओं को अग्रिम	3765.12	5384.14	3844.94	5514.51	43.42

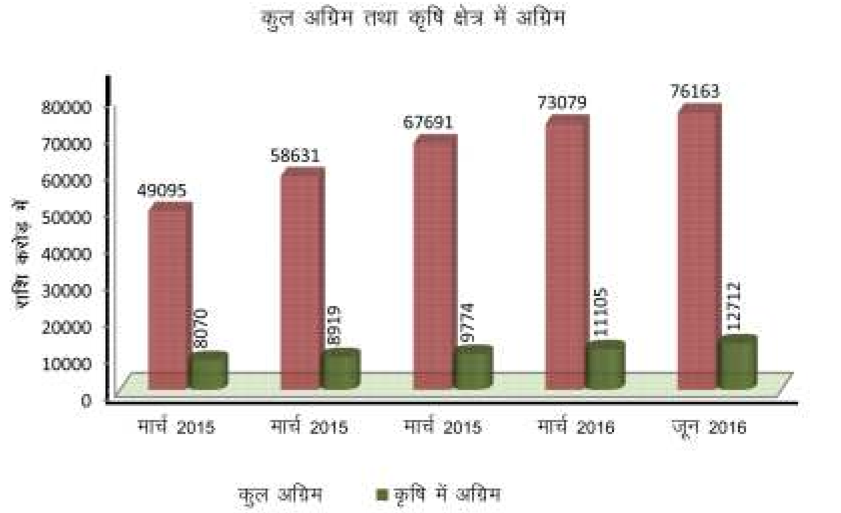

तालिका 6.3 प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति (राशि करोड रूपयों में)				
वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमा राशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.1
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005*	1331	17605	11269	64.01
2005–2006*	1334	22053	12684	57.52
2006–2007*	1356	26014	15420	58.27
2007–2008*	1416	31618	19094	60.39
2008–2009*	1500	39437	23043	57.99
2009–2010*	1590	49379	27943	56.59
2010–2011*	1705	59032	33022	55.94
2011–2012	1912	70742	40135	56.73
2012–2013	2084	87339	49094	56.21
2013–2014	2334	92772	58631	63.2
2014–2015	2454	105023	67691	64.45
2015–2016	2635	107441	73079	68.02
2016–2017 (जून)	2623	108796	76163	70.01

स्रोत–भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति छ.ग. 22, 34, 38, 40, 44, 48, 52, 60 एवं 63वीं बैठक प्रकाशन,

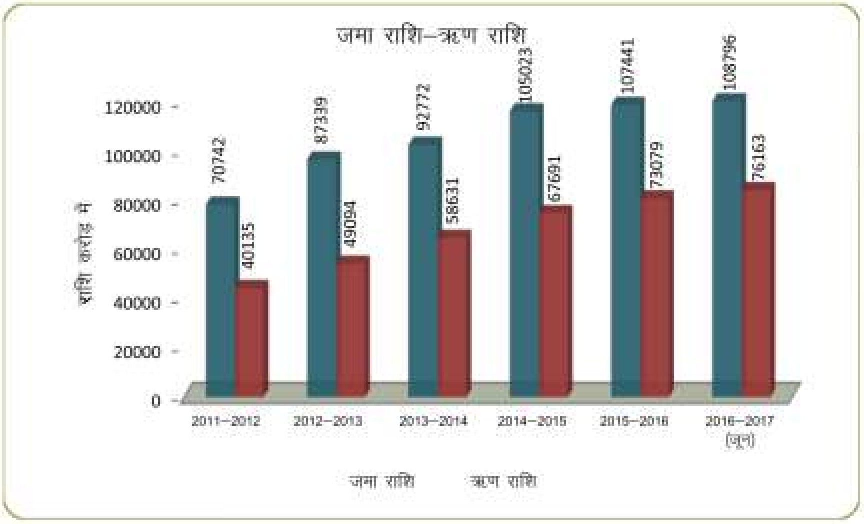

6.2 वित्तीय समावेश पर अवलोकन और प्रगति

6.2.1 वित्तीय समावेश अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक विकास के साथ–साथ लेन–देन की गतिविधियों में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों के संवेग में वृद्धि तथा विस्तार होती है, साथ ही मध्यम, लघु एवं छोटे उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है जिससे रोजगार के नये अवसर का सृजन होता है।

वित्तीय समावेश केन्द्र, अमेरिका (Center for Financial Inclusion) की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समावेशन निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित करता है;

- वित्तीय सेवाओं जैसे ऋण, बचत, बीमा, और भुगतान इत्यादि का अभियोग,
- गुणवत्तापूर्ण सुविधाजनक, सस्ती, उपयुक्त व ग्राहक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सेवा,
- ग्राहकों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में सूचित करते हुये उनके वित्तीय का क्षमता विकास करना,
- सभी के वित्तीय सेवाओं के उपयोग करने हेतु समान अवसर,
- विविध एवं प्रतिस्पर्धी बाजार के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की श्रृंखला तथा,
- स्पष्ट वित्तीय नियामक ढांचा

अतः विगत दशकों के दौरान वित्तीय समावेशन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है जिसका क्रियान्वयन बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकों को शाखा विस्तार, लीड बैंक योजना, व्यापार संवाददाता मॉडल, मोबाइल बैंकिंग का विस्तार, आधार बैंकिंग खाते, ई–KYCs इत्यादि विभिन्न पहलों के द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय, समावेशन का उद्देश्य देश की बडी आबादी, जो कि अब तक स्थिर विकास की संभावनाओं में पिछडी हुई है उनके लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त यह विशेष रूप से गरीबों के लिए वित्तपोषण उपलब्धता हेतु एक अधिक समावेशी विकास की दिशा में एक प्रयास है।

6.2.2 प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) औपचारिक रूप से 28 अगस्त, 2014 को आरंभ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। लाभार्थियों को 1.00 लाख रुपए की रुपे डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा रू. 30000 का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15–08–2014 से 26–01–2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे।

पीएमजेडीवाई (PMJDY) पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम (स्वाभिमान) से अलग है चूँकि अन्य बातों के साथ देश भर में सभी परिवारों (ग्रामीण एवं शहरी) तक बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना चाहता है। जबकि पहला वित्तीय समावेश कार्यक्रम 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों को शामिल करने पर केन्द्रित था, पीएमजेडीवाई (PMJDY) के अंतर्गत सरलीकृत केवाईसी (KYC) हेतु दिशा निर्देश दिया गया है।

यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा खाता धारक पीएमजेडीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया खाता नहीं खोल सकते। वे मौजूदा खाते में जारी रुपे डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिनके खातें 15.08.2014 से 26.01.2015 के बीच पहली बार खोले गए हैं उनको 30,000 रु के जीवन बीमा कवर उपलब्ध हैं। दिनॉक 8.2.2017 की स्थिति में 1.22 करोड़ खाते खोलकर 99.96 प्रतिशत परिवार सम्मिलित हो चुके हैं।

6.2.3 रूपे कार्ड:–

रूपे कार्ड एक नई भुगतान योजना एनपीसीआई द्वारा नियोजित कि गयी है। यह एक घरेलू, स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है जो सभी भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। रूपे कार्ड 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। रुपे कार्ड भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढाने के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रतीक है। जो की भारतीय बैंकों को काफी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतानसुविधा देता है जिससे अंतरराष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। यह चीन जैसे बड़े उभरते देश जिनकी स्वयं के घरेलू कार्ड भुगतान प्रणाली है। भारत सरकार ने बैंकों को सभी KCC और DBT लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है इसके साथ हर नये खाता धारक को एक डेबिट कार्ड जारी किया जाना है। इस प्रकार एक कम लागत विकल्प के रूप में रूपे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मददगार होगा। रूपे कार्ड एटीएम बिक्री टर्मिनलों के केंद्र और ऑनलाइन खरीद पर काम करता है और न केवल दुनिया में किसी भी अन्य कार्ड योजना के बराबर है, बल्कि यह ग्राहकों को भुगतान विकल्प में लचीलापन प्रदान करता है। विवरण तालिका में दर्शित है:–

तालिका 6.4 प्रधानमंत्री जन–धन योजना प्रगति

स्थिति	प्रधानमंत्री जन–धन योजना खाते	सक्रिय खाते	सक्रिय खातों का प्रतिशत	रूपे कार्ड जारी खाते	रूपे कार्ड जारी प्रतिशत	आधार लिंक खाते	आधार लिंक खातों का प्रतिशत
31/03/2015	6776888	2682375	40	6031431	89	1214103	18
30/09/2015	7826718	3793846	48	6445477	82	1487076	19
31/03/2016	9741764	5637620	58	6818457	76	3019947	31
08/02/2017	12158934	7998311	66	8280891	68	7645994	63

6.2.4 मुद्रा (Micro Units Development Refinance Agency) योजना :–

छोटे गैर कॉर्पोरेट (NCSBS) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किंतु इन छोटे कुटीर उद्योगों को बैंक नियमो को पूरा नहीं कर पाने के कारण बैंकों से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती। वे काफी हद तक स्ववित्त पोषित हैं अथवा निजी नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर हैं। इसलिए मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई हैं। यह न केवल इन उद्यमियों के जीवन स्तर में सुधार लायेगा वरन नये रोजगार सृजन करेगा एवं देश की उच्च्य विकास दर को प्राप्त करने में योगदान देगा। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवम दुकानदारों को ऋण की सुविधा तीन चरणों में दी गई है :–

शिशु ऋण योजना: कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत पचास हजार के ऋण का प्रावधान है।

किशोर ऋण योजना : इसमें ऋण की राशि पचास हजार से पांच लाख तक की जा सकती है।

तरुण ऋण योजना : इसमें पाँच से दस लाख तक का ऋण लिया जा सकता हैं।

तालिका 6.5 मुद्रा बैंक – भारत एवं छत्तीसगढ की प्रगति (दिनांक 21–09–2016) (राशि रू करोड में)						
योजना ऋण राशि	स्वीकृति की संख्या		स्वीकृत राशि		वितरित राशि	
	2015–16	2016–17 (10–02–17)	2015–16	2016–17 (10–02–17)	2015–16	2016–17 (10–02–17)
शिशु ऋण 50 हजार तक	605051	585982	1209.03	1135.57	1179-78	1113.79
किशोर ऋण 50 हजार से 5 लाख तक	28559	20996	565.59	465.02	572-08	449.47
तरुण ऋण 5 से 10 लाख तक	6101	5878	490.88	481.24	465.28	466.02
छत्तीसगढ	639711	612856	2265.50	2081.82	2156.14	2029.28
भारत	53480924	-	-	-	132955	-

6.2.5 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और एलपीजी (DBTL) के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:

DBT योजना का उद्देश्य, विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत पैसे सीधे और बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करना है। बैंक डीबीटी / डीबीटीएल के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस कार्य के चार महत्वपूर्ण चरण है

(1) सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का खुलना।

(2) आधार नंबर और एनपीसीआई मैपर पर अपलोड करने के साथ बैंक खातों की सीडिंग।

(3) राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस का उपयोग कर धन हस्तांतरण, आधार कार्ड भुगतान ब्रिज सिस्टम (NACH-APBS)।

(4) पैसे निकालने के लिए बैंकिंग ढांचे का सुदृढ़ीकरण ।

6.3 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं :–

सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाय.) का शुभारंभ किया गया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में अत्यंत प्रगति हुई है विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 6.6 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (21–09–2016)				
क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	दावा दर्ज	दावा भुगतान
1	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	836206	1770	1586
2	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	4106577	293	182
3	अटल पेंशन योजना	41262	–	–

1 **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना :–** यह एक भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं तैयार की गई जीवन बीमा योजना है जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रू है जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रूपये की राशि प्राप्त होती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक–वर्ष की नवीकरणीय योजना है जो दुर्घटना से हुई मृत्यु सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है जिसमें 12 रू के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रूपए की राशि प्राप्त होती है. बीमित व्यक्ति को आंशिक स्थायी विकलांगता पर एक लाख रू प्राप्त होगा।

2. **सुकन्या समृद्धि खाता :–** यह योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। यह 22 जनवरी 2015 को लागू की गई है। इस योजना में निवेश करने पर 9.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु यह दर बढ़कर 9.2 प्रतिशत कर दी गई है। इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर परिवर्तित की जा सकती है और प्रतिवर्ष संयोजित की जावेगी।

3. **अटल पेंशन योजना :–** यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिमाह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए रू. 1000 से रू. 5000 व्यय करके इस योजना को चुन सकते हैं। अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है। किन्तु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाताओं की श्रेणी में नही हैं। यह योजना समाज के लोगों जैसे – सुरक्षा गार्डवाहन चालक या घरेलू कार्य में सहायता देने वालो के लिए लागू की गई है।

4. **पेंशन योजना :–** यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास अधिकरण (PFRDA) द्वारा नियमित की जाती है, जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात की आवश्यकताओं के उदेद्श्य से लागू किया गया है। इस योजना का धारा 80 CCD के अंतर्गत 1.5 लाख रू तक जैसा U/S 80C में प्रावधानित है का कर लाभ प्राप्त होता है।

6.4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

6.4.1 ऋण सहायताः छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015–16 के दौरान कृषि एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए दी गई ऋण सहायता की राशि रुपये 2816.80 करोड़ रही.

6.4.2 आरआईडीएफ सहायताः राज्य सरकार को वर्ष 2015–16 के दौरान ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि से कुल 752 परियोजनाओं के लिए रू. 817.40 करोड़ का ऋण मंजूर किया गया जिसमें से रू. 631.72 करोड़ ऋण वितरित किए गए। इन परियोजनाओं में 19 सिंचाई, 48 गोदाम, 681 रोड, 3 सामुदायिक पेय जल एवं 1 लाइवलिहूड़ कालेज का निर्माण शामिल है। वर्ष 2016–17 में दिनांक 30 सितंबर 2016 तक रु. 512.00 करोड़ का ऋण मंजूर किया गया एवं इस दौरान आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत रु. 213.00 करोड़ वितरित किए गए।

i. **पुनर्वित्त सहायताः** वर्ष 2015–16 के दौरान नाबार्ड द्वारा कृषि उत्पादन ऋण एवं निवेश ऋण के लिए बैंकों को रू. 1329.28 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में 30 सितंबर 2016 तक 839.96 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता दी गई।

ii. **भारत सरकार के क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीमः** वर्ष 2015–16 के दौरान नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित भारत सरकार की केडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीमों के तहत कुल रू. 16.87 करोड़ की अनुदान सहायता राशि वितरित की गई। वर्ष 2016–17 सितंबर के अंत तक इन परियोजनाओं के तहत रू. 13.23 करोड़ की अनुदान सहायता राशि वितरित की गई हैं।

iii. **मार्कफेड को सहायताः** नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2015 के दौरान धान खरीदी हेतु रू. 500.00 करोड़ का वित्त पोषण किया गया। खरीफ विपणन मौसम 2016 में धान खरीदी हेतु मार्कफेड को रू.1000 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

iv. **नाबार्ड इनफ्रासट्रक्चर विकास सहायता (नीडा)**– वर्ष 2015–16 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के प्रावधान हेतु बिजली उप केंद्र तथा वितरण संरचना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को रू. 129.11 करोड़ मंजूर किए गए। वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को अब तक कुल 142.10 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

v. **खाद्य प्रसंस्करण निधि** : भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रलय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 03 फूड पार्कों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित खाद्य प्रसंस्करण निधि के तहत वर्ष 2015–16 में मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क तिल्दा, जिला रायपुर को रू. 40.34 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है।

vi. **उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ):** वर्ष 2015–16 के दौरान नाबार्ड द्वारा 39 कृषक उत्पादक संगठनों के गठन हेतु रू. 330.58 लाख की वित्तीय सहायता मंजूर की गई तथा इस अवधि के दौरान रू. 43.45 लाख वितरित किए गए। राज्य में स्वीकृत कृषक उत्पादक संगठनों की संख्या 64 हो गई। वर्ष 2016–17 में सितंबर तक पीओडीएफ के अंतर्गत रू. 7.35 लाख की वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

6.4.3 वित्तीय समावेश पहलें :

i. ग्रामीण इलाकों में वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय समावेश की स्थिति में सुधार लाने नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में 16 वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित करने हेतु सहायता राशि स्वीकृत की गई। इनमें से 9 वित्तीय साक्षरता केंद्र जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा 07 केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को स्वीकृत किए गए हैं। इस पहल के तहत वर्ष 2015–16 में कुल रू. 78.70 लाख की अनुदान सहायता वितरित की गई हैं।

ii. वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य में वित्तीय साक्षरता संबंधी प्रचार सामग्री के मुद्रण तथा वितरण हेतु राज्य में कुल रू. 67.40 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई हैं।

iii. सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग प्रणली लागु करने हेतु नाबार्ड द्वारा वर्ष 2016–17 में सितंबर तिमाही के अंत तक कुल रू. 386.00 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को रू.

12.00 लाख रुपये, जिला सहकारी बैंक रायपुर को रू. 124.00 लाख रुपये, दुर्ग को रू. 110.00 लाख, जगलदपुर को रू. 62.00 लाख एवं राजनांदगांव को रू. 78.00 लाख मंजूर किए गए।

iv. बैंकों को आवंटित किए गए उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में कनेक्टिविटी समस्या दूर करने हेतु बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में आ रही कठिनाईओं को दूर करने के लिए नाबार्ड द्वारा बैंकों को सौर तथा गैर सौर वी–सैट प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय अनुदान सहायता दी जा रही है। वर्ष 2016–17 में 643 उप सेवा क्षेत्रों के बैंकों हेतु रू. 2442.05 लाख की सैद्धॉतिक मंजूरी प्रदान की गई है।

v. **विशेष विकासात्मक पहलें :**

I. **आदिवासी विकास निधि के तहत वाडी विकास :** नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि ने दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में कई सफल आजीविका परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया है। इसका उद्देश्य राज्य के आदिवासी परिवारों को टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 18 जिलों में कुल 77 वाड़ी परियोजनाएं चल रही हैं और इस हेतु संचयी स्वीकृति की कुल राशि रू. 255.42 करोड़ है तथा इसके अंतर्गत राज्य के 54716 आदिवासी परिवारों को शामिल किया गया हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान 04 परियोजनाएं मंजूर की गई जिससे 2000 आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए तथा टीडीएफ से रू. 9.56 करोड़ की सहायता मंजूर की गई, जिसमें रू. 8.96 करोड़ अनुदान के रूप में हैं। इसके साथ ही चालू परियोजनाओं के लिए रू 1.81 करोड़ की ऋण राशि जारी की गई। वर्ष 2016–17 सितंबर माह तक नाबार्ड द्वारा रू. 3.06 करोड़ संवितरित किए गए हैं।

ii. **वाटरशेड विकास :–** वाटरशेड विकास से ग्रामीण इलाकों की जल समस्या के निदान की संभावना छिपी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 15 जिलों में संचयी रूप में 60 वाटरशेड परियोजनाओं हेतु स्वीकृत कुल राशि रू. 45.59 करोड़ है और जिसके अंतर्गत 69196 हैकटेयर भूमि का उपचार किया गया है व 23670 परिवारों को शामिल किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान पूर्ण कार्यान्वयन चरण में 03 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें कुल रू. 5.91 करोड़ अनुदान सहायता शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा वर्ष 2016–17 सितंबर माह तक रू. 5.09 करोड़ संवितरित किए गए।

iii. **जलवायु परिवर्तन :–** राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए नाबार्ड एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तावित परियोजना छत्तीसगढ़ में महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ–साथ डुबान भूमि में जलवायु अनुकूलन को नाबार्ड के प्रयासों से मंजूरी मिली है। इस परियोजना का वित्तीय परिव्यय रू. 21.47 करोड़ हैं जिसमें से रू. 1.06 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसका उद्देश्य महानदी के जलग्रहण क्षेत्र की डुबान भूमि के तीन जिलों –धमतरी, महासमुंद और बलौदा बाजार में जलवायु अनुकूलन हेतु एकीकृत कार्यनीति को बढ़ावा देने के साथ–साथ जलवायु अनुकूलन हेतु परियोजना क्षेत्र के निवासियों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि और क्षेत्र की पारिस्थितिकी को यथासंभव पुनःबहाल करने हेतु उपाय अपनाना है।

iv. **स्व–सहायता समूह** :– नाबार्ड स्व सहायता समूह संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आजीवीका एवं सशक्तिकरण हेतु प्रयासरत है। 2015–16 में नाबार्ड की पहल के तहत 12168 महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ा गया और 11085 समूहों को बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त हुई है। इस समय नाबार्ड के कुल 52 स्व–सहायता समूह संवर्धन संस्थान कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्ष 2015–16 में 600 स्व–सहायता समूहों के संवर्धन और पोषण हेतु रू. 60 लाख की अनुदान सहायता से 02 नई एसएचपीआई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही स्व सहायता समूहों के संवर्धन एवं बैंकर्स/एसएचपीआई आदि के क्षमता निर्माण के लिए रू. 75.67 लाख की अनुदान सहायता का संवितरण किया गया।

v. **वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिले में महिला स्व सहायता समूह कार्यक्रम** :– 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 11685 महिला स्व सहायता समूहों के संवर्धन और पोषण हेतु नाबार्ड द्वारा 29 गैर सरकारी संगठनों को रू. 11.68 करोड़ की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंर्तगत मार्च 2016 की समाप्ति पर 7761 महिला स्व सहायता समूहों को बचत और ऋण सहबद्ध करने, क्षमता निर्माण और प्रचार आदि के लिए रू. 380.35 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गयी है, जिसमें वर्ष 2015–16 के दौरान रू. 103.25 लाख की अनुदान सहायता का संवितरण किया गया।

vi. **संयुक्त देनदार समूह (जे.एल.जी)** :– नाबार्ड ने बटाईदार (अधियारा), मौखिक पट्टेदारों और सीमांत किसानों की तरक्की और केडिट लिंकेज के लिए समूह आधार पर संयुक्त देनदार समहूों की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2016 की स्थिती के अनुसार राज्य में 7475 संयुक्त देयता समूहो के संवर्धन और ऋण लिंकेज हेतु नाबार्ड द्वारा रू. 1.50 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की गई है जिसमें 31 मार्च 2016 तक संयुक्त देनदार समूहों के संवर्धन के लिए परियोजना कियान्वयन संस्थानों को रू. 27.11 लाख की अनुदान सहायता दी गई है। 2015–16 में राज्य में 5440 संयुक्त देनदार समूह का गठन किया गया है। सितंबर तिमाही वर्ष 2016–17 तक राज्य में 914 जेएलजी का गठन किया गया है।

6.4.4 नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नेबकान्स):– वर्ष 2015–16 के दौरान, नेबकान्स छत्तीसगढ़ द्वारा रू. 5.96 करोड़ का व्यवसाय अनुबंध किया गया है। नेबकान्स ने छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के लिए आधारस्तरीय सवेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निरीक्षण तथा मूल्यांकन किया।

सहकारिता

6.5 राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकः– वर्ष 2015–16 में बैंकों की संख्या 07 एवं इनकी कार्यरत शाखाओं की संख्या 257 है। वर्ष 2015–16 में बैंकों की अँशपूंजी 30001.39 लाख रू. हो गई इसमें राज्य शासन का अंशदान 1290.80 लाख रूपये रहा। वर्ष 2015–16 में बैंकों की अमानतें एवं कार्यशील पूँजी क्रमशः 505904.43 लाख रूपये एवं 827349.46 लाख रूपये हो गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2015–16 में 388097.32 लाख रूपये के ऋण वितरित किये गये जिसमें 349427.02 लाख रूपये अल्पकालीन एवं 38670.30 लाख रू. मध्यकालीन ऋण के रूप में हैं। इसी अवधि में बैंक का कुल बकाया ऋण 246173.96 लाख रूपयों का रहा। वर्ष 2015–16 में जिला सहकारी बैंकों की 210 शाखाओं को 11450.88 लाख रूपये का लाभ हुआ है, एवं 47 बैंकों को हानि हुई है।

6.5.1 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां :– राज्य में वर्ष 2015–2016 में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 1333 है, जो 2014–15 के समान ही है। इन समितियों के सदस्यों की संख्या 2015–2016 में 28.15 लाख है। समिति के कुल सदस्यों में से 4.03 लाख अनुसूचित जाति, तथा 9.47 अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों की अंशपूंजी वर्ष 2015 –16 में 34137.28 लाख रूपये थी। कृषि साख समितियों द्वारा वर्ष 2015–2016 में कुल ऋण 268579.27 लाख रू. वितरित किए गए जिसमें से 263519.08 लाख रूपये का अल्प ऋण एवं 5060.19 लाख रूपये मध्यकालीन ऋण के रूप में है।

तालिका 6.7 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

विवरण	2015–16 (सितं 15)	2015–16 (मार्च 16)	2016–17 (सितं 16)
बैक संख्या	7	7	7
शाखाएं	249	257	257
सदस्य (हजार)	11039	58640	59240
अंश पूंजी			
(1) कुल	28622.11	30001.39	31040.42
(2) शासकीय	1398.02	1290.80	1290.80
अमानतें	450785.59	505904.43	543624.04
कार्यशील पूंजी	793330.98	827349.46	914840.59
ऋण वितरण			
(अ) कुल	324604.48	388097.32	452597.29
(ब) अल्पकालीन	320573.61	349427.02	378315.32
(स) मध्यकालीन	4030.87	38670.30	74281.97
ऋण बकाया			
(अ) कुल	401720.71	246173.96	413387.29
(ब) अल्पकालीन	359300.91	180303.51	348187.14
(स) मध्यकालीन	42419.80	65870.45	65200.15

तालिका 6.7 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

विवरण	2015–16 (सितं 15)	2015–16 (मार्च 16)	2016–17 (सितं 16)
कालातीत ऋण	92016.49	105826.82	63633.37
लाभ			
(अ) बैंक संख्या	84	210	107
(ब) राशि	4963.58	11450.88	6534.21
हानि			
(अ) बैंक संख्या	21	47	40
(ब) राशि	1342.54	6429.02	1906.22

टीप – दिनांक 07–10–2014 को जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में संविलियन हो गया है।
स्रोत–आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़

तालिका 6.8 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां

विवरण	इकाई	2015–16 (सितं 15)	2015–16 (मार्च 16)	2016–17 (सितं 16)
समितियाँ	संख्या	1333	1333	1333
सदस्य संख्या	हजार	2671.57	2815.46	3143.25
अनुसूचित जाति	हजार	392.47	403.36	417.12
अनुसूचित जनजाति	हजार	863.24	947.17	984.32
कुल ऋणी सदस्य	हजार	1690.46	1800.32	1904.39
अनुसूचित जाति	हजार	258.59	287.39	311.18
अनुसूचित जन जाति	हजार	532.18	570.12	605.24
कुल अंशपूंजी	लाख रू.	32047.78	34137.28	37205.67
कुल ऋण वितरण	लाख रू.	247122.34	268579.27	291524.62
(अ) अल्पकालीन	लाख रू.	246078.64	263519.08	282311.24
(ब) मध्यमकालीन	लाख रू.	1073.66	5060.19	9213.38
कुल ऋण बकाया	लाख रू.	337952.67	191145.13	402669.75
(अ) अल्पकालीन	लाख रू.	301091.09	145896.18	346907.15
(ब) मध्यमकालीन	लाख रू.	28374.88	45248.95	55762.60
कालातीत ऋण	लाख रू.	80921.57	81901.97	82015.20

स्त्रोत– आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़

तालिका 6.9 प्रदेश के 1333 सहकारी समितियो के रियायती दर पर वितरित कृषि ऋण की वर्षवार जानकारी (राशि लाख में)					
अल्पावधि कृषि ऋण वितरण (खरीफ–रबी)					
क्रमांक	वर्ष	अल्पावधि ऋण वितरण लक्ष्य	अल्पावधि कृषि ऋण वितरण	कृषकों पर प्रभारित ब्याज दर	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
1	2000–01		19084.61	14.16%	
2	2001–02	21930	15242.12	14.16%	69.50%
3	2002–03	23000	26022.7	14.16%	113.14%
4	2003–04	30030	24304.86	14.16%	80.94%
5	2004–05	31100	33446.4	9%	107.54%
6	2005–06	37880	35283.83	9%	93.15%
7	2006–07	40800	45697.77	7%	112.00%
8	2007–08	65000	58819.63	6%	90.49%
9	2008–09	110500	78687.51	3%	71.21%
10	2009–10	130000	94646.02	3%	72.80%
11	2010–11	150000	111674.3	3%	74.45%
12	2011–12	180000	148126.1	3%	82.29%
13	2012–13	210000	203350.4	1%	96.83%
14	2013–14	300000	253524.7	1%	84.51%
15	2014–15 (31.12.14)	310000	249892	0%	80.00%

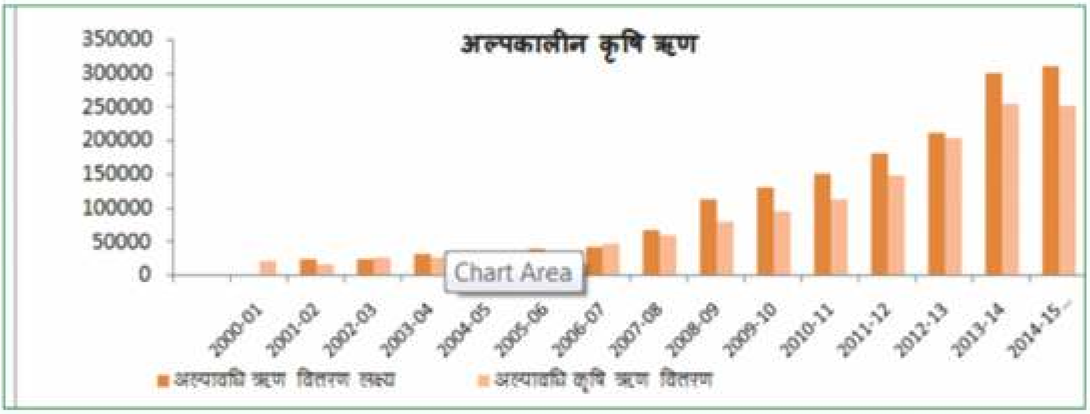

6.6 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ :– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अंतर्गत सदस्य के रूप में कुल 543 सहकारी समितियां हैं।

तालिका 6.10 वर्षवार खाद वितरण :–

वर्ष	वितरण लक्ष्य (मे.टन)	खाद वितरण (मे.टन)	राशि (लाख में)
2012–13	842000	697680	88897
2013–14	928100	660501	81330
2014–15	813082	675163	81283
2015–16	846360	744190	92546.71
2016–17 (सितं.)	643180	544205	68564.93

6.7 धान उपार्जनः– राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 1982 केन्द्रों पर धान उपार्जन किया जा रहा है।

तालिका 6.11 धान उपार्जन

वर्ष	उपार्जित धान की मात्रा (मे.टन)	उपार्जन पर व्यय राशि (लाख में)
2013–14	7972157	9566.59
2014–15	6310427	7572.51
2015–16	5925178.82	7110.21

तालिका 6.12 शक्कर उत्पादन (शक्कर कारखाना)

क्र.	विवरण	वर्ष	शक्कर उत्पादन क्विंटल में
1	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा	2013–14	385510
		2014–15	400960
		2015–16	401900
		2016–17 (सितं.)	207110
2	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. बालोद	2013–14	81332
		2014–15	51340
		2015–16	41825
3	मां महामाया सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. अंबिकापुर	2013–14	215120
		2014–15	190220
		2015–16	206560

6.8 किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 2015–16 में 24.79 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिससे मार्च 2015 अंत तक कृषि क्षेत्र में राशि रू. 388097.32 लाख ऋण दिए गए। वर्ष 2016–17 (सितं. 16) में 25.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिससे सितंबर 2016 अंत तक कृषि क्षेत्र में राशि रू. 452597.29 लाख ऋण दिए गए।

तालिका क्र. 6.13 किसान क्रेडिट कार्ड

क्र.	वर्ष	संख्या
1	2000—01	55994
2	2001—02	151352
3	2002—03	270140
4	2003—04	351588
5	2004—05	533815
6	2005—06	682194
7	2006—07	783949
8	2007—08	852170
9	2008—09	945588
10	2009—10	1046767
11	2010—11	1223457
12	2011—12	1418490
13	2012—13	1585646
14	2013—14	1803706
15	2014—15	1936470
17	2015—16	2479502
18	2016—17 (सितं.)	2553144

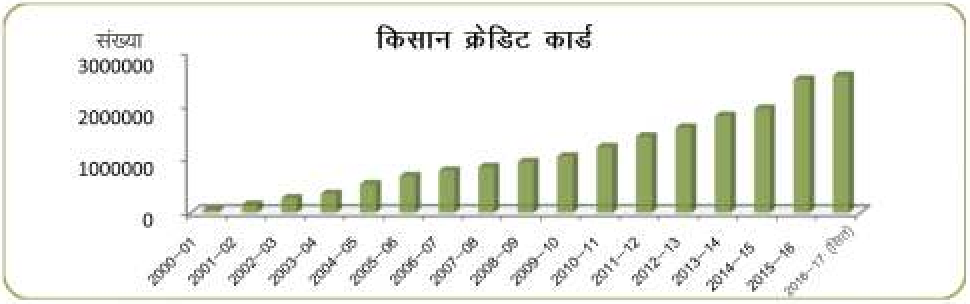

07

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी वर्ष 2016–17 स्थिर भाव पर 2198871 लाख अनुमानित है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला तथा कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है।
- शाकम्भरी योजना के तहत किसानों को 5 एच.पी. तक के विद्युत/डीजल/केरोसीन चलित पंप पर 75% अनुदान तथा कूप निर्माण पर 50% अनुदान दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्वयं हितग्राही की सहभागिता क्रमशः 30%, 30% एवं 40% है।
- राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप–मंडियाँ कार्यरत है।
- प्रदेश में वर्तमान में दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र एवं दो सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है।
- राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94% जनक्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है।

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

7.1 छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते है वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्त्रोतों से लगभग 35 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें से सर्वाधिक 52 प्रतिशत क्षेत्र जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है, जो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत काश्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण, बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल की संभावनाएँ सीमित है। राज्य गठन के बाद से सिंचित क्षेत्र के विस्तार, बीज प्रतिस्थापन दर तथा उर्वरकों के उपयोग एवं कृषि के यंत्रीकरण में वृद्धि से फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सुधार हुआ है। गत वर्षों में कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 में राज्य की कुल 117 तहसीलों में सूखे की स्थिति के कारण वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में फसलों के उत्पादन में कमी आयी है।

तालिका 7.1 फसल उत्पादन (000 मे.टन)

क्र	फसल	14–15 पूर्ति	15–16 अनु. पूर्ति	वृद्धि/कमी प्रतिशत	16–17 लक्ष्य
खरीफ					
1	धान	7589.75	4192.00	-44.77	7688.14
2	मक्का	416.74	365.47	-12.30	426.32
3	अरहर	77.07	74.6	-3.20	101.23
4	मूंग	9.01	10.94	21.42	13.94
5	उड़द	70.99	47.05	-33.72	78.63
6	मूंगफली	68.65	66.81	-2.68	89.23
7	सोयाबीन	56.16	81.84	45.73	195.82
8	रामतिल	11.79	10.05	-14.76	25.02
9	अन्य	64.68	33.12	-48.79	77.37
	महायोग	**8364.84**	**4881.88**	**-41.64**	**8695.70**
रबी					
1	धान	586.92	361.64	-38.38	528.59
2	मक्का	134.16	125.71	-6.30	165.96
3	गेहूं	247.57	152.92	-38.23	258.10
4	चना	384.71	299.32	-22.20	460.00
5	मटर	17.71	13.74	-22.42	31.90
6	तिवड़ा	203.47	138.57	-31.90	234.50
7	राई–सरसों	71.46	48.63	-31.95	99.55
8	अलसी	25.02	18.64	-25.50	34.3
9	अन्य	139.34	92.12	-33.89	226.69
	महायोग	**1810.36**	**1251.29**	**-30.88**	**2039.59**

स्त्रोतः– संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़
टीपः– वर्ष 2015–16 में 117 तहसील सूखाग्रस्त

7.1.1 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार :– कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में कुल फसल क्षेत्र का 31% भाग सिंचित है। फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल की प्रतिशतता 31% है। प्रदेश में सिंचित क्षेत्र के विस्तार के लिये अनेक योजनाएँ चल रही हैं। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत किसानों के लिए सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु "शाकम्भरी योजना" प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत, सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 60 प्रतिशत (35 प्रतिशत केन्द्रांश + 25 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है एवं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत (25 प्रतिशत केन्द्रांश + 15 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार हेतु संचालित योजनाओं की उपलब्धियाँ–

क्र.	विवरण		2015–16 पूर्ति	2016–17 लक्ष्य		2016–17 सितं. पूर्ति	
				संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)	संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)
1	किसान समृद्धि योजना / लघु सिंचाई (नलकूप) योजना		3783	4490	7000	1207	1760
2	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना		70	100	2500	74	1850
3	हरित क्रांति विस्तार योजनान्तर्गत निर्मित	तालाब	0	5	125	5	125
		चेकडेम	15	235	2350	88	880
4	शाकम्भरी योजना	कूप	290	305	10000	138	6380
		पंप	27551	25000		15953	

शाकम्भरी योजना :– शाकम्भरी योजना के अंतर्गत 2016–17 सितंबर में 135 कूप सं. 15953 पंप स्थापित किये गये एवं 6380 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई का विस्तार हुआ।

लघुत्तम सिंचाई :– योजना के अंतर्गत 2016–17 सितंबर में 74 तालाब बनाये गये एवं 1850 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की गई।

7.2 छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण रहा जो निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.2 फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	2015–16 (Q)	2016–17 (A)
भागीदारी (लाख)	1798258	1923736	1986080	2040506	2050750	2198871
वृद्धि (प्रतिशत)		6.98	3.24	2.74	0.50	7.22
हिस्सा (प्रतिशत)	12.12	12.37	11.53	11.02	10.42	10.40

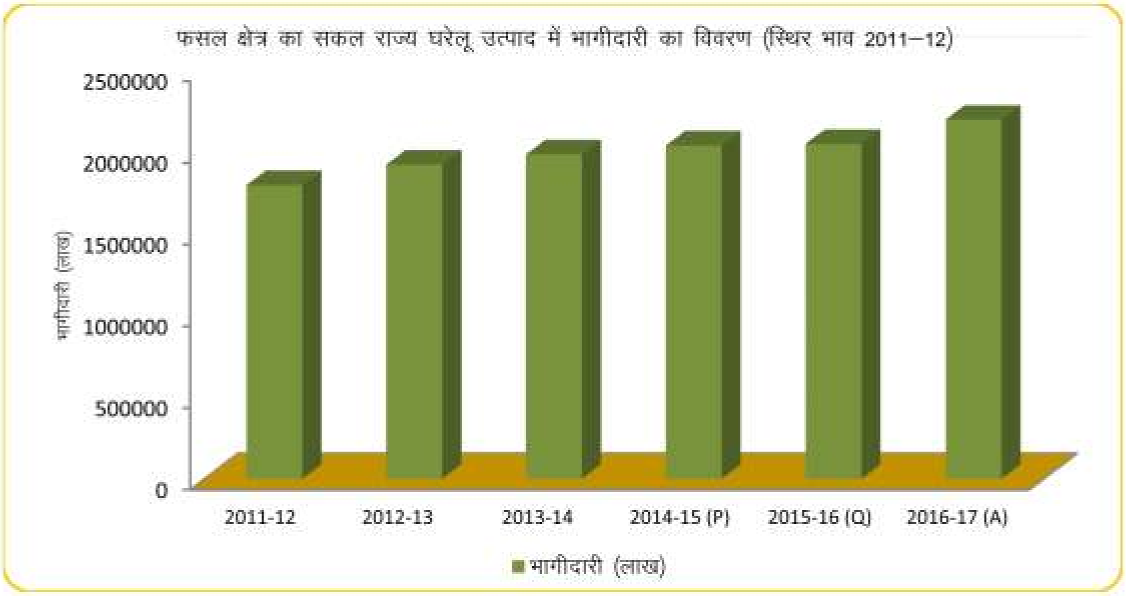

7.3 आधार / प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण :

प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त, अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। अनाज फसलें यथा–धान, गेहूं, रागी एवं कोदो–कुटकी के लिए रू. 500 तथा दलहन फसलों के लिए रू. 1000 अनुदान का प्रावधान है। वर्ष 2014–15 की तुलना में प्रदेश में समस्त स्रोतों से बीज उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई।

तालिका क. 7.3 आधार प्रमाणित बीज

क्र.	विवरण	इकाई	2014–15 पूर्ति	2015–16 पूर्ति	2016–17 कार्यक्रम
1	बीज उत्पादन कार्यक्रम				
	खरीफ		33331	33428	32415
	रबी	हेक्टेयर	10452	13652	13955
	योग (खरीफ+रबी)		**43783**	**47080**	**46370**
2	प्रमाणित बीज उत्पादन				
	खरीफ		653268	768198	925000
	रबी	क्विं.	89726	199804	175000
	योग (खरीफ+रबी)		**742994**	**968002**	**1100000**
3	प्रमाणित बीज वितरण				
	खरीफ		726326	718800	1076027
	रबी	क्विं.	120548	149449	138000
	योग (खरीफ+रबी)		**846874**	**868249**	**1214027**

प्रमाणित बीज उत्पादन तथा वितरण वर्ष 2014–15 में 7.43 लाख क्विंटल की तुलना में वर्ष 2015–16 में 30 प्रतिशत अधिक 9.68 लाख क्विंटल प्रमाणिक बीज का उत्पादन हुआ। वर्ष 2015–16 में 8.68 लाख क्विंटल बीज का वितरण किया गया।

7.4 उर्वरक एवं जैविक खाद वितरण :

कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता हेतु आदान–प्रदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत् दो वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :–

तालिका क. 7.4 उर्वरक एवं जैविक खाद वितरण

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 मे.टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
			2014–15					
खरीफ पूर्ति	357.27	162.65	47.74	567.66	64	34	11	109
रबी पूर्ति	141.79	81.67	22.67	246.13	74	43	12	129
योग (खरीफ+रबी)	**499.06**	**244.32**	**70.41**	**813.79**				

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 मे.टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
2015—16								
खरीफ लक्ष्य	299.56	125.34	35.06	459.97	62	26	7	96
रबी लक्ष्य	114.11	65.80	24.69	204.62	67	39	15	120
योग (खरीफ+रबी)	**413.67**	**191.14**	**59.75**	**664.59**				
2016-17 कार्यक्रम								
खरीफ लक्ष्य	296.10	166.20	54.80	517.10	61	34	11	107
रबी लक्ष्य	144.40	93.80	42.80	281.00	79	51	23	154
योग (खरीफ+रबी)	**440.50**	**260.00**	**97.60**	**798.10**				

वर्ष	कल्चर वितरण खरीफ (पैकेट संख्या)				कल्चर वितरण रबी (पैकेट संख्या)			
	राइजोबियम	पीएसबी	एजेक्टोवेक्टर	योग	राइजोबियम	पीएसबी	एजेक्टोवेक्टर	योग
2012—13	372600	915320	162550	1450470	289208	540695	73440	903343
2013—14	385155	1108160	203900	1697215	446000	714295	102050	1265345
2014—15	1212140	386353	240347	1838840	669062	341379	90935	1101376
2015—16 पूर्ति	1291240	434620	247700	1973560	672550	353475	101975	1128000
2016—17 लक्ष्य	1300800	499600	299600	2100000	700000	388800	111200	1200000

तालिका 7.4 A खाद वितरण

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 मे.टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नाइट्रोजन	सल्फर	पोटाश	योग	नाइट्रोजन	सल्फर	पोटाश	योग
2014—15								
खरीफ पूर्ति	285.03	115.93	41.49	442.45	60	24	9	93
रबी पूर्ति	72.24	46.72	6.25	125.21	41	27	4	72
योग (खरीफ+रबी)	**357.27**	**162.65**	**47.74**	**567.66**				
2015—16								
खरीफ पूर्ति	357.27	162.65	47.74	567.66	64	34	11	109
रबी पूर्ति	141.79	81.67	22.67	246.13	74	43	12	129
योग (खरीफ+रबी)	**499.06**	**244.32**	**70.41**	**813.79**				
2016—17 कार्यकम								
खरीफ पूर्ति	321.23	155.87	52.75	529.85	67	32	11	110
रबी लक्ष्य	141.79	81.67	22.67	246.13	73	42	12	127
योग (खरीफ+रबी)	**463.02**	**237.54**	**75.42**	**775.98**				

7.5 प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्रदेश के सभी कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने की योजना है। इसके अंतर्गत 6,30,245 नमूने संग्रहित किये गये जिनमें से 3,36,329 नमूनों का विश्लेषण किया गया तथा स्वायल हैल्थ कार्ड वितरण लक्ष्य 38,90,709 के विरूद्ध 11,28,000 वितरण किया गया है। जो लक्ष्य का 29 प्रतिशत है।

7.6 जैविक खेती योजना

प्रदेश में चार जिले गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा को पूर्ण जैविक जिला तथा शेष 23 जिलों में एक–एक विकासखंड को पूर्ण जैविक विकासखण्ड के रूप में विकसित किये जाने की योजना है।

7.7 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रदेश में कृषकों की फसलों के बीमा हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2003–04 में 5.02 लाख कृषकों की फसलों का बीमा कर 5.17 लाख दावा राशि का भुगतान किया गया था। वर्ष 2015–16 में 12.73 लाख कृषकों को बीमित कर 65867.50 लाख का दावा राशि का भुगतान किया गया। खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई जिसमें स्थिति अनुसार क्षतिपूर्ति के निम्नानुसार प्रावधान हैं:–

- **बुआई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना**
- **फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में**
- **स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में**
- **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में**
- **फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में**

7.8 कृषि यांत्रिकीकरण

विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना संचालित है। इसके अंतर्गत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना हेतु रू. 10 लाख तक वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 569 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत प्रदेश में 150 कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.9 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

विशेष सहायतीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं उप योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नानुसार अधोसंरचना विकास एवं कार्यों की वर्ष 2008–09 से अद्यतन प्रगति निम्नानुसार हैः–

- 113 शहीद वीर नारायण सिंह विकासखंड स्तरीय बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त। अद्यतन 92 सेवा केन्द्र निर्मित एवं 21 निर्माणाधीन।

- 469 कृषक सूचना सलाह केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त। अद्यतन 360 सेवा केन्द्र निर्मित एवं 109 निर्माणाधीन।

- टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला निर्माण हेतु राशि रू. 372 लाख की अतिरिक्त अनुदान सहायता।

- 24,438 शैलोट्यूबवेल स्थापित जिसमें लगभग 36,700 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र विस्तार।

- हरित क्रांति विस्तार योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक 1618 चेकडेम निर्मित जिससे लगभग 21,470 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र विस्तार।

- हरित क्रांति विस्तार योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक कुल 276 लघु सिंचाई तालाब निर्मित जिससे लगभग 6,900 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र विस्तार।

कृषि - अधोसंरचना विकास

विगत 13 वर्षों में निर्मित/स्थापित प्रयोगशाला/प्रशिक्षण केन्द्र

प्रयोगशाला स्थापित–

- 12 नवीन मिट्‌टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं विकासखण्ड स्तर पर 110 मिनिलैब की स्थापना।
- उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला।
- राजनांदगांव में एक पौध संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला।
- रायपुर में एक कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला।
- तीन नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर।

प्रशिक्षण केन्द्र –

- राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना।
- 92 विकासखंड स्तरीय शहीद वीरनारायण सिंह बहुउद्‌देशीय कृषक सेवा केन्द्र स्थापित।
- 360 कृषक सूचना केन्द्र निर्मित।

कृषि - अभियांत्रिकी

विभागीय योजनाएं

1. **कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजना** :– सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना लागू होने के कारण 8 बी.एच.पी. एवं अधिक के पावर टिलर, शक्ति चलित/बैल चलित/हस्त चलित कृषि यंत्रों को 40% से 50% अनुदान पर वितरित करने की योजना वर्ष 2014–15 से क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2016–17 में योजनांतर्गत 7091 कृषि यंत्रों के वितरण हेतु रूपये 1082.34 लाख का प्रावधान किया गया है।

2. **कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना** :– प्रदेश में कृषि यांत्रिकीकरण के विस्तार हेतु निजी क्षेत्र के इच्छुक कृषि उद्यमियों/स्व–सहायता समूहों (कम से कम 5 सदस्यीय)/पंजीकृत सहकारी समितियों/ को–आपरेटिव सोसायटी (प्राथमिक कृषि साख समिति) तथा विपणन समितियों द्वारा कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना कर ट्रैक्टर तथा कृषि मशीनें कृषकों को किराये पर उपलब्ध करायी जाती है। योजनांतर्गत ट्रैक्टर के साथ कृषि कार्यशाला में भूमि की तैयारी, बोनी निंदाई–गुड़ाई, फसल कटाई तथा गहाई तक के विभिन्न उपयोगी कृषि यंत्र बैंक ऋण से क्रय किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2012–13 से आदिवासी क्षेत्रों में सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने पर न्यूनतम 15.00 लाख की मशीनें क्रय करने पर राशि रू. 7.50 लाख क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में देय है। वर्ष 2016–17 में योजनांतर्गत प्रदेश में 150 कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना का लक्ष्य है। इस हेतु बजट में रू. 1500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3. **कस्टम हायरिंग** :– इस योजना के अंतर्गत डोजरों द्वारा भूमि समतलीकरण, समोच्च बंधान, पर कोलेशन टैंकों का निर्माण आदि कार्य किये जाते हैं। राज्य में वर्तमान में भूमि सुधार कार्य हेतु 25 डोजर मशीनें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत व्हील टाईप ट्रैक्टरों/पावर टिलर्स के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल तथा थ्रेसर एवं ट्रांसप्लांटर आदि यंत्र कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान में कार्यों के लिये राज्य में 35 ट्रैक्टर उपलब्ध है।

4. **कम्बाईन हार्वेस्टर पर अतिरिक्त अनुदान की योजना** :– राज्य की प्रमुख फसल धान है। जिसकी कटाई पारंपरिक तरीके से करने में बहुत अधिक समय एवं मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई की समयावधि सीमित होने के कारण पर्याप्त संख्या में मजदूर नहीं मिलते हैं। इससे उत्पादन एवं उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा कृषक समस्याभाव के कारण दूसरी फसल नहीं ले पाते हैं। समस्या के निदान हेतु कटाई के लिए उपयुक्त कम्बाईन हार्वेस्टर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए रू. 50,000 का अतिरिक्त अनुदान, वर्ष 2013–14 से दिया जा रहा है।

7.8कृषि अभियांत्रिकी :

कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है–

तालिका 7.5 योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति

क्र.	गतिविधियाँ	इकाई	वर्ष 2015–16				वर्ष 2016–17 (सितम्बर, 16 तक)			
			भौतिक		वित्तीय (लाख में)		भौतिक		वित्तीय (लाख में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय
1	**कस्टम हायरिंग योजना**									
(क)	डोजिंग कार्य	घंटे	19000	11527			19000	4114		
(ख)	कल्टीवेशन कार्य	घंटे	22000	16234	239.25	234.78	22000	7015	149.10	72.66
(ग)	यील्ड टेस्ट*	संख्या	-	24			-	18		
2	**सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन**									
(क)	ट्रेक्टर	संख्या	-	-			180	58		
(ख)	पावर टिलर/पैडी ट्रांसप्लांटर/स्वचालित रीपर	संख्या	700	970			530	319		
(ग)	शक्ति चलित यंत्र	संख्या	400	1280	883.92	790.8	2732	1435	1082.34	293.63
(घ)	हस्त/बैल चलित कृषि यंत्रों वितरण	संख्या	500	7597			3649	28280		
3.	फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	संख्या	3	3	12.00	12.00	35	-	0.00	0.00
4.	फसल प्रदर्शन	हैक्टेयर	-	-	-	-	1200	1015.27	36.00	7.96
5.	कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना	संख्या	186	147	1000.00	932.50	186	39	650.00	-

रिमार्क :–* शासन द्वारा बाध्यता समाप्त करने के कारण।

कृषि विपणन

7.9 कृषि उपज मंडियाँः— कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उपमंडियां कार्यरत है। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

तालिका 7.6 कृषि उपज मण्डियों में आवक, आय एवं प्राप्त मंडी शुल्क

विवरण	इकाई	2012—13	2013—14	2014—15	2015—16
आवक	टन	9426298	10179396	8735603	8581824
आय	लाख रू.	18846.23	16364.81	22090.97	39520.15
बोर्ड शुल्क	लाख रू.	2369	1869	2534	5285

मंडियों में आवकः— राज्य में मंडियों में वर्ष 2015—16 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 1291223 टन की आवक हुई, जबकि वर्ष 2016—17 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 1272782 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 18441 टन कम है।

मंडियों की आयः— राज्य में मंडियों में वर्ष 2015—16 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 26886.81 लाख रूपये की आय हुई जबकि वर्ष 2016—17 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 13283.94 लाख रूपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 13602.87 लाख रूपये कम हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार

प्रदेश की नियमित कृषि उपज मंडियों को तीन चरणें में राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की योजना है। इस हेतु 14 कृषि उपज मंडियाँ चिन्हांकित की गयी हैं। प्रथम चरण में 5 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण की मंडियों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़े जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

प्रथम चरण :— राजनांदगांव, कवर्धा, कुरूद, नवापारा, भाटापारा

द्वितीय चरण :— बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, जगदलपुर

तृतीय चरण :— मुंगेली, रायगढ़, बालोद, राजिम।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला

प्रदेश में 11 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तथा 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता मंडी बोर्ड/मंडी समिति द्वारा दी गई है। मंडियों में स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।

एगमार्कनेट पोर्टल

कृषक विक्रेताओं को मंडियों में कृषि उपजों के प्रचलित मूल्य की जानकारी उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से एगमार्कनेट पोर्टल पर दैनिक आवक एवं भाव की नियमित प्रविष्टि की जा रही है।

एग्रीमंडी साफ्टवेयर

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वेबसाईट www.samb.cg.gov.in में संचालित एग्रीमंडी साफ्टवेयर (ऑनलाईन) में प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव, मासिक जानकारी तथा अन्य जानकारीयां नियमित रूप से इंद्राज की जा रही है।

मोबाईल एप

मंडी एंड्राईड मोबाईल एप तैयार की गई है, जो कि वेबसाईट www.samb.cg.gov.in में उपलब्ध है, जिसे एंड्राईड मोबाईल में डाउनलोड कर प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

फल–सब्जी मंडी

उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु तुलसी (रायपुर), तिफरा (बिलासपुर), दुर्ग, राजनांदगांव, पखांजूर एवं रायगढ़ में फल–सब्जी उपमंडी की स्थापना की गई है।

आदर्श मंडी

प्रदेश में धमतरी, कुरूद, राजनांदगांव, कवर्धा एवं मुंगेली में आदर्श मंडी की स्थापना की गई है।

गौ सेवा आयोग अनुदान

गौ शालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड द्वारा अपनी सकल आय का 5 प्रतिशत की दर से वर्ष 2005 से वर्ष 2015–16 तक रूपये 38.95 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में 10 प्रतिशत की दर से रूपये 12.50 करोड़ अनुदान दिया गया है। इस प्रकार कुल 51.45 करोड़ अनुदान दिया गया है।

बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदान

मंडी बोर्ड द्वारा छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को बीज उत्पादन तथा वितरण अनुदान हेतु वर्ष 2014–15 में रूपये 18.94 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में रूपये 19.56 करोड़ प्रदाय किया गया है। इस प्रकार कुल रूपये 38.50 करोड़ अनुदान दिया गया है।

एग्री बिजनेस

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक, एग्रीक्लिनीक–एग्री बिजनेस डिप्लोमाधारी युवकों को एग्री बिजनेस तथा गौ–उत्पाद विपणन हेतु मंडियों में उपलब्ध दुकानों में से प्रथम 05 दुकानें, प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर आरक्षित कर आबंटित करने के निर्देश मंडियों को दिये गये है।

हॉट बाजारों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण

ग्रामीण अंचल में कृषि उपज के विपणन हेतु हाट बाजारों में सुविधा विकसित करने की दृष्टि से 36 हाट बाजारों को 5.35 करोड़ रूपये व्यय कर विकसित किया गया।

धान उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा/गोदाम निर्माण

समर्थन मूल्य पर क्रय धान की सुरक्षा की दृष्टिकोण से मंडी बोर्ड निधि से कुल 331 धान उपार्जन केन्द्रों में रूपये 45.54 करोड़ की लागत से 1324 चबूतरा निर्माण सह बोर खनन कराया गया है, साथ ही 78 केन्द्रों में 200 मे.टन गोदाम 78 नग बनाये गये है।

किसान शॉपिंग मॉल

राजनांदगांव मंडी में कृषकों (विक्रेताओं) तथा मंडी कृत्यकारियों की सुविधा हेतु किसान शॉपिंग मॉल रूपये 2.29 करोड़ की लागत से वर्ष 2010 में निर्माण कराया गया है। शॉपिंग मॉल में कृषि आदान, खाद, बीज, पेस्टीसाईट, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर पार्ट्स, छड़, सीमेन्ट, कपड़ा, ज्वेलरी, मनोरंजन हेतु मल्टीप्लेक्स टॉकिज, रेस्टोरेन्ट तथा गार्डन है।

मंडी अधिनियम में संशोधन

- कृषि उत्पादों के विपणन में कृषि उपज मंडियों में कृषि उपज के क्रय–विक्रय के प्रतिबंधात्मक स्वरूप को शिथिल करने हेतु, विपणन को सहज बनाने, विपणन लागत यथा लोडिंग, अनलोडिंग, ढेर/पाला कराई, इत्यादि के पारिश्रमिक से बचत और विशेषतः अनाज के नुकसान को रोकने हेतु, मण्डी अधिनियम में संविदा कृषि, सीधी खरीदी, एकल पंजीयन, किसान उपभोक्ता उपमण्डी, निजी मंडी प्रांगण/निजी उपमंडी प्रांगण/निजी उपभोक्ता मंडी प्रांगण, टर्मिनल मार्केट काम्प्लेक्स तथा ई–ऑक्सन के प्रावधान किये गये है।
- मंडी अधिनियम में संशोधन कर वन ग्राम के निवासियों की मंडी निर्वाचन में सहभागिता के लिए कृषक प्रतिनिधि होने और मताधिकार का उपयोग करने हेतु, जिसका नाम वन ग्राम के भू–अभिलेखों में भूमि स्वामी पट्टा/पट्टेदार के रूप में प्रविष्ट हो और जो कम से कम आधा एकड़ भूमि में कृषि कार्य करता हो, को मत देने के लिए और कृषकों को प्रतिनिधि होने के लिए अर्ह किया गया है।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

7.12 **उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी :** छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। विभाग के अंतर्गत 117 उद्यान तथा 01 सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुणन प्रक्षेत्र बना है।

7.12.1 **राज्य पोषित योजनाएँ :–**

- **फल विकास कार्यक्रम**– वर्ष 2015-16 में 3806.4 हेक्टेयर में आम के पौधा रोपण कार्य किया गया, जिस पर 212.80 लाख रू. व्यय हुए एवं वर्ष 2016-17 में माह अक्टूबर 16 तक 3588.54 हेक्टेयर क्षेत्र में आम के पौधे रोपित किये गये है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में 107354 एवं वर्ष 2016-17 में अद्यतन 45139 पौधों को कलम बांधने के उपरांत संकरण किया जा चुका है।

तालिका 7.7 विभिन्न उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्र.	फसल का नाम	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकता (मे.टन प्रति हे.)
		2014–15		2015–16		
1	फल	225766	2154889	239676	2328811	9.72
2	सब्जी	414440	5697974	6061801	6061801	13.81
3	मसाला	91115	640027	659192	659192	7.04
4	औषधि एवं सुगंधित फसल	7953	55193	59972	59972	7.03
5	पुष्प	10270	47589	52915	52915	4.63

- **नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना :–** वर्ष 2015-16 में 848.70 हेक्टेयर हेतु किसानों को लाभान्वित किया गया, जिस पर 96.90 लाख व्यय हुए। वर्ष 2016-17 में 850.53 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2016 तक 844.50 हेक्टेयर पूर्ति की जा चुकी है।

- **राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना :–** यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। (अधिकतम रकबा 5 हेक्टर) योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 1251 कृषकों को 1652 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिश्थापन हेतु राशि रू. 991.47 लाख अनुदान दिया गया। वर्ष 2016–17 में 1667 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापन हेतु राशि रू. 1000.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2016 तक 780 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापन हेतु कृषकों को राशि रू. 470.93 लाख का अनुदान दिया जा चुका है।

7.13 राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत कार्यक्रम : (योजनान्तर्गत प्रगति) :–

हाइटेक नर्सरी :– 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाइटेक रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 100.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में हाइटेक रोपणी की स्थापना पर शत प्रतिशत अनुदान एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 40.00 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2016–17 में दो हाइटेक सार्वजनिक क्षेत्र एवं दो हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2015–16 में एक हाइटेक रोपणी का स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई जिस पर राशि रू. 100.00 लाख व्यय हुआ है।

लघु नर्सरी :– 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लघु रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 15.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में लघु रोपणी की स्थापना पर शत प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 7.50 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2016–17 में चार लघु नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2015–16 में दो लघु रोपणी की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई जिस पर अद्यतन रू. 30.00 लाख व्यय हुआ है।

अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर :– अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापना हेतु इकाई लागत रु.10.00 लाख प्रति इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापना पर शत प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2016–17 में 10 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2015–16 में 10 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई जिस पर अद्यतन 100.00 लाख व्यय हुआ है।

तालिका 7.8 राष्ट्रीय बागवानी मिशन की अन्य योजनाएं

क.	योजना का नाम	2015–16		2016–17 अक्टू.16	
		क्षेत्रफल हे	व्यय लाख	क्षेत्रफल हे.	लक्ष्य प्राप्ति हे.
1	फलोद्यान विकासयोजना	4775	855.77	3350	5858
2	पुष्प विकास योजना	2240	612.50	1100	1100
3	मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल योजना	2300	276.00	1900	1900
4	सब्जी क्षेत्र विकास योजना	6000	1350	2950	2950

सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन :– ओपन पालिनेटेड क्रॉप अन्तर्गत सब्जी एवं मसाला बीजों के उत्पादन हेतु इकाई लागत रु. 0.35 लाख प्रति हेक्टेयर है। सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापना पर शत–प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु रू. 0.1225 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2016–17 में सार्वजनिक क्षेत्र में 50 हेक्टेयर एवं निजी क्षेत्र में 100 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। जबकि वर्ष 2015–16 में सार्वजनिक क्षेत्र में 50 हेक्टेयर एवं निजी क्षेत्र में 250 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य पूर्ण किया गया।

सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों का विकास :– सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 25 तालाब बनवाये गये, जिस पर कुल 500.00 लाख की राशि व्यय हुई। वर्ष 2016–17 में 30 सामुदायिक तालाब एवं 260 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्व अक्टूबर 2016 तक 8 सामुदायिक तालाब तथा 75 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

कृषक प्रशिक्षण :– राज्य में उद्यानिकी की खेती को बढ़ावा देने तथा कृषकों को उद्यानिकी की नवीनतम तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 में 4000 कृषकों को राज्य के अंदर तथा 400 कृषकों को राज्य के बाहर

प्रशिक्षण कराया गया, जिस पर रू. 148.00 लाख व्यय हुए। वर्ष 2016–17 में 3620 कृषकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर 2016 तक 3120 कृषकों को राज्य के अंदर प्रशिक्षण दिया गया है जिस पर रू. 31.20 लाख का व्यय हुआ।

7.14 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसका उद्देश्य कम पानी से अधिक–से–अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना है। इस योजना में अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को केन्द्र का 27 प्रतिशत और राज्य का 33 प्रतिशत, कुल 60 प्रतिशत तथा बड़े कृषकों को केन्द्र का 21 प्रतिशत और राज्य का 19 प्रतिशत, कुल 40 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 896 कृषकों को 1293 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापन हेतु राशि रू. 693.68 लाख का अनुदान दिया गया। वर्ष 2016–17 में 4675 हेक्टेयर में ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रतिस्थापन हेतु राशि रू. 2164.15 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध अक्टूबर 2016 तक 1041 हेक्टेयर में ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रतिस्थापन हेतु कृषकों को राशि रू. 746.93 लाख का अनुदान दिया जा चुका है।

7.16 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रगति :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत वर्ष 2016–17 में कार्ययोजना राशि रू. 3245.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, प्राप्त स्वीकृति के विरूद्ध राशि रू. 1480.00 लाख प्राप्त हुई है तथा अक्टूबर 2016 तक राशि रू. 1217.00 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2015–16 में सामान्य योजना में 400 हेक्टेयर सब्जी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, 31,000 (संख्या) फसल प्रदर्शन, 20,000 (संख्या) एकीकृत कीट एवं पोशक तत्व प्रबंधन का प्रदर्शन, 52,000 संकर सब्जी मिनिकीट वितरण कार्यक्रम आयोजित हुए तथा 5 मिनि प्लग टाईप वेजीटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना की गई, जिस पर कुल रू. 2465.00 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2016–17 में माह अक्टूबर 2016 तक 1200 हे. फलोद्यान, 900 हे. सब्जी क्षेत्र विस्तार, 900 हे. मसाला क्षेत्र विस्तार, 1500 फसल प्रदर्शन, 7500 संकर सब्जी मिनिकीट वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त सब्जी के पौधे उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले में प्लगटाईप वेजीटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना की गई है।

ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार योजना :– केन्द्रीय सहायता से संचालित ऑयल पॉम क्षेत्र विस्तार योजना राज्य के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, महासमुंद एवं बालोद जिले में संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में स्वीकृत कार्ययोजना राशि रू. 525.44 लाख के विरूद्ध राशि रू. 262.82 लाख प्राप्त हुए जिससे राशि रू. 256.76 लाख के व्यय द्वारा 1500 हेक्टेयर में ऑयम पाम क्षेत्र विस्तार का कार्य कराया गया। वर्ष 2016–17 में 2500 हेक्टेयर हेतु राशि रू. 963.06 लाख की कार्ययोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अक्टूबर 2016 तक प्राप्त राशि रू. 329.56 लाख के विरूद्ध राशि रू. 54.16 लाख के व्यय द्वारा 533 हेक्टेयर में ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार का कार्य कराया गया।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना :– उद्यानिकी फसलों पर वर्ष 2016–17 रबी से मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जल संसाधन

7.17.1 भौगौलिक विवरण एवं उपलब्ध जल : छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 42 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से सम्पन्न हैं।

प्रदेश में विभिन्न स्त्रोतों से सतही जल की मात्रा 48296 मि.घ.मी. है, जिसमें से 41720 मि.घ.मी. जल उपयोग में लाया जा सकता है। केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11630 मि.घ.मी. है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 37% उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 146 विकासखण्ड में से 125 विकासखण्ड भू–जल की दृश्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 18 विकासखण्ड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में हैं। 02 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में तथा 01 विकासखण्ड अत्याधिक दोहन की श्रेणी में आंकलित है।

7.17.2 सृजित सिंचाई क्षमता : सिंचाई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनीकट/स्टापडेम एवं नलकूप आदि हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित थी तथा कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी, वर्तमान में दिसम्बर 2016 तक 20.03 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 6.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई।

7.17.3 निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं : वर्तमान में 08 वृहद, 35 मध्यम एवं 2371 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 587 एनीकट/स्टापडेम निर्मित है। जबकि 04 वृहद, 03 मध्यम एवं 388 लघु सिंचाई योजनाएं, तथा 208 एनीकट/स्टापडेम निर्माणाधीन हैं।

7.17.3.1 वृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं :–

- **अरपा भैंसाझार परियोजना** – यह योजना जिला बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में ग्राम–भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। परियोजना की वर्तमान लागत रू. 1141.90 करोड़ है। योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखंडों के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

- **केलो परियोजना** – जिला रायगढ़ में केलो जलाशय परियोजना से रायगढ़ एवं जाजगीर– चांपा जिले के 175 ग्रामों की 22,810 हेक्टेयर भूमि में खरीफ के मौसम में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होना है। इसके साथ ही योजनाऐं रायगढ़ शहर के पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना के निकट स्थापित उद्योगों हेतु 4.44 मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू. 920.47 करोड़ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इससे दिसम्बर 2016 तक लगभग 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।

- **राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन** – राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर के निर्माण हेतु रू. 114.45 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

- **सोंढूर जलीय परियोजना** – सोंढूर जलाशय परियोजना धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में नगरी तहसील के ग्राम मेचका के पास सोंढूर नदी पर स्थित है। इसका शीर्श कार्य पूर्ण हो चुका है तथा नहर का कार्य प्रगति पर है। योजना की पुनरीक्षित लागत रू. 34.45 करोड़ है। योजना से नगरी सिहावा आदिवासी बाहूल्य क्षेत्र के 66 ग्रामों के 12,270 हेक्टेयर क्षेत्र में रूपांकित खरीफ सिंचाई के विरूद्ध 11,898 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हो गया है।

इसके अतिरिक्त महानदी परियोजना समूह के अंतर्गत भाटापारा शाखा नहर के कि.मी. 45 से 85.715 कि.मी. तक नहरों के शेष निर्माण कार्यों की लागत भी सम्मिलित है, जिसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता 26,210 हेक्टेयर है। इसके विरूद्ध 14830 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हो गया है।

7.17.3.2 महानदी पर निर्माणाधीन छः औद्योगिक बैराज :–

महानदी पर मुख्यतः छः औद्योगिक बैराज यथा समोदा, शिवरीनारायण, बसंतपुर, मिरौनी, साराडीह, एवं कलमा बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन बैराजों से औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय के अतिरिक्त भू–जल संवर्धन, निस्तारी एवं कृशि हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इन बैराजों से 21 उद्योगों को 852.29 मि.घ.मी. जल आबंटित है, जिससे शासन को प्रतिवर्ष रू. 895.00 करोड़ की राजस्व प्राप्ति के साथ लगभग 27,911 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। इन योजनाओं के पूर्ण होने से कृषकों को भी स्वयं के साधन से कुल 2,804 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

7.17.4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :– योजना के अंतर्गत मनियारी सिंचाई परियोजना, केलो सिंचाई परियोजना एव खारंग सिंचाई परियोजना तथा 232 लघु सिंचाई योजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त थी, चूकि अब योजना के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल हो जाने के कारण इन योजनाओं का शेष निर्माण कार्य एवं सैंच्य क्षेत्र विकास कार्य (CAD & WM) जिसमें काडा नालियों का मिट्टी कार्य, लाईनिंग कार्य एवं पक्के स्ट्रक्चर का निर्माण किया जावेगा। उक्त निर्माण कार्य को वर्ष 2019 तक पूर्ण किये जाने की योजना है।

7.17.5 अभिनव योजना –

7.17.5.1 अभियान लक्ष्य भागीरथी :– विभाग में लम्बे समय से अनेकों सिंचाई योजनाएं किसी न किसी कारण से अपूर्ण पड़ी हुई है। ऐसी अपूर्ण योजनाओं में एक बड़ी राशि व्यय हो जाने के पश्चात भी इनका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इन अधूरी योजनाओं की अपूर्णता मुख्यतः भू–अर्जन, वन प्रकरण का निराकरण एवं कृषकों का विरोध इत्यादि कारणों से है। अतः इन अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने हेतु प्रथमतः निम्नानुसार तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :–

वर्ग–1 ऐसी योजनाएं जिनमें शीर्ष कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो तथा नहर कार्य 50 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो।

वर्ग–2 ऐसी योजनाएं जिनमें शीर्ष कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो तथा नहर कार्य 50 प्रतिशत तक पूर्ण हो।

वर्ग–3 ऐसी योजनाएं जिनमें नहर कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो तथा शीर्ष कार्य 50 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो।

उपरोक्तानुसार तीन वर्गों में 106 योजनाएं चिन्हित की गई हैं। विभाग की कार्ययोजना अनुसार इन योजनाओं में से मार्च 2017 तक 88 योजनाओं को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा इनसे 71322 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का और सृजन होगा। दिसम्बर 2016 तक 25402 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिया गया है।

7.17.6 सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना :– सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में उपलब्ध जल का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विद्युत एवं सौर ऊर्जा संचालित पंप द्वारा पाईप लाईनों के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सम्पवेल बनाकर स्प्रिंकलर पद्धति से खेतों में जल प्रदाय किया जाना है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति वर्तमान सिंचाई पद्धति की तुलना में लाभकारी है, क्योंकि इस योजना से कम पानी से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई होगी तथा खाद की भी बचत होगी। उपरोक्त पद्धति से असिंचित क्षेत्रों में भी सिंचाई की जा सकेगी, जिससे सिंचाई रकबे में वृद्धि होगी तथा रबी में सब्जी व दलहन की फसल ली जा सकेगी एवं कृषकों का आर्थिक उन्नयन होगा तथा रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से विद्युत ऊर्जा की भी बचत होगी।

वर्ष 2015-16 के बजट में 02 योजनाएं रायपुर जिला में महानदी पर हरदी एनीकट तथा राजनांदगांव जिले की धामनसरा मोहड़ एनीकट से पाईप आदि के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई किये जाने हेतु नवीनमद में शामिल हैं। हरदी एनीकट हेतु राशि रू. 2003.99 लाख एवं धामनसरा मोहड़ एनीकट हेतु राशि रू. 1065.73 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है, इन योजनाओं से क्रमशः 750 एवं 480 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है।

सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना से सिंचाई किये जाने पर होने वाले लाभ एवं पानी की बचत को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-17 के बजट में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 14 योजनाओं एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 11 योजनाओं को नवीन मद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

महानदी आयाकट :–

महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1019803 हेक्टर एवं कृषि योग्य भूमि 7,31,555 हेक्टेयर है।

सम्मिलित परियोजनाओं का विवरण :–

तालिका क्र.7.10 परियोजनावार सिंचाई क्षमता एवं वास्तविक उपयोग वर्ष 2015–2016 (हेक्ट. में)

क्र.	परियोजना / स्थान का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल	कृषि योग्य भूमि सी.सी.ए.	निर्मित सिंचाई क्षमता	वास्तविक सिंचाई 2015–16
1	महानदी परियोजना (सोढूर सहित)	611668	386703	276199	214810
2	पैरी परियोजना (जिला गरियाबंद)	62631	40489	39741	36313
3	कोडार परियोजना (जिला महासमुंद)	27777	21740	16754	13180
4	जोंक परियोजना (बलौदाबाजार–भाठापारा)	23523	21281	12870	8112
5	बलार परियोजना (बलौदाबाजार–भाठापारा)	16741	8152	5567	6047
6	तांदुला परियोजना (जिला बालोद)	269164	246340	87558	55414
7	खपरी परियोजना (जिला दुर्ग)	8299	6850	4261	4181
	योग –	1019803	731555	442950	338057

कृषकों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण :– इस मद में 2015–16 में प्राप्त रू. 12.00 लाख के आबंटन के विरूद्ध 12.00 लाख रूपये व्यय हुये एवं प्राप्त आबंटन से 2400 कृषकों को भ्रमण प्रशिक्षण के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 2438 कृषकों को कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव (बालाघाट) वाल्मी संस्थान भोपाल एवं कृषि विज्ञान केन्द्र छिंदवाड़ा आदि का भ्रमण कराया गया।

पशुधन

7.26 छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रदेश में 1.50 करोड़ पशुधन तथा 1.80 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृध्दि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य विभागीय कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

तालिका 7.11 पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)	2015-16 (Q)	2016-17 (A)
भागीदारी (लाख)	226704	237979	249536	248185	245571	258761
वृद्धि (प्रतिशत)		4.97	4.86	-0.54	-1.05	5.37
हिस्सा (प्रतिशत)	1.53	1.53	1.45	1.34	1.25	1.22

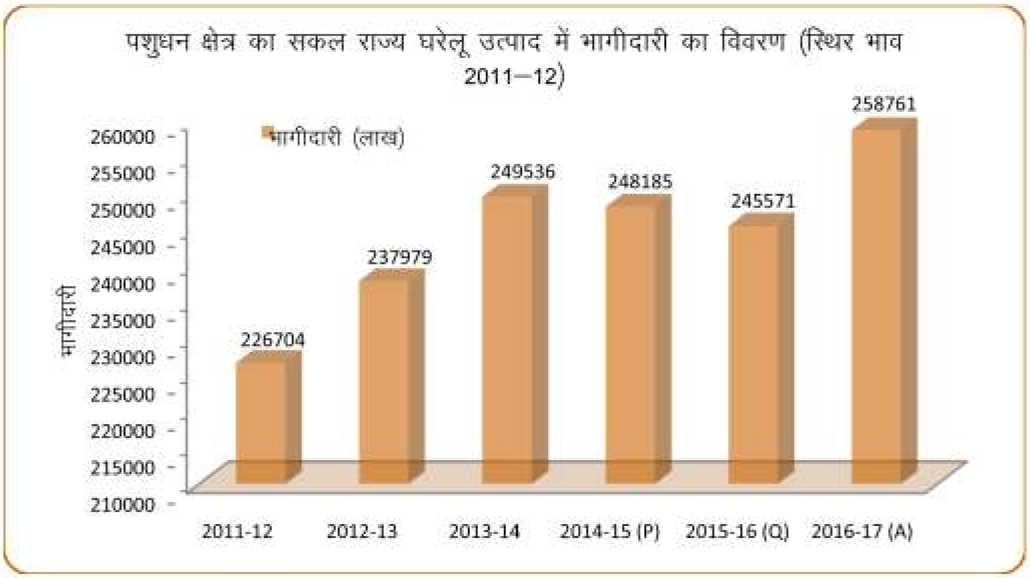

1. गौंवंशीय एवं भैसवंशीय पशु विकास :– पशु संगणना 2012 के अनुसार गौंवंशीय एवं भैसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 36.34 लाख है। राज्य में वर्ष 2013–14 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु, 22 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 249 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान इकाइयां, 301 पशु चिकित्सालय, 798 पशु औषधालय, 10 मुख्य ग्राम खण्ड, 99 मुख्य ग्राम खण्ड ईकाई कार्यरत है। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2015–16 में 5.23 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.44 लाख हजार पशुओं कों प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.61 लाख वत्सोत्पादन, प्राकृतिक गर्भाधान से 0.21 लाख वत्सोत्पादन हुआ तथा 18.24 लाख पशुओं का उपचार, 19.70 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 3.79 पशुओं का बधियाकरण, एवं 230.93 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

वर्ष 2016–2017 में सितम्बर 2016 तक 2.04 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.22 लाख पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जिससे 0.52 लाख कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोंत्पादन एवं 0.10 लाख प्राकृतिक वत्सोंत्पादन हुआ। तथा 10.01 लाख पशुओं का उपचार, 9.85 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 0.63 पशुओं में बधियाकरण, एवं 109.11 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

2. बकरी विकास :– प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार 32.25 लाख बकरे–बकरियॉ है। प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रो के अंन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर (ठाठापुर) जिला कबीरधाम में की गई है।

3. सूकर विकास :– वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 4.39 लाख सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु चयनित सूकर पालकों को वर्ष 2015–16 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा+1 नर सूकर) वितरण हेतु राशि रू. 96.80 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 1075 सूकरत्रयी के विरुध्द राशि रू.95.88 लाख व्यय कर 1065 सूकरत्रयी प्रदाय किये गये, एवं अनुदान पर नर सूकर वितरण हेतु राशि रू. 25.00 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 714 नर सूकर के विरूध्द राशि रू. 24. 64 लाख व्यय कर 704 नर सूकर अनुदान पर प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया हैं।

वर्ष 2016–17 में सूकरत्रयी ईकाई वितरण हेतु राशि रु. 103.98 लाख आबंटन के विरुध्द 1155 सूकरत्रयी एवं नर सूकर हेतु राशि रु0 30.00 लाख के विरुध्द 857 नर सूकर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह सित0 2016 तक सूकरत्रयी ईकाई वितरण में रू. 27.04 लाख व्यय कर 300 ईकाई एवं नर सूकर वितरण में 5.40 लाख ब्यय कर 154 सूकरों का वितरण किया गया है। प्रदेश में सूकर पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सकालो जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। जिसमें लार्जव्हाइट यार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सुकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना कुनकुरी जिला जशपुर में प्रगति पर है।

तालिका 7.12

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	300
पशु औषधालय	797
चल चिकित्सालय	25
माता महामारी उन्मूलन योजना	05
पशु जॉच चौकियॉ	07
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	18
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	251
एम्बुलेट्री क्लीनिक	10
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	100

4. शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय :– प्रदेश मे वर्ष 2006–07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गयी हैं। योजना प्रारंभ से माह सितम्बर 2014 तक कुल 5088 सांड़ विभिन्न ग्राम पंचायतो में प्रदाय किये गये हैं। वर्ष 2015–16 में शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण हेतु कुल राशि रु0 56.11 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 244 साडों का वितरण किया गया हैं। वर्ष 2016–17 में माह सितम्बर 2016 तक राशि रू. 12.36 लाख से 53 साडों का वितरण किया गया है, शेष सांड़ों के वितरण का कार्य प्रगति पर है।

5. कुक्कुट विकास :– प्रदेश मे पशु संगणना 2012 के अनुसार कुल 179.55 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी हैं। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड

कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर तक परिवहन पश्चात् अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता है। योजनांतर्गत कुक्कुट चूंजों के अलावा बतख एवं बटेर चूजों को भी प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2015–16 में बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत राशि रू. 199.93 लाख आबंटन अंतर्गत 7,405 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2015–16 मे माह सितम्बर 2014 तक राशि रू. 72.44 लाख व्यय कर 2682 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्तमान बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों का वितरण शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों से किया जा रहा है।

6. अतिरिक्त केन्दीय सहायता राशि :–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत, विभाग के लिये वर्ष 2015–16 में कुल 09 योजनाओं हेतु राशि रू. 2056.00 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई थी, जिसके विरूद्ध राशि रू. 2035.93 लाख व्यय की गई है।

वर्ष 2016–17 कुल 09 योजनाओं हेतु राशि रू.2016.35 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अन्तर्गत रू. 919.00 लाख का बंटन प्राप्त हुआ है एवं नवं0 2016 तक रू.751.34 लाख व्यय हुआ है।

9. प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना :–राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार राष्ट्रीय गौवंशीय, भैसवंशीय परियोजनान्तर्गत प्रत्येक 1200 पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान ईकाई की आवश्यकतानुरूप, स्वरोजगारोन्मुखी प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षित गौ सेवकों, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैध्यांतिक एवं व्यवहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय/प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में कुल 175 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षण दिया गया है।

वर्ष 2016–2017 में कुल 175 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन्हे निःशुल्क औजार, उपकरण प्रदाय कर नियमित रूप से तरल नत्रजन एवं स्ट्रा प्रदाय की व्यवस्था नजदीकी विभागीय संस्था के माध्यम से की जा रही है तथा प्रत्येक वत्सोत्पादन पर 05 चरणों में रू. 950 मानदेय देने का प्रावधान है।

10. ग्रामोंत्थान योजना :– राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषको की आमदनी में वृध्दि करने तथा कृषि कार्यो के लिये उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं का विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई पशु नस्ल सुधार योजनायें चलाई जा रही हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पशु पालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से ग्रामोंत्थान योजना प्रारंभ की गयी है। योजना प्रारंभ से अब तक कुल 15,709 चरवाहों का पंजीयन किया गया है। योजना का उद्देश्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिये, चरवाहों को पशुपालन विभाग की आवश्यक कड़ी के रुप में जोड़ना है।

वर्ष 2016–17 में ग्रामोत्थान योजना हेतु राशि रु. 29.37 लाख राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि रू.15/प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15/– प्रति बधियाकरण कार्य में सहयोग हेतु चरवाहों को कुल 1,19,466 कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण में राशि रू. 26.17 लाख प्रदान किये गये हैं।

वर्ष 2016–17 में कुल 1.40 लाख कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण कार्य को लक्ष्य के विरूध्द रू. 33.60.50 लाख प्रावधानित है। नवंबर 2016 तक 14.74 लाख खर्च किया गया है।

11. छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण :– छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय–भैसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में की गई। अभिकरण को राष्ट्रीय गौवंशीय–भैसवंशीय पशु प्रजनन परियोजनान्र्तत विभिन्न घटको के कियान्वयन हेतु वर्ष 2001–02 से वर्ष 2015–16 तक कुल आबंटन रु. 3002.14 लाख प्राप्त हुआ। परियोजनांतर्गत मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैः–

- पशु संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन राज्य में सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना।
- घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 709 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों में परिवर्तन।
- कृत्रिम गर्भाधान पहुंच विहीन गांवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के सांडों का प्रदाय।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
- गुणवत्ता परीक्षण उपरांत हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण।
- पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण।
- 996 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय की गई है।
- प्रशिक्षण केन्द्र महासमुंद व जगदलपुर में प्रशिक्षण सुविधा हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास।
- मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैर विभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण।राष्ट्रीय गौवंशीय/भैसवंशीय परियोजना का राज्य में संचालित होने से कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्न्त नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

12. केन्द्रीय योजना (एस्काड) :– केन्द्र प्रवर्तित योजना लाइवस्टाक हेल्थ एण्ड डिसिज कण्ट्रोंल अन्तर्गत एस्काड संचालित है जिसके अंतर्गत प्रमुख रोगों के प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, पशु उपचार शिविर, प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन, पशु पालको/किसानो के मध्य पशु पालन से संबंधित प्रचार–प्रसार कार्य, अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़िकरण किया जाता है। वर्ष 2016–17 में रू. 1118.50 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत थी जिसके विरूध्द राशि रू. 243.90 लाख प्राप्त हुई थी।

15. पशु माता महामारी योजना :– पशु माता महामारी योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में स्टाक रूट ग्राम खोज कार्य 4693, सामान्य ग्राम खोज 15094, डे–बुक निरीक्षण कार्य 4797, पशु बाजार को भेट 214, पशु उपचार 4330, पशु स्वास्थ्य परीक्षण 81445, टीकाकरण 8629, सेंपल कलेक्शन 3766, पशु जन जागरण शिविर 07 का कार्य किया गया। सितम्बर 2016–17 तक स्टाक रूट ग्राम खोज कार्य 2350, सामान्य ग्राम खोज 6310, डे–बुक निरीक्षण कार्य 1694, पशु बाजार को भेट 92, पशु उपचार 4330, पशु स्वास्थ्य परीक्षण 81445, टीकाकरण 8629, सेंपल कलेक्शन 5347, पशु जन जागरण शिविर 09 का कार्य किया गया।

16. पशु उत्पाद उपलब्धता :– वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के 27 जिलों में केन्द्रीय प्रत्यावर्तित न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 270 चयनित गांवों में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान लगाने हेतु विस्तृत न्यादर्श सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया गया। सर्वेक्षण अनुसार राज्य में 1277 हजार टन दुग्धोत्पादन, 15028 लाख अण्डा उत्पादन एवं 41383 हजार कि0 ग्रा0 मांस उत्पादन अनुमानित पाया गया। वर्ष 2015–16 के सर्वेक्षण अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 132 ग्राम दूध की उपलब्धता, प्रतिव्यक्ति वार्षिक 57 अण्डे तथा प्रतिव्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.504 कि0 ग्रा0 होना पाया गया है।

मत्स्य विभाग

7.27 राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.58 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.48 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। जो कुल जलक्षेत्र का 94.06 प्रतिशत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है। कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रुप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है।

तालिका 7.13 मछली उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)	2015-16 (Q)	2016-17(A)
भागीदारी (लाख)	234783	239415	266903	294258	320610	346779
वृद्धि (प्रतिशत)		1.97	11.48	10.25	8.96	8.16
हिस्सा (प्रतिशत)	1.58	1.54	1.55	1.59	1.63	1.64

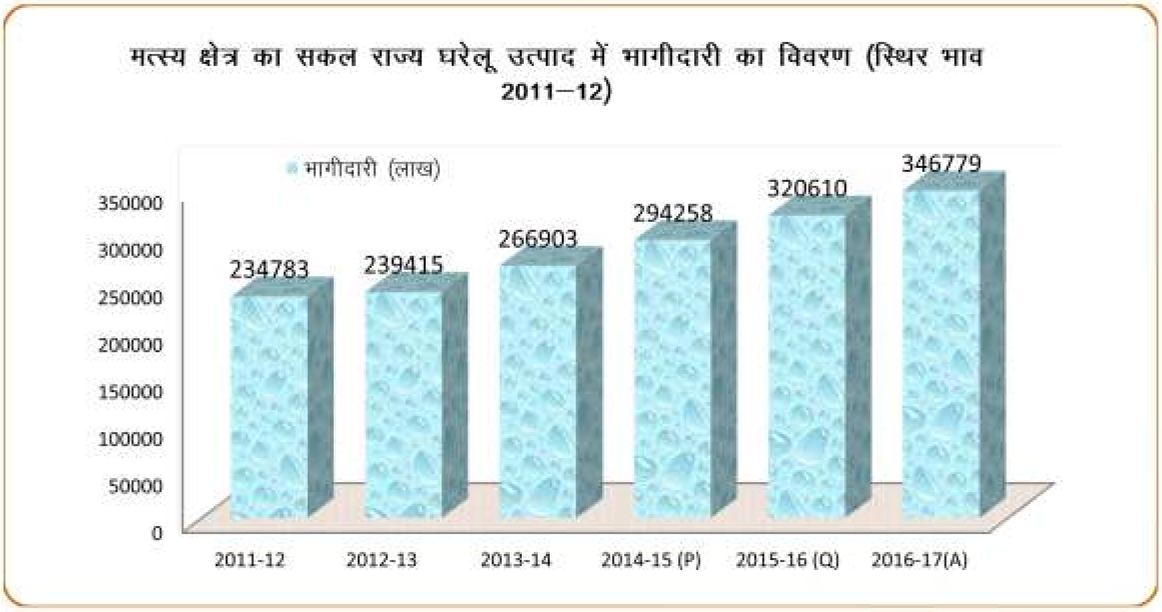

7.27.1. मत्स्य बीज उत्पादन :– वर्ष 2015-16 में समस्त स्त्रोतों से 14917.00 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो वर्ष 2014–15 की तुलना में 10.38 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर 2015 तक 12501.19 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया। वर्ष 2016–17 में इसी अवधि में 15236.00 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया। जो गत वर्ष की तुलना में 21.88 प्रतिशत अधिक है।

7.27.2. मत्स्योत्पादन :– वर्ष 2015-16 में राज्य में समस्त स्त्रोतों से 342299.06 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया, जो कि गत वर्ष की तुलना में 8.95 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2015-16 में माह सितम्बर 2015 तक 176533.00 मीट्रिक टन का मत्स्योत्पादन हुआ था। जबकि आलोच्य वर्ष 2016-17 में माह सितम्बर 2016 तक 183749.89 मीट्रिक टन का मत्स्योत्पादन हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में 4.09 प्रतिशत अधिक है।

7.27.3. मछुआ सहकारिता :– राज्य में वर्ष 2016-17 में माह सितम्बर 16 तक समितियों की संख्या 1326 है। जिनकी सदस्य संख्या 44111 है। वर्ष 2015–16 में सितम्बर 15 तक समितियों की संख्या 1315 तथा सदस्य संख्या 43833 थी। इन समितियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

7.27.4. मछुआरों का शिक्षण प्रशिक्षण :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने एवं जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति रू. 750, जाल बुनने एवं धागा के लिए रू. 400 तथा अन्य व्यय हेतु रू. 100, इस प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल व्यय रू. 1250 का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6000 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2016-17 में सितंबर 16 तक 6500 लक्ष्य के विरूद्ध 1507 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

बॉक्स क्र. 7.1

योजना, बीमा व आवास सुविधा

- मत्स्य पालकों को, दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रू. 1,00,000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 2,00,000 रू. की सहायता दी जाती है। वर्ष 2015-16 में 210000 मछुआरों का बीमा कराया गया इस कार्य में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा।
- राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाब में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन योजनांतर्गत प्रति इकाई रू. 30000/– की आर्थिक सहायता वर्ष 2015–16 में दी जाती है। वर्षान्तर्गत 204 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2015-16 में 211.32 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। वर्ष 2016-17 में माह सितंबर 2016 तक 60.32 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया।

7.27.5. मत्स्य पालन प्रसार :– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु तीन वर्षो में अधिकतम 15000 रू. का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 में 659 इकाईयों स्थापित की गई है जिसमें 6.71 लाख झींगा बीज संचयन कर 25490 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त किया गया है। वर्ष 2016–17 में सितंबर 16 तक 5410 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त किया गया।

7.27.7. मत्स्यकीय क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग :– केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में 24.18 लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के चयनित जिलों – रायपुर, दुर्ग, बालोद, मुंगेली, रायगढ़, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, कांकेर, नारायणपुर एवं

कोण्डागॉव में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी 27 जिलों में सिंचाई जलाशयों के जल क्षेत्र का सर्वेक्षण, मत्स्यपालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण कर केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिलों को संचालनालय के साथ नेटवर्किंग करने हेतु 18 जिलों में कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं।

तालिका क्र 7.14 मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धि

क.	विवरण	इकाई	वर्ष 2015–16 उपलब्धि		वर्ष 2016–17 लक्ष्य	वर्ष 2016–17 उपलब्धि
			अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितंबर	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितंबर
1.	मत्स्य बीज उत्पादन					
	स्पान	लाख में	59445.00	56032.00	59295.00	60499.00
	स्टेण्डर्ड फ्राई	लाख में	14914.25	12501.19	15590.00	13257.94
2.	मत्स्य बीज संचयन	लाख में	10249.38	7463.23	9816.42	7217.68
3.	मत्स्योत्पादन	मे. टन	342299.06	156713.04	375658.31	183749.86
4.	त्रिस्तरीय पंचायतों से आय	लाख में	281.05	275.93	-	181.10
5.	प्रशिक्षण (विभाग 10 दिवसीय)	संख्या	6000	2344	6500	1507
5.	रोजगार सृजन (मानव दिवस)	लाख में	211.32	43.98	110.00	60.32
केन्द्र योजना						
1.	जलक्षेत्र आबंटन	हे.	1872.00	-	985	431.85
2.	मत्स्य बीज संचयन	लाख में	10005.08	-	7510	6400.35
3.	मत्स्योत्पादन	में. टन	341150.18	-	353769.00	175838.28
4.	मत्स्य कृषकों को आर्थिक सहायता					
	अः– ऋण		530.89	92.46	455	58.95
	बः– अनुदान		102.75	8.41	101	7.95
5.	झींगा पालन					
	संचयन	लाख में	6.71	-	77.10	-
	उत्पादन	कि. ग्रा.	25490.00	-	3855.00	5410.00

अनुलग्न – 7.1

भूमि उपयोग

(हेक्टेयर में)

क्र.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	कुल भौगौलिक क्षेत्रफल	13789836	13789836	13789836	13789836
2	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	6352413	6331274	6315530	6314198
3	**कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नही है**				
	अ. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	734443	737574	741102	738934
	ब. ऊसर व गैर–मुस्तकिल भूमि	289748	289487	288458	287990
	उप–योग – 3	1024191	1027061	1029560	1026924
4	**पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि**				
	अ. स्थायी तथा दीगर चरागाह	861064	881678	886890	887323
	ब. विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुये क्षेत्र में शामिल नही हैं।	893	1113	983	2177
	स. कृषि योग्य बंजर भूमि	357856	349080	350739	363555
	उप–योग – 4	1219813	1231871	1238612	1253055
5	**पडती भूमि**				
	अ. पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	265167	253685	258211	263415
	ब. चालू पड़ती भूमि	256783	260222	267183	281269
	उप–योग – 5	521950	513907	525394	544684
6	कुल अकृष्य भूमि पड़ती शामिल कर **उप–योग 4+5**	1741763	1745778	1764006	1797739
7	**शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल**	4671469	4685723	4680740	4650975
8	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	1019386	1011984	1046983	989342
9	सकल बोया गया क्षेत्रफल	5690855	5697707	5727723	5640317

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त,छ.ग.

अनुलग्न –7.2

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2015

क्र.	जिला	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	वन	कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नही है		अन्य अकृषि भूमि पड़ती को छोड़कर			पड़ती		फसल का निरा क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	संपूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल
				अ. ऊसर व गैर–मुस्तकिल भूमि	ब. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	कृषि के योग्य बंजर भूमि	मुतकील व दीगरचारागाह	अन्य झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये गये क्षेत्रफल में शामिल नहीं है	चालू पड़ती	पुरानी पड़ती (2 साल से 5 साल तक			
1	रायपुर	291437	2940	388	46825	22136	34906	94	6547	14551	163050	37945	200995
2	बलौदाबाजार	467697	132904	5701	31097	13729	32850	6	5255	11428	234727	61514	296241
3	गरियाबंद	585494	385377	3655	22682	5340	26637	23	1806	3281	136693	20046	156739
4	महासमुन्द	496301	139491	6217	36931	5789	31217	114	3165	5261	268116	33198	301314
5	धमतरी	408193	206261	1884	30095	1863	20884	0	809	1268	145129	61422	206551
6	दुर्ग	231999	0	4805	35847	11739	19018	111	3984	8175	148320	41401	189721
7	बालोद	352700	97792	4898	32507	10168	20064	62	4077	6302	176830	57349	234179
8	बेमेतरा	285481	0	11	24312	5339	23273	14	2928	4386	225218	131294	356512
9	राजनांदगांव	802252	258700	18326	50925	23396	54370	132	23651	24128	348624	119416	468040
10	कबीरधाम	444705	189451	10000	16779	3993	28769	60	5239	5896	184518	82488	267006
11	बस्तर	392092	83631	19980	26433	40691	26679	0	14257	11353	169068	5642	174710
12	कोंडागांव	605073	410450	16315	10647	18136	8773	2	6144	4253	130353	6425	136778
13	नारायणपुर	692268	638653	1657	3305	7013	3555	0	4005	2583	31497	290	31787
14	कांकेर	643268	278374	18990	30952	13735	63198	0	14273	12090	211656	17648	229304
15	दन्तेवाड़ा	341050	148866	27304	12005	27417	3102	0	11312	11082	99962	1573	101535
16	सुकमा	576702	349061	10889	14269	52910	27909	3	6979	8642	106040	1078	107118
17	बीजापुर	655296	494598	6494	18760	43410	9020	0	10806	8979	63229	49	63278
18	बिलासपुर	581849	218436	9061	30132	16811	47955	55	17649	12081	229669	53886	283555
19	मुंगेली	275036	113038	230	11594	620	17646	15	469	1714	129710	85354	215064
20	जाजगीर	446674	89327	2349	35646	11231	37807	57	5403	7721	257133	33526	290659
21	कोरबा	714544	471577	30643	29059	14276	21952	29	7175	8348	131485	10396	141881
22	सरगुजा	501980	240157	5109	25261	0	46006	0	15566	10134	159747	22815	182562
23	बलरामपुर	601634	294531	1637	28085	0	87070	1400	23317	12534	153060	25675	178735
24	सूरजपुर	499826	236038	1197	28886	0	53773	0	16382	8479	155071	23146	178217
25	कोरिया	597770	398987	12840	23319	0	33504	0	24142	12045	92933	10615	103548
26	रायगढ़	652774	207686	14323	57403	5098	64326	0	18953	29455	255530	31895	287425
27	जशपुर	645741	227872	53087	25178	8715	43060	0	26976	17246	243607	13256	256863
	योग राज्य	**13789836**	**6314198**	**287990**	**738934**	**363555**	**887323**	**2177**	**281269**	**263415**	**4650975**	**989342**	**5640317**

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छ.ग.

अनुलग्नक–7.3

जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	कुल			बोया गया क्षेत्रफल		
		2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
1	कोरिया	115849	118452	103548	103411	105728	92933
2	सरगुजा	182267	182604	182562	159353	159165	159747
3	बलरामपुर	178912	180993	178735	153016	155152	153060
4	सूरजपुर	181599	180406	178217	157830	157306	155071
5	जशपुर	255489	256480	256863	241687	242720	243607
6	रायगढ़	300516	287010	287425	269582	254304	255530
7	कोरबा	141565	141079	141881	131002	130871	131485
8	जांजगीर–चांपा	291616	286321	290659	257503	257330	257133
9	बिलासपुर	291360	291030	283555	232816	233938	229669
10	मुंगेली	208373	209680	215064	127870	127975	129710
11	कबीरधाम (कवर्धा)	254913	267711	267006	185825	186182	184518
12	राजनांदगांव	446628	446960	468040	348472	343732	348624
13	दुर्ग	193315	190437	189721	146977	147146	148320
14	बेमेतरा	354268	353720	356512	225413	225705	225218
15	बालौद	256093	257565	234179	177717	177370	176830
16	रायपुर	219818	225177	200995	165747	164113	163050
17	बलौदा बाजार	283102	291670	296241	233256	234951	234727
18	गरियाबंद	162523	166948	156739	136385	140135	136693
19	महासमुंद	301729	303122	301314	268014	267977	268116
20	धमतरी	224153	233751	206551	143381	146530	145129
21	उत्तर बस्तर (कांकेर)	230916	231040	229304	212406	212530	211656
22	बस्तर	185436	179018	174710	180002	173295	169068
23	कोंडागांव	137763	137923	136778	131786	131573	130353
24	नारायणपुर	33440	33599	31787	32969	33009	31497
25	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	102458	104443	101535	100858	102597	99962
26	सुकमा	97389	104535	107118	96348	103440	106040
27	बीजापुर	66217	66049	63278	66097	65966	63229
	छत्तीसगढ़	**5697707**	**5727723**	**5640317**	**4685723**	**4680740**	**4650975**

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त,छ.ग.

अनुलग्न – 7.4

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	3902.9	3928.8	3837.7	3937.8	3939.9	3982.2	3987.7	4035.7	3959.7
1.2	गेहूँ	95	94.8	109.1	103.7	104.8	102.2	105.0	103.2	105.8
1.3	ज्वार	7.7	5.3	5.6	5.7	5.3	6.2	5.2	5.0	5.4
1.4	मक्का	100.1	99.3	101.7	104.9	107.4	116.8	123.4	125.1	126.4
1.5	कोदो–कुटकी	151.9	145.5	137.1	127.9	121.6	111.1	102.0	91.6	82.8
1.6	जौ	3.4	3.1	3.1	2.3	2.9	2.8	2.7	2.5	1.1
1.7	छोटे अनाज	64.6	54.3	44.3	39.2	37.7	34.5	33.0	30.4	38.1
2.0	**दालें**									
2.1	चना	231.4	243.5	237.5	263.9	250.5	260.2	267.9	289.7	280.9
2.2	तुअर	53.8	50.4	49.2	52.9	54.5	52.9	51.9	52.8	65.1
2.3	उड़द	114.5	114.9	110.8	107.2	107.1	102	98.7	96.9	97
2.4	मूग–मोठ	16.6	16.2	16.2	16.5	16.3	15.4	15.5	15.2	14.9
2.5	कुल्थी	52.8	53	51.6	51.1	50.9	48.7	47.6	45.9	44.3
2.6	लाख (तिवड़ा)	425.4	428.6	387.6	327.5	359.2	347.6	331.8	315.2	273.8
3.0	**गन्ना**	19.2	19.3	16	14.7	15.4	17.5	23	23.9	30.1
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	33.1	31.7	30.5	30.6	29.6	28.7	29.4	29.2	29
4.2	रामतिल	72.8	71.9	70.9	68.1	69.4	66.5	66.2	63.6	64.3
4.3	तिल	21.3	21.2	20	19.6	20.5	19.7	19.7	17.0	19.5
4.4	सोयाबीन	64.5	72.9	81.8	83.7	95.8	103.2	101.5	107.8	114.9
4.5	अलसी	64.6	55.9	47.6	44.8	37	35.3	32.2	31.2	25.1
4.6	राई सरसों	54.5	51.4	52	52.3	50.2	49.2	47	47.5	46.3

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न – 7.5

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे.टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	5635	6021.8	6520.9	9956.6	9451.2	11772.6	10654.1	11966.6	7731.5
1.2	गेहूँ	104.6	97.4	118.92	121.7	135.1	143.2	140.8	153.3	142.33
1.3	ज्वार	7.2	6.3	6.8	8.2	4.1	4.5	3.3	4.2	4.36
1.4	मक्का	157.1	139.9	145.36	190.5	177.8	225.1	254.1	235.1	237.74
1.5	कोदो–कुटकी	39.2	24.9	22.83	26	22.5	23.7	21.0	20.7	12.3
1.6	जौ	4	2.8	2.3	1.2	2.2	1.3	2.4	2.7	0.67
1.7	छोटे अनाज	16.8	9.5	9.3	8.9	10.5	9.7	8.3	8.9	7.87
2.0	**दालें**									
2.1	चना	212.4	190.3	230.18	239.6	260.7	304.9	221.6	311.2	218.8
2.2	तुअर	26.3	28.4	27.61	23.9	23.7	31	29.4	35.1	30.6
2.3	उड़द	35.1	32.4	29.2	30.6	30	31.4	30.0	30.1	28.91
2.4	मूँगमोठ	4.2	4	3.94	4.2	3.9	4.2	4.0	4.2	6.56
2.5	कुल्थी	16.9	16.1	14.13	14.6	14.4	14.3	14.1	14.3	15.09
2.6	लाख (तिवड़ा)	553	211	193.19	223.6	206.8	159.9	174.0	297.9	172.4
3.0	**गन्ना**	27.3	22	35.35	18.4	45.4	37.3	23.8	76.1	46.9
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	40	37.7	45.06	35.9	37.9	40.5	42.3	40.8	37.25
4.2	रामतिल	12.8	12.6	10.9	12	11.4	11.7	11.6	11.3	10.24
4.3	तिल	6.7	6.1	8.64	6.9	7.6	5.7	4.8	8.0	7.6
4.4	सोयाबीन	83.6	79.9	77.83	112.4	84.6	126.1	111.9	50.1	40.12
4.5	अलसी	17.1	13	13	9.8	13.6	13.4	11.9	11.2	9.45
4.6	राई सरसों	20.6	19.7	21.68	20.8	21.8	23.9	27.0	24.6	25.96

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न – 7.6

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	धान	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1999-2000	2006	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	1482	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2103	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	1025	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	2297	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1848	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	2051	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	2138	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	2177	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1797	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1769	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	2529	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	2523	1278	768	654	995	432	753	240	2696
2012-2013	2955	1401	726	1927	1138	597	1242	141	1622
2013-2014	2672	1341	635	2059	765	557	1038	143	996
2014-2015	2965	1486	840	1879	1061	635	487	-	2615
2015-2016	1953	1345	805	1881	779	470	488	326	2440

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

* भू–अभिलेख द्वारा चावल का उत्पादन दिया गया है जिसको धान में (=Rice*3/2) परिवर्तित किया गया है।

अनुलग्न - 7.7
सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	1999-2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000-2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001-2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002-2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003-2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004-2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005-2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006-2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007-2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008-2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009-2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010-2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011-2012	873089	53669	19686	468084	1414528
14	2012-2013	876670	49226	20413	502728	1449037
15	2013-2014	960033	52079	22296	716660	1751068
16	2014-15	903801	42622	20180	501107	1467710
17	2015-16	889345	42923	20607	523040	1475915

स्त्रोतः– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

अनुलग्न –7.8

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षांत 30 जून 2016

क्र	जिला	योग समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्रफल कुल	निरा	फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल का प्रतिशत	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक से अधिक बार सिंचाई की गई हो	संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
1	रायपुर	144833	136057	83%	8776	64%
2	बलौदाबाजार	126675	122869	52%	3806	43%
3	गरियाबंद	60534	46071	33%	14463	36%
4	महासमुन्द	107614	98471	37%	9143	36%
5	धमतरी	141274	121564	83%	19710	60%
6	दुर्ग	110851	89839	61%	21012	58%
7	बालोद	101193	85755	48%	15438	39%
8	बेमेतरा	146190	82679	37%	63511	41%
9	राजनांदगांव	119080	84797	25%	34283	27%
10	कबीरधाम	109204	72509	39%	36695	41%
11	बस्तर	6973	6973	4%	0	4%
12	कोंडागांव	6852	6852	5%	0	5%
13	नारायणपुर	139	139	0%	0	0%
14	कांकेर	31655	31655	15%	0	14%
15	दन्तेवाड़ा	323	323	0%	0	0%
16	सुकमा	1317	878	1%	439	1%
17	बीजापुर	3244	3244	5%	0	5%
18	बिलासपुर	105862	86742	37%	19120	36%
19	मुंगेली	69753	64156	50%	5597	33%
20	जाजगीर	212536	201286	78%	11250	74%
21	कोरबा	8776	8776	7%	0	6%
22	सरगुजा	16905	15747	10%	1158	9%
23	बलरामपुर	13870	12499	8%	1371	8%
24	सूरजपुर	19929	17450	11%	2479	11%
25	कोरिया	7784	6892	7%	892	7%
26	रायगढ़	70304	62520	25%	7784	24%
27	जशपुर	9416	9172	4%	244	4%
	योग राज्य	**1753086**	**1475915**	**32%**	**277171**	**31%**

स्त्रोत:– आयुक्त, भू अभिलेख

08

वानिकी

मुख्य बिन्दु

- छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85 प्रतिशत है।
- राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी. (43.13 प्रतिशत), संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.22 प्रतिशत) व अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. (16.65 प्रतिशत) वन क्षेत्र है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2015–16 त्वरित में 421736 लाख तथा 2016–17 (अनुमानित) 412592 लाख है।
- सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2015–16 में 2.14 प्रतिशत व 2016–17 में 1.95 प्रतिशत है।
- वर्ष 2015–16 में 8.12 लाख पौधे तैयार कर वितरण किया गया, जहाँ वर्ष 2016–17 में 11 लाख पौधे का लक्ष्य रखा है।
- वर्ष 2016–17 में 2500 हे. सकल क्षेत्र में वन विकास मण्डल द्वारा सागौन रोपण कार्य प्रस्तावित है।

वानिकी

8.1 भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.38 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.21 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है। राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी.(43.13 प्रतिशत) संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.21 प्रतिशत) अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. कुल 59772 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है। (स्रोत – राज्य वन विभाग)

8.2 वानिकी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी देखी जा सकती है, यदि इसे पूर्ण ढंग से लठ्ठा, इंधन की लकड़ी का संग्रहण, गैर इमारती लकड़ी एवं वनोत्पाद से ग्रामीण आय तथा जीवन निर्वाह आरंभ करने की दृष्टि से अवलोकित किया जाए। वन कार्बन अवशोषण कर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वन पर्यावरण सेवाओं तथा अन्य उत्पादक क्षेत्रों को लाभान्वित करने का भी स्रोत है (यथा–बहाव कृषि के लिए वाटरशेड संरक्षण, वनाधारित मनोरंजन एवं पर्यटन)। अतः बहुत अधिक वन क्षेत्र न केवल राज्य को, बल्कि पूरे देश को उसके महत्वपूर्ण आच्छादन द्वारा भी लाभ पहुंचाता है।

8.3 पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण परिलक्षित होता है जो तालिका 8.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका 8.1 वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(P)	2015-16 (Q)	2016-17 (A)
भागीदारी (लाख)	426205	449230	428448	427452	421736	412592
वृद्धि (प्रतिशत)		5.40	-4.63	-0.23	-1.34	-2.17
हिस्सा (प्रतिशत)	2.87	2.86	2.49	2.31	2.14	1.95

वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

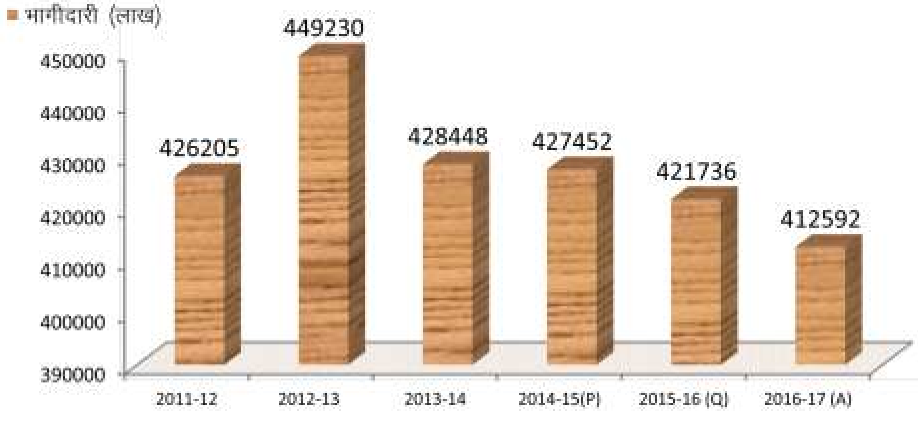

8.4 विभाग की योजनाएं / कार्यक्रमः— राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। राज्य के समस्त वनमंडल के वन क्षेत्रों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है—

- **बिगड़े वनों का सुधार** —

  प्रदेश के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा इन्हे बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु बिगड़े वनों के सुधार का कार्य प्रतिवर्ष लिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जड़ भंडार होता है वहां ठूंठ कटाई का कार्य कराया जाकर कापिस शूटस से नये पौधों का निर्माण किया जाता है। कम जड़ भंडार वाले एवं रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है।

- **पर्यावरण वानिकी** —

  शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने हेतु यह योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधा रोपण, पथ वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा निर्मित किए गए पर्यावरणीय उद्यानों का संधारण भी इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।

- **नदी तट वृक्षारोपण योजना** —

  छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों के तटों पर होने वाले भू—क्षरण की रोकथाम कर पारिस्थितिकीय स्थायित्व प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है।

- **पौधा प्रदाय योजना** —

  जन सामान्य में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर उनकी आर्थिक उन्नति करने तथा वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रसार करने हेतु योजना अंतर्गत रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में एक रूपये प्रति पौधे की दर से तैयारशुदा पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- **बांस वनों का पुनरोद्धार** —

  इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पानबरेजा परिवारों एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं बांस रोपण कराया जाता है। बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिरों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

- **पथ वृक्षारोपण –**

राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों की लम्बाई लगभग 5092 कि.मी. है, जिनमें से कई सड़कों के किनारे वृक्ष नहीं है। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण तथा उनके रखरखाव हेतु यह योजना चलाई जा रही है। योजना के कियान्वयन से प्रदेश में वृक्ष आवरण क्षेत्र बढ़ेगा, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा तथा पथिकों को छाया एवं मनमोहक हरियाली उपलब्ध होगी।

- **वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण –**

वन विभाग के अंतर्गत 13500 किमी. लंबी सड़कें हैं, जो अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचने का एकमात्र साधन है। अंदरुनी वनक्षेत्रों से वनोपज, कृषि उपज, अन्य आवश्यक सामग्रियों का परिवहन एवं परिवहन सेवाओं की निरंतरता वर्षभर बनाये रखने के लिए वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण हेतु यह योजना संचालित है।

तालिका क. 8.2 योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धी (राशि करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक लक्ष्य	व्यय राशि (सितम्बर 16)
1	बिगड़े वनों का सुधार	25923 हे. में तैयारी, एवं सी.बी.ओ. कार्य 12700 हे. में रोपण, 182407 हे. में रखरखाव	143.20	38000 हे. में तैयारी, एवं सी. बी.ओ. कार्य 15000 हे. में रोपण, 160000 हे. में रखरखाव	36.56
2	भू एवं जल संरक्षण कार्य	57622 हे. में उपचार कार्य, 58471 हे. रखरखाव	20.74	50000 हे. में उपचार कार्य, 75000 हे. रखरखाव	2.01
3	नदी तट वृक्षारोपण योजना	102 हे. रोपण, 350 हे. में तैयारी कार्य 2300 हे.पुराने रोपण का रखरखाव	5.61	220 हे. रोपण, 220 हे. में तैयारी कार्य 2500 हे.पुराने रोपण का रखरखाव	0.66
4	पौधा प्रदाय योजना	8.12 लाख पौधों की तैयारी एवं वितरण	0.84	11 लाख पौधों की तैयारी एवं वितरण	0.32
5	बांस वनों का पुनरोद्धार	12126 हे. में तैयारी तथा बांस भिर्रा सफाई, 7000 हे. में रोपण, 48989 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्रा का रखरखाव	35.44	3300 हे. में तैयारी तथा बांस भिर्रा सफाई, 5500 हे. में रोपण, 100000 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्रा का रखरखाव	5.32
6	पथ वृक्षारोपण	44 कि.मी. सड़क किनारे वृक्षारोपण, 256 कि.मी. रखरखाव कार्य	2.91	80 कि.मी. रोपण, 30 कि.मी. तैयारी तथा 300 कि.मी. रखरखाव कार्य	0.57
7	वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	वनमार्गो में 291 रपटा/पुलिया निर्माण	19.26	वनमार्गो में 330 रपटा/पुलिया निर्माण	2.62
	कुल योग :–		238.26		48.06

8.5 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगमः— छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 में रायपुर क्षेत्र की 4 परियोजना मण्डल को लेकर अस्तित्व में आया। वर्तमान में 8 परियोजना मण्डल हैं जिसमें औद्योगिक परियोजना मंडल, बिलासपुर, जगदलपुर शामिल हैं।

वर्ष 2017 में लगभग 2500 हे. सकल क्षेत्र में सागौन रोपण कार्य प्रस्तावित है।

तालिका 8.3 वर्ष 2016 की स्थिति (हे.)	
निगम का वन क्षेत्रफल	197322
रोपित रकबा	121258
सागौन	112279
बांस	6749
मिश्रित	1913
औषधीय	317

8.5.1 खदानी रोपणः— वर्ष 1990 से 2016 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 240.73 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष 2016 में 6.10 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2017 में 7.00 लाख पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

8.5.2 सड़क किनारे वृक्षारोपणः— माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम द्वारा विगत 11 वर्षों के दौरान 998.164 कि.मी. लंबाई में पथ एवं 1522 हेक्टेयर में ब्लाक वृक्षारोपण किया गया है।

सारणी 8.4 सड़क किनारे वृक्षारोपण उपलब्धि

मद	2012	2013	2014	2015	2016
रोपित मार्ग लंबाई (कि.मी.)	102.5	20	97.2 कि.मी. 64 हे.	220 कि.मी., 993 हे.	56.3 कि.मी., 465 हे
रोपित पौधों की संख्या	205000	40000	317512	1401110	561855

8.5.4 वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में निम्नानुसार पौधे वर्ष 2017 वर्षा ऋतु में रोपण हेतु तैयार किए गए है—

सारणी 8.6 वर्षा ऋतु के रोपण का विवरण

परियोजना मण्डल का नाम	गत वर्ष के शेष रूटशूट	वर्षा ऋतु वर्ष 2017 के रोपण के लिए रोपणियों में उपलब्ध पौधे		
		कुल	बांस	कुल
बारनवापारा—रायपुर	1431000	2800000	—	4231000
पानाबरस—राजनांदगांव	124800	1900000	—	2024800
अंतागढ़—भानुप्रतापपुर	250000	1100000	—	1350000
कवर्धा— कबीरधाम	300000	2450000	—	2750000
कोटा—बिलासपुर	—	1100000	—	1100000
सरगुजा—अम्बिकापुर	1506000	1620000	—	3126000
योग	**3611800**	**10970000**	—	**14581800**

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बार्ड

शासन द्वारा राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अंतर्गत राज्य बजट, एन.एम.पी.बी. तथा कैम्पा योजना के अंतर्गत निम्नानुसार विभिन्न कार्य प्रचलित है–

(1) राज्य मद अंतर्गत किए गए कार्य–

वर्ष	प्राप्त बजट (लाख में)	व्यय (लाख में)
2015–16	400.00	497.56
2016–17	400.00	620.53

- छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधीय उद्यान का विकास किया गया जिसमें 250 औषधीय पादप को रोपित किया गया।
- बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न वनमंडलों में दशमूल प्रजातियों का रोपण 150 हे., त्रिफला रोपण 485 हे, मेंहदी रोपण 140 हे. एवं मिश्रित औषधीय वृक्षारोपण 1233 हे. का कार्य कराया गया है।
- वर्ष 2016–17 में राज्य के जशपुर वनमंडल को त्रिफला रोपण 20 हेक्टे. तथा तेजबल रोपण 20 हेक्टे., औषधीय मिश्रित वृक्षारोपण हेतु केशकाल वनमंडल को 114 हेक्टे. बलरामपुर वनमंडल को 33 हेक्टे., कटघोरा वनमंडल को 80 हेक्टे. तथा पश्चिम भानुप्रतापपुर को 100 हेक्टे. क्षेत्रफल में क्षेत्र तैयारी हेतु स्वीकृति दी गई है ।
- वर्ष 2015–16 में वनमंडल कांकेर, केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव तथा महासमुंद में कुल 60.00 लाख राशि विमुक्त कर हर्बल गार्डन की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है एवं वर्ष 2016–17 में वनमंडल सूरजपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर तथा बलरामपुर में हर्बल गार्डन स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है ।
- वर्ष 2016–17 में पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल में वनौषधि प्रदर्शन एवं चेतना केन्द्र स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई ।
- नारायणपुर वनमंडल 05 हे. क्षेत्रफल अंतर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना का कार्य करने हेतु राशि रू. 39.00 लाख विमुक्त की गई है। इसमें 200 प्रजातियों का रोपण किया गया है।

- वर्षा ऋतु 2017 में राज्य के 09 वनमंडलों रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव तथा मरवाही वनमंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई एवं शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं को मिलाकर कुल 9 लाख औषधीय पौधों का राज्य भर में वितरण किया गया एवं रायपुर शहर में 01 लाख औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया ।
- वर्ष 2016–17 हेतु वनमंडल पश्चिम भानुप्रतापपुर, केशकाल, बस्तर, रायपुर, बलौदाबाजार को होम हर्बल गार्डन योजनांतर्गत कुल 08 लाख औषधीय पौधे तैयार करने हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है ।
- गत 05 वर्षों में औषधीय पौधा चलित प्रदर्शनी के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 60 गांवों में औषधीय पौधा संबंधित प्रचार प्रसार गतिविधि का आयोजन किया गया।
- वर्ष 2016–17 में अंतर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे – विश्व वानिकी दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर औषधीय पौधों के महत्व एवं जन–सामान्य में जागरूकता लाने हेतु औषधीय पौधा चलित प्रदर्शनी एवं निःशुल्क औषधीय पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- बोर्ड द्वारा ट्वीटर (28 जून 2014) एवं फेसबुक (1 नवंबर 2015) के जरिये बोर्ड की योजनाओं एवं गतिविधियों के बारे में आम जनों को जानकारी दी जाती है।
- बोर्ड की नवीन वेबसाईट का निर्माण चिप्स के माध्यम से हिन्दी / अंग्रेजी में किया जा रहा है।
- विगत 05 वर्षों में राज्य के अखबारों में लगभग 200 सकारात्मक न्यूज बोर्ड के कियाकलापों / गतिविधि / योजनाओं के बारे में प्रकाशित की गई।
- वर्ष 2016–17 में राज्य के 06 वनमंडलों पूर्व भानुप्रतापपुर, धमतरी, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर तथा सरगुजा में वृत्त स्तरीय वैद्य सम्मेलन का आयोजन कर लगभग 900 वैद्यों के ज्ञान को अभिलेखित किया गया। राज्य में औषधीय पादप के विकास एवं संरक्षण कार्य में परंपरागत वैद्यों द्वारा भूमिका निभाई जा रही है ।
- हर्बल उत्पादों के विकय को प्रोत्साहित करने हेतु रेल्वे स्टेशन, रायपुर एवं माना विमानतल रायपुर की नये टर्मिनल में रिटेल आउटलेट औषधीय उत्पाद सह–प्रचार केन्द्र स्थापित है। इन विकय केन्द्रों में मुख्यतः महिला समूहों द्वारा तैयार किये गये हेल्थ एवं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का विकय किया जाता है।
- वर्ष 2016–17 में रायपुर के विभिन्न शासकीय उद्यानों / संस्थानो एवं अति विशिष्ट लोकजनों के आवासीय परिसरों सहित कुल 65 स्थानों का सर्वेक्षण उपरांत, विद्यमान औषधीय पौधों तथा वृक्ष प्रजातियों की पहचान कर लगभग 800 वृक्षों में नाम पट्टिका लगाई गयी।

(2) राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के अंतर्गत संचालित कार्य–

- NMPB योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ के 07 MPCA वनमंडल क्रमशः धमतरी, दक्षिण कोण्डागांव, बस्तर, मरवाही, खैरागढ़, सूरजपुर तथा जशपुर में 21 वनप्रबंधन समिति (JFMCs) के सहयोग द्वारा वनौषधियों के विनाश विहीन विदोहन, मूल्यवर्धक तथा विपणन कार्य हेतु प्रसंस्करण केन्द्र का राशि रू. 486.50 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया एवं इस हेतु राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा कुल राशि रू. 315.00 लाख मंजूर की गई। प्रस्ताव अंतर्गत प्रावधानित प्रसंस्करण केन्दों में 01 Godown, 01 Drying Shed तथा मशीन सम्मिलित है।
- वर्ष 2016–17 में राशि रू. 327.00 लाख की वार्षिक कार्य आयोजना प्रस्ताव तैयार कर राज्य आयुष मिशन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

(3) कैम्पा योजनांतर्गत नवीन कार्य–

वर्ष	प्राप्त बजट (लाख में)	व्यय (लाख में)
2015–16 तथा 2016–17	160.00	145.00

(2)
- वर्तमान में यू.एन.डी.पी. परियोजना अंतर्गत 7 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है तथा परियोजनांतर्गत कार्यों को निरंतर करने हेतु वनौषधि के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कैम्पा योजना अंतर्गत राशि रू.7.38 करोड़ की पंचवर्षीय योजना स्वीकृत की गई।
- वर्तमान में कैम्पा योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 07 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र हेतु क्रमशः कोरबा, बलरामपुर, धरमजयगढ़, कटघोरा, धमतरी, केशकाल तथा सरगुजा वनमंडल में कुल 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया गया है। योजना अंतर्गत औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2016–17 में औषधीय पौधा विकास क्षेत्र का चयन किया जा रहा है।
- प्रदेश अंतर्गत टी.एफ.आर.आई. जबलपुर द्वारा मई 2016 में 07 चयनित एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों का इकोलाजीकल एवं बॉटनिकल सर्वे का कार्य किया गया है। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट टी.एफ.आर.आई. जबलपुर से प्राप्त हो चुकी है। इसी क्रम में द्वितीय सर्वेक्षण का कार्य माह अगस्त 2016 में बिलासपुर एवं धरमजयगढ़ वनमंडल में किया गया।
- बोर्ड द्वारा वनों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के युवक–युवतियों में औषधीय पौधों को पहचानने उनके वैज्ञानिक नाम जानने, औषधीय पौधों के संरक्षण, महत्व एवं विकास हेतु ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। उक्त प्रशिक्षण में अब तक 84 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। तथा वर्ष 2016–17 में ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ कार्यक्रम का नया सत्र प्रारंभ किया गया एवं माह दिसम्बर 2016 में कुल 27 प्रशिक्षणार्थियों को बैंगलोर में प्रशिक्षित कर प्रमाण–पत्र दिया गया।

- वर्ष 2016–17 में एफ.आर.एल.एच.टी., बैंगलोर (फाउंडेशन फॉर रिवाईटलाईजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन) के तकनीकी सहयोग द्वारा 02 औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र कोरबा तथा बलरामपुर को विनाश विहीन विदोहन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है । जिनमें वन प्रबंधन समितियों एवं ग्रामीण जनों में जागरूकता विकास कर औषधीय पौधों के महत्व एवं विनाश विहीन विदोहन का प्रशिक्षण एफ.आर.एल. एच.टी. बैंगलोर के तकनीकी मार्गदर्शन में कोरबा वनमंडल में माह नवंबर 2016 कराया गया, जिसमें 45 प्रतिभागी सम्मिलित हुए एवं द्वितीय चरण वनमंडल बलरामपुर में जनवरी 2017 को कराया जावेगा।

- औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान के संकलन एवं क्षेत्र के पारंपरिक वैद्यों के सहयोग से औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान का अभिलेखीकरण करने हेतु कैम्पा परियोजना अंतर्गत 07 नये एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में जैव विविधता समिति गठित कर कार्य करने की योजना है।

- औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र में कार्य करने वाले मैदानी कर्मचारी एवं जैव प्रबंधन समिति सदस्य के लोगों के क्षमता विकास हेतु 25 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत् औषधीय पादप संरक्षित क्षेत्रों की उपयोगिता एवं औषधीय पौधों के पहचान तथा संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2016 को बस्तर वनमंडल में आयोजित की गई तथा उसका अंतिम चरण एफ.आर.एल.एच.टी. बैंगलोर में मार्च 2017 किया जावेगा।

- बोर्ड द्वारा परियोजना अंतर्गत एम.पी.सी.ए. से नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों में चलित प्रदर्शनी का आयोजन कर औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया तथा गांवों के स्कूलों एवं ग्राम पंचायतों में औषधीय पौधों के पोस्टर चस्पा किये गये तथा ब्रोशर एवं पुस्तिकाओं का वितरण किया गया तथा जागरूकता हेतु Flex लगाये गये।

- छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों से संबंधित पुस्तिकाओं/ब्रोशर का सतत् प्रकाशन किया जा रहा है, जिनकी कुल संख्या 32 है। नवीन प्रकाशन निम्नांकित रूप से है – होम हर्बल गार्डन ब्रोशर, योग और औषधीय पौधे, औषधीय पौधे एवं स्वस्थ तन एवं मन, राज्य के पारंपरिक वैद्यों की सूची भाग–II, छत्तीसगढ़ के विशेष स्थानों में पाये जाने वाले वृक्ष, वर्ष 2016 में आयोजित वैद्य सम्मेलनों का कार्यवाही विवरण, हर्बल छत्तीसगढ़ एवं पारंपरिक उपचार पद्धतियां, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के प्रजातियों की जानकारियों का चक, छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों की खेती आदि।

8.7 लघु वनोपज सहकारी संघ– लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य, में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को, उचित मूल्य पर क्रय करता है। जिससे वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को जीविकोपार्जन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्राप्त होता है जबकि पूर्व में स्थानीय व्यापारियों के द्वारा एकदम कम मूल्य पर अथवा केवल नमक के बदले वनोपजों की खरीदी की जाती रही है। संघ द्वारा भारत शासन के न्यूनतम समर्थन मूल्य

योजनांतर्गत हर्रा एवं सालबीज का संग्रहण वर्ष 2014–15 से तथा महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली एवं लाख का संग्रहण वर्ष 2015–16 से प्रारंभ हुआ है। साथ ही अन्य प्रमुख एवं गौण वनोपजों का सफलतापूर्वक संग्रहण किया जा रहा है। जिनका विवरण संबंधित तालिका में देखा जा सकता है । (एक मानक बोरा –50 हजार तेंदू पत्तियॉं)

तालिका 8.8 प्रमुख वनोत्पाद

मद	इकाई	2015.16		2016.17 सितं.	
		उत्पादन	संग्रहण मूल्य लाख	उत्पादन	संग्रहण मूल्य लाख
तेंदूपत्ता	लाख मानक बैग	1300874	15610	1361407	20421
साल बीज	क्विंटल	111983	1451	2808	36
संग्रहित हर्रा	क्विंटल	34189	479	57089	799
महुआ बीज	क्विंटल	4879	118	51	1
गौंद	क्विंटल	40	5	0	0
इमली	क्विंटल	35446	899	894	23
अन्य वनोपज	क्विंटल	3071	56	3071	56

09

खनिज

मुख्य बिन्दु

- ❖ वर्ष 2016–17 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में खनिज क्षेत्र का योगदान 20742 करोड़ अनुमानित।
- ❖ भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का योगदान 8.2 प्रतिशत है।
- ❖ छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व, खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।
- ❖ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क जमा– दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा जिलों में है।
- ❖ छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं लाभार्जन किया जाता है।
- ❖ वर्ष 2015–16 में देश में 234171 करोड मूल्य के मुख्य खनिज का दोहन किया गया जो कि छत्तीसगढ़ में 19213 करोड़ (8.2%) था। वर्ष 2016–17 में नवंबर अंत तक यह हिस्सा लगभग 8.5 प्रतिशत होना संभावित।
- ❖ राजस्व आय 2014–15 में 3573 करोड़, 15–16 में 3710 करोड़ तथा 16–17 में नवंबर अंत तक 2443 करोड़ है।

खनिज

9.1 छत्तीसगढ़ की धरती खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वर्ष 2015–16 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा 20.43%, लौह अयस्क 15.77%, चूनापत्थर 9.07%, बॉक्साइट 7.08% तथा टिन 100% रहा। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27 प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2015–16 में 19213.27 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ एवं राज्य प्राप्ति 3710 करोड़ हुई। कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रसंस्करण एवं पुनः अग्र–एकीकृत उद्योग यथाः लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है।

तालिका 9.1 राजस्व आय **(करोड़)**

वर्ष	खनिज राजस्व
2015–16 दिसं. 15 तक	2415.54
2015–16	3709.57
2016–17 नवंबर . 16 तक	2442.86

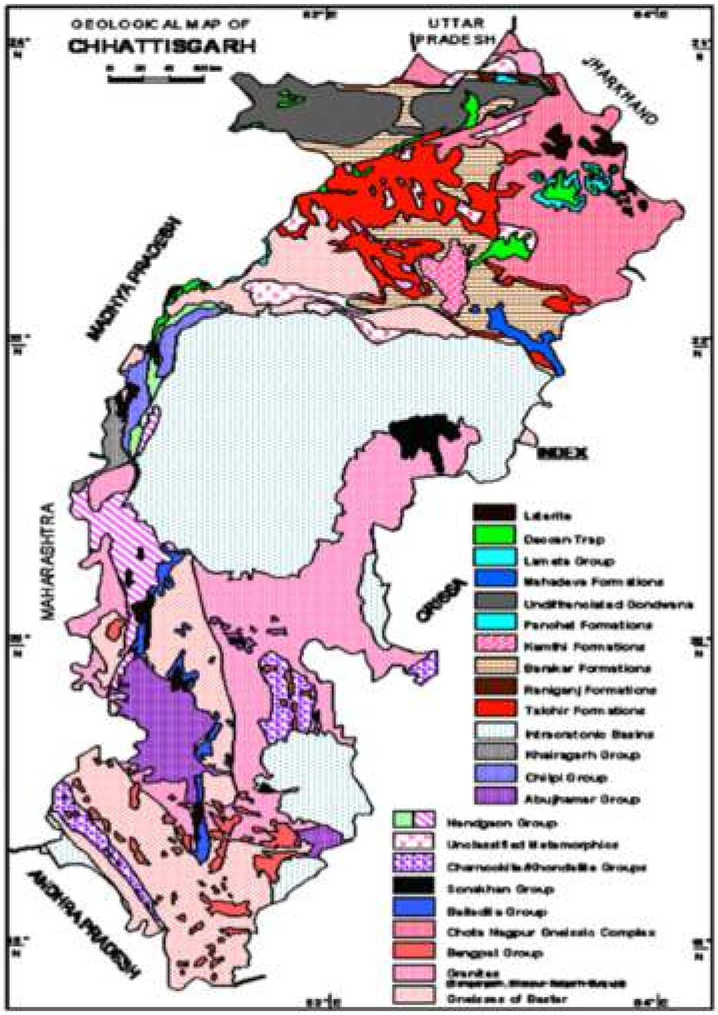

तालिका 9.2 खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)						
सांख्यिकी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	2015–16 (Q)	2016–17 (A)
भागीदारी (लाख)	1970259	1923176	2072375	2113041	2027310	2074193
वृद्धि) (प्रतिशत)		–2.39	7.76	1.96	–4.06	2.31
हिस्सा (प्रतिशत)	13.27	12.37	12.03	11.42	10.30	9.81

9.2 वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला, चूनापत्थर, डोलोमाईट, लौह अयस्क, बाक्साइट एवं टिन अयस्क, हीरा, स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त कोरण्डम, एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टास्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, रबर मोल्डिंग सेंड, ग्रेफाइट, मोल्डिंग सेंड, एम्बीलीगोनाइट आदि है। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शी पत्थर) मार्बल आदि पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

तलिका 9.3– मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2015–16

मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रतिशत	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	130550	1354460	639021	9349440	20.43	14.49
लौह अयस्क (000 टन)	24592	488684	155910	2211582	15.77	22.10
चूना पत्थर (000 टन)	27553	66621	303815	605296	9.07	11.01
बॅक्साइट (000 टन)	1991	11420	28134	140951	7.08	8.10
टिन (कि.ग्रा.)	13541	82	13541	82	100.00	100.00
अन्य मुख्य खनिज		60		1110972		
	योग	1921327		23417143		8.2

स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

तलिका 9.4– मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2016–17 (अक्टूबर 16)

मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रतिशत	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	72863	755956	330847	4789286	22.02	15.78
लौह अयस्क (000 टन)	15174	273670	100280	1189991	15.13	23.00
चूना पत्थर (000 टन)	17406	43345	180541	384814	9.64	11.26
बॅक्साइट (000 टन)	1034	6589	14069	78030	7.35	8.44
टिन (कि.ग्रा.)	7363	47	7363	47	100.00	100.00
अन्य मुख्य खनिज		33		6299549		0.00
योग		1079640		12741717		8.47

स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

9.3 खनिज उत्पादन का मूल्यः– छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य 2012–13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा जो कि 2013–14 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया परंतु वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में यह घटकर 8.2 प्रतिशत हो गया यद्यपि वर्ष 2016–17 में अप्रैल से अक्टूबर अवधि में यह 8.5 प्रतिशत है। वर्षवार तुलना से स्पष्ट होता है कि राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य देश के खनिज उत्पादन मूल्य का 8 प्रतिशत है। जिसका विवरण तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तलिका 9.5 कुल खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ में)

वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का %
2012–13	18401	233321	7.9
2013–14	19566	225660	8.7
2014–15	19416	236554	8.2
2015–16	19213	234171	8.2
2016–17 अक्टूबर	10796	127417	8.5

स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन'* कपया टेबल 9.2 को देखें

9.4 खनिज अन्वेषण कार्यः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1323 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 211 घन मीटर पिटिंग (Pitting) तथा 7538 मीटर ड्रिलिंग (Drilling) की गई। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 8220 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 45704 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई। प्रतिवेदित अवधि में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चूनापत्थर के 2103.94 लाख टन, बाक्साइट के 14.519 लाख टन तथा डोलोमाइट के 2 लाख टन भण्डार विदित हुए।

सारणी 9.6 वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	2015–16		2016–17 (सितं–15)	
			लक्ष्य	उपलब्धियॉ	लक्ष्य	उपलब्धियॉ
1	सर्वेक्षण /मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	1000	1323	1000	67
2	पिटिंग/ट्रेचिंग	घनमीटर	200	211	200	36
3	ड्रिलिंग	मीटर	6000	7538	6000	453
4	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्या	20000	45704	20000	25617

9.5 खनिज उत्पादनः–

9.5.1 मुख्य खनिजों का उत्पादनः– जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह अयस्क एवं डोलोमाईट हैं। राज्य टिन का एक मात्र उत्पादक है। मुख्य खनिज का उत्पादन विगत पांच वर्षों का तालिका 9.6.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 9.6.1 प्रमुख, मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)

मुख्य खनिज	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17 अक्टूबर
कोयला	113958	117830	127095	134800	130500	72863
लौह अयस्क	30457	27963	29250	29388	24592	15174
चूना पत्थर	20465	20172	21217	23588	27553	17406
डोलोमाइट	1625	1970	2638	2438	-	-
बॉक्साईट	2392	1818	1314	1561	1991	1034
टिन (कि.ग्रा.)	48765	47774	34862	24689	13541	7363

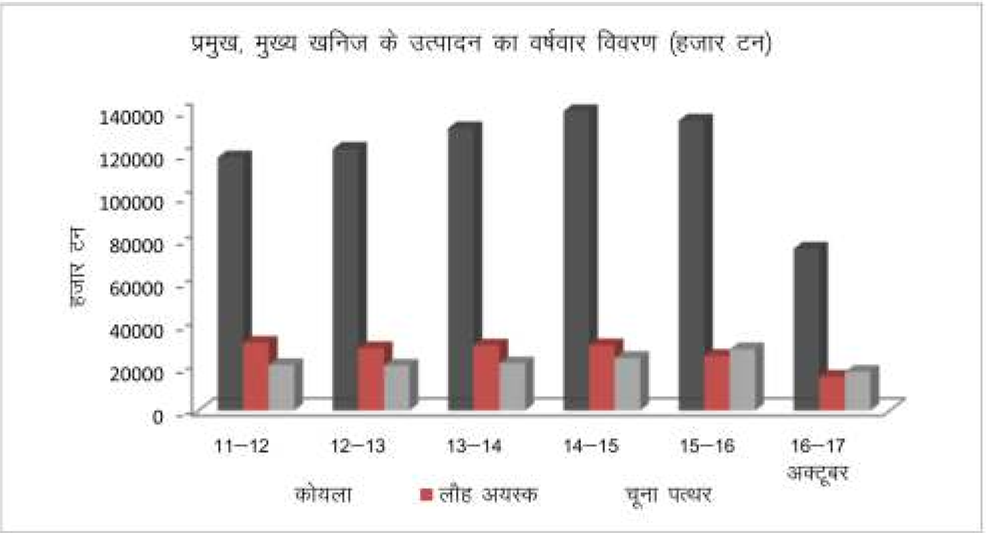

9.5.2 गौण खनिजों का उत्पादनः– वर्ष 2015–16 में राज्य में रू. 75617.02 लाख मूल्य के गौण खनिजों का हुआ जिसका विवरण तालिका 9.6.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 9.6.2 गौण खनिज के उत्पादन का विवरण

खनिज का प्रकार	2014–15 उत्पादन		2015–16 उत्पादन	
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख)
पत्थर	5497536	17866.99	5646990	19764.47
मिट्टी	1150587	1725.88	1165293	2097.53
मुरूम	4180175	6270.26	3544738	6380.53
फर्शीपत्थर	514562	926.21	470559	941.12
ग्रेनाईट (घ.मी.)	146	3.21	292	7.30
चूना पत्थर	11275003	36643.76	13264591	46426.07
डोलोमाईट	2438000	8259.00	3228186	12105.70

9.6 राजस्व आयः छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व, खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2015–16 में 19213 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ।

विगत वर्ष 2015–16 में मुख्य खनिज से 2944.86 करोड़ आय हुई, जहां गौण खनिज से उसी अवधि में 243.07 करोड़ आय हुआ है। विगत् वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 में क्रमशः –12.48 प्रतिशत एवं 25.34 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। तालिका 9.6.2 एवं 9.8 यह दर्शाती हैं कि राज्य की राजस्व आय मूलतः कोयला एवं लौह अयस्क से ही प्राप्त होती है। दिनॉक 01 सितंबर 2014 से लौह अयस्क के रॉयल्टी दर में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी से लौह अयस्क से राजस्व आय में वर्ष 14–15 में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जिसके कारण कुल राजस्व आय में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 9.7 राजस्व आय विगत् पांच वर्षों में (लाख रू.)

वर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
मुख्य खनिज					
कोयला	128216.97	176464.10	188622.59	180819.56	186709.23
चूना पत्थर	12809.30	12883.85	14159.59	17079.73	21742.33
लौह अयस्क	117068.32	104539.62	95857.48	133698.69	82276.92
बॉक्साइट	3279.82	2317.89	2025.53	2549.40	3344.70
सोपस्टोन	0.01	1.13	0.38	0.06	0
मोल्डिंगसेंड	2.99	3.19	1.64	1.95	7.18
व्हाईटक्ले	0.73	0.03	0.23	0.00	0
गेरू / चाईनाक्ले	0	0.02	0	0.22	0
टिनअयस्क	20.31	31.34	22.33	21.79	5.24
ग्रेफाईट	1.55	0	0	0.51	0
वेनेलेडियम	0	0	0	0	400
विविध आय	202.38	308.99	143.33	27.40	0.30
योग	**262847.65**	**297981.25**	**302810.60**	**336481.51**	**294485.90**
वृद्धि		13.36	1.62	11.12	–12.48
गौण खनिज					
चूनापत्थर	5745.24	7209.10	8576.64	9020.00	10611.67
पत्थर	1886.63	2660.09	3517.98	3680.60	3780.66
फर्शीपत्थर	25.68	36.84	202.51	344.50	315.04
मिट्टी	252.69	200.50	208.29	156.48	158.48
मुरूम	356.83	281.98	237.22	476.54	404.10
रेत	0.22	4.53	3.04	18.03	6.03
ग्रेनाईट	4.30	9.48	4.05	2.18	4.38
डोलोमाइट	1221.64	1373.73	1903.16	2226.87	2421.14
क्वर्टज एवं क्वार्टजाइट	20.58	54.96	70.17	51.74	74.99
फायरक्ले	3.05	2.40	4.17	3.53	0.75
विविध आय	2185.64	3656.30	5444.24	5694.66	6530.23
योग	10457.23	14058.82	18193.97	19392.99	24307.47
वृद्धि		34.44	29.41	6.59	25.34
नीलामी से प्राप्त राशि					50177.85
अर्थदण्ड एवं राजसात			841.14	943.46	1063.13
विविध प्राप्तियॉ	420.55	561.83	1696.39	449.85	922.53
कुल राजस्व	**273725.43**	**312601.90**	**323542.10**	**357267.81**	**370956.88**

स्त्रोतः– खनिज विभाग छ.ग. नोट – अर्थदण्ड (0228) एवं विविध प्राप्तियों (0229) को छोड़कर

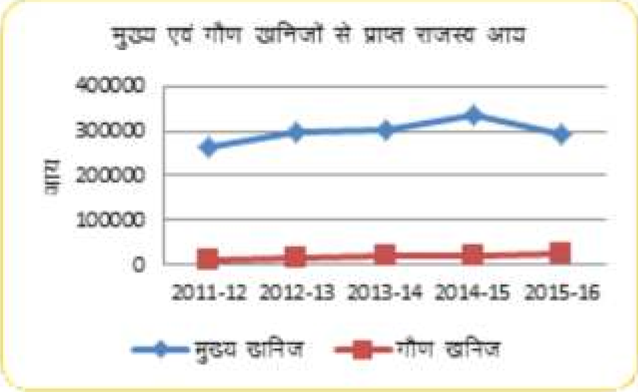

तालिका 9.8 मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर (राशि प्रति टन)

क्र.	मुख्य खनिज	2009-10*	2010-11	2011-12	2012-13**	2013-14	2014-15***
1	कोयला'	100.00	110.00	110.00	130.00	145.00	145.00
2	आयरनओर''	300.00	360.00	360.00	360.00	300.00	450.00
3	बॉक्साखइट''	100.00	120.00	120.00	120.00	130.00	140.00
4	डोलोमाईट''	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	75.00
5	लाईमस्टोन''	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	80.00

स्त्रोत – खनिज विभाग वेबसाईट

औसत रॉयल्टीट मूल्य * W-e-f- 10 May 2012,** W-e-f- 13 August 2009, ***W-e-f- 1 September 2014

तालिका 9.9 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज

स.क्र.	जिला	खनिज
1	रायपुर	चूनापत्थर
2	बलौदाबाजार	चूनापत्थर, डोलोमाइट, स्वर्ण धातु
3	गरियाबंद	गार्नेट, हीरा, अलेक्जेन्ड्राइट (लौह अयस्क एवं मैगनीज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
4	दुर्ग	चूनापत्थर
5	बालोद	लौह अयस्क
6	बेमेतरा	चूनापत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट (रेड ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
7	राजनांदगांव	चूनापत्थर, लौह अयस्क, फ्लोराइट, क्ले, क्वार्टज / सिलिका सेन्ड (स्वर्ण एवं सीसा सूक्ष्मं मात्रा में उपलब्ध)
8	कबीरधाम	बाक्साइट, चूनापत्थर, लौह अयस्क, सोपस्टोन (ओकर सूक्ष्मा मात्रा में उपलब्ध)
9	धमतरी	क्ले एवं अगेट सूक्ष्मू मात्रा में उपलब्ध
10	महासमुन्द	स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, चूनापत्थर (सीसा एवं फ्लोराइट सूक्ष्म् मात्रा में उपलब्ध)
11	जगदलपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, क्वार्टजाइट
12	नारायणपुर	लौह अयस्क
13	कांकेर	लौह अयस्क, बाक्साइट (स्वर्ण एवं क्वार्टज सूक्ष्मा मात्रा मेंउपलब्ध)
14	कोण्डागांव	बाक्साइट

स.क्र.	जिला	खनिज
15	दंतेवाड़ा	लौह अयस्क, टिन अयस्क (लेपिडोलाइट, गेलेना एवं क्वार्टज सूक्ष्म) मात्रा में उपलब्ध)
16	बीजापुर	कोरण्डम, बाक्साइट (गार्नेट एवं ताम्र अयस्क सूक्ष्मे मात्रा में उपलब्ध)
17	सुकमा	क्वार्टज, लाइमस्टोन, टिन, कोरण्डम (गेलेना सिलिमेनाइट, बैरिल आदि सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
18	बिलासपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
19	मुंगेली	चूनापत्थर, क्वार्टजाइट
20	जांजगीर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
21	कोरबा	बाक्साइट, कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
22	सरगुजा	बाक्साइट (लेड, माइका एवं चूनापत्थर सूक्ष्म् मात्रा मेंउपलब्ध)
23	सूरजपुर	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्मू मात्रा में उपलब्ध)
24	बलरामपुर	कोयला, बाक्साइट (ग्रेफाइट एवं एसबेस्टस सूक्ष्मम मात्रा में उपलब्ध)
25	कोरिया	कोयला
26	रायगढ़	कोयला, डोलोमाइट, चूनापत्थर एवं क्वार्टजाइट
27	जशपुर	स्वर्ण धातु, बाक्साइट (बेरिल एवं गार्नेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)

तालिका क्र 9.10 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज भण्डार (01.04.2013 की स्थिति में)

(Figures are round up)

क्र.	खनिज का नाम	इकाई	देश में कुल भण्डार	छत्तीसगढ़ में कुल भंडार	देश में छ.ग. का प्रतिशत
1	कोयला*	मिलियन टन	306596	54912	17.91
2	लौह अयस्क (हेमेटाइट)	मिलियन टन	20575	4031	19.59
3	चूनापत्थर (सभी श्रेणी)	मिलियन टन	184935	8959	4.84
4	डोलोमाइट	मिलियन टन	8085	919	11.37
5	बाक्साइट	मिलियन टन	3739	168	4.49
6	टिन अयस्क	मिलियन टन	83.72	30	35.83
	टिन धातु	टन	102275	15487	15.14
7	क्वार्टजाइट	मिलियन टन	1251	27	2.16
8	क्वार्टज एण्ड सिलिका सेंड	मिलियन टन	3499	9	0.26
9	फ्लोराइट	मिलियन टन	18	0.55	3.06
10	हीरा	लाख कैरेट	319	13	4.07
11	फायर क्ले	मिलियन टन	714	21	2.94
12	क्वोलिन (चायना क्ले)	मिलियन टन	2705	15	0.55
13	कोरण्डम	टन	267816	885	0.33
14	स्वर्ण ओर (प्रायमरी)	मिलियन टन	494	5	1.01
	स्वर्ण धातु (प्रायमरी)	टन	640	5.51	0.83
15	गारनेट	मिलियन टन	57	0.03	0.05
16	टाल्क/स्टीयटाइट	मिलियन टन	269	0.11	0.04
17	ग्रेनाइट	लाख घन मीटर	46230	50	0.11
18	मार्बल	मिलियन टन	1931	83	4.30

स्त्रोत :– इंडियन मिनरल इयर बुक 2012, प्रकाशित मई 2014 के अनुसार
*01.04.2015 की स्थिति में (G.S.I.) Inventory of Coal resources
दिनांक – (29.11.2016 को update)

9.8 नवाचार –

9.8.1 देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां मुख्य खनिज की तरह गौण खनिज को ई–नीलामी/निविदा अपनाया गया है। आज की तारीख में गौण खनिजों के विभिन्न प्रकारों जैसे– डोलोमाइट, कम ग्रेड चूना पत्थर, साधारण पत्थर, और ईंट मिट्टी आदि के लिए कुल 42 एनआईटी जारी किए गए हैं। इसमें 34 निविदा को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। जिससे आरक्षित मूल्य अर्थात् राजस्व का 20 प्रतिशत का 35 गुना अधिक बोली (Bid) प्राप्त हुई। इस निविदा से राज्य को देय राजस्व इत्यादि के अतिरिक्त 285 करोड़ नीलामी मूल्य प्राप्त होने की संभावना है।

9.8.2 खनिज ऑनलाईन–

खनिज विभाग द्वारा खदानों एवं अयस्कों की वेब आधारित समेकित प्रबंधन प्रणाली को शीघ्र ही प्रारंभ किया जा रहा है। इस परियोजना का नाम खनिज ऑनलाईन है। इसके माध्यम से हितग्राहियों को आवेदन के द्वारा अन्य सुविधाओं के साथ ही रिटर्नस/आवेदन भुगतान एवं बार कोडेड इ–ट्रांजेट पास की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार विभाग के क्षेत्र कर्मचारियों को बार कोडेड स्कैनर, मोबाईल, जी.पी.एस. आदि उपलब्ध कराया जाएगा। यह राज्य के समृद्ध खनिज स्त्रोंतो के सतत विकास के लिए ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' की ओर महत्वपूर्ण कदम होगा।

9.9 छत्तीसगढ जिला खनिज संस्थान न्यास

भारत सरकार, खान मंत्रालय व्दारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), 15(4) एवं 15क के तहत् राज्य सरकार व्दारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 अधिसूचित किया गया है। **राज्य सरकार व्दारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 27 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है।**

खनन संक्रियाओ से प्रभावित व्यक्तियो एवं क्षेत्र के विकास के लिये छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 लागू किया गया है, जो दिनांक 12 जनवरी 2015 से प्रभावशील मान्य किया गया है। न्यास के कार्यो के लिए वित्तीय व्यवस्था मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के खनिपट्टों, पूर्वेक्षण सह खनिपट्टों से प्राप्त रायल्टी का 10 से 30 प्रतिशत राशि डीएमएफ के रूप में प्राप्त की जा रही है। **जनवरी 2017 तक जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) में 1042 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।**

न्यास के कार्यो को नियमन करने के लिए प्रत्येक जिले में व्यवस्थापक व्दारा न्यासियों की नियुक्ति की गई है । न्यास में शासी परिषद् एवं प्रबंधकारिणी समितियां कार्यरत है। शासी परिषद् में कलेक्टर पदेन अध्यक्ष, तीन जनप्रतिनिधि को व्यवस्थापक व्दारा नामांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त तीन खनिज रियायतधारी एवं दो सरपंच का नामांकन कलेक्टर व्दारा किया गया है ।

न्यास के कार्यो के प्रबंधन, दैनंदिनी आधार पर प्रबंधकारिणी समिति व्दारा की जा रही है। प्रबंधकारिणी के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर एवं पदेन सचिव मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत है। इस समिति में उपरोक्त के अतिरिक्त 15 अन्य विभाग के जिलास्तर के अधिकारी पदेन सदस्य के रूप में नामित है।

यह समिति प्रभावी क्षेत्रों के ग्राम सभाओं के प्रस्ताव एवं परियोजना प्राप्त कर सकेगी एवं वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 60 दिवस के पूर्व वार्षिक योजना तैयार कर शासी परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है।

समस्त जिलों के न्यासयों के समग्र प्रबंधन के लिए नीति व्यापक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्त निधि का कम से कम 60 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में उपयोजित की जायेगी। जैसा कि, प्रभावित व्यक्तियों एवं ग्रामों के पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्यण, बच्चों, वृद्ध और निःशक्तजन के काल्यण, कौशल विकास एवं रोजगार की आवश्यकता एवं उत्थान हेतु किया जायेगा। इसके अतिरिक्त न्यास निधि के शेष 40 प्रतिशत राशि भौतिकी संरचना, सिंचाई, ऊर्जा और जल विभाजक विकास एवं राज्य सरकार व्दारा समय–समय पर निदेर्शित अधोसंरचनाकार एवं चिकित्सक नर्सो एवं शिक्षिकों की आवश्यकता की पूर्ति भी इस मद से की जा सकेगी ।

डी.एम.एफ. अंतर्गत आदर्श ग्रामों का विकास

- ❖ आज राज्य में डीएमएफ अंतर्गत कुल राशि रूपये 2370 करोड़ की कार्ययोजना अगले 3 वर्षों के लिए स्वीकृत की जा चुकी है, जहां हर गांव में आदर्श स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत संसाधन केन्द्र, आदर्श उचित मूल्य दूकान, मॉडल आंगनवाड़ी भवन, लोक सेवा केन्द्र, पशुपालन विकास केन्द्र, कृषि उपज भण्डारण हेतु सोलर कोल्ड स्टोरेज, जल आवर्धन योजनाएं, आदर्श आवासीय आश्रम, वाटर एटीएम जैसी सुविधायें स्थापित होंगी।
- ❖ उप स्वास्थ्य केन्द्रों में टेली–मेडिसिन की सुविधा होगी।
- ❖ 'उज्ज्वला योजना' के अन्तर्गत 100 प्रतिशत गैस कनेक्शन, शत–प्रतिशत आर्थिक समावेश, सड़क किनारे प्लांटेशन, घरों में पाइप लाइन से पेयजल प्रदाय, ग्राम पंचायत भवन में वाई–फाई, सोलर स्ट्रीट लाइट, सड़कें, ओडीएफ गांव आदि तमाम ऐसी सुविधाएं होंगी, जो बुनियादी सुविधाओं के साथ जीवन–स्तर उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। डीएमएफ योजना अंतर्गत मुख्य रूप से योजना अनुसार प्रयोजन भी रहेगा :–

1. छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिजों की खदान के क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के मेडिकल, इंजीनियरींग, लॉ, मेनेजमेन्ट आदि उच्च शिक्षण संस्थाओ, नेशनल इंस्टीट्यूट तथा आईटीआई और पॉलीटेक्निक तक पढ़ने वाले बच्चों का पूरा ट्युशन फीस राज्य सरकार देगी ।
2. मुख्य खनिजों के खदान क्षेत्रों के ग्रामों में महिलाओं को उज्जवला योजना के अंतर्गत शत्–प्रतिशत रसोई गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा तथा पहला भरा सिलेण्डर निःशुल्क देंगे।
3. मुख्य खनिजों के खदान क्षेत्रों के ग्रामों में शत्–प्रतिशत विद्युतीकरण करेंगे।

इस तरह शिक्षा, रसोई गैस तथा बिजली की सौगात हम मुख्य खनिजों के खदान क्षेत्रों की के ग्रामों में देकर उनका जीवन स्तर उंचा उठायेंगे।

इस प्रकार जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के प्रभावशील होने के कारण खदानों के आप–पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों का विकास सुनिश्चित् किया जा सकेगा।

9.7 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड :– सी.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत निवेश राज्य सरकार का है। सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना है।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं :–

1. **कोल परियोजना**:– वर्ष 2016 में भारत सरकार, कोयल मंत्रालय, नई दिल्ली व्दार सीएमडीसी एवं एम.पी. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन की संयुक्त उपक्रम की कंपनी "केरवा कोल लिमिटेड" (के.सी.एल.) को केरवा कोल ब्लॉक आवंटित किया गया। केरवा कोल ब्लॉक के विकास एवं दोहन हेतु वर्तमान में संयुक्त उपक्रम कंपनी के.सी.एल. के माध्यम से पूर्वेक्षण करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है।

2. **लौह अयस्क परियोजना** :– सीएमडीसी की मुख्यतः 04 लौह अयस्क परियोजनाएं क्रमशः बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक– 4 एवं 13, आरीडोंगरी लौह अयस्क तथा कबीरधाम लौह अयस्क है, जिसमें से बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक– 4 एवं 13 के विकास एवं दोहन हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी (एन.एम.डी.सी. – सी.एम. डी.सी.एल.) के गठन उपरान्त खनि रियायत स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति पर है। इस अनुक्रम बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक – 4 एवं 13 की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा वन स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। आरीडोंगरी लौह अयस्क के विकास एवं दोहन हेतु पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, कबीरधाम लौह अयस्क परियोजना हेतु सीएमडीसी को स्वीकृति पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का विस्तृत अन्वेषण पूर्ण होने के उपरान्त खनिपट्टा आवेदन अग्रेषण की कार्यवाही प्रचलन में है।

3. **खनिज बाक्साइट परियोजना** :– सीएमडीसी को कुल 20 बाक्साइट खनिज के खनिपट्टा एवं 02 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत है तथा 01 खनिपट्टा का सैद्धांतिक एवं 04 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है।

4. **खनिज कोरण्डम** :– कोरण्डम खनिज के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 तक कुल 03 खनिपट्टा स्वीकृत है। कोरण्डम खनिज के लिए स्वीकृत 01 खनिपट्टे पर मार्च 2017 तक कार्य प्रारंभ होने की संभावना है।

5. **खनिज केसेटराईट (टिन अयस्क)** :– केसेटराईट खनिज के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 तक कुल 14 खनिपट्टा एवं 08 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत है, जिसमें से संयुक्त प्रक्षेत्र कंपनी मेसर्स प्रेशियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को 08 खनिपट्टा हस्तांतरित किया गया है। सीएमडीसी व्दारा 12 खनिपट्टा एवं 16 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत हेतु आवेदित हैं।

10

उद्योग

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2016–17 में विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) योगदान 4777067 लाख अनुमानित है।
- औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन/स्टार्टअप योजनाएं लागू की गई हैं।
- राज्य में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो रहा है क्योंकि 1500 से अधिक राईस मिलें, 200 से अधिक दाल मिलें, 200 से अधिक पोहा मिलें तथा 20 अधिक खाद्यान्न तेल मिलें हैं।
- राज्य में दो रेल्वे कॉरिडोर ईस्ट एवं वेस्ट की स्थापना प्रस्तावित है जो पूर्ण होने पर राज्य के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिणाम आयेंगे।
- राज्य पूनर्गठन के बाद कोर सेक्टर के विकास पर जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप कोर सेक्टर के उत्पाद में काफी वृद्धि हुई है।
- एक स्थान पर एक जैसे उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। जैसेः– मैटल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, मेगा फूड पार्क,
- इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग पार्क –नया रायपुर में 28 हेक्टेयर भूमि पर इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 92. 06 करोड़ है, जिसे 3 वर्षों मे पूर्ण किया जाना है।
- राज्य में लगभग 15997 करघों पर लगभग 47991 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगाररत् हैं।
- टसर धागाकरण योजनांतर्गत 183 महिला स्व–सहायता धागाकरण समूह कार्यरत हैं।
- वर्ष 2015–16 में टसर, कुकून उत्पादन में लगभग 35 हजार हितग्राही लाभान्वित हुए थे जो वर्ष 16–17 में लगभग 37 हजार हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 15–16 में पालित टसर् 769 लाख नग उत्पादन था जो कि 16–17 में 1050 लाख नग होना संभावित।
- मलबरी कुकून उत्पादन वर्ष 15–16 में 68918 कि.ग्रा. हुआ।
- वर्ष 15–16 में रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से 67171 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 16–17 में 77382 हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया।

वानिकी

10.1 देश के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। उद्योग विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करते हैं। छ.ग राज्य मे स्थाई एवं सुशासन होने के अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत, अपार खनिज संपदा, शांत श्रम माहौल तथा आधारभूत औद्योगिक ढांचें की उपलब्धता होने के कारण यह निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन रहा है। छ.ग. जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि श्रमिकों की आधिक्यता को अवशोषित करके प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास से इन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2012–13 से लगातार धनात्मक वृद्धि रही है। किन्तु इस राज्य में जहां संगठित औद्योगिक क्षेत्र के लोहा, स्टील एवं सीमेंट उत्पादन का अधिकतम योगदान रहता है वहाँ वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में लोहा एवं स्टील, सीमेंट उत्पादन में कमी के कारण वृद्धि मेंथोड़ी कमी आई है। यह औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक से भी स्पष्ट होता है। (विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा, वृद्धि एवं भागीदारी तालिका 10.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.1 विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15(P)	2015-16 (Q)	2016-17 (A)
योगदान (लाख)	2435032	2660179	3488922	4065674	4443783	4777067
वृद्धि (प्रतिशत)		9.25	34.91	13.28	9.30	7.50
हिस्सा (प्रतिशत)	16.41	17.10	20.84	21.97	22.58	22.60

विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

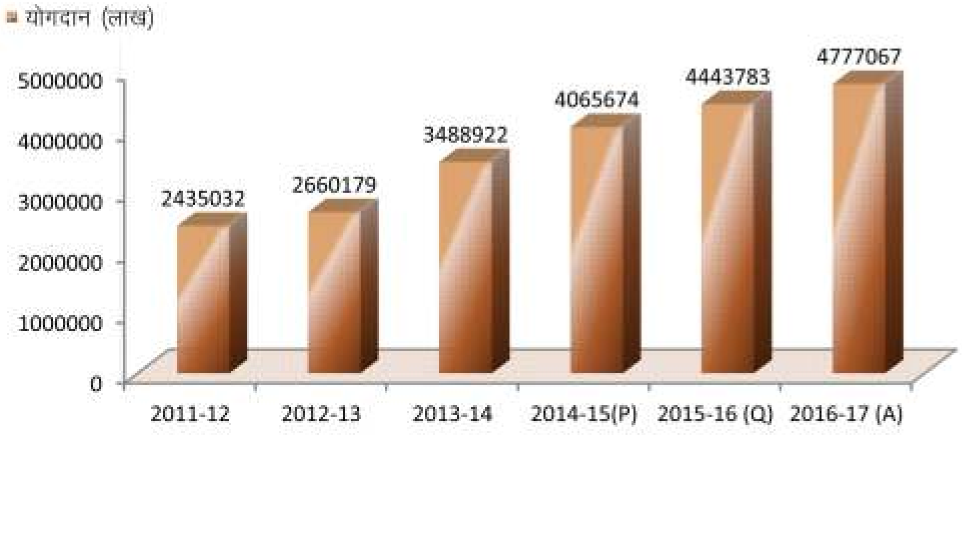

उद्योग विभाग का कार्य प्रदेश के चहुमुखी विकास में औद्योगिकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए, औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है, ताकि राज्य में पूंजी निवेश अधिकाधिक हो, रोजगार के अवसर बढ़े, राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त हो व राज्य औद्योगिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो।

10.2 औद्योगिक नीति 2014–19 – राष्ट्र में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक परिवेश में बड़े पैमाने में परिवर्तन हो रहे हैं। राज्य में सुनियोजित विकास के लिये वर्तमान में ''औद्योगिक नीति 2014–19'' अपनायी गई है।

10.2.1 औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने की योजना का विवरण तालिका 10.2 में दर्शित है।

तालिका क. 10.2 औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की योजनाऍ

क्र.	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट व रियायतों का विवरण
1	ब्याज अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिषत से 70 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा रू. 10 लाख वार्षिक से 100 लाख वार्षिक, अवधि 5 वर्ष से 8 वर्ष तक।
2	स्थायी पूंजी निवेष अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिषत से 50 प्रतिषत अधिकतम सीमा रू. 30 लाख से रू. 500 लाख तक
3	विद्युत शुल्क छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक
4	स्टाम्प शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	1. भूमि, भवन / शेड के क्रय / लीज पर पूर्ण छूट 2. ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर 3. औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि के एवज में भू–स्वामी परिवारों द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि पर 4. भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा स्वीकृत औद्योगिक पार्कों / औद्योगिक क्षेत्रों पर 5. बंद / बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर 6. फिल्म उद्योगों 7. लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेन साइलो।
5	औ0 क्षेत्रों में भू–आबंटन (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक भू–प्रब्याजि में छूट।
6	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग)	स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिषत अधिकतम सीमा रू . 1 लाख से रू. 2 लाख
7	भू व्यपवर्तन शुल्क में छूट (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग)	अधिकतम 5 एकड़ भूमि तक, भू–पुनर्निधारण कर में 100 प्रतिशत छूट।

क्र.	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट व रियायतों का विवरण
8	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु।
9	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख
10	प्रौद्योगिकी कय अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख
11	मार्जिन मनी अनुदान (सूक्ष्म,एवं लघु उद्योग)	परियोजना का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35 लाख
12	औद्योगिक पुरस्कार योजना	**1. राज्य स्तर पर** – प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार कमशः रू . 1 लाख, 0.51 लाख एवं 0.31 लाख एवं प्रशस्ति पत्र, (4 श्रेणियों में– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन, अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यात क सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग) **2. जिला स्तर पर** – सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार रू. 25,000 / – एवं प्रशस्ति पत्र।
13	प्रवेश कर भुगतान से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	05 वर्ष से 07 वर्ष की अवधि हेतु।
14	विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी नौकरी प्रदान करने पर शुद्ध वेतन / पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
15	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान	कार्बन केडिट की प्राप्ति एवं कार्बन फुटप्रिंट की कमी से संबंधित प्रत्येक तकनीकी पर मशीनरी लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 14 लाख।

टीप :–

- महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अप्रवासी भारतीय / शत प्रतिशत एफडीआई निवेशकों, निर्यातकों एवं विदेशी तकनीक वाले उद्योगों को 5 प्रतिशत अधिक अनुदान, छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार वर्ग को एक वर्ष की अधिक छूट।

- औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में विकासशील क्षेत्रों विकास खण्डों की अपेक्षा अधिक अनुदान छूट एवं रियायतें ।

- प्राथमिक श्रेणी के उद्योगों को सामान्य श्रेणी के उद्योगों से अधिक अनुदान।

- लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज को भी सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान, छूट एवं रियायते।

- औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक पार्कों में उद्योग स्थापना पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक छूट।

10.2.2–औद्योगिक नीति 2014–19 में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग हेतु विशेष पैकेज :–

- औद्योगिक क्षेत्रों में भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू–भाटक की सांकेतिक दर रू. 1 प्रति एकड़ पर भूमि का आबंटन ।

- औद्योगिक दृष्टि से, विकासशील क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का आरक्षण।

- रू. 5 करोड़ तक के पूंजीगत लागत तक के उद्योगों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान– अधिकतम सीमा रू. 40 लाख ।

- अनुदान के प्रकरणों में सामान्य वर्ग की अपेक्षा 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक अधिक अनुदान तथा छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में 5 वर्ष तक अधिक छूट ।

10.2.3 –औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत स्टार्ट–अप छत्तीसगढ़ पैकेज की योजनाऍं–

- (भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में उद्योग व सेवा संबंधी इकाईयों में वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र धारकों को।)

- ब्याज अनुदान – सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये वार्षिक।

- स्थायी पूंजी निवेश अनुदान–

तालिका क्र. 10.3 स्थायी पूँजी निवेश अनुदान

क्र.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		प्रतिशत	अधिकतम राशि (लाख में)
1	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	35	60
2	मध्यम उद्योग	35	70
3	वृहद उद्योग	35	110
4	मेगा उद्योग	40	350

- विद्युत शुल्क छूट– शतप्रतिशत छूट।
- भूमि के क्रय / लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।
- लिये गये ऋण पर भी तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।
- (अ) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,
- (ब) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.25 लाख।
- (स) तकनीकी पेटेंट अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख ।
- (द) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख ।
- औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर भू–प्रब्याजी में 60 प्रतिशत छूट।
- प्रारंभिक वर्षों में श्रम कानूनों में स्व–प्रमाणन व्यवस्था।
- प्रथम 36 स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक राज्य शासन को भुगतान किए गये समस्त करों (रिफण्ड को छोड़कर) की शत–प्रतिशत् प्रतिपूर्ति।
- किराया अनुदान– किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, भुगतान किए गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रू. 8000 / – की प्रतिपूर्ति 03 वर्षों तक।

10.3–कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 की योजनाएँ

- मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति – स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयावधि 10 वर्ष
- प्रवेश कर भुगतान से छूट– 7 वर्ष की अवधि हेतु।
- विद्युत शुल्क में छूट – 10 वर्ष तक छूट
- मण्डी शुल्क छूट – 5 वर्ष तक छूट, स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के समतुल्य तक सीमित।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यथा समय राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें।

10.3.1–कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाएँ–

- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण– संयंत्र एवं मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्यो की लागत का 25प्रतिशत50.00 लाख।
- कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास (उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्र में)–
- (अ) परियोजना लागत का 35 प्रतिशत–500.00 लाख,
- (ब) बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर 6 प्रतिशतकी दर से आया वास्तविक ब्याज, 5 वर्ष की अवधि हेतु–200.00 लाख
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना– परियोजना लागत का 50 प्रतिशत–250.00 लाख।
- रीफर वाहन योजना– कूलिंग की लागत का 50 प्रतिशत–50.00 लाख।

10.4 ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012–17 की योजनाएँ–

- मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति – मूल एवं सहायक इकाई को स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयावधि 18 वर्ष
- केन्द्रीय विक्रयकर में छूट– तत्समय प्रचलित दर का 50 प्रतिशत, 18 वर्षों की अवधि तक।
- प्रवेश कर भुगतान से छूट– 8 वर्ष की अवधि हेतु।
- विद्युत शुल्क में छूट – 10 वर्ष तक छूट
- पंजीयन शुल्क पर छूट– भूमि,भवन शेड प्रकोष्ठ पर 100 प्रतिशत छूट
- उपरोक्त के अतिरिक्त यथा समय राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें।

10.5– सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉउंसिल :–

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल गठित है। काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं।

10.6 छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम :–

राज्य के लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु, राज्य के शासकीय विभागों, निगमों, बोर्डो व स्थानीय निकायों में लगने वाली सामग्री की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो0 द्वारा पंजीयन एवं दर अनुबंध दिया जाता है ।

10.7 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :–

1. युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम 1.50 लाख रू.) व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

ऋण की सीमा–

विनिर्माण उद्यम	–	परियोजना लागत अधिकतम रू. 25.00 लाख
सेवा उद्योग	–	परियोजना लागत अधिकतम रू. 10.00 लाख
व्यवसाय	–	परियोजना लागत अधिकतम रू. 02.00 लाख

10.8 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

तालिका क. 10.4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	
उद्देश्य	देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
परियोजना लागत	विनिर्माण – अधिकतम रू. 25.00 लाख सेवा एवं व्यवसाय – अधिकतम रू. 10.00 लाख
लाभार्थी का अंशदान	सामान्य वर्ग – 10 % अजा / अजजा / अपिवर्ग व अन्य – 5 %
अनुदान की दर	सामान्य वर्ग – शहरी 15 %, ग्रामीण 25 % अजा / अजजा / अपिवर्ग व अन्य– शहरी 25 %, ग्रामीण 35 %
पात्रता	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह / सोसायटी भी पात्र

10.9 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–

(सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंको के माध्यम से ऋण वितरण)

1. "शिशु" – रू. 50,000 तक
2. "किशोर" – रू. 50,000 से अधिक एवं रू. 5 लाख तक,
3. "तरूण" – रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 10 लाख तक।

10.10 ''स्टैण्ड अप इंडिया'' योजना –

(अ) पात्रता – (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) महिला उद्यमी

(ब) लक्ष्य – प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी।

(स) ऋण सीमा – रू. 10 लाख से 1 करोड़ रू.।

10.11–छत्तीसगढ़ के बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016–

(बंद/बीमार घोषित उद्योगों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास पर बंद/बीमार उद्योग के क्रेता उद्योग/बीमार उद्योग के पुनर्वासित बीमार उद्योग को दी जाने वाली सुविधायें यथा स्थिति लागू।)

- स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क से छूट
- औद्योगिक क्षेत्रों/लैण्ड बैंक में भू–हस्तांतरण की दर 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत।
- उद्योग के कार्यरत् रहने की अवधि में पात्र अनुदान, छूट एवं रियायतें, जिनका उपयोग न हुआ हो/आंशिक उपयोग हुआ हो, की पात्रता।
- उद्योग के बंद घोषित होने तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों को देय राशियों का भुगतान 03 माह की अवधि के भीतर एकमुश्त करने पर पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार की छूट ।
- उद्योग के बंद/बीमार उद्योगों के द्वारा राज्य शासन को देय राशियों का एकमुश्त भुगतान न करने पर पेनाल्टी/ब्याज/अधिभार के भुगतान के साथ 36 समान मासिक किस्तों/12 त्रैमासिक किश्तों में सुविधा,
- बीमार/बंद उद्योग क्रेता के पक्ष में राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले विद्युत कनेक्शन जल कनेक्शन, अन्य क्लीयरेंस एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण।

10.12–छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति–

- छत्तीसगढ़ उन राज्यों में सम्मिलित हुआ, जिनकी पृथक से एस.ई.जेड. पॉलिसी है।
- राज्य में निर्यात उत्पादन को बढ़ावा
- नये एस.ई.जेड. (विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र) – राजनांदगांव– सोलर पेनल (आंशिक परियोजना प्रारंभ)

10.13- इस ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of doing bussiness)

- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा राज्य में इस ऑफ डूइंग बिजनेसका कार्य संचालन किया जाता है।

- भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2015 में प्रथम बार, Easeofdoingbussinessहेतु कराये गये सर्वे में छत्तीसगढ़ राज्य को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ था तथा वर्ष 2016 में पुनः छत्तीसगढ़ राज्य को 36 राज्यों एवं समस्त केंद्र प्रशासित राज्यों में 97.32 प्रतिशत की प्राप्ति के साथ, चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2016 में कराये गये सर्वेक्षण से संबंधित 340 बिन्दुओं में से 327 बिन्दुओं का अनुपालन किया गया।

- Ease of Doing Business के तहत उद्योग विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, विधि विभाग द्वारा भी सुधार किये गये हैं। उद्योग विभाग द्वारा किये गये सुधारों में निम्नांकित प्रमुख हैं–

1.	उद्योग विभाग	1. "उद्यम आकांक्षा" Online,निःशुल्क, बिना किसी संलग्नक के एवं स्वप्रमाणन के आधार पर। 2. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु प्राथमिकता उद्योग प्रमाण पत्र, वाणि ज्यक उत्पादन प्रमाण पत्र, स्टाम्प शुल्क से छूट की प्रकिया, ऑनलाईन प्रारंभ की जा चुकी है। अन्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओं का ऑनलाईन प्रकिया प्रारंभ। 3. उद्योग से संबंधित सभी शंकाओ के समाधान करने हेतु विशेष टोल फ्री नंबर की सुविधा प्रारंभ। 4. CSIDCद्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन। 5. प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि GIS पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान। 6. बॉयलर नवीनीकरण के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। 7. औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाईन प्रणाली।

10.14 वर्ष 2016–17 में औद्योगिक विकास (अप्रैल 2016 से दिसंबर 2016)

तालिका क. 10.5 उद्योगों की स्थापना

औद्योगिक क्षेत्र	संख्या	पूंजी निवेश	रोजगार
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	1052	41929.74	5567
मध्यम–वृहद उद्योग	04	13466.25	185
मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट	01	18244.29	58
कुलः–	1057	73640.28	5810

तालिका क. 10.6 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (राशि लाख में)

क्र.	लक्ष्य		प्राप्त प्रकरण	बैंको को प्रेषित प्रकरण	स्वीकृत	स्वीकृत राशि (मार्जिन मनी)	वितरित प्रकरण	वितरित राशि (मार्जिन मनी)
	भौतिक	वित्तीय						
1	899	1797.32	3796	2454	124	228.88	3	7.00

तालिका क. 10.7 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (राशि लाख में)									
क्र.	लक्ष्य		बैंको को	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत राशि	वितरित	वितरित	वितरित राशि
	भौतिक	वित्तीय	प्रेषित प्रकरण		राशि	(मार्जिन मनी)	प्रकरण	राशि	(मार्जिन मनी)
1	370	200.00	1374	255	874.51	134.91	48	194.96	24.41

तालिका क. 10.8 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भौतिक लक्ष्य–374965, वित्तीय लक्ष्य–2012.86 (राशि करोड़ में)											
शिशु			किशोर			तरूण			कुल		
खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
505019	970.46	947.8	15002	318.40	300.11	3471	281.6	261.96	523492	1570.5	1509.9

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल–

कुल प्राप्त 116 प्रकरणों में से 28 प्रकरणों में निराकरण हो चुका है, एवं शेष 88 प्रकरणों में सुनवाई प्रकियाधीन है।

तालिका क. 10.9 औद्योगिक विकास का सांख्यिकी संक्षेप			
1	राज्य गठन के पश्चात् स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	संख्या	19655
		रोजगार	117938
		पूंजी निवेश (करोड़ में)	3877.65
2	राज्य गठन के पश्चात् स्थापित मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्टर एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट संख्या		190
		रोजगार	42134
		पूंजी निवेश (करोड़ में)	62749.75
3	उद्योग संचालनालय के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरिया, जगदलपुर, जशपुरनगर, सूरजपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर)		26
4	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, कबीरधाम, सरगुजा, जांजगीर–चांपा, दंतेवाड़ा)		15
5	स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क (मेटल पार्क–रावाभाटा एवं इंजीनियरिंग पार्क–भिलाई)		02
	निर्माणाधीन फूड पार्क (बंजारी–बगौद, जिला धमतरी)		01
6	स्थापित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एसईजेड– महरूमखुर्द, जिला राजनांदगांव)		01
7	विभाग के अधीन स्थापित उत्पादन इकाईयां (फर्नीचर वर्क्स अभनपुर एवं कृषि उपकरण कारखाना भिलाई)		02
8	राज्य में स्थापित बायलरों की संख्या		1240
9	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन राज्य पंजीकृत समितियों की संख्या		89,228
10	भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत फर्म संख्या		31,496

तालिका क्र. 10.9 औद्योगिक विकास का सांख्यिकी संक्षेप

11	वर्ष 2014–15 में छत्तीसगढ़ से निर्यात	7230 करोड़
12	(1) कोर सेक्टर में निष्पादित प्रभावी एम.ओ.यू. में	
	संख्या	117
	प्रस्तावित पूंजी निवेश	180,032.09 करोड़
	सृजित पूंजी निवेश	69,682.06 करोड़
	प्रभावी एम.ओ.यू. में उत्पादन प्रारंभ परियोजनाएँ	64
	(2) ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2012 में फुड प्रोसेसिंग, आटोमोटिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, आई.टी. सेक्टर, फार्मास्युटीकल, हेल्थ केयर, पर्यटन, स्किल डेव्हलपमेंट, वनोपज के क्षेत्र में–	
	प्रभावी एम.ओ.यू. की संख्या	
	प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ में)	174
	सृजित पूंजी निवेश (करोड़ में)	49,127
	प्रभावी एम.ओ.यू. में उत्पादनरत/निर्माणाधीन परियोजनाएँ	362.56
		25
	(3) अन्य एम.ओ.यू. (सीमेंट, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टीलाइजर्स, फूड, अधोसंरचना, रेल कारीडोर, सोलर, स्टील, अन्य)	
	संख्या	60
	प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ में)	81578.80
	सृजित पूंजी निवेश (करोड़ में)	549.67
13	कोर सेक्टर में वार्षिक उत्पादन–	
	एल्यूमनियम	3.45 लाख टन
	सीमेंट	19.58 मिलियन टन
	स्टील	15.00 मिलियन टन
	पावर	छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल– 2424.5 मेगावाट नेशनल थर्मल पावर कार्पो0– 5580
14.	जिला दुर्ग के बोरई औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योगों को राष्ट्री य स्तर की टेस्टिंग सुविधाएँ एवं प्रशिक्षण हेतु कार्य प्रारंभ– प्रशिक्षण सुविधाएँ अस्थायी रूप से सी.एस.आई.डी.सी. स्थित भिलाई टेस्टिंग लैब में प्रारंभ की जा रही है।	
15.	राज्य में स्थित प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम–	1. भिलाई स्टील प्लांट, 2. साउथ इस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमि. (मुख्यालय बिलासपुर) 3. नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन (किरंदुल एवं बचेली) 4. नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन (नगरनार स्टील प्लांट, बस्तर), 5. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (सीपत एवं कोरबा), 6. फेरो स्क्रैप निगम लिमि. बिलासपुर,

10.15–उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम/बोर्ड

उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ही निगम ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 है। इस निगम की अधिकृत पूंजी रू0 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रू0 1.60 करोड़ है।

राज्य शासन द्वारा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के निगम, (1) म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर (2) म0प्र0लघु उद्योग निगम (3) म0प्र0राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5)

म0प्र0निर्यात निगम (6) म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन (8) म0प्र0टेक्सटाईल कार्पोरेशन इसमें समाहित है ।

राज्य में विभिन्न औद्योगिक संवर्धन गतिविधियों यथा – प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चा माल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों का संचालन, प्रति वर्ष राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन निगम के कर्त्तव्यों में है।

स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

तालिका क्र.10.10 निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण

क्र.	विकास केन्द्र/ औ. क्षेत्र का नाम	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टे)	स्थापित उद्योग (संख्या)	अनुमानित पूंजी निवेश (करोड़ में)	रोजगार (संख्या)	आबंटन हेतु शेष भूमि (हेक्टे)
1	सिलतरा (रायपुर)	872.00	138	2144.80	5811	निरंक
2	बोरई (दुर्ग)	192.00	119	2118.10	3354	19
3	उरला (रायपुर)	270.00	331	563.63	13678	निरंक
4	सिरगिट्टी (बिलासपुर)	235.76	317	513.18	5059	निरंक
5	रानी दुर्गावती–औ. क्षेत्र अंजनी(पेंड्रारोड)	10.89	19	10.76	359	निरंक
6	बिरकोनी (महासमुंद)	49.00	52	36	385	निरंक
7	हरिनछपरा (कबीरधाम)	11.4061	07	2.00	150	04.6641
8	नयनपुर–गिरवरगंज (सूरजपुर)	24.06	46	83.35	815	निरंक
9	सिलपहरी (बिलासपुर)	157.56	10	200.18	840	2.023
10	तिफरा (बिलासपुर)	39.48	120	13.77	875	निरंक
11	रावांभाटा (रायपुर)	37.18	71	34.404	688	निरंक
12	भनपुरी (रायपुर)	103.48	177	202.23	1698	निरंक
13	आमासिवनी (रायपुर)	10.04	27	21.096	225	निरंक
14	इंजीनियरिंग पार्क (भिलाई)	55.98	–	–	–	215 भू–खण्ड
15	कापन (जांजगीर–चांपा)	15.325	1	0.22	4	13.379

10.16 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(IIDC)

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीनयोजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

तालिका क्र. 10.11एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र

क्र.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अद्यतन स्थिति
1	बिरकोनी, जिला महासमुंद	49	स्थापित
2	हरिनछपरा, जिला कबीरधाम	21	स्थापित
3	नयनपुर–गिरवरगंज, जिला सरगुजा	24	स्थापित
4	कापन, जिला जांजगीर–चांपा	43	स्थापित
5	तिफरा सेक्टर डी, जिला बिलासपुर	57	स्थापित
6	बरतोरी (तिल्दा), जिला रायपुर	32.32	स्थापित
7	तेंदुआ, जिला रायपुर	21	स्थापित

इस योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक निम्नानुसार आई.आई.डी.सी. की स्थापना की गई है–

तालिका क. 10.12 नवीन एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (क्षेत्रफल–हेक्टेयर, लागत– लाख)

क	परियोजना	क्षेत्रफल	परियोजना	अद्यतन स्थिति
1	तेंदुआ, जिला रायपुर	19.64	1220.00	प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त। अंतिम स्वीकृति प्रक्रियाधीन। अधोसंरचना कार्य प्रगति पर।
2	बनगांव, जिला जशपुर	16.59	1276.00	आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
3	सेलर, जिला बिलासपुर	38.44	2860.00	आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
4	सियारपाली / महुआपाली जिला रायगढ़	15.78	1392.00	आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
5	खम्हरिया, जिला मुंगेली	24.28	1868.00	आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
6	मुक्ताराजा, जिला जांजगीर–चांपा	44.92	3049.00	आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
7	लखनपुरी, जिला कांकेर	53.01	2987.00	आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
8	महरुमकला, जिला राजनांदगांव	40.46	2374.00	आनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

10.17 अन्य लघु औद्योगिक क्षेत्र

गंगापुरखुर्द, जिला सरगुजा में रु. 9.84 करोड़ की लागत से लघु औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। उपलब्ध 26 भू–खण्ड उद्योग स्थापना हेतु आबंटित किये जा चुके हैं। टेकनार जिला दंतेवाड़ा में 20 हेक्टेयर भूमि पर एवं महरुमखुर्द–चवेली, जिला राजनांदगांव में 36 हेक्टेयर भूमि पर लघु औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है।

10.18 स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

1 **मेटल पार्क** :–विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्को की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रावांभाटा में फेरस तथा नान फेरस डाऊनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाठा में स्थापित मेटल पार्क की कुल 87.57 हेक्टेयर भूमि में से फेस– । की 19.93 हेक्टेयर भूमि पर मेटल पार्क स्थापित हो चुका है। इसमें 25% भूखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। मेटल पार्क में भू–आबंटन की कार्यवाही एवं जिन इकाईयों द्वारा लीज़ डीड का पंजीयन करा लिया गया है, उन्हे आधिपत्य सौंपने की कार्यवाही की जा रही है। 63 उद्योगों की भूमि आबंटन किया गया है। 05 उद्योग उत्पाद में आ चुके हैं। शेष भू–खण्डों पर उद्योग स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

2 **इंजीनियरिंग पार्क** :–विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618

हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क में आबंटन योग्य भूमि 57.611 हेक्टेयर है तथा कुल औद्योगिक भू–खण्डों की संख्या 215 है, जिनमें औद्योगिक प्रयोजन हेतु 55.986 हेक्टेयर एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु 1.625 हेक्टेयर भूमि है। विकसित भू–खण्डों में से 112 भू–खण्ड का आबंटन किया जा चुका है। उद्योग स्थापनाधीन हैं।

10.19 स्थापनाधीन विशिष्ट औद्योगिक पार्क

1 इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर

सीएसआईडीसी को नया रायपुर में आबंटित 28 हेक्टेयर भूमि पर आबंटित भूमि पर इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। परियोजना की लागत रु. 92.06 करोड़ (रुपये 18.94 करोड़ भूमि लागत को छोड़कर) है। योजनानुसार स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (एस.पी.व्ही.) का गठन किया गया है। परियोजना का कियान्वयन तीन वर्ष में पूर्ण किया जाना है।

इस अत्याधुनिक सुविधायुक्तइलेक्ट्रानिक क्लस्टर में विशिष्ट उत्पाद समूह इलेक्ट्रानिक आयटम यथा Electronic panels, medical electronic devices, electronic gadgets, home theatre, USB, electronic goods, commercial lights, micro transformer coil, charger, mobile, CCTV camera, television, computer hard drives, computer peripherals आदि उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इस क्षेत्र में लगभग रु. 500 करोड़ से अधिक का निवेश संभावित है। योजना के अंतर्गत रु. 43 करोड़ भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। 7 उद्योगों को भूमि आबंटन की जा चुकी है एवं अन्य भू–खण्डों पर भी उद्योग स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इलेक्ट्रानिक सेक्टर में निवेश के रुझान को देखते हुए इस परियोजना काविस्तारअतिरिक्त 50 एकड़ भूमि में किया जा रहा है।

2 फूड पार्क

विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों से संबंधित समूह उद्योगों के विकास हेतु सीएसआईडीसी के अधिपत्य में ग्राम बगौद जिला–धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क के अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है। परियोजना की अनुमानित कुल लागत रू. 45.00 करोड़ है। परियोजना 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस औद्योगिक पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिये कॉमन फेसिलिटी सेंटर यथा परीक्षण प्रयोगशाला, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, रॉ मटेरियल व्यवस्था, पैकिंग, ग्रेडिंग आदि की सुविधांए उपलब्ध होंगी ताकि बड़े निवेशकों के साथ–साथ छोटे एवं नये उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। दो उद्योगों को भूमि आबंटित की गई है।

3 प्लास्टिक पार्क

राजनांदगांव जिले के ग्राम खैरझीटी में 40 हेक्टेयर पर प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है। परियोजना की लागत रु. 100 करोड़ है । इस हेतु अभिरुचि का प्रस्ताव प्राप्त कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इस पार्क की स्थापना

योजनानुसार स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (एस.पी.व्ही.) के माध्यम से की जानी है। इस पार्क में रु. 300 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जाकर भारत सरकार को अंतिम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। साथ ही एस.पी.व्ही. के गठन की कार्यवाही प्रकियाधीन है ।

10.20 प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

1 एल्यूमीनियम पार्क

सीएसआईडीसी ग्राम दोदरो जिला कोरबा में 100 हेक्टेयर भूमि पर एल्यूमीनियम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है । स्थानीय रुप से एल्यूमीनियम का राज्य में ही मूल्य संवर्धन होने से उद्यमियों एवं राज्य को लाभ होगा।इस पार्क में एल्यूमीनियम के उत्पादों से संबंधित इकाईयों की स्थापना की जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत रु. 70.00 करोड़ है।

10.21 स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की संशोधित औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) परियोजना का राज्य में कियान्वयन :–

इस योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के लिये अनुदान प्रदान किया जाता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है।

औद्योगिक अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित संशोधित एकीकृत अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र उरला जिला रायपुर एवं सिरगिट्टी जिला बिलासपुर के लिये अधोसंरचना यथा सड़क, बिजली, जलप्रदाय के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विस्तृत परियोजना भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

परियोजना लागत निम्नानुसार है –

I. **औद्योगिक विकास केन्द्र उरला, जिला रायपुर** : परियोजना लागतरु. 5480.94 लाख केन्द्र अनुदान रु. 12.15 करोड़, राज्य का हिस्सा रु. 42.66 करोड़ कार्य प्रगति पर है।

II. **औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर** : परियोजना लागतरु. 44.59. करोड़, केन्द्र अनुदान रु. 12.04 करोड़, राज्य हिस्सा रु. 34.35 करोड़ कार्य प्रगति पर है।

10.22 अन्य निवेश प्रोत्साहन गतिविधियां

निवेश प्रोत्साहन हेतु बंगलुरु, दिल्ली में रोड शो आयोजित किया जाकर राज्य में निवेश हेतु विभिन्न कंपनियों से चर्चा की गई है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल द्वारा यू.एस.ए. एवं चीन प्रवास कर निवेशकों को निवेश हेतु प्रोत्साहित किया गया।

निगम की वर्ष 2016–17 में व्यावसायिक गतिविधियां (अप्रेल 2016 से जनवरी 2017 तक)

(1) भूमि आबंटन

औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन	21 इकाईयां	रकबा 285.108 हेक्ट.
		प्राप्ति रू. 91.30 करोड़

(2) लघु उद्योगों को कच्चे माल की सुविधा

3.1 भिलाई स्थित कच्चामाल डिपो से लघु उद्योग इकाईयों को वायर राड का विक्रय (जनवरी 17 तक)

विक्रय राशि रू. 26.31 करोड़ मात्रा 7453.890मेट्रिक टन

3.2 लघु उद्योगों को कोल आबंटन

इकाइयॉं 119 मात्रा 75758.50 मेट्रिक टन

(3) लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा (जन.17 तक) –

टैस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल, मेटलर्जीकल–	सेम्पल परीक्षित 5132
सिविल व इलेक्ट्रिक सेम्पलों का परीक्षण	आय रू 30.07 लाख

(4) फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन (जन.17 तक)

अ– फर्नीचर वर्क्स अभनपुर

उत्पादन रू. 281.80 लाख विक्रय रू. 269.90 लाख

ब– कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई

उत्पादन रू. 373.15 लाख विक्रय रु. 360.09 लाख

10.23 ऑनलाईन भुगतान सुविधा

सीएसआईडीसी द्वारा भू–आबंटी इकाईयों से भू–आबंटन से संबंधित राशियों (प्रीमियम, लीज़रेंट, मेंटनेंस आदि) की वसूली हेतु ऑनलाईन सुविधा सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है।

10.24 भू–आबंटन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त करना

दिनांक 7 मार्च 2015 से लागू नवीन छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के परिपालन में 134 ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकिया में उद्यमी को मांगपत्र, आशयपत्र, आबंटन आदेश, भू–प्रब्याजि में छूट, आशय पत्र में समयावधि विस्तार, संशोधन मांगपत्र आदि की समस्त प्रकिया आनलाईन की जा रही है।

10.25 जल–आपूर्ति संयोजन हेतु ऑनलाईन आवदेन पत्र सुविधा

इकाईयों को जल–आपूर्ति के लिये ऑनलाईन आबंटन सुविधा प्रारंभ की गई है । अब तक 12 आवेदन प्राप्त में से 3 निराकृत किये गये हैं। शेष आवेदन प्रकियाधीन हैं।

10.26 लैण्ड बैंक का जी.आई.एस. मैप

राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपलब्ध लैण्ड बैंक का जी.आई.एस. मैप तैयार कराया जाकर आनलाईन किया गया है।

10.27 अन्य अधोसंरचना

1. सिलतरा शापिंग काम्पलेक्स

राज्य के रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शापिंग काम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यावसायिक दुकानें–108 / कार्यालय–12 / रेस्टोरेंट–1) निर्मित हैं। रिक्त कक्षों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु ई–टेण्डरिंग किया गया है।

2. व्यावसायिक परिसर तिफरा बिलासपुर

राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान –11 / कार्यालय–4 / बैंक एटीएम–1) निर्मित किये गये है तथा आबंटित हैं।

3. व्यावसायिक परिसर बिरकोनी महासमुंद

राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत 10 दुकानो का निर्माण किया गया है। तीन दुकान आबंटित हैं। रिक्त दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु ई–टेण्डरिंग द्वारा किया गया है।

4. व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, कबीरधाम

राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछापरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन कुल 7 भवनों के आवंटन / किराये पर देने विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

5. व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर

राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में एसाईड प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो गोडाउन निर्माण किया गया है। निर्यातक उद्योग अथवा अन्य इकाईयों को नियम एवं शर्तो के अधीन किराये पर गोडाउन आबंटित करने बाबत् ई–टेण्डरिंग किया गया है।

6. वाणिज्यिक परिसर डंगनिया रायपुर

राज्य के रायपुर शहर मे निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है।

जिसमें सी.एस.आर. के अंतर्गत ए.टी.डी.सी. को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन तथा रेल कारीडोर परियोजना हेतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमि. एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेल लिमि. को स्थान किराए पर उपलब्ध कराया गया है। शेष स्थान/दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये ई–टेण्डरिंग किया गया है।

7. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नई राजधानी, रायपुर

राज्य में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कान्फ्रेन्स, सेमिनार, एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर इत्यादि हेतु एक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में लागत रू. 192.14 करोड़ में कुल 100 एकड़ भूमि पर छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है।परियोजना की नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन है।परियोजना को 2019–20 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

वर्तमान में इस आयोजन स्थल पर प्रत्येक वर्ष लगभग 7–8 विभिन्न प्रकार के बड़े एवं मध्यम स्तर के औद्योगिक एवं व्यापार मेलों/प्रदर्शनी का आयोजन विभिन्न संगठनों के द्वारा किया जाता है।

8. परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई

एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3500 लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

9. टूल रूम की स्थापना

भारत सरकार की टूल रूम की योजना के तहत् विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0 द्वारा विकास केन्द्र बोरई जिला दुर्ग में 25 एकड़ भूमि विकास आयुक्त, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को टूल रूम की स्थापना हेतु निःशुल्क हस्तांतरित की गई है।

10.28 अन्य मुख्य कार्यकलाप

1. नई दिल्ली में प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2016 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व ''सी0एस0आई0डी0सी0'' द्वारा नोडल एजेंसी के रुप सफलतापूर्वक किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के पेवेलियन को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

2. जनवरी 2017 में बंगलुरु में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में राज्य की ओर से सीएसआईडीसी द्वारा भाग लिया गया है।

3. विभाग के उपक्रम सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु देश–विदेश के औद्योगिक समूहों/उद्योगपतियों की राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से वेबसाइट (www.csidc.in) को और अधिक व्यवस्थित किया गया है।

10.29 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण :– इस सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत समस्त फैक्ट्री, बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों को शामिल किया जाता है। विगत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (2009–10 से 2014–15) का मदवार विवरण नीचे दर्शित तालिका 10.13 में दिया गया है। इस तालिका से स्पष्ट होता है, कि वर्ष 2014–15 में कुल उत्पादन में 13.0 प्रतिशत, कुल आदाय में 19.6 प्रतिशत वृद्धिएवं सकल वैल्यू एडेड में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2014–15 के आधार पर प्रति इकाई निष्पादन का विस्तृत विवरण तालिका 10.14 में दर्शित है।

सारणी 10.13 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की चयनित विशेषताओं का अनुमान (लाख रू.)

क्र.	विशेषताएं	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	प्रतिशत वृद्धि
1	कारखानों की संख्या	1976	2358	2472	2441	2534	2809	10.9
2	स्थायी पूंजी	3372131	3474615	5063241	6030773	6408052	7793471	21.6
3	कार्यशील पूंजी	3277255	3767631	3855561	4994654	5035782	7022346	39.4
4	पूँजी निवेश	4412078	4837395	6706860	7916990	8091611	9709592	20.0
5	बकाया ऋण	1584772	2147287	2598125	3930857	3318023	3642340	9.8
6	कुल उत्पादन	6778083	7954481	9301415	10352834	10599069	11977648	13.0
7	कच्चे माल का उपयोग	3673754	4765651	5750115	6183728	5976498	6873188	15.0
8	ईंधन खपत	580792	617095	775441	879555	890129	1116519	25.4
9	कुल आदाय	5229752	6408069	7749533	8514861	8153091	9751457	19.6
10	सकल वेल्यू एडेड	1548331	1546412	1551883	1837972	2157709	2226191	3.2
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	1328067	1286739	1260536	1521724	2125353	1815125	-14.6
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	728887	658883	1061518	1072289	1232281	1407004	14.2
13	सकल पूंजी निर्माण	815612	968007	1254107	1169576	1300026	1339751	3.1
14	लाभ	8670321	647719	543238	669450	1261218	805046	-36.2

Source - Mospi.nic.in

सारणी 10.14 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की प्रति इकाई निष्पादन

क्र.	सूचक	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	% वृद्धि
1	स्थायी पूंजी	1707	1474	2048	2471	2529	2774	9.7
2	कार्यशील पूंजी	1659	1598	1560	2046	1987	2500	25.8
3	पूंजी निवेश	2233	2051	2713	3243	3193	3457	8.3
4	बकाया ऋण	802	911	1051	1610	1309	1297	-0.9
5	कुल उत्पादन	3430	3373	3763	4241	4183	4264	1.9
6	कच्चे माल का उपयोग	1859	2021	2326	2533	2359	2447	3.7
7	ईंधन खपत	294	262	314	360	351	397	13.2

क्र.	सूचक	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (P)	% वृद्धि
8	कुल आदाय	2647	2718	3135	3488	3217	3472	7.9
9	सकल वेल्यू एडेड	784	656	628	753	852	793	-7.0
10	शुद्ध वेल्यू एडेड	672	546	510	623	839	646	-23.0
11	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	369	279	429	439	486	501	3.1
12	सकल पूंजी निर्माण	413	411	507	479	513	477	-7.0
13	लाभ	4388	275	220	274	498	287	-42.5

10.29 छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान:–उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2014–15 से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन उद्योग है– खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण है तथा मूल धात्विक उत्पादन, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 3.7 प्रतिशत, 12.1 प्रतिशत एवं 71.6 प्रतिशत क्रमशः योगदान रहा। जिसका विवरण सारणी 10.15 में दर्शाया गया है–

सारणी 10.15 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.) वर्ष 2014–15

क.	महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.)					उद्योगों का प्रतिशत योगदान		
	विशेषताएं	All	10	23	24	10	23	24
1	कारखानों की संख्या	2809	1126	229	576	40.1	8.2	20.5
2	स्थायी पूंजी	7793471	142831	883388	5740680	1.8	11.3	73.7
3	कार्यशील पूंजी	7022346	123842	60018	6905848	1.8	-0.9	98.3
4	पूंजी निवेश	9709592	324640	1013087	7045569	3.3	10.4	72.6
5	बकाया ऋण	3642340	106525	499500	2650026	2.9	13.7	72.8
6	कुल उत्पादन	11977648	1016533	885771	8695445	8.5	7.4	72.6
7	कच्चे माल का उपयोग	6873188	55364	278444	5426813	8.1	4.1	79.0
8	ईंधन खपत	1116519	29124	165379	795291	2.6	14.8	71.2
9	कुल आदाय	9751457	933814	615608	7101228	9.6	6.3	72.8
10	**सकल वेल्यू एडेड**	2226191	82719	270163	1594217	3.7	12.1	71.6
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	1815125	65758	207420	1330084	3.6	11.4	73.3
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	1407004	30638	288036	822411	2.2	20.5	58.5
13	सकल पूंजी निर्माण	1339751	21347	319366	704874	1.6	23.8	52.6
14	लाभ	805046	19044	153658	542000	2.4	19.1	67.3
15	कामगारों की संख्या की संख्या	142799	17965	7842	82497	12.6	5.5	57.8
16	कुल नियोजित कर्मचारी	179324	23468	10926	101483	13.1	6.1	56.6
17	कामगारों को मजदूरी	284683	15712	13721	218602	5.5	4.8	76.8
18	कुल परिलब्धियां	544824	26541	35066	412075	4.9	6.4	75.6

स्त्रोत – उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 13–14 10 (NIC'08)= खाद्य उत्पादों काविनिर्माण, 23 (NIC'08)= गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण(सीमेंट सहित), 24 (NIC '08) = मूल धात्विक उत्पादों का विनिर्माण

10.30 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तुलनाः— नवीनतम उपलब्ध ASI 2013—14 के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि भारत की तुलना में छत्तीसगढ में स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, पूंजी निवेश एवं बकाया ऋण में न्यूनतम बढ़ोत्तरी हुई जिस कारण सकल पूंजी निर्माण में बढ़ोत्तरी हुई है। परंतु कुल उत्पादन में कमी होने से सकल वैल्यू एडेड में छत्तीसगढ़ का अंश कम हुआ है। तथापि पूंजी निर्माण में बढ़ोत्तरी भविष्य में लाभदायक प्रतीत होती है।

सारणी 10.16 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य का कारखाना क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण (लाख रू.)

विशेषताएं	2013—14 (P)			2014—15 (P)		
	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ. ग. का प्रतिशत भाग	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग का प्रतिशत भाग
कारखानों की संख्या	224576	2534	1.1	230435	2809	1.2
स्थायी पूंजी	237371903	6408052	27.0	247445461	7793471	3.1
कार्यशील पूंजी	66268577	5035782	7.6	64084031	7022346	11.0
पूंजी निवेश	338455535	8091611	2.4	351396431	9709592	2.8
बकाया ऋण	122209355	3318023	2.7	115219520	3642340	3.2
कुल उत्पादन	655525116	10599069	1.6	688633458	11977648	1.7
कच्चे माल का उपयोग	423046161	5976498	1.4	435109973	6873188	1.6
ईंधन खपत	29850770	890129	3.0	29899690	1116519	3.7
कुल इनपुट	5490113952	8153091	0.1	572225529	9751457	1.7
सकल वैल्यू एडेड	106511163	2445977	2.3	116407929	2226191	1.9
सकल स्थायी पूंजी निर्माण	35373809	1232281	3.5	32359589	1407004	4.3
सकल पूंजी निर्माण	42184321	1300026	3.1	34461410	1339751	3.9
लाभ	43956552	1261218	2.9	45965978	805046	1.8
श्रमिक संख्या	10444404	131032	1.3	10755288	142799	1.3
काम में लगे कुल व्यक्ति	13538114	166236	1.2	13881386	179324	1.3

10.31 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर मापी जाती है। विश्व के लगभग सभी देशों में इस सूचकांक का आकलन किया जाता है। इसके अलावा भारत के प्रमुख राज्य में भी राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक तैयार किए जाते हैं। छतीसगढ़ में इस सूचकांक के तैयार नहीं होने के कारण भारत के सूचकांक को मानते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संपूर्ण भारत के लिए मासिक IIP संकलन कर जारी करता है।

सारणी 10.17 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक							
क्षेत्र	भार (Weight)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक		औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल से नवम्बर		प्रतिशत वृद्धि	
		नव 15	नव 16	2015–16	2016–17	नव.	अप्रैल से नवम्बर
सामान्य सूचकांक	100	166.3	175.7	177.5	178.2	5.65	0.39
खनन	14.16	130.8	135.7	123.8	124.2	3.75	0.32
विनिर्माण	75.53	171.7	181.1	186.0	185.5	5.47	−0.27
विद्युत	10.31	175.6	191.2	189.2	198.7	8.88	5.02

यद्यपि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के सामान्य सूचकांक में वृद्धि दिख रही है तथापि राज्य के लिए परिणामी मद की विस्तृत जानकारी से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में कमी दिखाई दे रही है।

सारणी 10.18 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक – राज्य के लिए परिणामी मद						
मद (एनआईसी–04)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक		औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल से नवम्बर		प्रतिशत वृद्धि	
	नव 15	नव 16	2015–16	2016 –17	नव	अप्रैल से नवम्बर
खाद्य पदार्थ एवं पेय (15)	154.5	165.4	139.7	134.9	7.1	−3.4
अन्य गैर धातु खनिज उत्पाद (26)	150.8	149.8	164.4	168.0	−0.7	2.2
मूल धातु उत्पाद (27)	213.8	224.1	223.7	236.6	4.8	5.8
विद्युत (40)	175.6	175.7	189.2	198.7	0.1	5.0

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

10.33 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 15997 करघों पर लगभग 47991 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। राज्य के चांपा–जांजगीर एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुन्द, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। राज्य का कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है।

तालिका 10.23 हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियां रोजगार

क्र	विवरण	वर्षवारप्रगति		
		2013–14	2014–15	2015–16
1	बुनकर समितियां	191	210	214
2	कार्यशील करघे	15282	15997	15997
3	बुनाई रोजगार	45846	46671	47991

10.33.1 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा प्रदर्शनीः—प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से हाथकरघा संघ द्वारा वर्ष 2015–16 में रायपुर तथा भिलाई में नेशनल हेण्डलूम एक्सपो किया गया। स्पेशल हेण्डलूम एक्सपो बिलासपुर, कोटा (राजस्थान), भोपाल (मध्यप्रदेश), विशाखापटनम (आन्ध्रप्रदेश), कलकता (पं. बंगाल), मुम्बई (महाराष्ट्र) तथा भुवनेश्वर (उड़ीसा) में आयोजित किया गया। हाथकरघा संघ द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शनी जगदलपुर, कवर्धा, जशपुर, अंबिकापुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद तथा मुंगेली में आयोजित किया गया।

तालिका 10.24 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा

वर्ष	प्रदर्शनी हेतु आबंटन राशि			हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री
	राज्य	केन्द्र	योग	
2009–10	51.68	56.00	107.68	550.05
2010–11	52.53	96.00	148.89	736.85
2011–12	60.00	192.00	252.00	1221.30
2012–13	60.00	204.00	264.00	1250.00
2013–14	61.00	112.00	173.00	836.00
2014–15	61.00	112.00	173.00	976.00
2015–16	61.00	128.00	189.00	987.50

10.13.2 शासकीय विभागों में हाथकरघा वस्त्र प्रदाय :—छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ द्वारा प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से शासकीय वस्त्र प्रदाय योजनांतर्गत वस्त्र उत्पादन कार्यक्रम संचालितहै। इस योजनांतर्गत शासकीय विभागों में लगने वाले वस्त्रों की आपूर्ति, प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों से उत्पादन कराकर की जा रही है। इस योजना से राज्य के बुनकरों को नियमित रोजगार सुलभ हुआ है।

तालिका 10.18 शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना से नियमित रोजगार

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति		
		2013–14	2014–15	2015–16
1	आपूर्ति	106.12	122.05	147.00
2	धागा प्रदाय	49.23	44.73	55.32
3	बुनाई पारिश्रमिक	36.19	30.47	38.73

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उददेश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों की इकाई स्थापना कराना है तथा उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से कियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(1) **परिवार मूलक योजना** :– इस योजना के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़कर बैंकों से ऋण एवं बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे–छोटे कम लागत के ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार मूलक योजना का कियान्वयन भी प्रदेश में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 13500 रूपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका क 10.25 परिवार मूलक योजना की प्रगति (राशि लाखं)

वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	रोजगार	भौतिक	वित्तीय	रोजगार
2015–16	3797	512.50	7594	3667	495.054	7334
2016–17 (सितं.)	3794	512.50	7588	474	63.99	948

(2) **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम** :– इस योजनांतर्गत रू. 25.00 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित करने पर सामान्य पुरूष वर्ग को 25 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. व महिलाओं को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान बोर्ड द्वारा बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य वर्ग के पुरूष को परियोजना लागत का 10प्रतिशत तथा अन्य को 5प्रतिशत स्वयं का अंशदान विनियोजित करना अनिवर्य है।

तालिका क.10.26 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम की प्रगति (राशि लाख)

वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	रोजगार	भौतिक	वित्तीय	रोजगार
2015–16	646	1291.40	5165	338	707.969	1941
2016–17 (सितं.)	674	1347.99	5392	315	810.162	2196

(3) **कारीगर प्रशिक्षण** :– इस योजनांर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक–युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर उसे सफलतापूर्वक संचालित कर सकें।

तालिका क. 10.27कारीगर प्रशिक्षण कार्यकम की प्रगति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2015–16	201	45.39	201	44.94
2016–17	213	45.39	Nil	Nil

(4) **खादी उत्पादन** :–खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित 8 उत्पादन केन्द्र संचालित है जहां ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है एवं बुनकरों द्वारा खादी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है।

तालिका क. 10.28खादी उत्पादन कार्यकम की प्रगति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2015–16	266.00	500	218.18	491
2016–17 (सित)	299.60	700	143.77	620

(5) **बांस कला/शिल्प** :– बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांसकला शिल्प केन्द्र संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिकी एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर 40 अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है।

तालिका क्र. 10.29बांस कला/शिल्प कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	विवरण	लक्ष्य		पूर्ति	
		वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2015–16	उत्पादन	12.00	40	14.00	13.20
	विक्रय	13.00	विभागीय कर्मचारी	13.15	विभागीय कर्मचारी
2016–17 (सितं.)	उत्पादन	13.20	40	11.81	–
	विक्रय	15.40	विभागीय कर्मचारी	14.50	–

(6) **विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार** :– इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडारों के माध्यम से खादी उत्पादन केन्द्रों, बांस कला केन्द्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है।

तालिका क्र. 10.30 विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार की प्रगति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	विवरण	लक्ष्य		पूर्ति	
		वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2015–16	विक्रय	360.00	विभागीय कर्मचारी	371.18	विभागीय कर्मचारी
2016–17 (सितं.)	विक्रय	396.00	विभागीय कर्मचारी	131.25	विभागीय कर्मचारी

11

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

मुख्य बिन्दु

- विद्युत क्षेत्र (गैस एवं जल आपूर्ति सहित) की वर्ष 2016–17 (A) में भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में 1394311 लाख रूपए है।
- राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता (नवंबर 2000) 1360 मेगावाट से बढ़कर (नवंबर 2016 तक) 3424.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 16 वर्षों में स्थापित क्षमता में 152 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- विद्युत वितरण हानि सतत् कम हो रही है। जबकि विद्युत उपलब्धता में क्रमशः वृद्धि हो रही है। जहाँ विद्युत वितरण हानि वर्ष 2009–10 के 31.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 21.53 प्रतिशत हो गया है।
- सितंबर 2016 की स्थिति में राज्य के 19567 (2011 की जनगणना) ग्रामों से 18968 (96.94 प्रतिशत) ग्राम विद्युतीकृत है।
- वर्ष 2015–16 के अंत में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 45.13 लाख है।
- प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3073 कि.मी. ।
- वर्ष 2015–16 में 3729 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया।
- अप्रैल से नवंबर की अवधि में वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 में वायु परिवहन में यात्रियों की संख्या में 13.9 प्रतिशत वृद्धि हुई एवं मालवहन में 2.9 प्रतिशत वृद्धि हुई।

विद्युत

11.1 आर्थिक विकास में विद्युत की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है। सम्पत्ति निर्माण एवं विद्युत उपयोग में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। राज्य में अनुकूल परिस्थितियों, संसाधनों की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए आँकड़ों से स्पष्ट होता है।

तालिका 11.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान (स्थिर भाव 2011–12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)	2015-16 (Q)	2016-17 (A)
योगदान लाख रू. में	709991	955984	1047311	1167621	1299486	1394311
वृद्धि (%)		34.65	9.55	11.49	11.29	7.30
हिस्सा (%)	4.78	6.15	6.08	6.31	6.60	6.60

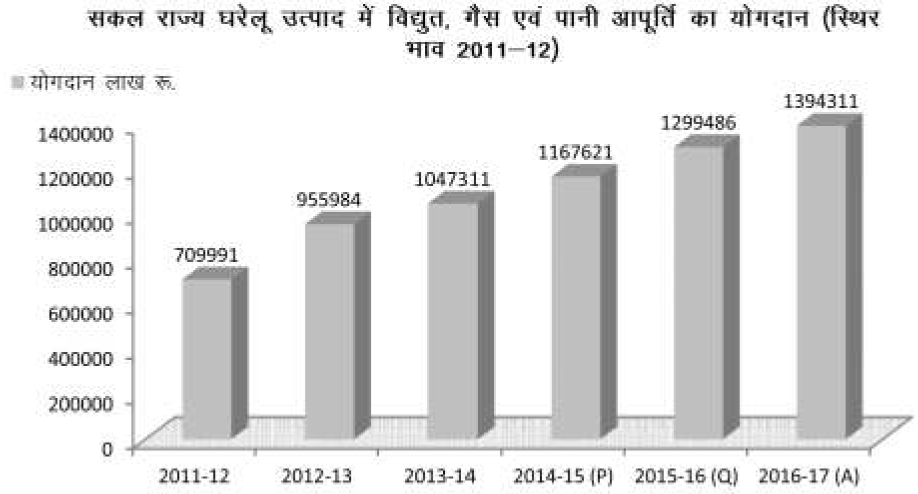

11.1.1 राज्य निर्माण के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000 से अभी तक विद्युत उत्पादन का केन्द्र बनने में लंबा सफर तय किया है। राज्य, देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में एक है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में 15802.54 मेगावाट

तालिका 11.2 बिजली उपयोग का स्थापित क्षमता (MW) आबंटित भाग सहित (31–12–16)

क्षेत्र	तापीय कोयला	न्यूक्लीयर	जल विद्युत	अक्षय ऊर्जा स्रोत	कुल
राज्यीय	3280.00	–	120.00	11.05	3411.05
निजी	10948.00	–	–	473.31	11421.31
केंद्रीय	1574.54	47.52	–	–	1622.06
कुल	15802.54	47.52	120.00	484.36	16454.42

तापीय, 47.52 मेगावाट न्यूक्लियर, 120 मेगावाट जलीय, 484.36 मेगावाट अक्षय उर्जा स्त्रोत से कुल 16454.42 मेगावाट बिजली राज्य को प्राप्त होती है।

11.1.2 स्थापित क्षमता में अधिकांश बढ़ोत्तरी निजी (तापीय) क्षेत्र में हो रही है। राज्य की स्वयं की तापीय एवं जलीय विद्युत क्षमता पिछले 16 वर्ष में लगातार बढ़कर दिसंबर 2016 की स्थिति में 3424.70 मेगावाट हो गई है (जिसमें – कवर्धा एवं सिकासार विद्युत संयंत्र के 14 मेगावाट सम्मिलित है।)

निजी क्षेत्र द्वारा वृहद स्तर पर स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में भी लगभग 4100 मेगावाट तापीय, 700 मेगावाट जलीय विद्युत स्थापित क्षमता में वृद्धि की जा रही है। एनटीपीसी का 1600 मेगावाट तापीय संयंत्र (लारा संयंत्र) वर्ष 2017 के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा।

उपरोक्त बिजली के उत्पादन एवं प्लांट लोड फेक्टर का विवरण तालिका 11.3 में दर्शाया गया है (25 मेगावाट से कम राज्य के विद्युत संयंत्र शामिल नहीं हैं) :–

तालिका 11.3 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारदर्शिता

क्षेत्र	चालिका शक्ति	उत्पादन (GHW)			पी.एल.एफ. प्रतिशत	
		अप्रैल 15 से दिसम्बर 15	अप्रैल 16 से दिसम्बर 16	अंतर प्रति.	अप्रैल 15 से दिसम्बर 15	अप्रैल 16 से दिसम्बर 16
राज्यीय	तापीय	11227	13214	17.7	74.6	64.5
	जल विद्युत	313	147	–53		
निजी	तापीय	18328	27946	52	37.4	44.4
केंद्रीय	तापीय	34148	35374	3.6	85.1	88.2
कुल		64016	76681			

स्रोत :– CEA/generationreport/Dec-2016

11.2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडलः–

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों व लक्ष्य के विरूद्ध अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2016–2017 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है –

(I) उत्पादन संकायः–

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन :–

मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 16 वर्षों में अर्थात मार्च, 2016 की स्थिति में बढ़कर 3424.70 मेगावाट हो गई है। इसमें 3280 मेगावाट ताप विद्युत, 138.7 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पा.) की स्थापित क्षमता है।

जिला जांजगीर–चांपा के समीपस्थ ग्राम मड़वा – तेंदुभाठा में (2 x 500) मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की इकाइयां स्थापित की गई है। इन इकाइयों द्वारा क्रमशः माह मार्च 2016 एवं जुलाई 2016 से व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। जिससे राज्य के अपने विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 2424.70 मेगावाट से 41.24 प्रतिशत वृद्धि होकर 3424.70 मेगावाट हो गई है, इस प्रकार राज्य स्थापना के समय से स्थापित क्षमता में 152 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 15603.92 मिलियन यूनिट (तापीय 15278.50, जलीय 315.68 एवं अन्य सह–उत्पादन 9.74 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया।

तालिका 11.4 विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन

क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	**ताप विद्युत गृह**		
1	कोरबा ताप विद्युत गृह कोरबा (पूर्व)		
	कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक – II	4 X 50 =200	1966–68
	कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक –III	2 X 120 =240	1976–81
2	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	2 X 250=500	2007
3	हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	4 X 210=840	1983–86
4	कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र	1 X 500=500	2013
5	मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह, जांजगीर–चांपा	2 X 500=1000	2015–16
6	भोरमदेव सह–उत्पादन, कवर्धा	1 X 6 =6	2006
II	**जल विद्युत गृह –**		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह	3 X 40=120	1994–95
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 X 2.5=10	2004
3	जल विद्युत गृह सिकासार	2 X 3.5=7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 X 0.85=1.70	2003,2009
	योग	3424.70 MW	

तालिका क. 11.5 वर्षवार उत्पादन क्षमता, उत्पादन तथा खपत

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	1924.70	1924.70	2424.40	2424.70	3424.70
उत्पादन (मिलियन यूनिट)	12982.78	12465.99	12863.54	15931.29	15603.92
खपत (मिलियन यूनिट)	13173.00	14112.19	14789.89	17101.44	18600.63

11.2.1 विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियाँ वर्ष 2015–16 :–

- वित्तीय वर्ष 2015–16 मडवा–तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह की प्रथम इकाई (1x500) मेगावाट के 31 मार्च, 2016 में परिचालन से छत्तीसगढ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की स्थापित क्षमता 2280 मेगावाट से बढकर 2780 मेगावाट हो गयी है तथा 31 जुलाई, 2016 से द्वितीय इकाई के परिचालन में आने से बढकर वर्तमान में 3280 हो गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 15603.92 मिलियन यूनिट (तापीय 15278.50 मिलियन यूनिट (PLF 76.24%), जलीय 315. 68 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 9.74 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ।

- निरंतर प्रयास एवं कंपनी के कुशल प्रबंधन द्वारा छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के विद्युत गृहों से विद्युत उत्पादन करने में प्रयुक्त होने वाली विद्युत खपत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 8.56 प्रतिशत रही।

- डां. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व द्वारा वित्तीय वर्ष 14–15 में बेहतर प्रबंधन के कारण विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट तेल खपत 0.21 मिली लीटर प्रति इकाई रही, जो कि सर्वकालिक न्यूनतम है। तथा यह वित्तीय वर्ष 2016–17 में (नवंबर 2016 तक) घटकर 0.17 मिली लीटर प्रति इकाई रही है। यह ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है।

- वित्तीय वर्ष 2015–16 में कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत संयंत्र में सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक उत्पादन 9.324 मिलियन यूनिट हुआ ।

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वार्षिक उत्पादन लक्ष्य (मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह के उत्पादन को होकर) ताप विद्युत संयंत्रों के लिये 15020 मिलियन यूनिट रखा गया है, जिसके एवज में 31 दिसम्बर 2016 तक कुल 13214 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हुआ है। जल विद्युत संयंत्रों से वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य 291 मिलियन यूनिट रखा गया है जिसके एवज में जल विद्युत गृहों द्वारा 30 दिसम्बर 2016 तक कुल 147 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ है।

11.2.2 राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि :–

- वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के ताप विद्युत गृहों का वार्षिक उत्पादन 15278.50 मि.यू (PLF 76.24%) के साथ स्टेट सेक्टर में तृतीय स्थान पर रहा। जबकि राज्य स्तरीय औसत पी.एल.एफ.55.41 प्रतिशत रहा।

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा विद्युत उत्पादन में विस्तार के लिये मड़वा – तेन्दुभाठा में 1000 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र परियोजना अर्थात् 500 मेगावाट की दो इकाईयां स्थापित की गई है जिसमें प्रथम इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च 2016 से एवं द्वितीय इकाई से 31 जुलाई 2016 से प्रारंभ हो चुका है।

11.2.3 ऑक्जिलरी खपत –

ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ऑक्जिलरी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत, ऑक्जिलरी खपत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 8.56 प्रतिशत रही।

11.2.4 प्रदत्त विद्युत :– वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान ताप जल एवं अन्य सह–उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा आक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 14282.92 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 13960.99 मिलियन यूनिट, जल विद्युत उत्पादन द्वारा 314.423 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह–उत्पादन) द्वारा 7.505 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

11.3 पारेषण की उपलब्धिः–

11.3.1 उपकेन्द्र निर्माण :– वर्ष 15–16 के अंत में उच्च दाब उपकेन्द्रों की कुल संख्या 94 तथा इनकी संयुक्त क्षमता 14378 एम व्ही ए हो गई है जो वर्ष 2000 में क्रमशः 27 एवं 3795 एम व्ही ए थी।

तालिका 11.7 वोल्टेज एवं उपकेन्द्रों की संख्या

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रों की संख्या	
		वर्ष 14–15 की स्थिति	वर्ष 15–16 स्थिति
1	400 के.व्ही. उपकेन्द्र	2	2
2	220 के.व्ही. उपकेन्द्र	19	20
3	132 केव्ही उपकेन्द्र	69	71
4	एच.व्ही.डी.सी. उपकेन्द्र	1	1
योग		91	94

मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 15–16 के दौरान पारेषण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है–

11.3.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :–

वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्च दाब की कुल लाइने 5205.46 सर्किट कि.मी. थी वह वर्ष 15–16 में 11422 सर्किट कि.मी. हो गई है। राज्य में विद्युत प्रणाली का वोल्टेज अनुपात वर्ष 2015–16 तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका 11.8 विद्युत लाईनों का विवरण

क्र.	वोल्टेज अनुपात	31 मार्च 2015 की स्थिति	2015–16 में वृद्धि	31 मार्च 2016 की स्थिति	30 सितम्बर 2016 की स्थिति
	अति उच्चदाब लाईनें				
1	400 केव्ही लाईनें	1538.12	289.06	1827.06	1894
2	220 केव्ही लाईनें	3313.93	117.5	3431.49	3432
3	132 केव्ही लाईनें	5475.72	213.2	5688.92	5736
4	एचव्हीडीसी. लाईनें	360	–	360	360

11.4 वितरण कंपनी की उपलब्धि :–

छ.रा.वि.वित.कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

11.4.1. उपकेन्द्र निर्माण :–

छ.रा.वि.मंडल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2984 एम.व्ही.ए थी विगत 16 वर्षो में उपकेन्द्रों की संख्या बढ़कर वर्ष 2015–16 के अंत में कुल 1,27,527 हो गए है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 15305 एम.व्ही.ए हो गई है, जो कि 16 वर्षो के कार्यकाल में उपकेन्द्र निर्माण में 307 प्रतिशत तथा उनकी क्षमता में 413 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 30.09.2016 की स्थिति में संयुक्त क्षमता 15533 एम.व्ही.ए. एवं संख्या 1,31,279 हो गई है।

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान कंपनी द्वारा उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 11.9 उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात जानकारी

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रो की संख्या		
		वर्ष 2015–16 सितं. 2015 की स्थिति में	वर्ष 2015–16 में मार्च 2016 की स्थिति में	वर्ष 2016–17 में सितं. 2016 की स्थिति में
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र	948	964	972
2	11/0.4 के.व्ही उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	117498	126563	130307
	योग :–	118446	127527	131279

11.4.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :–

छ.रा.वि. मण्डल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनों की लंबाई 98858 कि.मी. थी, जो 16 वर्षो में बढ़कर वर्ष 2015–16 तक 273415 कि.मी. एवं 30.09.16 की स्थिति में 278140 कि.मी. हो गई है।

वितरण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2015–16 के दौरान उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 13019 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों का निर्माण किया गया जिससे वर्ष 2015–16 तक विद्युत लाइन की लंबाई कुल 273415 कि.मी. की विद्युत लाईने हो गई थी। इस प्रकार वर्षावधि में विद्युत लाईनों की लंबाई में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कंपनी गठन से 16 वर्षो की कार्यावधि में 177 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका क्र. 11.10 विद्युत लाईनों का निर्माण

क्र.	वोल्टेज (के.व्ही.)	वर्ष 2015–16 सितं. 2015 की स्थिति में	वर्ष 2015–16 में मार्च 16 की स्थिति	वर्ष 2016–17 में सितं. 2016 की स्थिति
I	**उच्चदाब लाईनें**			
1	33 के.व्ही. लाईने	18223	18400	18618
2	11 के.व्ही. लाईने	88838	92117	93905
	कुल उच्चदाब लाईने	**107061**	**110517**	**112523**
II	**निम्नदाब लाईने**			
3	400–230 वोल्ट्स	157250	162898	165617
	महायोग	**264311**	**273415**	**278140**

11.4.3. वितरण हानि

वर्ष 2015–16 में वितरण हानि का प्रतिशत 21.53 रहा, जो वर्ष 2014–15 की अपेक्षा 0.62 प्रतिशत कम है। वर्ष 2016–17 में और भी 2.13 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है। वितरण हानि का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका क्र. 11.11 वर्षवार वितरण हानि

क्र.	वर्ष	विद्युत उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	खपत (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि प्रतिशत में
1	2009–10	16512.28	11311.39	5200.89	31.50
2	2010–11	17435.98	12137.84	5898.14	30.39
3	2011–12	18325.03	13173.00	5152.03	28.11
4	2012–13	19124.00	14200.41	4923.59	25.74
5	2013–14	19553.25	14789.25	4764.00	24.36
6	2014–15	21966.91	17101.40	4866.00	22.15
7	2015–16	23702.45	18600.63	5101.82	21.53

वर्षवार वितरण हानि

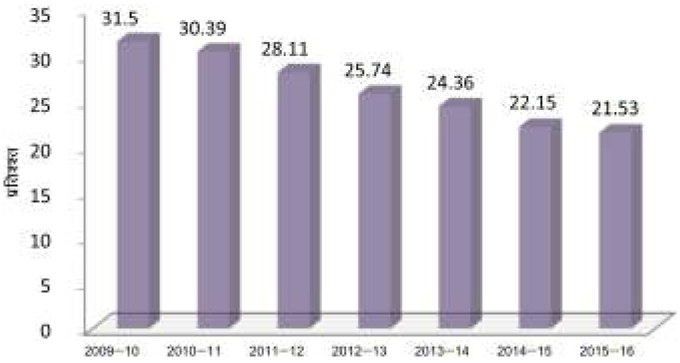

11.4.04. आर–एपीडीआरपी योजना

आरएपीडीआरपी भाग–अ ऊर्जा मंत्रालय, भारत शासन द्वारा 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ऊर्जा क्षति के सही–सही आंकलन और इसे 15 प्रतिशत से कम करने हेतु आरएपीडीआरपी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के भाग–अ में सूचना तकनीकी के माध्यम से ऊर्जा क्षति को सही–सही गणना इस योजना में चयनित शहरों हेतु की जावेगी। इस योजना के भाग–अ के अंतर्गत 20 शहरों को चयनित किया गया है। इस योजना की कुल स्वीकृत लागत रू. 122.45 करोड़ है। मार्च 2016 की स्थिति में कुल 20 में से सभी 20 शहरों का कार्य पूर्ण हो चुका है, एवं रू. 86.56 करोड़ इस योजना में खर्च हो चुके है।

स्काडा व डी.एम.एस. कन्ट्रोल रूम

ऊर्जा मंत्रालय, भारत शासन द्वारा छ.ग. के रायपुर तथा दुर्ग–भिलाई–चरोदा में विद्युत उपलब्धता तथा निरंतरता बनाये रखने हेतु आरएपीडीआरपी भाग–अ के अंतर्गत स्काडा/डी.एम.एस. परियोजना को प्रारंभ किया गया है। इस प्रणाली की मदद से विद्युत अवरोधों के प्रभाव को सीमित रखते हुए त्वरित समयबद्ध सुधार कार्य किया जा सकेगा। स्काडा के कियान्वयन हेतु रायपुर एवं दुर्ग–भिलाई–चरोदा के डाटा सेन्टर की स्थापना की जा रही है। इस कार्ययोजना को माह दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण किया जाएगा।

आर–एपीडीआरपी भाग–बः आर.ए.पी.डी.आर.पी. भाग–ब योजना के अंतर्गत रू. 710 करोड़ की लागत से निम्नलिखित कार्य किये गये हैं।

तालिका क्र 11.12 आर–एपीडीआरपी भाग–ब योजना की प्रगति

क्र.	विवरण	ईकाई	किये गये कार्य अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	08	09	03
2	33/11 के.व्ही.लाईन निर्माण	कि.मी.	9.23	9.23	6.04
3	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	158.69	207.06	45.98
4	निम्नदाब लाईनो का निर्माण	कि.मी.	33.19	35.54	10.00
5	निम्नदाब लाईनो के तारो को बदलकर ए.बी. केवल लगााने का कार्य	कि.मी.	338.53	442.58	279.14
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	747	882	142

कुल स्वीकत 19 शहरो में से 16 शहरो के कार्य पूर्ण कर लिये गये है एवं तीन शहरों के कार्य प्रगति पर है।

11.4.5. सामान्य विकास कार्य :–

छ.रा.वि.वित.कंपनी द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

तालिका क्र 11.13 सामान्य विकास कार्य उपलब्धि

क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि (2014–15)	उपलब्धि (2015–16)	उपलब्धि (2016–17) दिनांक 30.09.2016 की स्थिति में
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	16	6	2
2	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	143	89	32
3	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी	366	477	196
4	नये विद्युत कनेक्शन के लिए निम्नदाब लाईन	कि.मी	632+65 (कनवर्सन)	426+34 (कनवर्सन)	311+60 (कनवर्सन)
5	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	2077	1904	823
6	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	344	517	172
7	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	160162	206060	85130
i)	सिंगल फेस	संख्या	140119	186299	68710
ii)	थ्री फेस	संख्या	19886	19604	16368
8	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	157	157	52

11.4.6. आगामी वर्ष हेतु उप–पारेषण उवं वितरण प्रणाली कार्यो का लक्ष्य :–

छ.रावि.वित.कंपनी द्वारा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली को ओर सुदृढ़ बनाने आवश्यक उपकरणों की स्थापना हेतु आगामी वर्ष 2016–17 हेतु निम्नलिखित कार्यो को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है :–

तालिका क. 11.14 उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली

क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	2000
2	11 के.व्ही. लाईन निमार्ण	कि.मी.	5000
3	33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	116
4	33/11 के.व्ही उपकेन्द्रो की क्षमता वृद्धि	संख्या	50
5	11/0.4 के.व्ही उपकेन्द्र	संख्या	6700
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	1500
7	निम्न दाब लाईन	कि.मी.	8000

11.5. ग्राम विद्युतीकरण :–

जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19567 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2015–16 के अंत तक (18055 परंपरागत तरीके से + 836 अपरंपरागत तरीके से क्रेडा व्दारा) 18891 ग्राम विद्युतीकृत थे। राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 96.54 प्रतिशत रहा। वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 की स्थिति में 71 ग्राम परंपरागत तरीक से एवं 06 ग्राम अपरंपरागत तरीके से क्रेडा व्दारा विद्युतीकृत किया गया है। इस प्रकार दिनांक 30.09.2016 की स्थिति मे प्रदेश में कुल 19567 आबाद ग्रामों में से विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 18968 एवं अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 599 है।

11.5 पंपों का ऊर्जीकरण :–

राज्य के किसानों को अधिक–से–अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से छ0ग0 राज्य विद्युत मण्डल/कंपनी एवं राज्य शासन द्वारा पंप/नलकूप विद्युतीकरण हेतु नई नीति तथा लक्ष्य निर्धारण कर विगत 10 वर्षो में (वर्ष 2006–07 से 2015–16) लगभग 2,52,318 नये सिंचाई पंपों को विद्युतीकृत किया गया है।

राज्य गठन के पूर्व राज्य में मात्र 73369 कृषि पंप विद्यमान थे, वर्तमान में कुल 376450 ऊर्जीकृत कृषि पंप हो गये हैं। कृषि कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण हेतु आवश्यक विद्युत लाईनों के विस्तार के लिए सितम्बर 2016 में अनुदान की राशि रू. 75, हजार को बढ़ाकर रू. 01 लाख कर दी गई है। वर्ष 2015–16 में पंप विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 21,000 के विरूद्ध 25632 पंपों का विद्युतीकरण किया गया था। वर्ष 2016–17 में 100 करोड़ रू. के प्रावधान के विरूद्ध दिनांक 30.09.2016 तक 9714 पंपों का विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं लगभग 9,900 पंपों के कार्य प्रगति पर है।

11.6 कृषक जीवन ज्योति योजना:– राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। उपरोक्त छुट अस्थाई कृषि पम्पों पर भी दी जाती है। नवंबर 2013 से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र कृषको को फ्लेट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लेट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को, उनके व्दारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100/प्रतिमाह प्रति अश्व शक्ति की

दर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उनके द्वारा खेती किसानी में उपयोग की जा रही पूरी बिजली को निःशुल्क रखा गया है। राज्य शासन की उक्त योजना से प्रदेश के 4 लाख से अधिक कृषकों को लाभ मिल रहा है। वर्ष 2016–17 में 5 हा.पा. तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु रू. 316.85 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

11.7 बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 (एकलबत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त श्रेणी में आने वाले परिवारों को, जिनके घर कंपनी की विद्यमान लाईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर है, उन्हें सर्विस कनेक्शन चार्ज तथा सुरक्षानिधि जमा कराये बगैर बी.पी.एल.(एकलबत्ती) कनेक्शन प्रदाय किये जाते है। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 52372 बी.पी.एल कनेक्शन उपरोक्त श्रेणी के परिवारों को प्रदाय किये गये। वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 तक 6833 बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किये गये है। इस प्रकार दिनांक 30.09.2016 की स्थिति में तक कुल बीपीएल कनेक्शन की संख्या 15,45,325 है, जिन्हे वितरण कंपनी द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन बी0पी0एल0 कनेक्शनधारियों के 40 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016–17 हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 57.92 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.8 मुख्यमंत्री एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना –

राज्य में बीपीएल एवं एपीएल विद्युत उपभोक्ताओं को एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना का क्रियान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा छ.रा.वि.वि.कं. के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में लगभग 15 लाख बीपीएल तथा लगभग 22 लाख एपीएल उपभोक्ता है जो इस योजना से लाभान्वित होगें। एलईडी लैम्प वितरण योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 13 मार्च 2016 को जिला–राजनांदगांव से किया गया। योजना का कियान्वयन जिलेवार चरणों में किया गया एवं दिनांक 15.08.2016 तक प्रदेश के सभी जिलों में वितरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है योजना के क्रियान्चयन की अवधि एक वर्ष है। योजना के अंतर्गत सभी हितग्राहियों को उनके नाम से जारी मासिक विद्युत बिल के साथ फोटोयुक्त परिचय पत्र (जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक) प्रस्तुत करने पर पात्रता अनुसार एलईडी लैम्प प्रदाय किया जायेगा।

योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले 09 वाट् एलईडी लैम्प की न्यूनतम गारंटी 03 वर्ष के लिए रहेगी। एलईडी लैम्प में तकनीकी खराबी अथवा फ्यूज होने की स्थिति में ईईएसएल द्वारा वितरण के पश्चात् 03 वर्ष की अवधि में निःशुल्क बदला जायेगा। दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत कुल 49.84 लाख एलईडी बल्ब का वितरण किया गया है।

11.9 बीपीएल उपभोक्ता– विद्युत वितरण कम्पनी के पात्र बीपीएल उपभोक्ताओं को 03 एलईडी लैम्प का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। इसके अलावा बीपीएल उपभोक्ता अतिरिक्त 05 एलईडी नगद भुगतान कर भी प्राप्त कर सकते है। बीपीएल उपभोक्ता को निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के अंतर्गत लैम्प प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिमाह निःशुल्क विद्युत खपत की पात्रता को 40 यूनिट से घटाकर 30 यूनिट कर दिया जायेगा।

11.10 एपीएल उपभोक्ता– विद्युत वितरण कम्पनी के पात्र एपीएल उपभोक्ता 05 नग एलईडी लैम्प एक मुश्त नगद भुगतान प्राप्त कर योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें रू. 10 प्रति लैम्प की दर से लैम्प प्राप्त करते समय तथा शेष राशि भुगतान रू. 10 प्रति लैम्प की दर से बिजली बिल के साथ जोड़कर करना है। इसके अलावा एपीएल उपभोक्ता अतिरिक्त 05 एलईडी लैम्प नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकते है।

11.11 वाणिज्यिक उपभोक्ता– वाणिज्यिक उपभोक्ता नगद भुगतान कर 20 नग एलईडी लैम्प प्राप्त कर सकते है।

11.12 अन्य योजनाः– मेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड व्दारा राज्य के उपभोक्ताओं को नगद भुगतान पर ऊर्जा दक्ष (एनर्जी एफिशियंट) 50 वाट के दो वर्ष की वारंटीयुक्त सीलिंग पंखे रूपये 1150/– में तथा तीन वर्ष की वारंटीयुक्त 20 वाट के ऊर्जा दक्ष टयूबलाईट रूपये 230/– में शीध्र उपलठध कराये जाने की योजना है।

11.13 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

केन्द्र की भारत निर्माण योजना में सम्मिलित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत पहुंच उपलब्ध कराना है । वर्तमान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित कर दिया गया है । 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत राज्य वितरण कंपनी द्वारा चार जिलों –कोरबा, महासमुन्द, धमतरी एवं जांजगीर–चांपा में विद्युतीकरण के कार्य हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है । दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सभी 27 जिलों की योजना राशि रू. 1247.69 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 17 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष ग्रामों का कार्य प्रगति पर है। उक्त परियोजनांतर्गत फीडर पृथक्करण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं सघन विद्युतीकरण हेतु एल.ओ.ए. जारी किये जा चुके है।

तालिका क्र. 11.15 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

क्र.	विवरण	वर्ष 2015–16 (अप्रेल 2015 से सितम्बर 2015)		वर्ष 2015–16 (अप्रेल 2015 से मार्च 2016)		वर्ष 2016–17 (अप्रेल 2016 से सितम्बर 2016)	
		प्रावधान	कार्यपूर्ण	प्रावधान	कार्यपूर्ण	प्रावधान	कार्यपूर्ण
1	यू.ई./डी.ई.	200	26	400	341	99	54
2	पी.ई.	550	1169	1100	2154	874	706
3	बी.पी.एल.	12500	15835	25000	43598	5200	4770

11.14 मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजनाः–

मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत लाइनो का विस्तार, विद्यमान अव्यवस्थित विद्युत लाईनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित करना एवं वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित/उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना, तंग गलियों एवं व्यस्तम मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हेड अथवा अंडर ग्राउंड केबलों का इस्तेमाल किया जाना, अधिक लाईन लास वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल

लगाया जाना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवार को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि शामिल है। वर्ष 2016–17 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रू. 44 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 की स्थिति में 270 नग कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

11.15 मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजनाः–

इस योजना के अंतर्गत एसे अविद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे/टोले/बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल है या लोक सुराज अभियान के दौरा शासन/जिला प्रशासन व्दारा संसूचित किये गये है एवं राज्य में चल रहे किसी भी योजना में शामिल नही है। वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत रू. 44 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 की स्थिति में 253 नग कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

11.16 स्कूलों एवं अस्पतालों के विद्युतीकरण के साथ आगंनबाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरणः–

बिजली की पहुंच वाले क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्कूलों, अस्पतालों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदाय की योजना संचालित है। वर्ष 2016–17 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रू. 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के शासकीय भवनों में संचालित 47,879 स्कूलों 31,018 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 4877 स्वास्थय केन्द्रों में से कमशः 44,005 स्कूलों 19,635 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 4,626 स्वास्थय केन्द्रों में बिजली कनेक्शन स्थापित किए गए है। स्कूलों एवं स्वास्थय केन्द्रों को मार्च 2017 तक एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को मार्च 2018 तक पूर्ण रूप से विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

11.17 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y.)

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के आधारभूत ढ़ांचे और आवासीय विद्युतीकरण योजना को बारहवीं पंचवर्शीय योजना मे जारी रखने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्याति योजना की मंजूरी संयुक्त सचिव, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/44/2014– आर ई दिनांक 3/12/2014 के माध्यम से सूचित की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गैर कृशि पम्प उपभोक्ताओं को 24 घण्टे अबाधित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने हेतु फीडर पृथककरण का कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्युत भार एवं भविश्य में हो रही भार वृद्धि को देखते हुए वितरण प्रणाली का सुदृणीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि वितरण हानि को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं उचित दरों पर विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किये जा सके। योजना में अविद्युतीकृत ग्राम/मजरा–टोला के कार्य भी शामिल है। इस हेतु भारत सरकार व्दारा रू. 1247.69 करोड़ की परियोजना स्वीकृत किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 17 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष ग्रामों का कार्य प्रगति पर है । उक्त परियोजनांतर्गत फीडर पृथक्करण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं सघन विद्युतीकरण हेतु एल.ओ.ए. जारी किये जा चुके है।

तालिका क. 11.16 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

क.	विवरण	वर्ष 2015–16 (अप्रेल 2015 से सितम्बर 2015)		वर्ष 2015–16 (अप्रेल 2015 से मार्च 2016)		वर्ष 2016–17 (अप्रेल 2016 से सितम्बर 2016)	
		कार्यपूर्ण	प्रावधान	कार्यपूर्ण	प्रावधान	कार्यपूर्ण	प्रावधान
1	यू.ई. / डी.ई.	59	0	119	19	99	17
2	पी.ई.	1356	0	2712	0	2712	0
3	बी.पी.एल.	38897	0	77795	2139	77795	2000

11.18 एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.)

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के ओ.एम. क्रं. 26 / 1 / 2014–APDRP दिनांक 03.12.2014 के द्वारा एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.)" प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, सोलर पैनल की स्थापना, वितरण ट्रान्सफार्मर / 11 के. व्ही. फीडर / उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण सेक्टर में आई टी. उपयोग को उपयोगी बनाने के कार्य किये जाने हैं। एकीकृत विद्युत विकास योजना के अंतर्गत् छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 182 शहरों में वितरण हानि को कम करने हेतु विद्युतकरण के कार्य प्रस्तावित हैं। परियोजना की लागत 489.06 करोड़ हैं। योजना की कुल अवधि 30 माह है।

11.19 उदय योजना (UDAY-उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना) :–

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में उदय योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणभार को कम करते हुए उनकी वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार लाना है ताकि, देश के नागरिकों को 24X7 सस्ती एवं सुलभ विद्युत उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा किया जा सके। योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को ऋण के भार से मुक्त करने के लिये राज्य शासन द्वारा ऋण के 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी। शेष 25 प्रतिशत ऋण की राशि के विरूद्ध वितरण कंपनियां बॉण्ड जारी कर सकेगी। उदय योजना के लागू करने पर वितरण कंपनियां स्वयं की सकल तकनीकी एवं वाणिज्य हानि कम करने एवं वितरण प्रणाली को आधुनिक एवं सुदृढ़ करने हेतु नये सिरे से ऋण प्राप्त कर उक्त विकास कार्यों को पूर्ण करने में सफल रहेंगी।

प्रदेश में उदय योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के मध्य दिनांक 25.01.2016 को त्रिपक्षीय एमओयू निष्पादित किया गया है। इस एमओयू के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:

- दिनांक 30.09.2015 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित पर बकाया कुल रू. 1740.24 करोड़ के ऋण की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य शासन दो चरणों में नॉन एसएलआर बॉण्ड जारी करेगा।
- छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के उक्त बकाया ऋण के 75 प्रतिशत ऋण का (दो चरणों में – 50 प्रतिशत 2015–16 के चौथे तिमाही में एवं 25 प्रतिशत को 2016–17 के

द्वितीय तिमाही में) भुगतान करेगी। शेष 25 प्रतिशत ऋण राशि के भुगतान की गारंटी भी राज्य शासन द्वारा दी जावेगी। समझौते के लागू होने के बाद वितरण कंपनी को वर्ष 2018–19 की स्थिति में सकल तकनीकी एवं वाणिज्य हानि को 15 प्रतिशत के स्तर पर लाने का प्रयास करना होगा। उदय योजना प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता को 24X7 सस्ती एवं सुलभ विद्युत उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगी। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 के बजट में राज्य शासन ने रू. 435.06 करोड़ का प्रावधान किया है।

11.20 विद्युत उपभोक्ता :–

वर्ष 2015–16 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 45 लाख 13 हजार है जो वर्ष 2014–15 की तुलना में 5.05 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 29 लाख 99 हजार उपभोक्ता अर्थात् 66.43 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के है जो विगत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 5.19 प्रतिशत अधिक है।

कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2015–2016 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं में बी.पी.एल. के 34.28 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 9.46 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2014–15 के अंत में क्रमशः 36.98 एवं 9.15 प्रतिशत था।

11.21 विद्युत उपभोग का स्वरूपः–

वर्ष 2015–16 में राज्य की समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 18606.48 मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो कि विगत वर्ष 2014–15 की खपत से 8.80 प्रतिशत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली का लगभग 47. 33 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।

राज्य में विक्रय की गई बिजली में से 26.26 प्रतिशत घरेलू 12.34 प्रतिशत गैर घरेलू, 37.65 प्रतिशत औद्योगिक, 21.82 प्रतिशत कृषि एवं 1.93 प्रतिशत सार्वजानिक उपभोग (जलकल एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा। ग्रामीण क्षेत्र में इन मदों का हिस्सा क्रमशः 18.69 प्रतिशत घरेलू, 7.08 प्रतिशत गैर घरेलू 33.98 प्रतिशत औद्योगिक, 37.92 प्रतिशत कृषि एवं 2. 23 प्रतिशत सार्वजनिक उपयोग होना पाया गया। जिसका विवरण तालिका कमांक 11.14 में दर्शाया गया है। कुल खपत में से वर्ष 2015–16 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 6.46 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 21.63 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2014–15 में क्रमशः 7.36 एवं 17.43 प्रतिशत थी।

तालिका 11.17 राज्य में कुल विद्युत विकय का विवरण 2015–16

विवरण	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	कृषि	सार्वजनिक
कुल विकय (प्रतिशत)	26.26	12.34	37.65	21.82	1.93
ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	18.69	7.08	33.98	37.92	2.23

11.22 राजस्व संग्रहणः–

वर्ष 2015–16 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरूद्ध कुल रूपये 9843.18 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया।

11.23 बकाया राशिः–

वर्ष 2015–16 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि कुल रूपये 3428.20 करोड़ है, जिसमें 391.25 निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 3036.95 करोड़ रूपये उच्चदाब उपभोक्ता पर बकाया है ।

कुल राशि में से राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर रू. 1.56 करोड़ एवं राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों (स्थानीय निकाय) पर रूपये 16.03 करोड़ एवं रूपये 2777.55 करोड़ राशि रेलवे के विरूद्ध बकाया है। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। रेल्वे के विरूद्ध बकाया राशि विवादित है।

तालिका क्रमांक 11.18 बकाया राशि

वर्ष	बकाया राशि				कुल	दाब अनुसार उपभोक्ता का प्रकार बकाया राशि		कुल
	राज्य	सार्वजनिक	रेल्वे	अन्य		निम्न दाब	उच्च दाब	
2012–13	7.23	42.00	2106.34	433.09	2588.66	323.33	2265.33	2588.66
2013–14	27.00	45.00	2360.96	474.73	2907.69	323.13	2584.54	2907.69
2014–15	18.00	5.34	2610.23	631.68	3265.25	323.67	2941.58	3265.25
2015–16	1.56	16.03	2777.55	633.06	3428.20	391.25	3036.95	3428.20

परिवहन एवं संचार

11.24 देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तियों को गतिशील बनाता है, जिससे वे अपने जीवनयापन हेतु रोजी–रोटी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सुविधाऐं प्राप्त कर सकें। बाजार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हेतु सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। संचार माध्यमों में डाक, कुरियर, टेलीफोन (मोबाइल सहित) तथा ब्राडबेंड (इंटरनेट सहित) सेवाएं आदि प्रमुख हैं।

11.24.1 परिवहन क्षेत्र का योगदान तालिका में निम्नानुसार प्रदर्शित हैः–

तालिका 11.19 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में परिवहन (रेल के अलावा) क्षेत्र का योगदान (आधार वर्ष 2011–12)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (P)	2015-16 (Q)	2016-17 (A)
भागीदारी (लाख में)	281709	312165	339701	375638	411286	452021
वृद्धि (प्रतिशत)		10.81	8.82	10.58	9.49	9.90
हिस्सा (प्रतिशत)	1.90	2.01	1.97	2.03	2.09	2.14

11.24.2 भूतल परिवहन :–

सड़क परिवहन:– छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों की व्यापकता है, जो न केवल देश के सभी राज्यो से बल्कि राज्य के जिला, तहसील एवं विकासखंड सभी बारहमासी सड़कों से भी सुनियोजित ढ़ंग से जुड़ी हुई है। नवीनतम् राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कुल 17 राष्ट्रीय राजमार्ग (3073 कि.मी. की लम्बाई) छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरते हैं (लोनिवि, छ.ग. शासन की वेबसाईट)। दिसम्बर, 2015 के अंत तक 4462 कि.मी. की राज्य राजमार्ग तथा 11,258 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग एवं 14050 कि.मी. ग्रामीण सड़क का नेटवर्क तैयार हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाए जा रहे हैं।

तालिका 11.20 राज्य में सड़क मार्ग का विवरण

क्र.	विवरण	सड़को की लम्बाई (कि.मी.)	सड़को की कुल लम्बाई पर प्रतिशत
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	3073	9.36
2	राज्यमार्ग	4462	13.59
3	मुख्य जिला मार्ग	11258	34.28
4	ग्रामीण मार्ग	14050	42.78
	कुल	32843	100

स्त्रोत – छ.ग. लोनिवि

11.25 सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात् सड़कों के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहा हैं। इसी कड़ी में वर्ष 2015–16 में 3729 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन जिसमें गिट्टीकरण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य किये गये। 01 रेल्वे ओव्हर ब्रिज, 02 रेल्वे अण्डर ब्रिज, 55 वृहद पुल एवं 12 मध्यम पुल का निर्माण पूर्ण किया गया है, और 07 रेल्वे ओव्हर ब्रिज, 01 रेल्वे अण्डर ब्रिज एवं 161 वृहद पुल प्रगति पर रहे। वर्ष 2015–16 में कुल राशि रू. 5367.21 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध रू. 3295.81 करोड़ व्यय किया गया।

वर्ष 2016–17 में माह 09/2016 तक 1106 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया। 01 रेल्वे ओव्हर ब्रिज, 17 वृहद पुल, 08 मध्यम पुल पूर्ण तथा 07 रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण, 1 रेल्वे ओव्हर ब्रिज का चौड़ीकरण एवं 178 वृहद पुल कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2016–17 में रू. 6820.54 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध माह 09/2016 तक रू. 1427.70 करोड़ का व्यय किया गया हैं।

11.25.1 छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से 15 महत्वपूर्ण राज्य मार्गों एवं जिला मार्गों जिनकी कुल लम्बाई 916.40 कि.मी. के उन्नयन/पुर्ननिर्माण का कार्य किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत रू. 2354.40 करोड़ है। इस योजना के अंतर्गत 14 मार्गों का कार्य प्रगति पर है। एक मार्ग (चिल्फी–रेंगाखार–साल्हेवारा मार्ग लम्बाई 60.81 कि.मी.) का निर्माण कार्य छ.ग. राज्य सड़क विकास निगम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

11.25.2 बायपास मार्ग के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 2 कार्य पूर्ण एवं 5 बायपास मार्ग प्रगति पर थे। वर्ष 2016–17 में 01 बायपास पूर्ण किया गया एवं 05 बायपास मार्ग प्रगति पर है।

11.25.3 रेल्वे ओव्हर/अण्डर ब्रिज के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 01 रेल्वे ओव्हर ब्रिज (अकलतरा रेल्वे ओव्हर ब्रिज), 02 रेल्वे अण्डर ब्रिज (कोटा अण्डर ब्रिज, रामनगर अण्डर ब्रिज) कार्य पूर्ण एवं 08 कार्य प्रगति पर थे। वर्ष 2016–17 में 1 रेल्वे ओव्हर ब्रिज (चकरभाठा–बोदरी रेल्वे मार्ग में) का कार्य पूर्ण हुआ है तथा 08 रेल्वे ब्रिज के कार्य प्रगति पर है।

11.25.4 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य को 74 कार्यो हेतु कुल रू. 995.087 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें से अभी तक कुल 57 कार्य पूर्ण हो चुके है, 11 कार्य प्रगति पर है एवं 06 कार्य निविदा स्तर पर है। इन कार्यो पर वर्ष 2016–17 में माह 09/2016 तक रू. 40.16 करोड़ व्यय किये जा चुके है।

11.25.5 एल.डब्ल्यू.ई. योजनातंर्गत केन्द्र शासन से 54 कार्यों के लिये रू. 2838.40 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें से 25 कार्य पूर्ण हो चुके है, 19 कार्य प्रगति पर है तथा 10 कार्यो की निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है।

भवन कार्यो के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस राजस्व तथा अन्य विभागों के लिये आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 423 भवन कार्य पूर्ण किये गये थे तथा 439 भवन कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो हेतु वर्ष 2015–16 में रू. 830.29 करोड़ के आंबटन के विरूद्ध रू. 669.48 करोड़ व्यय

किये जा चुके है। इस वर्ष इन कार्यो पर माह 09/2016 तक रू. 884.94 करोड़ आंबटन के विरूद्ध रू. 251.02 करोड़ व्यय किया गया है। इस वर्ष अब तक 206 भवन कार्य पूर्ण किये जा चुके है एवं 428 कार्य प्रगति पर है।

छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम का दायित्व छ.ग. राज्य के सड़कों एवं पूलों के साथ–साथ अधोसंरचना का विकास एवं उन्नयन करना है। गठन के पश्चात् निगम को निम्नलिखित कार्यों का विकास एवं उन्नयन का कार्य सौंपा गया है।

- निजी पूंजी निवेश (बीओटी–टोल) के अन्तर्गत रायगढ़–पत्थलगांव मार्ग, लंबाई 110.18 कि.मी., लागत राशि रू. 480.81 करोड़ का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- शासन द्वारा 21 मार्ग, लंबाई 595.445 कि.मी. लागत राशि रू. 1764.71 करोड से उन्नयन की स्वीकृति दी है।
- रायपुर (फाफाडीह) से केन्द्री तक नेरोगेज रेल्वे लाईन के स्थान पर 4 लेन रोड लंबाई 13.00 कि.मी. (शदाणी दरबार) तक का निर्माण लागत 355.00 करोड़ के साथ किया जायेगा।
- छ.ग. राज्य की 16 सीमा जांच चौकियों के एकीकृत आधुनिकीकरण का कार्य अनुमानित निर्माण राशि रू. 318.56 करोड, छ.ग. सड़क विकास निगम को सौंपा गया है।
- इसके अतिरिक्त अंबिकापुर रिंग रोड, लंबाई 10.80 कि.मी., अनुमानित लागत राशि रू. 87.00 करोड़ एवं चिल्फी रेगाखार, साल्हेवारा मार्ग, लंबाई 60.188 कि.मी. के निर्माण का दायित्व भी छ.ग. सड़क विकास निगम को सौंपा गया है।

❖ **वर्ष 2015–16 में पूर्ण हुए महत्वपूर्ण भवन कार्यों की जानकारी :–**

- बिलासपुर में राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण लागत रू. 111.84 करोड़।
- जिला अस्पताल पंडरी, रायपुर में भवन निर्माण लागत रू. 14.24 करोड़।
- रायपुर में आर.टी.ओ. कार्यालय भवन का निर्माण लागत रू. 7.49 करोड़।
- चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, रायपुर में पी.जी. बालक छात्रावास का निर्माण, लागत रू. 3.18 करोड़।
- अरमरीकला (बालोद) वि.ख. गुरूर जिला बालोद में शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण लागत रू. 2.08 करोड़।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महासमुन्द, कोरबा एवं रायपुर में 100–100 सीटर छात्रावास भवन निर्माण लागत रू. 7.81 करोड़।
- जिला दुर्ग एवं जिला कोरबा पुलिस लाईन एवं प्रशासकीय भवन का निर्माण लागत रू. 5.95 करोड़। (प्रत्येक 2.97 करोड़)

❖ **वर्ष 2016–17 में महत्वपूर्ण भवन जो इस वर्ष 09/2016 तक पूर्ण किये गये है :–**

- नवीन जिला मुंगेली में संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण – रू. 22.36 करोड़।
- जिला–उत्तर बस्तर कांकेर एवं कोरिया में कम्पोजिट भवन का निर्माण – रू. 10.88 करोड़।
- शासकीय पालिटेक्निक दुर्ग के भवन का विस्तार – रू. 4.22 करोड़।
- बलौदा (महासमुन्द), पाली जिला कोरबा, मगरलोड जिला धमतरी, प्रेमनगर जिला सरगुजा, तपकरा एवं दुलदुला जिला जशपुर, ओड़गी जिला सूरजपुर में महाविद्यालय भवन निर्माण–रू. 14.81 करोड़।
- धमतरी एवं बेमेतरा में शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य – रू. 4.26 करोड़।

❖ **वर्ष 2015–16 में पूर्ण हुए महत्वपूर्ण पुलों की जानकारी :–**

- कसडोल के सिरपुर बल्दाकछार मार्ग के कि.मी. 57/2 पर टेमरी के पास दैतला नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 2.11 करोड़।
- गरियाबंद कोचवाय मार्ग के कि.मी. 5/6–8 पर पैरी नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 12.00 करोड़।
- ग्राम बरबसपुर (गंडई) जिला राजनांदगॉव, विकासखण्ड छुईखदान में पुल निर्माण लागत रू. 2.00 करोड़।
- नारायणपुर के खण्डसरा से सोरगांव मार्ग कि.मी. 1/6 कोसारटेडा नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 2.20 करोड़।
- लोरमी के ग्राम डिंडौरी नवागांव दयाली विकासखण्ड लोरमी के मध्य रहन नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 1.72 करोड़।
- अकलतरा में हावड़ा–नागपुर मेन रेल मार्ग के कि.मी. 691/31–1 पर रेल्वे क्रासिंग के पास रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण लागत रू. 12.93 करोड़।

❖ **वर्ष 2016–17 में महत्वपूर्ण पुल कार्य जो इस वर्ष 09/2016 तक पूर्ण किये गये है :–**

- ग्राम पंचायत खपरी (जरवायडीह) भैंसबोड़ पहुच मार्ग एवं नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 4.42 करोड़।
- मूड़पार से गड़िया माहामाया मार्ग पर आमनेर नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 3.40 करोड़।
- छिन्दगढ़ से पतिनाईकरास पहुच मार्ग कि.मी. 2/8 पर जाजल नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 3.35 करोड़।
- तिलसिवा सरस्वतीपुर मार्ग पर रेहन्ड नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 4.52 करोड़।

- बिटकुली जागड़ा मार्ग जमुनैया नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 5.55 करोड़।
- सिहावा/धमतरी के बाजार कुर्रीडीह पीपरछेड़ी मार्ग पर घोरड़गी नाला पर पुल निर्माण लागत रू. 2.27 करोड़।
- पंडरिया के कुई से कुकदूर मार्ग के कि.मी. 19/4 पर स्थित आगर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण लागत रू. 2.46 करोड़।
- रैरूमाखुर्द—भालूपखना मार्ग पर मांड नदी पर पुल निर्माण लागत रू. 2.38 करोड़।

11.26 वाहन :— वर्ष 2015—16 माह सितंबर 15 तक 300250 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्षान्त (31 मार्च 16) तक 496592 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्ष 2016—17 में माह सितंबर 16 तक 210444 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

जनगणना 2011 अनुसार 15.6 प्रतिशत एवं 2.2 प्रतिशत परिवार क्रमशः दोपहिया मोटर वाहन एवं चारपाहिया वाहन उपलब्ध है। राज्य में परिवहन विभाग 27 कम्प्युटराईज्ड कार्यालयों से संयोजित है। परिवहन विभाग की सभी प्रक्रिया कम्प्युटराईज्ड की जा रही है, जिससे इन्टरनेट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी या नागरिकों द्वारा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य है, जिसने वाहन एवं सारथी योजना सम्पूर्ण राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर ली है।

11.27 राज्य में रेल्वे लाइन का विकास

1. राज्य के गठन के पूर्व राज्य में 1196 कि.मी. का रेल्वे नेटवर्क था।

1.1 दो रेल्वे कॉरीडोर की स्थापना प्रगति पर है—

(1) ईस्ट कॉरीडोर —खरसीया, धरमजयगढ़—कोरबा

(2) ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर—गेवरा, पेण्ड्रो रोड, कुल लंबाई 311 कि.मी.,

1.2 दल्ली राजहरा—रावघाट परियोजना— निर्माणाधीन—95 कि.मी.,

कार्यपूर्ण — 17 कि.मी. (दल्ली राजहरा—गुदुम)

1.3 विस्तृत सर्वे— रावघाट--जगदलपुर परियोजना — 140 कि.मी. की स्थापना हेतु सर्वे कार्य पूर्ण।

1.4 राज्य में रेल्वे नेटवर्क की वृद्धि हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। व एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी गठित की गयी है। जिसका कार्य राज्य में Financially Viable परियोजनाओं का चयन कर स्वयं या Project SPV बनाकर क्रियान्वयन करना है।

1.5 संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नांकित चार रेल्वे परियोजनाएँ क्रियान्वयन हेतु चिन्हांकित किया गया है, ये योजनाएँ SPV के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

i. डोंगरगढ़–खैरागढ़–कवर्धा–मुंगेली–कोटा–कटघोरा, 270 कि.मी.

ii. रायपुर–झारसुगुड़ा व्हाया बलौदाबाजार 310 कि.मी.,

iii. अम्बिकापुर – बरवाडीह 182 कि.मी.,

iv. सूरजपुर–परसा, 122 कि.मी., यह परियोजना ईस्ट/इस्ट वेस्ट कॉरीडोर के तहत है।

11.27.1 रेल परिवहनः–

छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो वृहद् मात्रा में कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों का परिवहन संपूर्ण देश तथा राज्य के अंदर करती है। राज्य में फैला हुआ अधिकांश रेल्वे नेटवर्क दक्षिण–पूर्व–मध्य रेल्वे क्षेत्र के भौगोलिक कार्यक्षेत्र के अधीन है। भारतीय रेल्वे का यह क्षेत्र बिलासपुर में केंद्रीकृत है, जो क्षेत्रीय मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाली बंगाल–नागपुर रेल्वे लाईन 1882 में पूर्ण हुई। लम्बी दुरी वाली रेलों मुख्य रेल्वे जंक्शन रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर है। राष्ट्र का सर्वाधिक सामग्री छत्तीसगढ़ से लदाई किया जाता है, जिससे भारतीय रेल राजस्व का 1/6 भाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त करता है। राज्य के रेल नेटवर्क की लंबाई 969.63 कि.मी. है एवं मौजूदा रेल्वे लाईन के विस्तार के साथ ही नई रेल्वे लाईन भी बिछाई जा रही है। निम्नांकित नवीन रेल्वे लाईनों का निर्माण प्रक्रियाधीन हैः–

1. दल्ली–राजहरा–जगदलपुर रेल लाईन
2. पेंड्रारोड–गेवरारोड रेल लाईन
3. रायगढ़–मांड कोलरी से भूपदेवपुर रेल लाईन और
4. भरवाडीह–चिरमिरी रेल लाईन

11.28 वायु परिवहन

वर्तमान में अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में वायु परिवहन अधोसंरचना न्यून है। रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल (Airport) एक मात्र वाणिज्यिक विमानतल है। अप्रैल से नवंबर की अवधि में वर्ष 2015–16 की तुलना से वर्ष 2016–17 में वायु परिवहन में यात्रियों की संख्या में 13.9 प्रतिशत वृद्धि हुई एवं मालवहन में 2.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। विस्तृत जानकारी – तालिका क्रमांक 12.19 में दर्शित है।

तालिका 11.21 विमानतल द्वारा यात्री परिवहन

विमानतल	अप्रैल–नवंबर 2015	अप्रैल–नवंबर 2016	वृद्धि (प्रतिशत)
रायपुर (डोमेस्टिक)	7.79 लाख	8.88 लाख	13.9
देश के घरेलू (डोमेस्टिक) विमानतल	80.72 लाख	97.83 लाख	21.2
देश के सभी विमानतल (डोमेस्टिक एवं अंतर्राष्ट्रीय)	1438.26 लाख	17129.76 लाख	19.1
विमानतल द्वारा मालवहन			
विमानतल	अप्रैल–नवंबर 2015	अप्रैल–नवंबर 2016	वृद्धि (प्रतिशत)
रायपुर (डोमेस्टिक)	2976 टन	3062 टन	2.9
देश के घरेलू (डोमेस्टिक) विमानतल	19433 टन	21837 टन	12.4
देश के सभी विमानतल (डोमेस्टिक एवं अंतर्राष्ट्रीय)	1799938 टन	1954844 टन	8.6

राज्य सरकार ने जुलाई, 2013 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से द्वितीय घरेलू उड़ानों के लिए रायगढ़ एयरपोर्ट के विकास हेतु अनुबंध–पत्र हस्ताक्षर कराए। राज्य में निम्नांकित हवाई पट्टियाँ उपलब्ध हैं :–

1 बिलासपुर विमानतल, बिलासपुर

2 जगदलपुर विमानतल, जगदलपुर

3 नंदिनी विमानतल, भिलाई

4 बैकुंठ हवाई पट्टी, बैकुंठपुर

5 जेएसपीएलस हवाई पट्टी, रायगढ़

6 दरिमा हवाई पट्टी, अम्बिकापुर

7 कोरबा हवाई पट्टी, कोरबा

8 अगडीह हवाई पट्टी, जशपुर

11.29 जल परिवहनः– यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सी नदियां है जो पूरे राज्य में फैली हुई हैं तथापि जल परिवहन यहां विकसित नहीं है। वर्षा ऋतु में शबरी नदी (जिला सुकमा) पर आंशिक व्यासायिक गतिविधियाँ की जाती हैं।

संचार

11.30 डाक सेवाएंः—12 नवम्बर, 2001 को छत्तीसगढ़ डाक वृत्त की स्थापना हुई। दिसम्बर 2016 के अंत में राज्य में 10 मुख्य डाक घर, 328 उपमुख्य डाकघर एवं 2809 शाखा कार्यालय कुल 3157 डाकघरों के विशाल नेटवर्क है।

11.30.1 टेलीफोन एवं ब्राडबैंडः— छत्तीसगढ़ राज्य में दूरसंचार सेवाएं (मोबाईल एवं ब्राडबैंड सहित) भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ ही विभिन्न निजी कम्पनियों जैसे एयरटेल, आईडिया सेल्युलर, रिलायन्स, वोडाफोन तथा टाटा आदि द्वारा प्रदाय की जा रही है। जनगणना 2011 अनुसार राज्य में 30.7% परिवारों को टेलीफोन व मोबाईल की सुविधा उपलब्ध है।

11.30.2 कुरियर सेवाएंः— छत्तीसगढ़ राज्य में निजी कम्पनियां कुरियर सेवाएं प्रदान कर रही है, जैसे—डीएचएल, फर्स्टफलाईट, ब्लूडार्ट, मधुर कोरियर इत्यादि।

12

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

मुख्य बिन्दु

- मनरेगा – वित्तीय वर्ष 2015–16 में 21.21 लाख परिवारों को रोजगार, 949.19 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 49 है। वर्ष 2015–16 में 2,16,418 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- वर्ष 2016–17 में सितम्बर तक 18.20 लाख परिवारों को रोजगार, 629.47 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 50। वर्ष 2016–17 में सितम्बर तक 64,583 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- वर्ष 2015–16 में उपलब्ध राशि 1324 करोड़ रू. से 1243 करोड़ रू. व्यय। वर्ष 2016–17 में सितम्बर तक उपलब्ध राशि 2047 करोड़ रू. से 1883 करोड़ रू. व्यय।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान"** (NRLM) – वर्ष 2015–16 में सामुदायिक निवेश निधि से 4942 स्व–सहायता समूहों को रू. 3428.00 लाख, वर्ष 2016–17 में सितम्बर तक 3612 समूहों को रू. 2167.00 लाख ऋण प्रदाय। चक्रिय निधि से 2015–16 में 8169 स्व–सहायता समूहों को रू. 1225 लाख, 2016–17 में सितम्बर तक 6054 समूहों को रू. 908 लाख प्रदाय।
- बैंक क्रेडिट लिंकेज अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 14179 स्व–सहायता समूहों को रू. 17735 लाख तथा वर्ष 2016–17 में सितम्बर 2016 तक 6297 इकाई को को रू. 8237 लाख जारी
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** – 2016–17 में 166801 आवास निर्माण हेतु रू. 208942 लाख का आवंटित।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** – 2015–16 में 1848.31 कि.मी. लंबाई की 542 सड़कें एवं 24 वृहद – पुल निर्माण, 2016–17 में सितंबर तक 312.11 कि.मी. लंबाई की 88 सड़कें, एवं 28 वृहद–पुल निर्माण पूर्ण।
- **मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना** – अद्यतन स्वीकृत 1287 सड़कें, लंबाई 4084. 62 कि.मी., में से नवम्बर 2016 तक 2750. 70 कि.मी. लंबाई की 943 सड़क पूर्ण।
- **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना** – अद्यतन कुल 1619.30 कि.मी. लंबाई की 5458 गौरव पथ का निर्माण कार्य पूर्ण।
- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा – ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों की सीमा राशि रू. 12.00 लाख से बढ़ाकर 20.00 लाख।
- नवगठित 06 जिलों में जिला पंचायत भवन निर्माण पूर्ण। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर।
- खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए 3000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में मिनी स्टेडियम (खेल मैदान) निर्माण हेतु राशि रू. 51.24 लाख प्रति कार्य से कुल 131 कार्य स्वीकृत।
- नव गठित 1254 ग्राम पंचायतों एवं 264 भवनहीन ग्राम पंचायतों, में कुल 1518 नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है, जिनमें 44 पूर्ण।
- 36 विकासखण्डों में स्वीकृत जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र भवनों का निर्माण पूर्ण।
- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** – अद्यतन 02 जिले, 33 विकासखण्ड, 5263 ग्राम पंचायत सहित प्रदेश के 9201 ग्राम खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) हो चुके हैं। सांसद एवं विधायक आदर्श ग्राम योजना – क्रमशः 15 एवं 70 ग्राम पंचायत ODF ।

ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ में त्रि–स्तरीय पंचायत राजव्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों (11वीं अनुसूची) का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255 मिलियन है। जहां 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, इस प्रकार राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है।

12.1 वर्तमान में प्रदेश में 27 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें तथा 10,971 ग्राम पंचायतें स्थापित हैं। प्रदेश के कुल 27 जिलों में से 13 जिले पूर्णरूपेण एवं 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 85 जनपद पंचायतें एवं 5,050 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। पंचायतराज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केन्द्र से प्राप्तियां शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में गाँव की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका – 12.1 ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
छ.ग. कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.40	176.15	208.33	255.45
छ.ग. पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	9.42	22.72	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
छ.ग. ग्रामीण जनसंख्या (%)	70.93	83.91	104.29	119.52	145.5	166.47	196.08
छ.ग. पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		18.30	24.29	14.60	21.74	14.41	17.79
छ.ग. पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (%)		12.98	20.38	15.23	25.98	20.97	29.61
छ.ग. कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जन संख्या के अनुपात में (%)	95.12	91.66	89.62	85.31	82.60	79.91	76.76
भारतः कुल जनसंख्या (लाख)	3611	4392	5482	6833	8464	10287	12109
भारतः पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	13.31	21.64	24.8	28.66	23.87	21.54	17.7
भारत : ग्रामीण जनसंख्या(लाख)	2987	3603	4391	5238	6288	7426	8338
भारतः पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		20.62	21.87	19.29	20.05	18.10	12.28
भारतः पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (लाख)		616	788	847	1050	1138	912
भारतः कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में (%)	82.72	82.04	80.10	76.66	74.29	72.19	68.86

उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है की छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशको में समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पायी गयी है। जहां वर्ष 1951 में कुल जन संख्या का ग्रामीण भाग 95 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 77 प्रतिशत तक हो गया है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.93 लाख थी जो अब 2011 जनगणना के अनुसार 196.08 लाख है।

12.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा, पानी तथा साफ–सफाई, पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक हैं, विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास, विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। भारत ग्रामीण विकास में अभी भी बहुत पीछे है।

तालिका 12.2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक

सूचकांक	2013			2014		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अशोधित जन्म दर	24.4	25.8	17.9	23.4	25.0	18.4
सामान्य प्रजनन क्षमता	89	95.7	60.7	85.2	92.7	62.7
कुल प्रजनन क्षमता दर	2.6	2.8	1.8	2.6	2.8	1.9
सकल प्रजनन दर	1.6	1.3	0.9	1.3	1.4	0.8
सामान्य वैवाहिक प्रजनन क्षमता दर	123.4	130.8	90	118.4	127.9	89.4
कुल वैवाहिक प्रजनन क्षमता दर	4.5	4.5	3.9	4.6	4.9	3.7
शिशु मृत्यु दर	46	47	38	43	45	34
5 साल के नीचे मृत्यु दर	53	56	38	49	52	37
अशोधित मृत्यु दर	7.9	8.4	5.9	7.7	8.3	5.8

निम्न तालिकाओ में छत्तीसगढ़ के सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

तालिका 12.3 जीवित जन्म 2008–13– संस्थागत प्रसव(सरकारी / गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5	71.8
ग्रामीण	30.7	35.9	43	50.3	60.5	64.0	68.2
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3	85.2

तालिका 12.4 मृत्यु 2008–13– संस्थागत (सरकारी / गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1	35.9
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8	31.5
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7	56-8

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम / योजनायें संचालित की जा रही हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा – आजीविका परियोजनाएं, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना आदि का क्रियान्वन किया जा रहा है. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास (Rural Development) निम्नलिखित अवधारणाओं का समावेश है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान, पीने के पानी के साथ स्कूलों का संचालन, स्वास्थ्य सुविधायें, सड़क, विद्युतीकरण आदि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार।
- सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू करना ।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व व्यक्तिगत परिवारों को स्वयं सहायता समूह (SGH) के माध्यम से क्रेडिट और सब्सिडी के द्वारा उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सहायता।

12.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में प्रथम चरण में 11 जिले में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। दिनांक 01 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।

- अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।
- किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है उनके द्वारा आवेदन किये जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी लागू है।
- काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम–2013" का छत्तीसगढ़ में बनाया गया है।
- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013–14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
- वनाधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान की जाती है।

- योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार द्वारा राज्य के IAP जिलों में आवश्यकता पड़ने पर नगद मजदूरी भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है।

- योजनांतर्गत वर्तमान में रू0 167/— प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

- योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।

- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कुछ कार्यों के लिये मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है :— भूमि का उत्पादकता बढ़ाने हेतु—कुआँ खोदने के लिये पंप सेट, कम्प्रेसर हैमर, लिफ्ट डिवाईस, सड़क निर्माण के लिये—पावर रोलर, ट्रेलर माउन्टेड वाटर ब्रोसर, स्टैटिक स्मूथ विल्ड रोलर आफ 8—20 टन वेट, मैक्निकल मिक्सर, मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिये—मिक्सर और मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन—मशीन फार सी एस ई बी का प्रावधान किया गया है।

12.3.1 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व :—

- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु **''छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गांरटी शिकायत निवारण नियम,** 2012'' बनाया गया है। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है।

- पारदर्शिता तथा Realtime MIS अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु पूरे राज्य में e-Muster Roll का प्रयोग किया जा रहा है।

12.3.2 गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण :— योजनांतर्गत गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं के साथ ही पी.एम.जी.एस.वाय. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना के अभियंताओं के द्वारा भी मैदानी स्तर पर सतत् पर्यवेक्षण की जा रही है।

12.3.3 भुगतान प्रक्रिया :— मजदूरी भुगतान में विलंब को कम करने के उद्देश्य से PFMS/e-FMS प्रणाली अपनाई जा रही हैं। DBT (Direct Benefit Transfer) योजना के तहत आधार/EID नम्बर आधार पर संबंधित हितग्राही के खाते को अद्यतन किया जा रहा है।

12.3.4 मातृत्व अवकाश भत्ता :— राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत कार्यरत ऐसे महिला श्रमिकों को जो विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है जिसका वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निम्न कार्य किए जाता है :–

- प्राकृतिक संसाधन से संबंधित लोकनिर्माण
- दुर्बल वर्ग के लिये अस्तियाँ का निर्माण
- एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अधोसंरचना
- ग्रामीण अधोसंरचना

12.3.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति :– योजनांतर्गत वर्ष 2015–16 के अप्रैल 2015 से मार्च 2016, अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 एवं वर्ष 2016–17 के अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक के प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका क्र. 12.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति

क्र.	मद	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17
		अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितम्बर	अप्रैल से सितम्बर
1	पंजीकृत परिवारों की संख्या लाख	39.11	39.25	36.75
2	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या	21.21	10.09	18.20
3	उपलब्ध राशि करोड़	1324.08	966.11	2047.37
4	व्यय राशि करोड़ (प्रतिशत)	1242.85 (94)	582.55 (60)	1883.22 (92)
5	लाख मानव दिवस सृजित	949.19	236.91	629.47
6	महिलाओं का प्रतिशत	49	48	50
7	स्वीकृत कार्यों की संख्या	360333	244034	412713
8	पूर्ण कार्यों की संख्या	31089	15952	109683
9	100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या लाख	2.16	0.13	0.64

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 के अप्रैल से सितम्बर अवधि में राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रगति वर्ष 2015–16 के इस अवधि के तुलना मे, विशेषतः लाख मानव दिवस सृजन, व्यय, एवं पूर्ण कार्यों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में बेहतर रहा ।

12.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' (NRLM) :– स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुर्नगठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 1.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 60.40 के अनुपात मे किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इस योजना में शामिल है एवं मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य किया जाना है।

12.5 सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund) :– राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्व–सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़वा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है, जिसके अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 50–75 हजार रूपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी वापसी स्व–सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है।

सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन (Cluster Level Federation-CLF) के लिये अनुदान है, परन्तु ग्राम संगठन, स्व सहायता समूह एवं उनके सदस्यों के लिये ऋण के रूप में दिया जाता है। जहां पर संकुल स्तरीय संगठन का गठन हो चुका है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि सीएलएफ के माध्यम से दिया जाता है, परन्तु जिस विकासखण्ड में संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि की राशि सीधे स्व सहायता समूहों को जनपद के माध्यम से दिया जा रहा है।

तालिका क. 12.6 सामुदायिक निवश कोष

क्र	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि %
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2015-16 (अप्रैल से सितम्बर तक)	4800	2487	1492.2	51%
2	2015-16 (अप्रैल से मार्च तक)	4800	4942	3428	103%
3	2016-17 (अप्रैल से सितम्बर तक)	4550	3612	2167	79%

12.6 चक्रिय निधि (Revolving Fund) :- चक्रिय निधि की परिकल्पना स्व सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने, कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूहों के विकास हेतु एक तंत्र के रूप में की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वैसे स्व सहायता समूह जो तीन माह से पंचसूत्र (नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन–देन, नियमित ऋण वापसी तथा नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण) का पालन कर रहे हों, उन्हें 15,000/– रूपये की राशि चक्रिय निधि के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

तालिका क. 12.7 चक्रिय निधि

क.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2015-16 (अप्रैल से सितम्बर तक)	10050	4068	610	40%
2	2015-16 (अप्रैल से मार्च तक)	7150	8169	1225	114%
3	2016-17 (अप्रैल से सितम्बर तक)	8992	6054	908	67%

12.7 बैंक लिंकेजः– महिला स्व–सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। महिला स्व–सहायता समूहों को रिपीट ऋण के माध्यम से निरंतर बैंको से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित महिला स्व–सहायता समूह 03 % के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है प्रदेश में वर्तमान में कुल 64000 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित स्व–सहायता समूह है।

तालिका क. 12.8 स्व–सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज

स.क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायतासमूह	राशि (लाख में)	
1	2015-16 (अप्रैल से सितम्बर तक)	15000	2820	3238	16%
2	2015-16 (अप्रैल से मार्च तक)	15000	14179	17735	94%
3	2016-17 (अप्रैल से सितम्बर तक)	34382	6297	8237	18%

12.8 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU&GKY) :– पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कौशल उन्नयन विशेष परियोजना को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU&GKY) लागू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत एक परियोजनावधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल हैं। कौशल उन्नयन अंतर्गत 15–35 वर्ष के ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को विभिन्न व्यवसाय अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाकर कम से कम 75 % प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थाओं (Formal Sector) में जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर नियोजित किया जा रहा है। वर्तमान में योजनांतर्गत कुल 11 परियोजना लागत राशि रू. 137 करोड़ 37,202 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत है।

12.9 रोशनी कार्यक्रम (नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना) :– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 08 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित जिले क्रमशः बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव तथा बलरामपुर शामिल किया गया है। इन जिलों में प्रदेश की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जावेगा। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। लगभग 15000 युवाओं को आगामी 3 वर्षो में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। रोशनी परियोजना अंतर्गत 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन भी किया जावेगा। इन प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर भी किया जा सकता है। वर्तमान में योजनांर्तत कुल 03 परियोजना राशि रू. 28 करोड़ 6329 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत है।

12.10 R-SETI (Rural Self Employment Training School) :- बी.पी.एल. हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में लीड बैंक के माध्यम से R-SETI की स्थापना की गई है। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वार किया जा रहा है। एक माह के प्रशिक्षण हेतु रू. 4000/– तथा एक माह से

अधिक प्रशिक्षण हेतु अधिकतम रू. 5000/– का प्रावधान है। युवाओं के रूचि के आधार पर उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जा रहे है साथ ही उन्हें स्वरोजगार स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर बैंक ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा रहा है।

12.11 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :– आवास मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है इंदिरा आवास योजना के स्थान पर दिनांक 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत इस वर्ष 166801 आवास निर्माण का लक्ष्य की पूर्ति के लिए 208942.40 लाख का एलोकशन निर्धारित है।

- वर्ष 2016–17 में SECC डाटा 2011 में दिए गए आकड़ों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है।

- योजनांतर्गत न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में ही आवास का निर्माण किया जाना है। जिसमें कम से कम एक कमरा पक्की छत, सीमेंट कांक्रीट स्लैब से निर्माण किया जाना है। आवास के साथ रसोई तथा शौचालय का निर्माण भी आवश्यक है।

- योजनांतर्गत राशि का अनुपात 60:40 निर्धारित है। वर्ष 2016–17 से सामान्य जिलों के लिए राशि रू. 1.20 लाख एवं आई.ए.पी. जिलों के लिए 1.30 लाख प्रति आवास इकाई लागत निर्धारित की गई है जो 03 किश्तों में 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के मान से एफ.टी.ओ (F.T.O.) के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में राशि का भुगतान किया जावेगा।

- इसके अलावा आवास में शौचालय निर्माण के लिए मनरेगा से राशि रू. 12,000 प्रति शौचालय के मान से होगा। हितग्राहियों को राशि रू. 70,000 तक का ऋण अगर हितग्राही चाहे तो उपलब्ध कराया जा सकता है।

- मनरेगा के अंतर्गत चयनित सामान्य जिले के हितग्राहियों को मानव दिवस के रूप में 90 एवं आई.ए.पी. जिलों के हितग्राहियों को 95 दिवस का रोजगार भी उपलब्ध कराया जायेगा।

- इस प्रकार अभिसरण के माध्यम से सामान्य जिले के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रू. 1.47 लाख एवं आई.ए.पी. जिलों के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रू. 1.57 लाख मिलेगा।

- योजनातंर्गत अच्छी गुणवत्ता युक्त आवास निर्माण के लिए कुशल प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से आवास निर्माण कराने हेतु योजनांतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें आवास निर्माण के दौरान प्रथम चरण में लगभग 5 हजार चयनित आवासों में स्थानीय ग्रामीण हितग्राहियों को रूरल मेंशन ट्रेनिंग दिए जाने का प्रावधान है।

- वर्ष 2015–16 में योजनांतर्गत 36,158 में से माह नवम्बर 2016 तक 9404 आवास निर्माण कार्य पूर्ण किये गये है। योजनांतर्गत राशि रू. 25310.723 लाख का एलोकेशन में से अब तक राशि रू. 22880.247 लाख व्यय हुआ।

12.12 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :– गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जावे। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12. 2000 को ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि ''सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है''। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डो में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया हे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

12.12.1 प्राथमिकता :–

प्रथम – सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों (आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों) को बारामासी मार्ग से जोड़नें का कार्य

दूसरी – सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें (आदिवासी तथा पहाड़ी एवं आईएपी जिलों में क्षेत्र की स्थिति में 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें) को बारामासी मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़क निर्माण

तीसरी – सभी मुख्य मार्गों (Through Routes) का उन्नयन

चौथी – सभी संपर्क मार्ग (Link Routes) का उन्नयन

वर्ष 2015–16 में 542 सड़कें लंबाई 1848.31 कि.मी. एवं 24 वृहद – पुल पूर्ण कर रू. 762.31 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2015–16 में माह सितंबर तक 294 सड़कें, लंबाई 985.53 कि.मी. एवं 05 वृहद – पुल पूर्ण कर रू. 329.26 करोड़ व्यय किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में सितंबर तक 88 सड़क, लंबाई 312.11 कि.मी. एवं 28 वृहद–पुल पूर्ण कर रू. 175 करोड़ का व्यय किया गया है।

12.13 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :– 23 अप्रैल 2011 से लागू राज्य पोषित योजना अंतर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नही है, के अनुरूप कोर नेटवर्क में शामिल उन बसाहटों को जोडने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकासखण्डों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) की बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है।

इस योजना अंतर्गत अद्यतन 1287 सड़कें, लंबाई 4084.62 कि.मी., राशि रू. 1971.63 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। माह नवम्बर 2016 तक 943 सड़कों में 2750.70 कि.मी. लंबाई पूर्ण कर रू. 1273.33 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2016–17 हेतु इस योजना के लिए रू. 300 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध माह–नवंबर तक रू. 95.30 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 (सितंबर तक) की उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रू.में, लंबाई कि.मी. में)

तालिका क. 12.9 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना

स.क.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
1	2015-16 (अप्रैल से सितम्बर तक)	123	438.63	116.62
2	2015-16 (अप्रैल से मार्च तक)	219	656.68	271.93
3	2016-17 (अप्रैल से सितम्बर तक)	50	145.26	81.04

12.14 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना :– वर्ष 2012–13 से लागू। सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण (शहरो में गौरव पथ के तर्ज पर), कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6.00 मी. चौड़ाई की सड़क, बीच में 4.00 मी. चौड़ाई में कांक्रीट मार्ग निर्माण, 0.50 मी. चौड़ाई में दोनो तरफ कांक्रीट पेविंग/खरंजा तथा शेष चौड़ाई में दोनो तरफ 0.50 मी. चौड़ाई में "V" आकार की नाली का निर्माण किया जाता है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत कम से कम एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। यदि अपरिहार्य कारणों से एक तरफ भी नाली निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में गौरवपथ का निर्माण प्रारंभ नहीं कर कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित करने के निर्देश है।

इस योजना अंतर्गत अब तक 6373 सड़कें, लंबाई 1809.173 कि.मी., लागत रू. 1081.27 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अद्यतन कुल 5458 गौरव पथ, लंबाई 1619.30 कि.मी. पूर्ण किये गए जिनमें रू. 762.54 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2016–17 में इस योजना हेतु रू. 175 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है, जिसके विरूद्ध इस वित्तीय वर्ष में माह–नवंबर तक रू. 66.07 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 (सितंबर तक) की उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रू.में, लंबाई कि.मी. में)

तालिका क. 12.10 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना

स.क.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
1	2015-16 (अप्रैल से सितम्बर तक)	224	63.59	40.00
2	2015-16 (अप्रैल से मार्च तक)	936	302.05	147.75
3	2016-17 (अप्रैल से सितम्बर तक)	319	115.01	50.61

12.15 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा :– ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जा रहे (कुल विकासखण्ड – 146, के 10971 ग्राम पंचायतों में) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करना, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना तथा निर्माण कार्यों का स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाता है तथा किये गये कार्यों का समय–समय पर स्थल निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रोजगार मूलक योजनाओं तथा अन्य विभागों के जमा निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों मे तकनीकी सहायता हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यरत है।

ग्राम पंचायत के माध्यम से संपादित कराये जा रहे वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 माह सितम्बर 2016 की स्थिति में :–

(राशि रू. करोड़ में)

तालिका क्र12.11 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

क्र.	वर्ष	स्वी. कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्य	स्वी. राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2015-16	68916	38365	1780.61	1276.36	8085.88	
2	2016-17	34054	10222	1022.28	616.74	285.80	माह सितम्बर तक

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत संपादित निर्माण कार्यों वित्तीय वर्ष 2015–16 से सितम्बर 2016 तक की उपलब्धि की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि रू. करोड़ में)

तालिका क्र12.12 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

क्र.	वर्ष	स्वी. कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्य	स्वी. राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2015-16	7633	4385	964.12	534.34	399.60	
2	2016-17	3786	855	597.63	567.41	102.42	माह सितम्बर तक

12.16 सांसद आदर्श ग्राम योजना :– 11 अक्टूबर, 2014 से पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई। प्रथम चरण के दौरान छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत समस्त 16 ग्रामों में बेस लाईन सर्वे कार्य पूर्ण किया जाकर ग्राम विकास योजना (VDP) तैयार की गई। जिलों द्वारा तैयार किए गये ग्राम विकास योजना में शामिल कार्यो की स्वीकृति हेतु VDP की प्रगति संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया गया। सभी 16 सांसद आदर्श ग्राम की ग्राम विकास योजना में दर्शित ऐसे कार्य जों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित समग्र विकास योजना में लिए जा सकते हैं, उनकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसी कड़ी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा समस्त ग्रामों में नल–जल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि रू. 924.84 लाख की परियोजना स्वीकृति कर कियान्वयन किया जा रहा हैं। सभी पंचायतों में लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। सभी पंचायतों में शत–प्रतिशत टीकाकरण, तथा संस्थागत प्रसव हो रहा है। सभी चयनित ग्राम पंचायतों ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर कर के माध्यम से स्वयं के आय का साधन तैयार किया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम पंचायतो में से 15 ग्राम पंचायत ODF (खुले में शौच से मुक्त) हो चुकी है तथा 16 वी ग्राम पंचायत में भी 95 प्रतिशत घरों में शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। स्वच्छता को केन्द्र में रखते हुए सभी 16 ग्रामों में महात्मा गांधी नरेगा, चौदहवा वित्त एवं मूलभूत योजना के अभिसरण द्वारा प्रत्येक घर से कचरा उठाने एवं बेहतर निपटारा के लिए ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन परियोजना तैयार कर कियान्वयन किया जा रहा है।

सभी 16 ग्राम पंचायतों को सघन विकास ग्राम के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन में शामिल किया गया हैं। कौशल विकास एवं रोजगार हेतु 16 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, रोशनी परियोजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत शामिल करते हुए युवक/युवतियों को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। द्वितीय चरण में सभी माननीय सांसदों द्वारा योजना के तहत अन्य ग्राम का चयन किया जाना है, अब तक 06 सांसदों द्वारा द्वितीय चरण के ग्रामों का चयन कर लिया गया हैं ।

12.17 विधायक आदर्श ग्राम योजना :–माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर विधायकों से भी एक–एक ग्राम पंचायत को विकसित करने का सुझाव दिया गया। जिसके तारतम्य में 01 अप्रैल 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 90 विधायकों द्वारा एक–एक ग्राम का चयन किया गया है। ग्राम के विकास के लिये समस्त चयनित ग्रामों का बेसलाईन सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गई है। विधायक आदर्श ग्राम योजनांतर्गत विस्तृत "दिशा–निर्देश" तैयार कर वेबपोर्टल के माध्यम से सर्वसंबंधित को उपलब्ध कराया गया है।

समस्त विधायक आर्दश ग्राम में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी विद्यालयों में विद्यार्थीयों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है। सम्पूर्ण टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव पर विशेष बल दिया जा रहा है। कठिन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सोलर वाटर एटीएम एवं नल कूप की स्थापना की गई है। साथ ही वंचित परिवारों की आजीविका संवर्द्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

चयनित ग्रामों में से 70 ग्राम खुले में शौच मुक्त (ODF) हो चुके है तथा शेष 20 ग्राम माह दिसंबर, 2016 अंत तक खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे। योजनांतर्गत द्वितीय चरण में माननीय विधायकों द्वारा 39 गांवों का चयन किया जा चुका है, तथा शेष ग्राम के चयन हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

12.18 स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) :–_पूर्व संचालित निर्मल भारत अभियान के स्थान पर 02 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य देश की सभा ग्राम पंचायतों को 02 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त आई.ई.सी. के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं का बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ, सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिश्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय हेतु रू. 12,000/– (रू. 10,000/– शौचालय निर्माण हेतु एवं रू. 2,000/– पानी की व्यवस्था तथा हाथ धोने का प्लेटफार्म हेतु) प्रावधानित है। प्रोत्साहन राशि हेतु लाभित वर्ग के पात्र हितग्राही के अंतर्गत समस्त बी.पी.एल., अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा ए.पी.एल. लघु व सीमान्त कृषक, ए.पी.एल. ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन ए.पी.एल. परिवार, विकलांग व ऐसे ए.पी.एल. परिवार जिसमें महिला या विकलांग मुखिया हो आते हैं।

योजनांतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) हेतु निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है :–

1. 150 घर परिवार तक के लिये रू. 7 लाख तक
2. 300 घर परिवार तक के लिये रू. 12 लाख तक
3. 500 घर परिवार तक के लिये रू. 15 लाख तक
4. 500 घर परिवार से अधिक के लिये रू. 20 लाख तक

इसके अंतर्गत निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिये प्रस्तावित एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त पंचायतों को प्राथमिकता दी जावेगी।

12.18.1 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (Community Sanitary Complex) :- प्रत्येक ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण की आवश्यकता है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु अधिकतम रूपये 2 लाख का प्रावधान है। जिसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार 30 प्रतिशत राज्य शासन से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

12.18.2 वित्तीय प्रगति :– वर्ष 2015–16 में उपलब्ध राशि रू. 24570.78 लाख के विरूद्ध माह सितम्बर तक रू. 8001.54 लाख तथा वित्तीय वर्ष में रू. 35062.02 लाख व्यय हुये। वर्ष 2016–17 में माह सितम्बर तक उपलब्ध राशि रू. 48705.38 लाख के विरूद्ध रू. 44850.00 लाख व्यय हुये एवं 3855.38 लाख शेष हैं।

12.18.3 भौतिक प्रगति –

तालिका क. 12.13 सामुदायिक स्वच्छता परिसर

क्र.	मद	वर्ष 2015–16			वर्ष 2016–17	
	शौचालय निर्माण	लक्ष्य	कुल प्रगति सितंबर 2015	कुल प्रगति मार्च 2016	लक्ष्य	कुल प्रगति सितंबर 2016
1	बी.पी.एल.व्यक्तिगत शौचालय	243472	35745	157626	252463	185608
2	ए.पी.एल.व्यक्तिगत शौचालय	457001	35225	260329	476719	359887
3	कुल व्यक्तिगत शौचालय	700473	70970	417955	729182	545495
4	शाला शौचालय	0	0	0	0	0
5	आंगनबाडी शौचालय	0	0	0	0	0
6	सामुदायिक स्वच्छता परिसर	39		0	63	0

अब तक 02 जिले, 33 विकासखण्ड, 5263 ग्राम पंचायत सहित प्रदेश के 9201 ग्राम खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) हो चुके है।

12.19 सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011(SECC-2011):–ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीच जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान के लिए पिछला सर्वेक्षण 2002 में कराया गया था।

भारत सरकार के निर्देशन में 09 वर्ष पश्चात् सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर पुनः जरूरतमंद परिवारों के पहचान के लिए देश में 2011 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 का कार्य कराया गया है।जो वर्ष 2015 में पूर्ण हुआ। सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 निम्नांकित उद्देश्यों के लिए सम्पन्न करायी गयी है–

1. देश में परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हे रैंक प्रदान कर राज्य के **गरीब जरूरतमंद परिवारों की पहचान की जा सके।**

2. परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर **अत्यधिक वंचित एवं गरीब परिवारों की पहचान के आधार पर** सरकारी योजनाओं को सही लाभार्थी तक पहुंचाने में सहायता प्राप्त होगी। इससे सभी पात्र लाभार्थियों तथा सरकारी योजना का लाभ पहुंचना सुनिश्चित होगा।

3. देश में जनसंख्या के जातिवार ब्योरों की प्रांरभिक जानकारी उपलब्ध हो सके।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 का कार्य, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में किये गये है। सर्वेक्षण में जाति एवं धर्म का भी सर्वेक्षण किया गया है। जाति एवं धर्म का उपयोग केवल भारत के महापंजीयक द्वारा सांख्यिकीय कार्यो के लिए किया जाना है। जाति एवं धर्म की जानकारी अन्य जानकारियों की तरह सार्वजनिक नहीं किए जाना है। सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 का कार्य पूर्व के 18 जिलों के आधार पर कराये गये है।

भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभागीय कार्यक्रमों की योजना तैयार किये जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के SECC डाटा उपयोग में लाने की सुविधा हेतु तथा सार्वजनिक अवलोकन हेतु आंकड़े वेबसाइट www.secc2011.nic.in पोर्टल पर जारी किया गया है।**भारत सरकार द्वारा जारी सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के** आंकडे के **अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 45,40,999 परिवार निवासरत् है।**

इस सर्वेक्षण के आधार पर देश में परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर श्रेणीबद्ध (Ranking) किया गया है। इससे सामाजिक आर्थिक रूप से अत्यधिक वंचित एवं गरीब परिवारों का भी पहचान होगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हितग्राहियों के पात्रता का निर्धारण किया जा सकेगा। समस्त सर्वेक्षित परिवारों को तीन सूचकांकों (Indicators) के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जरूरतमंद परिवारों के पहचान हेतु तीन स्तरीय रैंक के आधार पर निर्धारित किये गये है:–

<u>12.19.1 स्वतः पृथक सूचकांक (Exclusion criterion)</u> :– इसमें 14 सूचकांक बिन्दू शामिल हैं। किसी भी एक सूचकांक बिन्दू का धारक परिवार स्वतः गरीब परिवार की श्रेणी से अलग हो जावेगा। **स्वतः पृथक सूचकांक में से कम से कम एक सूचकांक धारक 8,19,609 परिवार(18.05%) चिन्हांकित किये गये है।**

<u>12.19.2 स्वतः शामिल सूचकांक</u> (Compulsory_Inclusion_criterion) : – इसमें 5 सूचकांक बिन्दु – बेघर परिवार, निराश्रित /भिक्षुक ,मैला ढोने वाले , आदिम जनजाति समूह एवं कानूनी रूप से विमुक्त किये गये बंधुवा मजदूर शामिल हैं। **स्वतः शामिल सूचकांक में से कम से कम एक सूचकांक धारक** 1,12,084 (2.47%) **परिवार चिन्हांकित है। जो अत्यधिक वंचित एवं गरीब परिवार माने जावेगें।**

<u>12.19.3 वंचन सूचकांक</u> (Deprivation_Indicator) :– स्वतः पृथक सूचकांक (Automatic Exclusion) एवं स्वतः शामिल सूचकांक (Automatic Inclusion) के दायरे में आने वाले परिवारों को छोड़कर बाकी बचे परिवारों को निर्धारित सात वंचन सूचकांको का प्रयोग करते हुए रैंक दिया जाएगा। सबसे अधिक वंचन स्कोर वाले परिवार को प्राथमिकता देते हुए घटते क्रम में **गरीब परिवार/जरूरतमंद** परिवारों **का चिन्हाकन** किया जाना हैं। निर्धारित **7 वंचन सूचकांक में से कम से कम 1 वंचन सूचकांक पर एक परिवार की संख्या 31,79,327** (70.01%) **है।**

रोजगार

12.20 रोजगार सेवा –

12.20.1 रोजगार सेवा के उद्देश्य एवं कार्यः– राज्य की रोजगार सेवा, रोजगार सहायता के इच्छुक आवेदकों को सतत् उत्कृष्ट रोजगार सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सदैव तत्पर हैं, छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा निम्न कार्यों के माध्यम से अपनी सेवायें प्रदान कर रही हैः–

12.20.2 रोजगार सहायता इच्छुक आवेदकों का पंजीयनः– रोजगार सहायता के इच्छुक आवेदकों का पंजीयन प्रदेश के समस्त जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा आवेदकों के शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, निवास एवं जाति प्रमाण पत्रों इत्यादि के आधार पर किया जाता है। यह पंजीयन कार्यालय के अतिरिक्त किसी भी स्थान ऑनलाइन रोजगार सेवा के पोर्टल http://cg.nic.in/exchange के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकृत आवेदकों को अपने अभिलेखों का सत्यापन 15 दिवस के भीतर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र से कराया जाना अनिवार्य है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के अतिरिक्त विकासखंड स्तर पर भी पंजीयन एवं नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है।

12.20.3 पूर्व पंजीयन का नवीनीकरणः– पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के पंजीयन रिकार्ड का नवीनीकरण पंजीयन माह के तीन वर्ष पश्चात् किया जाता है। रोजगार सेवा के पोर्टल से भी नवीनीकरण किया जा सकता है।

12.20.4 प्लेसमेन्ट कैम्प का आयोजनः– प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रतिमाह विभिन्न जिलों में प्लेसमेन्ट कैम्प आयोजित कर स्थानीय नियोजकों के यहाँ उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ स्थानीय रोजगार इच्छुकों को दिया जा रहा है। जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में लगभग 11 हजार आवेदकों को पंजीकृत कर 6123 आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

तालिका क्र. 12.14 प्लेसमेन्ट कैम्प

क्र.	वर्ष	आयोजित प्लेसमेन्ट कैम्प की संख्या	चयनित आवेदकों की संख्या
1.	2013–14	13	3320
2.	2014–15	18	2384
3.	2015–16	173	10425
4.	2016–17	265	6123

प्लेसमेन्ट कैम्प/रोजगार मेला में मार्गदर्शन प्राप्त करते आवेदक **12.20.5 रिक्तियों की अधिसूचना का सम्प्रेषण एवं नियुक्ति** :– रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत नियोजकों से प्राप्त अधिसूचित रिक्तियों को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा दर्ज किया जाता है। रिक्तियों की

प्रकृति के अनुसार निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योग्य आवेदकों का सम्प्रेषण नियोक्ता को किया जाता है। वर्तमान में 1 रिक्त पद के विरूद्ध 12 आवेदकों के नाम वरिष्ठता क्रमानुसार प्रेषित किए जाने का प्रावधान है।

12.20.6 युवा क्षमता विकास योजना का क्रियान्वयन :– इस हेतु वर्ष 2015–16 से ''युवा क्षमता विकास योजना'' प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान हैं:–

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिये 6 प्रतिशत की छूट,

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100/– प्रति परीक्षार्थी की दर से कमी,

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1000/– प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100/– प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की कमी,

(घ) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातकतथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800/– प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की कमी करते हुए कमी की पूर्ति इस योजना से किया जाना।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपये 5.00 करोड़ बजट प्रावधान किया गया है।

तालिका क्र. 12.15 विगत पांच वर्षों में संपादित कार्य

वर्ष	पंजीयन				नियुक्ति				जीवित पंजी			
	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अपिव	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अपिव	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अपिव
2012	271986	23150	42681	55592	296	26	132	79	1466554	139235	264159	312061
2013	204583	18025	35271	47348	776	55	70	57	1545791	145102	267062	297232
2014	282553	27588	53360	74535	1043	21	69	80	1345530	130682	303835	323811
2015	278258	28725	61917	82089	1508	70	710	302	2021119	197342	406261	458675
2016	366979	39693	78180	116111	653	56	54	209	2220235	224895	465633	552138

13

नगरीय विकास

मुख्य बिन्दु

- ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि सम्पन्नता को दर्शाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। वर्ष 1951 में जहॉं शहरीकरण 4.88 प्रतिशत (3.64 लाख) था यह वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24 (59.37 लाख) हो गया है।
- वर्ष 2015 के अंत में – 12 नगर निगम, 44 नगर पालिका एवं 112 नगर पंचायत, कुल 168 निकाय
- शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु संचालित योजनाएं – सरोवर धरोहर योजना, ज्ञानस्थली योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुक्तिधाम निर्माण योजना, ट्रॉसपोर्ट नगर योजना, महिला समृद्धि योजना, हाट–बाजार समृद्धि योजना, सॉस्कृतिक भवन योजना, गोकुल नगर योजना, भागीरथी नलजल योजना, वाटर एटीएम योजना इत्यादि।
- स्वरोजगार योजना – सभी नगरीय निकायों में शिक्षित बेराजगार युवक/युवतियों के लिए मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना, अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना संचालित है।
- स्वस्च्छ भारत मिशन – पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य अंतर्गत छ.ग. राज्य मॉडल को प्रधानमंत्री द्वारा पुरूस्कृत तथा आगामी 3 वर्षों में खुले में शौच प्रथा का पूर्णतया समापन का लक्ष्य।
- स्वच्छ पेयजल हेतु वाटर ए.टी.एम. की स्थापना।
- नगर निगम क्षेत्र में जी.आई.एस. आधारित संपत्ति कर निर्धारण।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन– 28 निकाय सम्मिलित। मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन– शेष 141 निकाय सम्मिलित।

नगरी विकास

विश्व में तीव्रगति से शहरीकृत होता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता अधिकाधिक नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। मानव सभ्यता की प्रवृत्ति ग्रामों से शहरों की ओर जाने की है।

अनुभव से यह स्थापित होता है कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास शहरीकरण से दृढ़ता से संबंधित है। सामान्यतया बड़े शहरों में बसने वाले लोगों के वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग की दृष्टि से ही उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था के पैमाने के अनुसार उच्च जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व लेन–देन का व्यय कम करता है तथा सेवाओं को सस्ता बनाता है। बड़े शहरों में आनुपातिक रूप से प्रवर्तन, उत्कर्ष, वस्तुओं और सेवाओं का हर संभव उत्पादन अधिक होता है। वास्तव में शहर विकास का इंजन है।

तालिका 13.1 छत्तीसगढ़ में शहरीकरण की गति

	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.1	176.15	208.34	255.45
दशकीय जनसंख्या कुल वृद्धि दर	9.42	22.77	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
शहरी जनसंख्या (लाख)	3.64	7.63	12.08	20.58	30.65	41.86	59.37
दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि दर		109.52	58.37	70.39	48.9	36.58	41.84
शहरी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर		3.99	4.45	8.5	10.07	11.21	17.51
कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	4.88	8.33	10.38	14.69	17.4	20.09	23.24
भारत की कुल जनसंख्या	3,611	4,392	5,482	6,833	8,464	10,287	12,109
भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	13.31	21.64	24.8	24.66	23.87	21.54	17.7
भारत की शहरी जनसंख्या (लाख)	624	789	1,091	1,595	2,176	2,861	3,771
भारत की शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर		26.44	38.28	46.2	36.43	31.49	31.8
भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	17.28	17.96	19.9	23.34	25.71	27.81	31.14

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या न केवल छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या की वृद्धि से अधिक बढ़ रही है, बल्कि यह समस्त देश के शहरी जनसंख्या वृद्धि से अधिक गति से बढ़ रही है। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का नगरीय भाग 5 प्रतिशत से भी कम था वहीं वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इसमें 23 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में शहरी जनसंख्या केवल 3.64 लाख थी जो अब बढ़कर 2011 जनगणना के अनुसार 59.37 लाख हो गई है। यह वास्तव में शहरीकरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि शहरीकरण का स्तर (23.24 प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार) देश के स्तर (31.23 प्रतिशत 2011 जनगणना अनुसार) से काफी कम है। यह मुख्यतः शहरीकरण के देर से आरंभ होने, राज्य में कम औद्योगिकीकरण एवं गरीबी का स्तर उच्च होने इत्यादि के कारण हैं। गरीब अर्थव्यवस्था से अमीर अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के जाने की गति पर निर्भर करता है। राज्य में रायपुर–भिलाई पेटी में सबसे तीव्र शहरीकरण देखा जा सकता है जो कि तेजी से मेट्रोप्लेक्स के रूप में उभर रहा है। छोटे ग्रामों की बहुलता गरीबी को पर्याप्त बढ़ावा देती है जबकि बड़े शहरों की संख्या में वृद्धि संपन्नता को बढ़ाती है।

मूल निवास इकाइयों की श्रेणी एवं गुणवत्ता अर्थव्यवस्था की सफलता निर्धारित करती है। बड़ी उत्पादन इकाइयों को बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सहायक गतिविधियॉ बढ़ जाती है जिससे पुनः अधिक जनबल की आवश्यकता पड़ती है। किसी विशेष स्थान पर बहुत बड़ी जनसंख्या होने से भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, सड़के, दूरसंचार, जनप्रदाय, स्वच्छता इत्यादि की अधिक मांग बढ़ती है। नगरीय प्रशासन के लिए उक्त मूल आवश्यकताओं की पूर्ति एक दुरूह कार्य हो जाता है। भीड़ भरे उपनिवेश बिना उचित भौतिक अधोसंरचना जैसे आवास, स्वच्छता, जलप्रदाय के शहरी क्षेत्रों में प्रायः गंदी बस्ती में परिवर्तित होने लगते हैं।

यद्यपि शहरीकरण अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी है, भारत में इसकी न्यून गति चिंता का विषय है। यू.एन. के शहरीकरण के आंकड़े यह दर्शाते हैं, कि विगत् 15 वर्षों से भारत शहरीकरण में काफी पीछे है। 1970–71 में शहरी क्षेत्र की जी.डी.पी. 37.7 प्रतिशत तेज गति से होने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इस मामले में संवेदनशील है और नई योजनाऐं जैसे अमृत, स्मार्टशहर, हेरिटेज शहरों का विकास इत्यादि का शुभारंभ किया गया है।

सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य क्रमांक 11 के अंतर्गत भी शहर और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित लचनशील और चिरस्थायी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हेतु निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं–

1. पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और आधारभूत सेवाओं तक सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित करना और मलीन बस्तियों का उन्नयन करना।

2. सड़क सुरक्षा में सुधार करते हुए, विशेषकर कमजोर स्थिति वाले लोगों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करके, सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और चिरस्थाई परिवहन व्यवस्था तक पहुँच प्रदान करना।

3. सभी देशों में समावेशी और चिरस्थाई शहरीकरण और सहभागी, एकीकृत और चिरस्थाई मानव बस्ती योजना और प्रबंधन के लिए क्षमता का संबर्धन करना।

4. विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए प्रयासों का सुदृढ़ीकरण करना।

5. गरीबों और कमजोर स्थितियों वाले लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ पानी से संबंधित आपदाओं सहित आपदाओं की वजह से होने वाली मौतों की संख्या और प्रभावित लोगों की संख्या में ठोस कमी लाना ओर सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आर्थिक हानियाँ (X) प्रतिशत तक कम करना।

6. हवा की गुणवत्ता और नगर निगम और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने सहित शहरों का प्रति व्यक्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कम करना।

7. विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरित और सार्वजतिक स्थलों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।

नगरीय छत्तीसगढ़ के सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर कार्य निष्पादन को भी दर्शाता है।

तालिका 13.1.1 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संकेतांक: 2013 (Health Indicators Chhattisgarh: 2013)

Indicators	Total	Rural	Urban
अशोधित जन्म दर (Crude birth rate)	24.4	25.8	17.9
सामान्य प्रजनन दर (General fertility rate)	89.0	95.7	60.7
कुल प्रजनन दर (Total fertility rate)	2.6	2.8	1.8
सकल प्रजनन दर (Gross reproduction rate)	1.3	1.3	0.9
सामान्य वैवाहिक जीवन में प्रजनन दर (General marital fertility rate)	123.4	130.8	90.0
कुल वैवाहिक जीवन में प्रजनन दर (Total marital fertility rate)	4.5	4.5	3.9
शिशु मृत्यु दर (Infant mortality rate)	46	47	38
पाँच वर्ष के अंदर शिशु मृत्यु दर (Under-five mortality rate)	53	56	38
अशोधित मृत्यु दर (Crude death rate)	7.9	8.4	5.9

तालिका 13.2 – शासकीय/निजी अस्पतालों में प्रसव के दौरान चिकित्सीय देखभाल प्राप्त होने वाले जीवित जन्मों का प्रतिशत (2008–13)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3

तालिका 13.3 – शासकीय/निजी अस्पतालों में प्रसव के दौरान चिकित्सीय देखभाल प्राप्त होने वाले मृत्यु का प्रतिशत (2008–13)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7

सामान्य विभागीय जानकारी

13.1 छत्तीसगढ़ शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश की नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं।

शहरी गरीबी उपशमन की योजनाओं के संचालन व अनुश्रवण हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यों के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी पदस्थ किए गए हैं।

13.2 नगरीय निकाय :–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र.	निकाय	संख्या
1	नगर पालिक निगम	12
2	नगर पालिका परिषद्	44
3	नगर पंचायत	112
	कुल	**168**

विभाग के दायित्व :–

इस विभाग को सौंपे गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :–

1. नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित कार्य।
2. तंग बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण।
3. नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण।
4. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम का क्रियान्वयन एवं पट्टों के दस्तावेजों का पर्यवेक्षण।
5. शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का पर्यवेक्षण।
6. चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि का प्रशासन।
7. वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित विषयों को छोड़कर विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन आदि।

13.3 सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ :–

13.3.1 वित्तीय प्रशासन :–

संविधान के अनुच्छेद 243 'भ' में करारोपण द्वारा राजस्व वसूली का अधिकार नगरीय निकायों को प्राप्त है। इस संवैधानिक व्यवस्था को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 132 एवं 127 में क्रमशः स्थापित किया गया है। निकायों को शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेष अनुदान का भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निकाय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नांकित कर अधिरोपित किए जाते हैं:–

1.	संपत्ति कर	2.	समेकित कर	3.	जलकर
4.	बाजार शुल्क	5.	निर्यात कर		

नगरीय क्षेत्रों में संपत्तिकर के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में अनुभव की गई कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा संपत्तिकर के स्व–निर्धारण की प्रक्रिया नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित निकायों द्वारा क्षेत्रवार अधिसूचित वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर करदाता स्वयं उसके द्वारा धारित संपत्ति पर देय संपत्ति कर का आंकलन तथा तद्नुसार स्व–निर्धारित राशि निकाय के कोष में जमा करता है।

शासन द्वारा संपत्तिकर के स्वनिर्धारण प्रक्रिया लागू करने के साथ ही सफाई कर, प्रकाश कर एवं अग्निकर के बदले वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर समेकित कर नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है।

13.3.2 छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि :–

प्रदेश में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम, 2003 बनाया गया है।

नगर विकास निधि के अंतर्गत दो खातों, न्यागमन खाता एवं अधोसंरचना खाते का संधारण किया जाता है। जिनसे निम्नानुसार कार्यो को संपादित किया जाता है :–

1) सड़कों से संबंधित कार्य, जिसमें उनके मरम्मत कार्य भी सम्मिलित है।
2) पेयजलय योजना के लिए आवश्यक रकम में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला अनुदान भी शामिल है।
3) अग्निशमन सेवा सुधार।
4) किसी विशेष योजना, जो राज्य शासन द्वारा लागू की गई है।
5) कूड़ा–कचरा अपशिष्ठ का प्रबंधन।
6) नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं का विकास।

13.3.3 निर्वाचन :–

74 वें संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में स्थानीय निकायों के समय–सीमा में निर्वाचन कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

13.3.4 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय :–

2011 जनगणना :–

– शहरी आबादी 2011 – 59.36 लाख

– कुल जनसंख्या का प्रतिशत – 23.24 प्रतिशत

13.3.5 कुल जनप्रतिनिधि :–

तालिका क्र. 13.4 कुल जनप्रतिनिधि

क्र	निकाय	निकायों की संख्या	निर्वाचित महापौर(नग.नि.) /अध्यक्ष (न.पा.प./न.पं.)	वार्डो की संख्या	निर्वाचित पार्षदों की संख्या
1	नगर निगम	**12**	**12**	**688**	**645**
2	नगर पालिका	**44**	**44**	**889**	**881**
3	नगर पंचायत	**112**	**112**	**1680**	**1680**
	कुल योग	**168**	**168**	**3257**	**3206**

13.4 विभाग द्वारा संचालित प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाएँ :–

13.4.1 सरोवर धरोहर योजना :–

शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 11.90 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 05 कार्य हेतु रूपये 165.43 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में कुल 12 कार्य हेतु रूपये 974.25 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 602 परियोजनाओं में राशि रू. 106.61.लाख व्यय कर 480 परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

13.4.2 ज्ञानस्थली योजना :–

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए राशि रूपये 5.25 लाख माध्यमिक शालाओं के लिए राशि रूपये 7.35 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए राशि रूपये 8.65 लाख तथा महाविद्यालय के लिए राशि रूपये 9.70 लाख रूपए का

प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2015–16 में 02 कार्य हेतु राशि रूपये 129.21 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में कुल 49 कार्य हेतु रूपये 414.34 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 1084 शाला भवनों के लिए राशि रूपये 3998.97 लाख स्वीकृत किया जाकर 1009 शाला भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.4.3 उन्मुक्त खेल मैदान योजना :–

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर राशि रूपये 10.25 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015–16 में 03 कार्य हेतु रूपये 209.57 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में कुल 02 कार्य हेतु रूपये 25.77 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 185 परियोजनाओं के लिए राशि रूपये 1067.09 लाख स्वीकृत किया जाकर 173 परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

13.4.4 पुष्प वाटिका उद्यान योजना :–

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्प वाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर राशि रूपये 16.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015–16 में कुल 43 कार्य हेतु रूपये 660.08 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में कुल 16 कार्य हेतु रूपये 739.43 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 360 परियोजनाओं के लिए राशि रूपये 4099.97 लाख व्यय कर 285 परियोजनाऐं पूर्ण की जा चुकी है।

13.4.5 पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वालंबन योजना :–

असंगठित रूप से गुमटी–ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु यह योजना लागू की गई है इस हेतु प्रति गुमटी राशि रूपये 20,000/– का प्रावधान किया गया है तथा नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। योजनांतर्गत अब–तक 3691 गुमटियों हेतु राशि रूपये 617.80 लाख स्वीकृत किया जाकर 3580 गुमटियों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

13.4.6 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :–

राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत राशि रूपये 46,000/– की लागत से छोटी दुकान व रू. 57000/– की लागत से बड़ी दुकान एवं राशि रूपये 6500/– की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है। वर्ष 2014–15 में 190 कार्य हेतु राशि रूपये 60.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी तक राशि रूपये 2347.56 लाख की लागत से 7944 दुकानों तथा 5429 चबूतरों का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 7574 दुकान व चबूतरा पूर्ण कर शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

13.4.7 महिला समृद्धि बाजार योजना :–

राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार योजना लागू की गई है। प्रथम चरण में प्रदेश के 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। योजनांतर्गत अभी तक 778 दुकानों का निर्माण हेतु राशि रूपये 194.50 लाख की स्वीकृत किया गया है जिसमें 521 दुकानें पूर्ण हो चुकी हैं तथा 257 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

13.4.8 ट्रांसपोर्ट नगर योजना :–

प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 8 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत कुल 08 निकायों में राशि रूपये 21.31 करोड़ की योजना के विरूद्ध व्यय राशि रूपये 14.97 करोड़ है। 08 परियोजना पूर्ण किया जाकर शेष निर्माणाधीन है ।

13.4.9 गोकुल नगर योजना :–

नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अभी तक राशि रू. 1597.00 लाख की लागत से 08 नगरीय निकायों को आबंटित किए गए हैं। 08 परियोजना पूर्ण है।

13.4.10प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना – द्वितीय चरण :–

सड़क मार्ग आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। अतः आवागमन को सरल बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना लागू की गयी है। इस योजना में अनुभवों को देखते हुए अब शेष स्थानों पर बस स्टैण्ड व सुव्यवस्थित बाजार की उपलब्धता हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड सह व्यवसायिक परिसर (प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना– द्वितीय चरण) बनाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अंतर्गत नगर निगमों में राशि रूपये 50.00 लाख, नगर पालिकाओं में राशि रूपये 33.00 लाख एवं नगर पंचायतों में राशि रूपये 17.00 लाख का परिसर निर्माण किया जाता हैं। वर्ष 2014–15 में 04 कार्य हेतु राशि रूपये 61.74 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में कुल 02 कार्य हेतु रूपये 22.10 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अभी तक कुल 132 निकायों को राशि रूपये 3303.91 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 119 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

13.4.11 सार्वजनिक प्रसाधन योजना :–

नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय जैसी आवश्यक जन सुविधाओं की कमी को देखते हुए समस्त नगरीय निकायों में शत–प्रतिशत अनुदान देकर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत् नगर निगमों में रू. 13.60 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 11.40 लाख एवं नगर पंचायतों में रू. 8.00 लाख लागत की 323 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करने की योजना है। वर्ष 2014–15 में 25 कार्य हेतु रूपयें 280.81 लाख

की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब तक कुल 560 सार्वजनिक प्रसाधन हेतु राशि रू. 6383.81 लाख की स्वीकृति प्रदान कर 472 प्रसाधन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.4.12मुक्तिधाम निर्माण योजनाः—

शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी.रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल शौचालय, विद्युतीकरण, एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रू. 12.00 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 10.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रू. 8.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है। यह योजना समस्त नगरीय निकायों में लागू की गई है। वर्ष 2015—16 में कुल 07 कार्य हेतु रूपये 124.24 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2016—17 में कुल 16 कार्य हेतु रूपये 561.89 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में 276 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.4.13हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :—

वर्ष 2007—08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारो के आर्थिक उत्थान एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक—एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रू. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को राशि रूपये 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को राशि रूपये 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2015—16 में कुल 03 कार्य हेतु रूपये 166.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2016—17 में कुल 10 कार्य हेतु रूपये 592.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब तक 156 हाट बाजार के लिए राशि रूपये 7038.43 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब तक 95 परियोजना पूर्ण किया गया है।

13.4.14सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :—

वर्ष 2007—08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में लागू किया गया है, इस हेतु नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में राशि रूपये 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75.00 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई हैं। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में राशि रूपये 50.00 लाख और शेष नगर पालिकाओं में राशि रूपये 35.00 लाख की लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा, बैकुण्ठपुर एवं नारायणपुर में राशि रूपये 35.00 लाख के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में राशि रूपये 25.00 लाख रू.

की लागत से निर्माण किये जा सकेंगें। वर्ष 2015–16 में कुल 07 कार्य हेतु रूपये 94.13 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में कुल 11 कार्य हेतु रूपये 1039.95 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.4.15 अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना –

नगरीय क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित करने, उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों या अन्य आर्थिक उद्यमों का संचालन हेतु 3000 वर्गफीट भूमि पर निर्माण हेतु 15 लाख का शत्–प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजनांतर्गत अब–तक 42 अन्नपूर्णा सामुदायिक केन्दों के लिए राशि रूपये 674.90 लाख स्वीकृत की जाकर 25 अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.4.16 भागीरथी नलजल योजना :–

वर्ष 2009–10 में शहरी गरीबों, तंग बस्तियों में निवासरत नागरिकों को पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भागीरथी नलजल योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत प्रत्येक पात्र हितग्राहियों हेतु शासन द्वारा प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3000/– निकायों को आबंटित की जाती है।

योजना के तहत वर्ष 2016–17 में 4571 नल संयोजन कार्य हेतु राशि रू. 137.13 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब तक कुल 257093 नल संयोजन हेतु राशि रू. 7712.79 लाख स्वीकृत प्रदान की गई है, तथा राशि रू. 4197.67 लाख व्यय किया जाकर 161617 नल संयोजन कार्य पूर्ण किया गया है।

13.4.17 हाईटेक बस स्टेण्ड का निर्माण /उन्नयन :–

राज्य में सड़क आवागमन हेतु यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हाईटेक बस स्टैण्ड का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें यात्रियों को समस्त सुविधाओं सहित, बस में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होगा। नगर निगम रायपुर, 03 नगर पालिक निगम :– धमतरी, राजनांदगांव एवं कोरबा में तथा शेष 04 जिला मुख्यालय के नगरीय निकायों नगर पालिका परिषद, बेमेतरा, महासमुंद, सूरजपुर, कवर्धा एवं 03 नगर पालिका परिषद– डोंगरगढ़, रतनपुर एवं खैरागढ़ में हाईटेक बस स्टैंड की स्थापना/उन्नयन प्रस्तावित है। योजना की कुल लागत रू. 99.00 करोड़ रूपये अनुमानित है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2015–16 के बजट में नगर निगमों में हाईटेक बस स्टेंड की स्थापना हेतु 6500 लाख की राशि तथा नगर पालिकाओं में हाईटेक बस स्टेंड की स्थापना हेतु 3400 लाख की राशि प्रावधानित किया गया था।

13.4.18 स्वच्छ पेयजल प्रदाय हेतु वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना

समस्त नगरीय निकायों में स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना किये जाने की योजना प्रस्तावित है। वाटर एटीएम से टोकन राशि 01 रू. में 05 लिटर शुद्ध पेय जल प्राप्त हो सकेगा। इस हेतु समस्त 12 नगर निगमों में 10–10, समस्त 44 नगर पालिकाओं में 02–02 तथा समस्त 112 नगर पंचायतों में 01–01 इस प्रकार कुल 321 वॉटर ए.टी.एम. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रति ईकाई वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना

हेतु, परियोजना लागत रू. 22.47 करोड़ का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

13.5 विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएंः–

13.5.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) –

शहरी गरीबों एवं अल्प आय वर्ग के हितग्राहियों को सर्वसुविधायुक्त सभी मौसम में टिकने वाले पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास मिशन 2022 पूरे देश में लागू किया गया है।

वर्तमान में राज्य की शहरी आबादी में मलीन बस्ती क्षेत्र एवं गैर मलीन बस्ती क्षेत्र का प्रतिशत क्रमशः 32% एवं 68% है।

1. **मिशन का उद्देश्य :** मिशन का मुख्य उद्देश्य अधोलिखित विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है –

- शहर की स्थायी झुग्गी बस्ती की भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुये निजी बिल्डर्स की भागीदारी से झुग्गी बस्ती का पुर्नविकास (ISSR)।
- अस्थायी गंदी बस्ती एवं अव्यवहार्य (Untenable) स्थायी झुग्गी बस्ती के हितग्राहियों के व्यवस्थापन हेतु नगरीय निकाय/हाउसिंग बोर्ड/विकास प्राधिकरण एवं बिल्डर्स/डेव्हलपर्स की भागीदारी से किफायती आवास (AHP) का निर्माण करना।
- हितग्राही को 15–30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु सब्सिडी (BLC)।
- आवास निर्माण हेतु बैंक ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी (छूट) के माध्यम से कमजोर एवं मध्य आय वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन (CLSS)।

2. **वित्तीय संरचना :** मिशन के विभिन्न घटकों में वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत वित्तीय संचरना निम्नानुसार है –

तालिका क्र. 13.5 वित्तीय संरचना (राशि रू. लाख में)

क्र.	घटकवार प्रति आवास अनुमानित लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	हितग्राही अंश
1	निजी बिल्डर्स की भागीदारी से झुग्गी बस्ती का पुर्नविकास (ISSR) (राशि रू. 5.75 लाख प्रति आवास)	1.00	1.40*	3.10	0.25*
2	भागीदारी से किफायती आवास निर्माण (AHP) (राशि रू. 5.75 लाख प्रति आवास)	1.50	4.00*	0.00	0.25*
3	व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु सब्सिडी (BLC) (राशि रू. 3.15 लाख प्रति आवास)	1.50	0.79	0.00	0.86
4	आवास निर्माण हेतु बैंक ऋण में ब्याज सब्सिडी (CLSS)	EWS & LIG आवास निर्माण/क्रय करने हेतु रू. 6.00 लाख तक के ऋण पर 6.50% बैंक ब्याज।			

3. मिशन की अद्यतन प्रगति एवं मुख्य अंश :

- मिशन अंतर्गत प्रथम चरण में सम्मिलित 36 निकायों में माँग आधारित हितग्राही सर्वे (DAS) की प्रक्रिया, द्वितीय चरण में 23 निकायों में सर्वे हेतु एजेंसी नियुक्ति की प्रक्रिया तथा शेष 109 निकायों को मिशन में सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

- मिशन के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू. 400.00 करोड़ का प्रावधान राज्य बजट में किया गया है। (जिसमें राशि रू. 180.00 करोड़ केन्द्रांश एवं राशि रू. 220.00 करोड़ राज्यांश है।)

- राज्य सरकार द्वारा EWS आवास के लिये (झुग्गी पुर्नव्यवस्थापन अंतर्गत) भागीदारी से किफायती आवास निर्माण (AHP) घटक में राशि रू. 4.00 लाख का अनुदान दिया जा रहा है।

- मिशन अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य में राशि रू. 1605.88 करोड़ की कुल 50 आवासीय परियोजनाओं की विभिन्न घटकों में स्वीकृति दी गई है। जिसमें कुल 28968 EWS आवास का निर्माण किया जाना है।

- मिशन के घटक **व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु सब्सिडी (BLC)** को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने एवं आवास निर्माण के लिये सुगम एवं तीव्र स्वीकृति के उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा **मोर जमीन–मोर मकान** योजना के माध्यम से निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिशन अंतर्गत कमजोर आय वर्ग (EWS) आवास निर्माण हेतु मोनोलिथिक एवं प्री–कास्ट जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। जिससे आवास निर्माण तेज एवं साध्य रूप से पूर्ण हो सके।

तालिका क. 13.6 मिशन अंतर्गत राज्य के लिये स्वीकृत योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी

सी.एस. एम.सी. दिनांक	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	घटक	स्वीकृति का विवरण		वित्तीय संरचना (राशि रू. करोड़ में)				कार्य की भौतिक प्रगति		टीप
			परियोजना की संख्या	आवास संख्या	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	योग	पूर्ण आवास	निर्माणाधीन	
27-10-15	CGHB		11	12670	190.05	246.72	378.42	815.16	718	2816	
22-07-16	CGHB	AHP	03	347	250.50	277.60	870.02	16.68	20	109	
	RDA		01	1472	22.08	0.00	48.43	70.51	**निविदा स्वीकृति संबंधी कार्यवाही प्रगति पर**		
	ULBs		11	5538	83.07	188.19	13.85	285.11			
20-12-16	ULBs	AHP	13	6059	90.89	180.37	39.38	310.64	**निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है।**		
		ISSR	02	725	7.25	7.25	4.71	41.48			
		BLC	09	2157	32.36	17.57	16.38	66.30			
महायोग			**50**	**28968**	**676.2**	**917.7**	**1371.19**	**1605.88**			

तालिका क. 13.7 छोटे एवं मंझोले नगरों की अधोसंरचना विकास की योजना (UIDSSMT) (राशि करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	पुनरीक्षित लागत राशि	अद्यतन व्यय	कार्य पूर्णता की स्थिति
1	कोण्डागांव जल आवर्धन योजना	4.52	7.89	4.29	पूर्ण।
2	बिलासपुर जल आवर्धन योजना	41.43	80.12	43.53	वाटर मीटर का कार्य शेष, शेष कार्य पूर्ण।
3	रायगढ़ जल आवर्धन योजना	15.24	30.03	15.39	पूर्ण।
4	बिलासपुर भूमिगत सिवरेज योजना	190.25	279.97	219.93	दिसंबर 2017
5	भिलाई–चरौदा जल आवर्धन योजना	99.62	-	43.37	दिसंबर 2017
6	कोरबा जल आवर्धन योजना फेस –1	133.34	-	52.08	दिसंबर 2017
	योग	**484.40**	**398.01**	**378.59**	-

13.6 मिशन अमृत ::–

- भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जून 2015 को देश के 500 शहरों जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, के लिए अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) का शुभारंभ किया गया है, जिसमें प्रदेश के 09 नगरीय निकाय क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा सम्मिलित है। मिशन अंतर्गत जलप्रदाय, सीवरेज तथा सेप्टेज मैनेजमेंट, उद्यान एवं हरित स्थल इसके प्रमुख घटक है।

- मिशन अवधि (वर्ष 2015–20 तक) हेतु कुल राशि रू. 2043.00 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कुल राशि रू. 587.17 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 हेतु कुल राशि रू. 767.80 करोड़ स्वीकृत की गई

  प्रत्येक 09 शहरों हेतु 02 उद्यानों के डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगतिरत है।

13.7 मिशन स्मार्ट सिटी ::–

- भारत सरकार द्वारा देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मिशन स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 02 शहरों को सम्मिलित किया जाना है। प्रथम चरण में रायपुर शहर का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है। द्वितीय चरण में बिलासपुर शहर का प्रस्ताव भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय को प्रेशित किया गया है।

- मिशन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रायपुर शहर के ए.बी.डी. एरिया (एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट क्षेत्र) के विकास के लिए राशि 3650.00 करोड़ का प्लान तैयार किया गया है। उक्त प्लान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सुनियोजित

विकास सुनिश्चित करने हेतु पेयजल, विद्युत की 24 घण्टे उपलब्धता तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु बिजली की खपत में कमी लाने हेतु एलईडी लाईट, अण्डरग्राउण्ड विद्युत वितरण प्रणाली, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास, अत्याधुनिक पार्को एवं ग्रीन स्पेसेस तथा बाजारों के विकास का प्रावधान किया गया है।

- शहर में प्रदूषण रहित यातायात प्रणाली के विकास एवं संचालन हेतु ई–रिक्शा, सायकल शेयरिंग, ट्रेफिक पुलिस एवं प्रशासन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जावेगा, ताकि सड़को पर ट्रेफिक जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके।

- शहरी नागरिकों को दी जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की समस्त जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत सिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया जावेगा। इस सिस्टम के अंतर्गत एक ही फोन कॉल पर नागरिकों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

- शहरों के प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास अंतर्गत 18 बहुउद्देशीय सह बहुमंजिला बिल्डिंग्स बनाने का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत एक ही बिल्डिंग में अण्डरग्राउण्ड पार्किंग, कॉमन प्रायमरी वेस्ट कलेक्शन पाईंट, बाजार, रैनबसेरा, प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का समावेश किया जावेगा।

13.8 स्वच्छ भारत मिशन ::–

यह मिशन, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 168 नगरीय निकायों में लागू की गई है। मिशन को सफल तथा बहुउद्देशीय बनाये जाने के प्रयोजन से स्वच्छ भारत मिशन के निजी शौचालय घटक एवं राज्य शासन की लोकप्रिय भागीरथी नल–जल योजना का समावेश करते हुए, ''हर घर शौचालय–हर घर नल'' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें निःशुल्क निजी नल कनेक्शन मासिक जल प्रभार मात्र 60/– रू. प्रतिमाह पर प्रदान किया जा रहा है।

- **निजी शौचालय** – चयनित 2.70 लाख हितग्राहियों में से 1.51 लाख हितग्राहियों के आवासगृहों में शौचालय पूर्ण एवं शेष शौचालयों का निर्माण मार्च–2017 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित।

- **सामुदायिक शौचालय** – निकाय को खुले में शौच की प्रथा मुक्त किये जाने हेतु बस्तियों, झुग्गी–झोपड़ियों तथा तालाबों के निकट बसे नागरिकों के उपयोग हेतु 7500 सामुदायिक शौचालय सीटो के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित। 3500 सीटो का निर्माण पूर्ण।

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु नागरिकों के आवासगृहों से निकलने वाले कचरे हेतु प्रदेश के कुल 3217 वार्डों में से 900 वार्डों में डोर–टू–डोर कलेक्शन प्रारंभ। संग्रहित कचरे के वैज्ञानिक रीति से निश्पादन हेतु अंबिकापुर में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सेन्टर स्थापित। प्रदेश के अन्य निकायों में भी अंबिकापुर मॉडल की तर्ज पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है।

- **<u>आई.ई.सी. घटक</u>** – मिशन के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सूचना, संप्रेषण एवं संचार (आई.ई.सी.) मद अंतर्गत समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार विषय केन्द्रित स्वच्छता पखवाड़ों का आयोजन किया जा रहा है।

- **<u>क्षमता विकास</u>** – स्वच्छ भारत मिशन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु निकायों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु समय–समय पर आयोजित कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

<u>13.9 उषा योजना</u>

- शहरी मानव संसाधन के सांख्कीय आंकलन हेतु भारत सरकार, शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, द्वारा वित्त पोषित USHA (Urban Statistics for Human Resources and Assessment) योजनांतर्गत निकायों की स्लम बस्तियों के निवासियों का सामाजिक–आर्थिक सर्वे आधारित आंकड़ों का संग्रहण कर केन्द्र शासन को प्रेषित किया जाना है।

तालिका क. 13.8 उषा योजनांतर्गत लागत एवं स्लम हाउस होल्ड की संख्या

क्रमांक	पैकेज क्रमांक	निकाय का नाम	परियोजना लागत (राशि रू.)	अनुबंध अनुसार हाउस होल्ड की संख्या
1	01	दुर्ग.	1594200.00	21256
2		राजनांदगांव	326475.00	4353
3		दल्लीराजहरा	515025.00	6867
4	02	रायगढ़	818440.00	10360
5		अंबिकापुर	178540.00	2260
6		चिरमिरी	308021.00	3899
7	03	जगदलपुर	568425.00	7579
8		धमतरी	1347525.00	17967
9	04	महासमुंद	491609.00	5923
10		भाटापारा	334490.00	4030
	कुल योग :–		**64,82,750.00**	**84,494**

शहरी मानव संसाधन के सांख्यिकीय आंकलन हेतु भारत सरकार, शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, द्वारा वित्त पोषित **USHA (**Urban Statistics for Human Resources and Assessment) योजनांतर्गत निकायों की स्लम बस्तियों के निवासियों का सामाजिक–आर्थिक सर्वे आधारित आंकड़ों का संग्रहण कर केन्द्र शासन को प्रेषित किया जाना है। समस्त स्लम बस्तियों का सामाजिक आर्थिक सर्वे, स्लम प्रोफाईलिंग कार्य एवं सेटेलाईट ईमेज के आधार पर जीआईएस सिटी बेस मैप पूर्ण किया जा चुका है। योजना में शामिल समस्त नगरीय निकायों की स्लम बस्तियों का सीमांकन जीपीएस तकनीक द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही शहरों की स्लम स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

तालिका क. 13.9 स्लम बस्तियों का सीमांकन				
क्रमांक	पैकेज क्रमांक	निकाय का नाम	झुग्गी बस्तियों की संख्या	सर्वे उपरांत हाउस होल्ड की संख्या
1	01	दुर्ग,	58	19407
2		राजनांदगांव	42	24671
3		दल्लीराजहरा	22	11563
4	02	रायगढ़	62	16436
5		अंबिकापुर	50	4395
6		चिरमिरी	38	7351
7	03	जगदलपुर	48	13517
8		धमतरी	28	13440
9	04	महासमुंद	18	7814
10		भाटापारा	20	7783
कुल योग :–				**126377**

13.10 जीआईएस आधारित संपत्तिकर एवं भवन अनुज्ञा परियोजना

अ. निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार, समस्त सम्पत्तियों को कर के दायरे में लाने एवं आम नगरीकों को ऑन लाईन सम्पत्तिकर एवं भवन अनुज्ञा से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के उदेश्य की पूर्ति हेतु रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं चिरमिरी नगर पालिक निगमों में जीआईएस आधारित सम्पत्तिकर एवं भवन अनुज्ञा परियोजना का क्रियान्वयन प्रगतिरत है।

ब. परियोजनान्तर्गत जीआईएस आधारित सम्पत्तिकर सर्वे की अद्यतन प्रगति :–

सम्पत्तिकर सर्वे :– नगर पालिक निगम कोरबा में सर्वे कार्य प्रगति पर है तथा शेष 09 नगर पालिका में सम्पत्तियों का सर्वे कार्य तथा निकाय द्वारा नियमानुसार गुणवत्ता परीक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अद्यतन कुल 6.39 लाख संपत्तियों का सर्वे कर प्रपत्र भरे गए हैं। निकायवार सर्वे का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क. 13.10 निकायवार संपप्पितकर सर्वेक्षण				
क.	नगरीय निकाय	आरपीएफ अनुसार प्रॉपर्टी की अनुमानित संख्या	सर्वेक्षण के अनुसार कुल प्रॉपर्टी	सर्वे के पश्चात प्रॉपर्टी में बढ़ोत्तरी
1	रायपुर	121900	202324	80424
2	भिलाई	102000	149314	42223
3	दुर्ग	26000	48351	22051
4	राजनांदगॉव	7200	32607	24513
5	जगदलपुर	19000	23111	4115
6	बिलासपुर	45000	57819	12819

तालिका क. 13.10 निकायवार संपित्तकर सर्वेक्षण

क.	नगरीय निकाय	आरपीएफ अनुसार प्रॉपर्टी की अनुमानित संख्या	सर्वेक्षण के अनुसार कुल प्रॉपर्टी	सर्वे के पश्चात प्रॉपर्टी में बढ़ोत्तरी
7	कोरबा	84000	75563	-20907
8	रायगढ़	9240	26359	17119
9	अंबिकापुर	11540	19398	7858
10	चिरमिरी	20390	22854	2464
	Total	**446270**	**657700**	**192679**

अ. **जीआईएस बेस मैप** :—10 नगर निगमों के कुछ 900 वर्ग किलो मीटर में से 823.20 वर्ग किलो मीटर का ड्रॉफ्ट बेस मेप तैयार किया जा चुका हैं। निकाय स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त संस्था द्वारा फाईनल जीआईएस बेस मेप संबंधित निकायों में प्रस्तुत किया जावेगा।

ब. **भवन अनुज्ञा मैनेजमेंट सिस्टम** :—भूमि विकास अधिनियम – 1984, मास्टर प्लान एवं निकायों में प्रचलित भवन अनुज्ञा नियमों के आधार पर **ऑन लाईन बीपीएमएस सॉफ्टवेयर** एवं इस हेतु संचालित **"हेल्प डेस्क"** द्वारा सभी नगर पालिका निगमों (चिरमिरी एवं राजनांदगॉव को छोड़कर) भवन अनुज्ञा प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है।

स. **प्रॉपर्टी टैक्स इन्फॉरमेशन सिस्टम (पीटीआईएस) :—**

वर्तमान में प्रचलित एवं भविष्य में प्रस्तावित संपत्तिकर अधिनियम को दृष्टिगत् रखते हुए संपत्तिकर निर्धारण हेतु तैयार किए गए ऑनलाईन पीटीआईएस सॉफ्टवेयर का आंतरिक परीक्षण किया जा रहा है।

13.11 "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन"

भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहो का संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध करायी जाएगी। मिशन बेघर लोगों को आश्रय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। पथ विक्रेताओं की समस्याओं को दूर करते हुए, समुचित स्थानों पर हॉकर्स कॉर्नर विकसित किये जाएंगे।

मिशन मे छत्तीसगढ़ के कुल 28 निकाय सम्मिलित किये गये है :—रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुरनगर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग राजनांदगांव, भिलाई, कवर्धा, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, सुरजपुर, बलरामपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली, बलौदाबाजार, कोण्डागांव।

योजना का प्रारंभ : यह योजना 1 अप्रैल, 2014 से प्रारंभ की गयी है।

13.11.1 योजना के प्रमुख घटक :

- **सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास :** इस घटक के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना परिकल्पित की गयी है। इसके अंतर्गत जहां बस्ती स्तर पर स्व–सहायता समूह बनाए जायेंगे, वही 10–20 स्व सहायता समूह आपस मे मिलकर **क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन** (Area Level Fedration) तथा 10–20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन मिलकर एक **नगर स्तरीय फेडरेशन** (City Level Fedration) का गठन करेंगे। इस संघीय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण, मूल्यांकन, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी तथा समूहों के निर्माण मे सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए स्त्रोत संगठनों का चयन किया जाएगा। इन कार्यो को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक शहर मे शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इन केन्द्रो का संचालन समुदाय आधारित संस्थाओं, एनजीओ, स्व सहायता समूह के फेडरेशन आदि के द्वारा होगा।

- **कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार :** इस घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार से जोड़ा जाएगा। घटक के उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जाएंगी :–

- बाजार की मांग के अनुसार दक्षता की कमी का विश्लेषण तथा रोजगारोन्मुख व्यवसायों की सूची तैयार करना।

- गरीब तथा कमजोर वर्गो के अकुशल प्रशिक्षणार्थियों का चयन।

- प्रशिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी तरीके से चयन।

- पाठ्यक्रम निर्धारण।

- प्रमाणीकरण।

- प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा छः माह तक सतत् संपर्क।

- कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं पथ विक्रेताओं हेतु कार्यशला पर प्रति व्यक्ति राशि रूपये 15,000.00 (रूपये पन्द्रह हजार) व्यय प्रस्तावित है।

- **स्वरोजगार कार्यक्रम :** इस घटक के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उद्यम के लिए ऋण द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।

- व्यक्तिगत अधिकतम (रूपये 2.00 लाख) एवं समूह अधिकतम (रूपये 10.00 लाख अधिकतम) ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनांतर्गत ब्याज अनुदान के रूप मे किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूहो को 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान अग्रिम ऋण राशि की नियमित किस्तों में भुगतान पर इसका लाभ दिया जाएगा। व्यक्तिगत उद्यमियों को केडिट कार्ड की सुविधा सुलभ होगी। ऋण अवधि 5–7 वर्ष के लिए प्रस्तावित है।

- इस कार्यक्रम के द्वारा 18 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों की पहचान नगरीय निकायों/क्षेत्रीय स्तरीय फेडरेशन के द्वारा प्रस्तावित है। हितग्राहियों को 3–7 दिन तक उद्यमिता उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (ओरिएन्टेशन) प्रदान किया जावेगा। कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा का बंधन नही है। इस घटक का प्रबंधन नगर स्तर पर गठित टॉस्कफोर्स के द्वारा किया जाएगा।

- **क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण:** इस घटक के अन्तर्गत राज्य तथा निकाय स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन कर राज्य स्तर पर 06 तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाएगा तथा निकाय स्तर पर 02–04 विशेषज्ञ जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

- **शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता:** इस घटक के पथ विक्रेताओं का उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन, कार्यशाला, बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान–पत्र विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस घटक पर आबंटन की 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी।

- **शहरी गरीबों के लिए आश्रम योजना:** इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रम भवन का निर्माण कर गरीबों एवं बेघर लोगों के (50–100 व्यक्तियों के लिए) रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे आश्रय भवन सभी मिशन नगरों मे रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैण्ड, मण्डी आदि के समीप निर्मित किया जाएगा। इन भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति/पूर्ण कालिक कर्मचारियों/ अन्य के द्वारा किया जाएगा।

- **अभिनव/विशेष परियोजना:** राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना अंतर्गत अभिनव एवं विशेष परियोजनाओं में राज्य की आवश्यकता एवं समुदाय आधारित कल्याणकारी, जनहितकारी योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा, अभिनव एवं विशेष परियोजना अंतर्गत नवाचार परियोजनाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा, ताकि प्रयोगोपरांत सफल होने पर अन्य स्थानों पर क्रियान्वित किया जा सके। वर्तमान वित्तीय वर्ष में संगवारी–कामकाजी घरेलू महिलाओं के कौशल उन्नयन के माध्यम से जीवकोपार्जन परियोजना भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

- <u>वित्तीय संसाधनः</u>

- भारत सरकार का अंशदान – 60 प्रतिशत
- राज्य सरकार का अंशदान – 40 प्रतिशत

<u>मिशन के कार्यों में गति लानें हेतु निम्नानुसार संचालक मंडल / कमेटी का गठन किया गया है।</u>

- **राज्य स्तर परः**

  अ. संचालक मंडल – माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में।

  ब. राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति– माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में।

  स. प्रबंधक मंडल –माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में ।

  द. राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति– प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में।

- **शहर स्तरीय मिशन प्रबंधन ईकाई स्तर पर :**

  अ. सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई – जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में।

  ब. तकनीकी सलाहकार समिति – जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में।

  स. शहर स्तरीय आजीविका केन्द्र संचालन समिति– जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में।

  द. टॉस्कफोर्स समिति – सिटी प्रोजेक्ट, ऑफिसर (आयुक्त, नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी) की अध्यक्षता में।

  ई. ग्रेडिंग कमेटी– सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, आयुक्त, नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में।

13.12 मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन

राष्ट्रीय शहरी आजीविकि मिशन में प्रदेश के 28 निकायों (27 जिला मुख्यालय एवं भिलाई नगर निगम) में संचालित किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में सम्मिलित नहीं होने वाले शेष 141 निकायों हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 राज्य प्रवर्तित **<u>मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन गठित कर क्रियान्वित किया जा रहा है।</u>** शेष 141 निकायों के शहरी गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जायेगा। विस्तृत कार्ययोजना / परियोजना प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा प्रदान करते हुए राशि रूपये 15.00 करोड़ का अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है।

14

शिक्षा

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2003–04 में प्राथमिक 13852 तथा पूर्व माध्यमिक 5642 स्कूल थे जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर कमशः 37050 एवं 16692 हो गये हैं।
- वर्ष 2003–04 में 908 हाई स्कूल एवं 680 उ.मा.विद्यालय थे जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर कमशः 2609 एवं 3715 हो गये हैं।
- साक्षर भारत कार्यकम के अंतर्गत वर्ष 2016 में राज्य साक्षरता मिशन एवं सरगुजा जिले को पुरस्कृत किया गया है।
- वर्तमान में 08 राजकीय विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 08 निजी विश्वविद्यालय, 216 शासकीय महाविद्यालय एवं 13 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं 205 अशासकीय अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय संचालित है।
- वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 184640 छात्र–छात्रायें अध्ययनरत थे जिसमें स्नातक स्तर पर लगभग 22234 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 4531 छात्र–छात्रायें अध्ययनरत् थे।
- वर्तमान में राज्य में 03 शासकीय, 03 स्वशासी–स्ववित्तीय और 42 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 16896है।
- राज्य में 31 शासकीय एवं 20 निजी पॉलीटेक्निक संस्था स्थापित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 8199है।
- 2016–17 में राज्य के लगभग 100 शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 17,000 विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरित किया जाना प्रस्तावित
- राज्य में 172 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 19360 है।
- लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा वर्ष 2011–12 से 16–17 तक 39162 युवा प्रशिक्षित।

स्कूल शिक्षा

संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ–साथ विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे (विशेषकर 6 से 14 आयु वर्ग) को निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ प्राप्त हो, योजना को दृष्टिगत् रखते हुये मानव संसाधन पर किया गया उद्देश्यपूर्ण व्यय ही विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सभी की सहभागिता हो इस हेतु विभाग द्वारा अधोसंरचना के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता के विकास एवं मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है । शिक्षा का विकास इस तरह से संपादित कर रही है कि शिक्षण सुविधा छात्रों को उनकी पहुंच पर प्राप्त हो रही है विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन कर समाज को शिक्षा के प्रति जागृत कर बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आकृष्ट किया जा रहा है ।

तालिका क. 14.1 GER- प्रायमरी से माध्यमिक

स्तर	2008–09	2013–14	2014–15	2015–16
प्रायमरी	125	104	103	105
उच्च प्रायमरी	84	101	101	103
माध्यमिक	49	84	91	92

स्त्रोत :– प्रशासकीय प्रतिवेदन 2008–09, 2015–16

तालिका क. 14.2 Drop out rate- प्रायमरी से माध्यमिक

स्तर	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्रायमरी	4.9	3.1	1.45	1.06	0.81
उच्च प्रायमरी	-	-	1.4	1.18	1.02
माध्यमिक	9	11.8	11.0	10.2	9.3

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2011–12, 2015–16

सितंबर, 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) की अवधि पूरी होने पर इन लक्ष्यों को और विस्तार देते हुये संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगले 15 वर्षों यानि वर्ष 2030 तक के लिये नया वैश्विक एजेण्डा – सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) तय किया गया, जिनमें विश्व की बेहतरी के लिये 17 सतत विकास लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया। इनमें गोल–4'' सभी के लिये जीवनभर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करना।''

तालिका क 14.3 Transition rate

स्तर	छात्र	छात्राएं	योग
5 से 6	95.53	95.90	95.72
8 से 9	97.56	97.33	97.44
10 से 11	62.22	61.00	61.61

Source: प्रशासकीय प्रतिवेदन 2015–16

तालिका क.14.4 Retention rate

स्तर	2013–14	2014–15	2015–16
प्रायमरी	83.41	86.74	88.89
उच्च प्रायमरी	95.76	95.45	96.39
माध्यमिक	80.76	80.35	80.27

Source: UDISE 2015-16

स्कूल शिक्षा में अब तक किये गये प्रयास के कारण शिक्षा संकेतांकों – पहुँच संकेतांक, समानता संकेतांक, दक्षता संकेतांक, गुणवत्ता संकेतांक, सुविधाओं के संकेतांक एवं व्यवस्था के संकेतांक में सुधार हुआ है। इसकी अद्यतन ज्ञात स्थिति तालिका में दर्शित है:–

तालिका क.14.5 Teacher information and PTR

स्तर	शिक्षकों की संख्या		प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत		शिक्षक छात्र अनुपात	
	2003–04	2015–16	2003–04	2015–16	2003–04	2015–16
उच्च माध्यमिक	16568	20967	64%	70%	1:15	1:26
माध्यमिक	7236	27071	70%	68%	1:47	1:37
उच्च प्रायमरी	22833	72274	58%	76%	1:48	1:23
प्रायमरी	69184	123607	52%	70%	1:49	1:23

Source: प्रशासकीय प्रतिवेदन 2003–04, 2015–16

विभाग की संचालित प्रमुख योजनाये निम्नानुसार है :

14.1 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण / पुस्तकालय योजना :–योजना अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के समस्त शालाओं के समस्त छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किया जा रहा है।वर्ष 2005–06 से कक्षा 9 से 10 तक के शासकीय एंव अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तके प्रदान की गई है।वर्ष 2008–09 से कक्षा 11 से 12 तक अनु.जा., अनु.जन.जा. एवं समस्त बालक–बालिकाओं को पुस्तक योजना के माध्यम से पाठ्यपुस्तक एवं अन्य पुस्तकें प्रदाय की गई।वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग (पाठ्यपुस्तक निगम) के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक प्रदान की जा रही है।

तालिका क. 14.6 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण

क.	वर्ष	आबंटन	व्यय	भौतिक उपलब्धि	विशेष
1	2012–13	47.23 करोड़	47.23 करोड़	58.31 लाख विद्यार्थी लाभान्वित	–
2	2013–14	59.66 करोड़	54.68 करोड़	57.37 लाख विद्यार्थी लाभान्वित	–
3	2014–15	112.65 करोड़	104.75 करोड़	57.77 लाख विद्यार्थी लाभान्वित	–
4	2015–16	129.06 करोड़	129.06 करोड़	59.44 लाख विद्यार्थी लाभान्वित	–

14.2 मध्यान्ह भोजन कार्यकम :–योजना में औसतन 200 कार्य दिवसों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह कार्य दिवस 200 से 240 दिवस के मध्य मान्य किया जाता है।प्रदेश के 146 विकासखण्डों के 44965 शालाओं में 3385932 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में 84635 महिला स्व–सहायता समूह द्वारा एवं 04 स्वयं सेवी संगठन द्वारा भोजन पकाया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन केन्द्रों के प्रबंधन, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन बाह्य एजेन्सी के द्वारा कराया जाता है।

प्रति छात्र प्राथमिक स्तर पर भोजन पकाने पर प्रतिदिवस रू. 4.78/– व्यय जिसमें केन्द्रीय अंशदान रू. 2.48 का है, उच्च प्राथमिक शाला के लिए भोजन पकाने पर प्रति छात्र रू. 6.48/– व्यय किया जाता है, जिसमे केन्द्रीय अंशदान रू. 3.71/– हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र 100 ग्राम एवं उच्च प्राथमिक स्तर तथा एन.सी.एल.पी. शाला हेतु 150 ग्राम प्रति छात्र चावल प्रदाय किया जाता है। राज्य में औसत उपस्थिति 80 प्रतिशत् है।

तालिका क. 14.7 मध्यान्ह भोजन कार्यकम

क.	वर्ष	आबंटन	व्यय	भौतिक उपलब्धि
1	2012–13	674.19 करोड़	566.56 करोड़	37.16 लाख छात्र–छात्राएं
2	2013–14	521.39 करोड़	334.18 करोड़	33.66 लाख छात्र–छात्राएं
3	2014–15	538.52 करोड़	481.22 करोड़	35.42 लाख छात्र–छात्राएं
4	2015–16	515.81 करोड़	334.31 करोड़	33.84 लाख छात्र–छात्राएं

14.3 निःशुल्क गणवेश योजना :–प्राथमिक विद्यालय (कक्षा1 से 5) की अजा, अजजा, एवं बी.पी.एल वर्ग के अध्ययनरत् छात्रों को निःशुल्क गणवेश योजना अंतर्गत प्रदान किया जाता है, सत्र 2011–12 से ए.पी.एल. अन्तर्गत् सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छोड़कर समस्त अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दो–दो सेट गणवेश प्रदान किये जाने का प्रावधान

है (यह प्रावधान एस.एस.ए. के अन्तर्गत् किए गए प्रावधान को समाहित कर है) सत्र 2012–13 से ए.पी.एल. बालक एवं बालिकाओं को भी गणवेश की पात्रता को समाहित करते हुए राज्य आयोजना एवं सर्व शिक्षा अभियान मद से कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र–छात्राओं को दो–दो सेट्स गणवेश के वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

तालिका क 14.8 निःशुल्क गणवेश योजना

क.	वर्ष	आबंटन	व्यय	भौतिक उपलब्धि
1	2012–13	147.68 लाख	147.68 लाख	2894287 लाख छात्राएं लाभान्वित
2	2013–14	147.13 लाख	82.04 लाख	3474637 लाख छात्राएं लाभान्वित
3	2014–15	144.93 लाख	144.64 लाख	3355388 लाख छात्राएं लाभान्वित
4	2015–16	142.85 लाख	112.04 लाख	3753247 लाख छात्राएं लाभान्वित

14.4 छात्र दुर्घटना बीमा योजना :–इस योजनान्तर्गत् शासकीय एवं अनुदान प्राप्त, प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत् छात्र – छात्राओं को दुर्घटना बीमा का संरक्षण प्रदान किया गया है। जिसमें दुर्घटना – जनित मृत्यु, पूर्ण अपंगता अथवा स्थाई अपंगता होने पर 10,000 रूपये एवं एक अंग भंग होने पर अथवा आंशिक अपंगता पर 5,000 रूपये एवं उपचार हेतु 500 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।

तालिका क. 14.9 छात्र दुर्घटना बीमा योजना

क.	वर्ष	आबंटन	व्यय	बीमित छात्र	विशेष
1	2012–13	65.00 लाख	35.80 लाख	66.32 लाख	378 छात्रों को भुगतान किया गया।
2	2013–14	65.00 लाख	29.25 लाख	–	312 छात्रों को भुगतान किया गया।
3	2014–15	70.00 लाख	50.36 लाख	67.38 लाख	570 छात्रों को भुगतान किया गया।
4	2015–16	70.00 लाख	20.80 लाख	65.96 लाख	305 छात्रों को भुगतान किया गया।

14.5 सरस्वती सायकल प्रदाय योजना (निःशुल्क) :–राज्य के हाई स्कूलों में अध्ययनरत अनु.जाति एवं अनु. जनजातियों के बालिकाओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है सत्र 2007–08 से नवमी कक्षा में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं को भी सायकल के प्रदाय से जहां शालाओं में आवागमन की सुविधा है वहीं बालिकाएं शिक्षा के प्रति आकृष्ट हुई । सत्र 2012–13 से अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत् उपरोक्त वर्ग की बालिकाएं योजना की हितग्राही हैं ।

तालिका क. 14.10 सरस्वती सायकल प्रदाय योजना (राशि लाख)

क.	वर्ष	आबंटन	व्यय	भौतिक उपलब्धि
1	2012–13	2996.60	2733.56	95299 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
2	2013–14	3550.00	2704.49	110839 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
3	2014–15	3600.00	433.87	185101 सायकलें वितरित की गयी
4	2015–16	5726.00	5551.00	192232 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

14.6 छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना/सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी

- प्रदेश की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु –
- एन.आई.आई.टी. द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- प्रदेश के 1189 हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. 1,86,000 बालिकाओं के लिए 54/– रूपये प्रति छात्रा की दर से शासन द्वारा भुगतान किया गया है।
- प्रदेश के 16 जिलों में जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है ।
- प्रदेश में सत्र 2009–10 से 400 केन्द्रों का संचालन किया गया, जिसमें लगभग 78 हजार बालिकाएं लाभान्वित हुई।
- वर्तमान में 653 विद्यालयों में आई.सी.टी. योजना संचालित है, जिसमें 105501 विद्यार्थी लाभान्वित हैं।
- इस हेतु रायपुर संभाग के लिए एन.आई.आई.टी. लिमि. के साथ करार किया गया है।

तालिका क. 14.11 वर्षवार संचालित केन्द्रो की उपलब्धि की जानकारी

क.	वर्ष	आबंटन	व्यय	भौतिक उपलब्धि
1	2012–13	3695.50 लाख	480.76 लाख	653 विद्यालयों के छात्र
2	2013–14	3560.00 लाख	–	653 विद्यालयों के छात्र

14.7 पुस्तकालय योजना :–प्रदेश के समस्त हाई एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रन्थालय स्थापित किये जाने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजनान्तर्गत् वर्ष 2009–10 में प्रदेश के सभी विद्यालयों के लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया गया है। वर्तमान में 3 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हे संदर्भ पुस्तकें पुस्तकालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है ।

14.8 राज्य स्थापना उपरांत प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या :–शिक्षा के अधोसंरचना के विकास के लिए शिक्षा को घर–घर तक पहुंचाने के लिए छात्रों की पहूंच सीमा के भीतर शालाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। राज्य निर्माण से अद्यपर्यन्त प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या निम्नानुसार है :

तालिका क. 14.12 राज्य स्थापना उपरांत प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या

क.	विवरण	2003-04	2012-13	2013-14	2014--15	2015-16	2016-17
1	PS	4962	8	45	0	1	4
2	MS	703	30	35	0	1	15
3	HS	-	0	54	10	41	100
4	HSS	-	200	150	9	12	98
	Total	**5665**	**238**	**284**	**19**	**55**	**217**

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2002–03 से वर्ष 2015–16 तक 10623 प्राथमिक शाला भवन, 8758 उच्च प्राथमिक शाला भवन, 50935 अतिरिक्त कक्ष, 16 बी.आर.सी. भवन, 2703 सी.आर.सी. भवन, 11192 बालक शौचालय, 34255 बालिका शौचालय, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के 38044 शौचालय, 3666 विद्यालयों में पेयजल सुविधा, 1115 शाला भवनों में दीर्घ मरम्मत, 9130 विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल, 19570 विद्यालयों का विद्युतिकरण, 12100 विद्यालयों में प्रधान पाठक कक्ष, 60 आवासीय विद्यालय, 48495 शालाओं में रैम्प, 25 बाला कान्सेप्ट, 10 आवासीय विद्यालय, 150 बी.आर.सी. प्रशिक्षण केन्द्र एवं 4274 अक्रियाशील शौचालयों का मरम्मत एवं निर्माण कराया गया ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत् 1341 हाईस्कूलों का उन्नयन, 1341 हाईस्कूल भवन निर्माण, 405 शिक्षक आवास गृह, 1641 शालाओं का सुदृढ़ीकरण, 98 हाईस्कूलों का दीर्घ मरम्मत, 435 विद्यालयों में प्रसाधन निर्माण संबंधी कार्य कराये गये ।

- प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्कूल खोलने का कार्य पूर्ण । अब केवल जनसंख्या बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार नवीन स्कूल खोलना होगा। वर्ष 2003–04 में प्राथमिक 13852 तथा पूर्व माध्यमिक 5642 स्कूल थे जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर क्रमशः 37050 एवं 16692 हो गये हैं।
- हाई तथा उ. मा. विद्यालय खोलने की ओर शासन ने विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2003–04 में 908 हाई स्कूल एवं 680 उ.मा.विद्यालय थे जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर क्रमशः 2609 एवं 3715 हो गये हैं।

14.9 मॉडल स्कूलः–राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए समस्त 74 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल की स्थापना की गई जिसमें :–

- कक्षा 6वीं से 12वीं तक का अध्यापन
- CBSE के पाठ्यक्रम से पढ़ाई
- अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी
- प्रत्येक विद्यालय को 3 करोड़ के लागत से बनने वाले सर्वसुविधायुक्त भवन
- समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदत्त
- मॉडल स्कूल हेतु राशि रू. 262 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- 72 मॉडल शालाओं को मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना अन्तर्गत् पब्लिक पार्टनरशीप अन्तर्गत् डी.ए.वी. के माध्यम से संचालित किया जा रहा है ।

14.10 आवासीय विद्यालय (पोरटा केबिन) :– नक्सल प्रभावित जिलों के स्कूल भवन क्षतिग्रस्त/बंद होने के फलस्वरूप अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए प्री–फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की स्थापना सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई है। जिसे वर्ष 2011–12 में आवासीय विद्यालय का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 500 बच्चों की क्षमता। वर्ष 2016–17 में जिलेवार दर्ज बच्चों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 14.13 आवासीय विद्यालय (पोरटा केबिन)				
क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत आवासीय विद्यालयों की संख्या	आवासीय क्षमता	दर्ज बच्चो की संख्या
1	बीजापुर	28	14000	13994
2	दंतेवाड़ा	14	7000	7000
3	नारायणपुर	02	1000	1000
4	सुकमा	16	8000	7976
	योग	60	30000	29970

14.11 कन्या छात्रावास 100 सीटर :–

- राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए 74 विकासखण्डों में 100 सीटर कन्या छात्रावास
- कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्राओं के रहने की निःशुल्क व्यवस्था
- कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8वीं पास करने वाले को प्राथमिकता
- छात्रावासों में 4644 बालिकाएं निवास कर रही हैं।
- प्रत्येक छात्रावास के लिए राशि रू. 107 लाख लोक निर्माण विभाग को निर्माण हेतु दिए गए हैं।

14.12 शालाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण :–

- सत्र 2009–10 में 218, 2010–11 में 500 एवं 2011–12 में 624 पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया।
- 718 विद्यालयों के निर्माण की कार्यवाही की गई, 150 भवन पूर्णता की ओर।
- 405 शिक्षकीय आवासीय गृहों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- विज्ञान उपकरण हेतु राशि रू. 25 हजार, पुस्तकालय हेतु राशि रू. 10 हजार, आकस्मिक निधि हेतु राशि रू. 15 हजार एवं लघु मरम्मत हेतु राशि रू. 25 हजार प्रतिवर्ष दी जा रही है, एवं स्पोर्ट्स किट हेतु 100 विद्यालयों को राशि रू. 20 हजार प्रदान किए जा रहे हैं, प्रत्येक जिले में विज्ञान मेला हेतु राशि रू. 2 लाख 10 हजार प्रदान किए गए हैं।
- सत्र 2010–11 में 584 एवं 2011–12 में 1057 विद्यालयों की सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

14.13 साक्षर भारत कार्यक्रम :–साक्षरता के माध्यम से प्रदेश में न केवल पढ़ने–लिखने एवं अंकज्ञान में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, वरन् इससे भी बढ़कर कार्यात्मकता, सशक्तिकरण और आगे सीखने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसके माध्यम से 80 प्रतिशत साक्षरता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है, जेण्डर गैप को 10 प्रतिशत कम कर क्षेत्रीय सामाजिक, आर्थिक असमानता को दूर किया जाएगा। धमतरी, दुर्ग, बालोद व बेमेतरा जिले साक्षर भारत कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य 03 जिलों एवं 05 ग्राम पंचायतों को मान.राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2016 में राज्य साक्षरता मिशन एवं सरगुजा जिले को पुरस्कृत किया गया है।

14.13.1 साक्षर भारत कार्यक्रम का लक्ष्य

1. 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना –

तालिका क. 14.14 साक्षर भारत कार्यक्रम का लक्ष्य

विवरण	वर्ष 2001 की साक्षरता दर			वर्ष 2011 की साक्षरता दर		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
भारत की साक्षरता दर	75.26	53.67	64.84	82.14	65.46	74.04
छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर	77.38	51.85	64.66	80.27	60.24	70.28

2. साक्षरता में जेण्डर गैप को 10 प्रतिशत तक लाना–

तालिका क. 14.15 साक्षरता में जेण्डर गैप

विवरण	वर्ष 2001 में जेण्डर गैप	वर्ष 2011 में जेण्डर गैप	कमी
भारत	21.59	16.68	4.91
छत्तीसगढ़	25.53	20.03	5.5

3. क्षेत्रीय, सामाजिक व आर्थिक विषमताओं को कम करना।

4. 15 वर्ष से अधिक आयु समूह को शामिल करते हुये महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान।

14.14 डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान :–राज्य में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य शासन द्वारा डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन वर्ष 2015–16 से किया जा रहा है। इस चार वर्षीय कार्यक्रम में प्रतिवर्ष के लिए फोकस इस प्रकार निर्धारित किया गया है।

प्रथम वर्ष 2015–16 – शालाओं का आकलन – सौ बिन्दुओं के चेक लिस्ट के आधार पर
द्वितीय वर्ष 2016–17 – कक्षाओं का आकलन – दस दक्षताओं के आधार पर रिपोर्ट कार्ड
तृतीय वर्ष 2017–18 – बच्चों का आकलन – विभिन्न दक्षताओं में सभी बच्चों का परीक्षण
चतुर्थ वर्ष 2018–19 – सभी शालाओं का समग्र आकलन – कार्यक्रम की प्रभाविता हेतु

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष सबसे पहले ग्राम सभा के माध्यम से शालाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है और इसके विश्लेषण के आधार पर फोकस शालाओं का चयन कर पूरे सत्र भर इन शालाओं के साथ कार्य किया जाता है। इन फोकस शालाओं में जन–प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा शालाओं का कम से कम दो बार अकादमिक निरीक्षण किया जाता है। इन दोनों निरीक्षण के माध्यम से शालाओं में हुए सुधार का आकलन किया जाता है।

तालिका क. 14.16 शिक्षा गुणवत्ता अभियान

स्तर	A Grade	B Grade	C Grade	D Grade	Total
प्राथमिक	7168	7909	4264	4289	23630
उच्च प्राथमिक	3767	2931	1300	1119	9117
योग	10935	10840	5564	5408	32747

द्वितीय वर्ष सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से प्रायमरी एवं उच्च प्रायमरी शालाओं की ग्रेडिंग निम्नानुसार हैः–

इस प्रकार वर्ष 2016–17 के लिये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के C और D ग्रेड के 10,972 एवं पूर्व वर्ष के सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा चिन्हित C और D ग्रेड के शालाओं में अपेक्षित सुधार नहीं होने के कारण 1,894 शालाओं को लेते हुये कुल 12,866 शालाओं को अपग्रेड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्तर	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
शालाओं की संख्या	10068	2818	12866

14.15 प्रयास विद्यालय

नक्सल प्रभावित तथा अन्य अनुसूचित जनजाति जिलों में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिये प्रयास आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करते हुये राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिये निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। राज्य में इस प्रकार के 06 विद्यालय संचालित हैं।

14.16 विद्या मितान योजना

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आउटसोर्स के माध्यम से पूर्ति की गई है। इसकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः–

तालिका क. 14.17 विद्या मितान स्थिति

जिला	आवश्यकता	अंग्रेजी	वाणिज्य	बायो+रसायन	विज्ञान	गणित+भौतिक	कुल भर्ती	कुल रिक्त
बलरामपुर	260	66	01	43	65	20	195	65
बस्तर	338	86	46	37	58	47	274	64
बीजापुर	102	08	15	05	03	02	33	69
दंतेवाड़ा	73	18	03	15	03	10	49	24
जशपुर	110	28	10	0	38	18	94	16
कांकेर	286	74	33	56	41	69	273	13
कोंडागांव	315	74	21	64	33	40	232	83
कोरिया	249	78	12	56	46	39	231	18
नारायणपुर	66	11	13	12	05	04	45	21
सुकमा	78	07	04	06	01	07	25	53
सूरजपुर	219	50	13	37	38	16	154	65
सरगुजा	85	21	01	05	16	15	58	27
महायोग	2181	521	172	336	347	287	1663	518

स्त्रोत :RMSA outsourcing status report 2016

तालिका क.14.18 स्वीकृत आबंटन का तुलनात्मक विवरण (राशि लाख रू.)

क.	वर्ष	स्वीकृत आबंटन	वृद्धि (राशि)	वृद्धि % में
1	2012-13	453637.03	36408.03	8.73
2	2013-14	528830.90	75193.87	14.22
3	2014-15	644543.93	115713.03	17.95
4	2015-16	730490.93	85947.00	11.77

राजीव गांधी शिक्षा मिशन

14.17 सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न योजनाएँ

14.17.1 योजना शाखा :-

- **परिवहन सुविधा :-** "शिक्षा का अधिकार अधिनियम" के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 921 बच्चों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराया जाकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया।

- **शहरी शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु रेसीडेंशियल हॉस्टल :-** शहरी सुविधा से वंचित बच्चे (बेघर और वयस्क, देख-रेख से वंचित, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले गरीब, फुटपाथी, अनाथ, असहाय, निःशक्त, पलायन प्रभावित आदि) ऐसे विशेष श्रेणी के बच्चे हैं जिन्हें वास्तव में बिना आवासीय व्यवस्था कराये शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े जाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 100 सीटर 10 रेसीडेंशियल हॉस्टल (जिला रायपुर में 04, दुर्ग में 02, राजनांदगांव में 03 एवं सरगुजा में 01 रेसीडेंशियल हॉस्टल) 2012-13 से प्रारम्भ किये गये हैं।

- **विशेष आवासीय / गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन :-**शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों की उम्र के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश के साथ ही विशेष आवासीय / गैर आवासीय प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। वर्ष 2016-17 में शाला से बाहर बच्चों की चिन्हांकित संख्या 36511 है।

- **डॉरमेटरी युक्त विद्यालय :-**आदिवासी क्षेत्रों में जहां 10 से कम बच्चे उपलब्ध होने की दशा में नवीन प्राथमिक शाला नहीं खोले जा सके हैं। वहां के बच्चों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने हेतु बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, कोरबा, नारायणपुर, सुकमा एवं जशपुर जिलों में कुल 24 विद्यालयों में 50 सीटर डॉरमेटरी युक्त शालाऐं प्रारम्भ की गई है। पलायन प्रभावित जिले बलौदाबाजार, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, धमतरी, महासमुन्द, बिलासपुर एवं रायगढ़ जिले में कुल 23 बच्चों हेतु निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था सहित गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है।

<u>14.17.2 पेडागॉजी शाखा :-</u>

- शिक्षक क्षमता विकास (TeacherProfessionalDevelopment) : शिक्षकों के क्षमता विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर पांच दिवस का प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रशिक्षण के साथ-साथ सतत क्षमता विकास हेतु प्रतिमाह संकुल स्तर पर फोलो अप हेतु मासिक बैठक सह प्रशिक्षण का प्रावधान है। इन प्रशिक्षणों के लिए शालाओं की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण डिजाइन किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण को दो भागों में बांटा गया है ताकि राज्य अनिवार्यतः Early Grade Literacy पर ध्यान दें। पहला भाग

कक्षा एक एवं दो के शिक्षकों (36888) एवं दूसरे भाग में कक्षा तीन से पांच (55363) के शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर 54461 शिक्षकों को अलग–अलग विषयों में प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है।

- **अधिगम संवर्धन कार्यक्रम** (Learning Enhancement Program & LEP):–
- प्राथमिक कक्षाओं के लिए ग्रेडेड रीडर्स – एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार ग्रेडेड रीडर्स को प्रारंभिक पठन कौशल के विकास हेतु अभी तक तीन जिलों बालोद, महासमुंद एवं बलौदाबाजार की प्राथमिक शालाओं में वितरण किया गया है।
- प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को स्थानीय स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराते हुए प्रिंट रिच वातावरण, वाल मैगजीन आदि प्रत्येक शाला में सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य जारी है।
- इस वर्ष सत्र के प्रारंभ में ही राज्य की सभी प्राथमिक कक्षाओं में संपर्क फाउंडेशन के सहयोग से गणित किट उपलब्ध कराते हुए शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं फोलो अप कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- प्राथमिक शालाओं के लिए गणित की गतिविधि पुस्तक ई–बुक के रूप में विकसित कर शिक्षकों के साथ आनलाइन शेयर किया गया है।

राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (RAA) :

- प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन एवं उनका एक्सपोजर – गणित, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में शिक्षकों के विभिन्न समूहों को एक समूह बनाकर आपस में एक दूसरे से सीखने हेतु प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन कर समय–समय पर उनकी क्षमता विकास एवं सक्रिय पीएलसी को प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न प्रशिक्षणों में स्त्रोत व्यक्तियों का उत्तरदायित्व एवं सेमीनारों में सहभागिता के अवसर दिए जा रहे हैं।
- गणित/विज्ञान कार्नर्स– डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत सभी शालाओं में लर्निंग कार्नर्स विकसित किया जा रहा है एवं संकुलों को इस हेतु माडल विकसित किए जाने के निर्देश हैं।
- मदरसों में विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन – राज्य में संचालित कुल सौ मदरसों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।
- बेसिक टेक्नोलॉजी से परिचय (IntroductionToBasicTechnology&IBT)- LWEक्षेत्रों में संचालित कुछ पोर्टा केबिन में बच्चों को बेसिक कौशलों से परिचय एवं रूझान विकसित किए जाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।
- विज्ञान से जुडी रोचक पहलुओं पर रीडिंग कार्ड्स – उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय में रूचि विकसित करने हेतु रीडिंग कार्ड्स विकसित कर उपलब्ध करवाए जाने हेतु शिक्षक प्रशिक्षणों के दौरान brainstorming सूत्रों का प्रावधान किया गया है।

- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से विज्ञान के प्रोजेक्ट्स विकसित करने की दिशा में भी पहल की जा रही है।
- प्राथमिक शालाओं के लिए टून मस्ती डीवीडी के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है।
- जिलों को अंध–श्रद्धा उन्मूलन कैम्प के आयोजन हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

14.17.3 कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :–

भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 से सर्व शिक्षा अभियान के पृथक घटक के रूप में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं अल्प संख्यक समुदाय के उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (100 सीटर) का संचालन सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने तथा सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की संरचना में संशोधन के उपरांत के.जी.बी.व्ही. घटक का क्रियान्वयन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियम व शर्तो के अनुरूप किया जा रहा है –

- उक्त विद्यालय में 10 वर्ष से अधिक आयु की शाला त्यागी/अप्रवेशी, पालक/अभिभावक से वंचित, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित विशेष आवश्यकता वाली, मौसमी पलायन के कारण पढ़ाई से वंचित एवं कठिन भौगोलिक कारण से पढ़ाई से वंचित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।
- प्रदेश के 27 जिलों में से चार जिलों को छोड़कर (रायपुर, दुर्ग, बालोद व राजनांदगांव) 23 जिले में कुल 93 कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (100 सीटर) संचालित है।
- यह विद्यालय उन विकासखण्डों में संचालित है जहां कि महिला साक्षरता दर, कम है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में वर्तमान में 9283 छात्राएं अध्ययन कर रही है।

दर्ज संख्या वर्ष 2016–17

No. of KGBVs sanctioned	No. of KGBVs operational	No. of Girls Enrolled						
		SC	ST	OBC	Muslim	Other	BPL	Total
93	93	1297	6050	1795	36	105	All	9283

Class wise Enorollment			
6th	7th	8th	Total
3171	3051	3061	9283

14.17.4 समावेशी शिक्षाः—

- <u>**निःशक्त बच्चों हेतु सुविधाएं**</u> :— कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन्रत निःशक्त बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, प्रमाण—पत्र, उपकरण वितरण, रैम्प का निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, लाने ले जाने की सुविधा आदि की व्यवस्था इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस हेतु प्रति निःशक्त बच्चों पर प्रतिवर्ष 3000/— का बजट का प्रावधान है।

- <u>**निःशक्त बच्चों की शिक्षा**</u> :— समावेशी शिक्षा के अंतर्गत चिन्हांकित 72237 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जांच एवं आवश्यकता अनुरूप विकासखण्ड स्तर पर एलिम्को जबलपुर के विशेषज्ञों एवं जिला स्तर पर चिकित्सकों के सहयोग से परीक्षण शिविर आयोजित कर आवश्यकतानुसार सर्जरी, कृत्रिम उपकरण, प्रमाण पत्र आदि प्रदाय किया गया। इन सभी बच्चों को शासकीय विद्यालयों/आवश्यकतानुसार विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं गृह आधारित शिक्षा उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 2016—17 से **"स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार"** की शुरूआत की गई है। प्रदेश से 39141 विद्यालयों के आवेदन में सेप्रत्येक जिले में 08 शालाओं का चयन करइनमें से राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु 35 विद्यालयों राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

तालिका क्र. 14.19 सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति (राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2015—16				वर्ष 2016—17			
		भौतिक		वित्तीय		भौतिक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	निःशुल्क गणवेश	2519020	2519020	10076.08	10076.08	2406487	2406487	9625.48	9625.48
2	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	2517928	2517928	5045.79	4643.98	2585285	2585285	4877.773	
3	100 सीटर 93 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (KGBV)	9300	9274	4375.65	4117.64	9300	9283	4375.65	3123.44
4	समावेशी शिक्षा (CWSN)	62200	62200	1866.04	859.32	72237	0	1591.71	0.00
5	निर्माण कार्य (Civil)	5177	4389	13661.08	5202.33	1541	0	10732.80	0.00
6	500 सीटर 60 आवासीय विद्यालय (पोर्टा केबिन)	30000	30134	7554.60	7554.60	30000	29970	7554.60	6295.50
7	100 सीटर 10 आवासीय हॉस्टल एवं 50 सीटर 24 आवासीय हॉस्टल	2200	1783	499.50	149.90	2200	1892	499.50	368.50
8	Transport/EscortFacility	838	838	25.14	25.14	921	921	27.63	27.63

उच्च शिक्षा

किसी भी राज्य के विकास यात्रा में उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रहती है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद जिस तेजी से उद्योगों की संख्या बढ़ी है, यदि मानव संसाधन में सुधार पर ध्यान न दिया जाये तो निश्चित ही इसका लाभ अंचल के लोगों को नहीं मिल सकेगा। यह तभी सम्भव होता है जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे परिणात्मक एवं गुणात्मक विस्तार एवं सुधार किया जाता। अपने गठन के समय से ही छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील है एवं उच्च शिक्षा विभाग राज्य के प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। राज्य की उच्च शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान करने की दिशा में विभाग अग्रसर है।

14.18.1 उच्च शिक्षा संस्थान–राज्य के गठन के समय 03 विश्वविद्यालय, 116 शासकीय महाविद्यालय एवं 74 अशासकीय महाविद्यालय थे। वर्तमान में 08 राजकीय विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 08 निजी विश्वविद्यालय, 216 शासकीय महाविद्यालय एवं 13 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं 205 अशासकीय अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय संचालित हैं।

निजी विश्वविद्यालयों की देश में बढ़ती हुई भूमिका के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी 08 निजी विश्वविद्यालय स्थापना की जा चुकी है।

- डॉ0 सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर,
- मैट्स विश्वविद्यालय आरंग, रायपुर,
- कलिंगा विश्वविद्यालय ग्राम कोटनी रायपुर,
- आई.सी.एफ.ए.आई विश्वविद्यालय ग्राम चरोदा दुर्ग,
- आई0टी0एम0 विश्वविद्यालय उपरवारा अभनपुर रायपुर,
- महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी मंगला, बिलासपुर
- एमिटी यूनिर्वसिटी रायपुर
- ओ.पी.जिंदल यूनिर्वसिटी रायगढ़

इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा को गति प्राप्त हो रही है और हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। इन निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित छ.ग.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा की जाता है।

तालिका क. 14.20 उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या

	वर्ष 2015–16 (वर्ष के दौरान)	वर्ष 2016–17 (दिस0 16 तक)
1. महाविद्यालय		
• शासकीय	214	216
• अशासकीय अनुदान प्राप्त	14	13
• स्वशासी	11	11
• अशासकीय अनुदान अप्राप्त	253	105
2. विश्वविद्यालय		
• राजकीय	08	08
• निजी	08	08
• केन्द्रीय	01	01
कुल	17	17

14.18.2 छात्र–छात्रायें–वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 184640 छात्र–छात्रायें अध्ययनरत थे जिसमें स्नातक स्तर पर लगभग 22234 सामान्य वर्ग, 23335 अनुसूचित जाति, 39790 अनुसूचित जनजाति एवं 74688 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्रायें अध्यनरत् थे। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 4531 समान्य वर्ग, 4125 अनुसूचित जाति, 4861 अनुसूचित जनजाति तथा 11076 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्रायें अध्ययनरत् थे।

तालिका क. 14.21 छात्र छात्राएं

विषय	2014–15			2015–16		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल
अनु.जनजाति	18928	22783	41711	20112	24539	44651
अनु.जाति	12932	14208	27140	12908	14552	27460
अन्य पिछड़ा वर्ग	37956	45499	83455	37180	48584	85764
सामान्य	9415	16083	25498	10481	16284	26765
कुल	79231	98573	177804	80681	103959	184640

तालिका क. 14.22 छात्र संख्या शासकीय महाविद्यालय (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)

विषय	2015–16			2016–17		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल
कला	38155	49595	87750	37549	50222	87771
वाणिज्य	12729	13517	26246	13553	14811	28364
विज्ञान	26106	32955	59061	26658	35663	62321
विधि	729	422	1151	713	445	1158
प्रबंधन	57	37	94	43	39	82
कम्प्युटर	1276	1505	2781	1543	1752	3295
अन्य	179	542	721	622	1027	1649
कुल	79231	98573	177804	80681	103959	184640

- सत्र 2016–17 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिपालन में लिंगदोह समिति की अनुशंसापर चुनाव पद्धति से छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न किया गया।

14.18.3 नवीन महाविद्यालय/सीट वृद्धि–सत्र 2016–17 में 01 नवीन शासकीय महाविद्यालय जावंगा, गीदम जिला–दंतेवाड़ा की स्थापना किये जाने हेतु कुल 19 पद की स्वीकृत किये गये। इस हेतु कुल राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- इस सत्र में 03 अशासकीय महाविद्यालय को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
  - आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, डुमरतालाब, रायपुर
  - महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, कोसरंगी जिला–महासमुंद
  - के.पी. महाविद्यालय, सारंगढ़ बांधापाली, जिला–रायंगढ़
- राज्य शासन द्वारा मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21.12.2012 के निर्णय अनुसार शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय मुंगेली को जनहित में उत्तम व्यवस्था हेतु शासनाधीन किया गया है।
- प्रदेश के कुल 13 निजी महाविद्यालयों को शासन द्वारा शतप्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या कुल–13 है।
- सत्र 2016–17 हेतु प्रदेश के 62 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/पाठयक्रम प्रारंभ किये गये है। इस हेतु 171 सहायक प्राध्यापक, 62 प्रयोगशाला तकनीशियन तथा 62 प्रयोगशाला परिचारक के पद स्वीकृत किये गये।
- सत्र 2016–17 हेतु प्रदेश के 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय/जनभागीदारी योजना अन्तर्गत 20 नये व्यावसायिक पाठयक्रम प्रारंभ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- सत्र 2016–17 हेतु प्रदेश के 23 शासकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर के नवीन पाठयक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु 42 प्राध्यापक के पद स्वीकृत किये गये।
- सत्र 2016–17 में प्रदेश के 14 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन किया गया है।
  - शासकीय डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
  - शासकीय बद्री प्रसाद महाविद्यालय, आरंग
  - शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद
  - शासकीय कमलादेवी राठी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव
  - शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
  - शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर

- शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय, कोन्डागांव
- शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय, सुकमा
- शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर
- शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर
- शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र महाविद्यालय, मुगेली
- शासकीय पण्डित रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर
- शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज
- शासकीय शहीद वेंकट राव महाविद्यालय, बीजापुर

इस हेतु कुल 14 स्नातकोत्तर प्राचार्य, 34 प्राध्यापक, 6 प्रयोगशाला तकनीशियन तथा 6 प्रयोगशाला परिचारक के पद स्वीकृत किये गये एवं कुल राशि रू. 300.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिसके फलस्वरूप अब प्रदेश के सभी 27 जिलों में न्यूनतम एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो गये है।

- प्रदेश में 05 शासकीय आदर्श आवासीय महाविद्यालय रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर जगदलपुर प्रारंभ किये गये है । इनमें प्रारंभिक रूप से 50 विद्यार्थियों को प्रत्येक महाविद्यालयमें प्रवेश दिया गया है। इन महाविद्यालयों की स्थापना के लिये भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है, वर्ष 2016–17 में इन 05 आवासीय शासकीय महाविद्यालय के लिए भवन निर्माण हेतु राशि रू. 200.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, तथा पॉचवीं परियोजना अनुमोदन मंडल की बैठक में रूसा अन्तर्गत इन 05 महाविद्यालयों के लिये कुल राशि रू. 30 करोड़ का अनुमोदन किया गया है तथा विभिन्न पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

- इसके अतिरिक्त शासकीय महाविद्यालय, बेमेतरा एवं बिलासपुर के नवीन भवन निर्माण हेतु राशि रू 80.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- सत्र 2016–17 में 10 शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 10, प्राध्यापक के 20 एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 20, इस प्रकार कुल 50 आवासीय भवन निर्माण हेतु कुल राशि रू 80.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- सत्र 2016–17 में प्रदेश में 02 नये क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर एवं दुर्ग संभाग की स्थापना किये जाने हेतु 02 अपर संचालक के पद तथा अन्य अधिकारी / कर्मचारियों के 18 पद स्वीकृत किये गये। इस हेतु कुल 70.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व संचालित क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर हेतु अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यो के पदेन अपर संचालक का पद समाप्त करते हुये पूर्णकालिक 03 अपर संचालक के पद स्वीकृत किये गये। इस हेतु कुल 30.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- शैक्षणिक सत्र 2016–17 में कुल–06 अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने एवं 10 अशासकीय महाविद्यालयों में कुल–215 सीट–वृद्धि की अनुमति दी गयी है।
- सत्र 2015–16 में प्रदेश के 48 महाविद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं/विषयों में कुल 1215 सीट वृद्धि की अनुमति दी गई।
- सत्र 2015–16 में 29 अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय तथा 11 अशासकीय महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की अनुमति दी गई।
- प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के नैक प्रत्यायन/पुर्नप्रत्यायन की प्रकिया सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयार जारी है।
- पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में मूल विज्ञान संस्थान (Institute of Basic Science) की स्थापना की गई तथा इस से अध्ययन प्रारंभ हो चुका है। इस हेतु वर्ष 2015–16 में 1.59 करोड रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
- राज्य के 214 शासकीय महाविद्यालयों में से 174 महाविद्यालयों के स्वयं के भवन है। 35 महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन है, जिनमें 02 महाविद्यालय भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2015–16 में राशि का प्रावधान किया गया है, शेष 05 आदर्श महाविद्यालय इसी सत्र से प्रारंभ किये गये है।
- 05 शासकीय महाविद्यालयों में 100 सीटर कन्या छात्रावास हेतु कुल 25 पदों का प्रावधान किया गया है। छात्रावास भवन निर्माण हेतु बजट में रू. 300.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

14.18.4 सकल नामांकन अनुपात (G.E.R)–प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (G.E.R) वर्ष 2003 में 3.5 से बढ़कर अब लगभग 16 प्रतिशत हो गया है। यदि हम दूरस्थ क्षेत्रों में अध्यनरत छात्रों की संख्या एवं स्वाध्यायी छात्रों को मिलाकर गणना करें तो हमारे प्रदेश के G.E.Rका औसत राष्ट्रीय औसत से बढ़कर लगभग 20 हो जाता है।

- सभी महाविद्यालयों में प्रवेश–प्रकिया में सरलता एवं एकरूपता लाने हेतु चिप्स के माध्यम से तैयार किये गये साफ्टवेयर सेतु (Student Empowerment Through Technology Utilization-SETU) का सफलतापूर्वक कियान्वित किया गया है। Student Empowerment Through Technology Utilization-SETU के माध्यम से समस्त शासकीय महाविद्यालयों में छात्र–छात्रओं को सफलतापूर्वक ऑन–लाईनप्रवेश प्रदान किया गया है। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं का प्रवेश तथा अन्य सभी अभिलेख ऑन–लाईन करने का प्रयास किया जा रहा है।

14.18.5 राज्य के महाविद्यालयों का ''राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद'' (NAAC) द्वारा मूल्यांकन –उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन हेतु राज्य शासन द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2012 के तहत नैक (NAAC) द्वारा प्रत्यायन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पात्र विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा नैक को आशय पत्र (LoI) प्रेषित किये

गये हैं तथा अनेक महाविद्यालयों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन नैक द्वारा किया जा चुका है। प्रदेश के 02 राजकीय विश्वविद्यालयों (इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ तथा पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर) तथा 05 महाविद्यालयों (शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग, शासकीय बिलासा स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर, शासकीय ई.राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर, शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय सी.एम.डी. महाविद्यालय, बिलासपुर) को नैक ने 'A'ग्रेड से प्रत्यायित किया है।

14.18.6 अन्य मुख्य बिंदु–

- **राष्ट्रीय सेवा योजनाः**–वर्ष 2016–17 में केन्द्र शासन द्वारा अतिरिक्त छात्र संख्या 2800 का आबंटन किया गया है जिससे राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल आबंटित संख्या 93,000 से बढ़कर 95,800 हो गया है।

- **बी.पी.एल. बुक बैक योजनाः**–बी.पी.एल. बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. छात्र–छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं। इस शैक्षणिक सत्र के लिये रू. 45 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- **अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करना** :–इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर रूपये 50/–प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति दो विद्यार्थी रूपये 600/–की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 50/–प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति दो विद्यार्थी रूपये 800/– की पुस्तकें देने का प्रावधान है। इस हेतु बजट में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये 95.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये 75.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना से स्नातक स्तर पर कुल–62845 (अनुसूचित जाति के 23328 एवं अनुसूचित जनजाति के 39517) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कुल–8986 (अनुसूचित जाति के 4125 एवं अनुसूचित जनजाति के 4861) इस प्रकार कुल–71831 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

- **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति** :–उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005–06 से प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत आने वाले स्नातक स्तर के छात्रों को रू. 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए कुल 3000/– रू. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को रू. 500/– प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल 5000/– प्रति छात्र प्रदान किया जाता है । इस हेतु बजट में 4.5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कुल–13596 छात्र–छात्राओं को राशि रू. 1.58 करोड एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुल–2254 छात्र–छात्राओं को राशि रूपये 0.5 करोड़ इस प्रकार कुल–15850 छात्र–छात्रओं को कुल राशि रू. 2.08 करोड़ वितरित की गयी है।

तकनीकी शिक्षा

वर्तमान में राज्य में 03 शासकीय, 03 स्वशासी–स्ववित्तीय और 42 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 16896है। इनमें एक निजी विश्वविद्यालय मैट्स विश्वविद्यालय आरंग, रायपुर एवं एक उच्च शिक्षा विभाग के अंर्तगत विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, लखनपुर भी शामिल है। राज्य में 31 शासकीय एवं 20निजी पॉलीटेक्निक संस्था स्थापित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 8199है।

राज्य में 10 निजी संस्थाओं में बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 763 प्रवेश क्षमता, 08 निजी संस्थाओं में एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 117 प्रवेश क्षमता, 01 शासकीय एवं 07 निजी संस्थाओं में डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम कुल 467 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं।

राज्य में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 1274 प्रवेश क्षमता के साथ एम.ई./एम.टेक., 17 निजी महाविद्यालय में 1197 प्रवेश क्षमता के साथ एम.बी.ए. पाठ्यक्रम एवं 09 निजी संस्थानों में 554 प्रवेश क्षमता के साथ एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है।

14.19.1 छात्रवृत्तियाँ (सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिये):–शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिये मेरिट स्कॉलरशिप और मेरिट–कम–मीन्स स्कालरशिप रू. 1000.00 प्रति माह तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रू. 600.00 प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र–छात्राओं को रू. 2000.00 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के छात्रों हेतु 100 एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं के छात्रों हेतु 484 छात्रवृत्तियॉ निम्नानुसार स्वीकृत हैं :–

तालिका क. 14.23 इंजीनियरिंग छात्रवृत्तियॉ

इंजीनियरिंग महाविद्यालय	छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्ति रू. प्रतिमाह
मैरिट स्कॉलरशिप	16	1000.00
मैरिट स्कॉलरशिप (राज्य के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए)	8	2000.00
मैरिट – कम – मीन्स	76	1000.00

तालिका क. 14.24 पॉलीटेक्निक छात्रवृत्तियॉ

पॉलीटेक्निक	छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्ति रू. प्रतिमाह
मैरिट स्कॉलरशिप	83	600.00
मैरिट – कम – मीन्स	401	600.00

14.19.2 कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना :–रोजगार परक शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना प्रदेश के दो शासकीय पॉलीटेक्निक (शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर एवं किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक रायगढ़) में की गई है। कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दोनों पॉलीटेक्निकों को प्रथम अनुदान की राशि जारी कर दी गई है। शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में इंटीरियर डिजाईन पाठ्यक्रम में 100 सीट एवं किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक रायगढ़ में इलेक्ट्रिकल इक्वीपमेंट मेन्टेनेन्स पाठ्यक्रम में 100 सीट का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

14.19.3 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना :–तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यकमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की गई है । इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत 1084 बच्चों को शिक्षा ऋण पर रूपये 2,03,23,772 प्रदाय किया गया।

14.19.4 छत्तीसगढ़ युवा सूचना कांति योजनांर्तगत शैक्षणिक सत्र 2016–17 में लेपटॉप वितरण :–इंजीनियरिंग, मेडिकल महाविद्यालय, एवं अन्य तकनीकी श्रेणी के उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अंतिम वर्ष में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को लेपटाप एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में वाणिज्य, कला, एवं विज्ञान, आदि निकायों में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अंतिम वर्ष में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार निःशुल्क लेपटाप अथवा टेबलेट कम्प्यूटर प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।शैक्षणिक सत्र 2016–17 में राज्य के लगभग 100 शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 17,000 विद्यार्थीयों को लेपटॉप वितरित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से लगभग 300 छात्र लेटरल एण्ट्री के माध्यम से प्रवेशित है

14.19.5 कन्या छात्रावास :–राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निकों में 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं । इसके अलावा शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगॉव एवं बिलासपुर में छात्राएं प्रवेश लेती है । छात्राओं को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन ने संस्थाओं में कन्या छात्रावासों के निर्माण को प्राथमिकता दी है । इसके अन्तर्गत शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर एवं बिलासपुर में कन्या छात्रावास तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रायपुर, जगदलपुर, कोरबा, धमतरी, रायगढ़ एवं दुर्ग में कन्या छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है ।

तालिका क. 14.25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

जिले	27
संस्थायें	172
अनुसूचित जनजाति विशेष संस्थायें	09
महिलाओं के लिये विशेष	09
संचालित व्यवसाय	47
इंजीनियरिंग व्यवसाय	32
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	15
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	19360

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

संस्थायें	101

क्र.	जिला	शासकीय औ.प्र. संस्थाओं की स्थिति	
		संस्थायें	स्वीकृत सीट्स
1	बालोद	8	776
2	बेमेतरा	5	408
3	बलरामपुर	6	356
4	बस्तर	8	840
5	बीजापुर	4	224
6	बिलासपुर	10	2212
7	बलौदाबाजार–भाटापारा	7	932
8	दंतेवाड़ा	4	224
9	धमतरी	9	724
10	दुर्ग	6	1780
11	कबीरधाम	2	164
12	जशपुर	6	444
13	जॉजगीर–चॉपा	11	832
14	गरियाबंद	5	376
15	कोरिया	6	620
16	कोरबा	6	1012
17	कोण्डागांव	6	484
18	नाराणपुर	2	160
19	मुंगेली	3	176
20	महासमुन्द	5	584
21	रायपुर	8	1604
22	रायगढ़	10	1344
23	राजनांदगांव	11	764
24	कांकेर	8	780
25	सरगुजा	7	844
26	सूरजपुर	7	516
27	सुकमा	2	180
	योग –	172	19360

वर्ष	शासकीय औ.प्र.संस्थायें
2012–13	118
2013–14	129
2014–15	146
2015–16	163
2016–17	172

14.20 विगत पाँच वर्षों में संस्थाओं में स्वीकृत सीटों की स्थिति :

वर्ष	स्वीकृत सीट
2012–13	16088
2013–14	16488
2014–15	17140
2015–16	18184
2016–17	19360

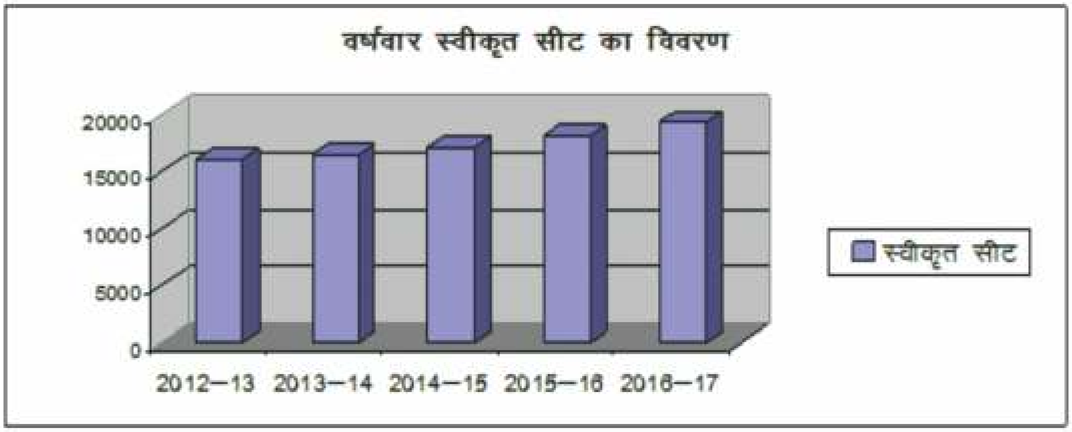

14.21 कौशल विकास (लाईवलीहुड) :–

लाईवलीहुड कॉलेज का प्रारंभ वर्ष– 2011 में किया गया। लाईवलीहुड कॉलेज (गुजर–बसर कॉलेज) में बेरोजगार युवक / युवतियों को विभिन्न रोजागारोन्मुखी ट्रेड्स में अंशकालीन प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाने के उददेश्य से प्रारंभ किया गया। दंतेवाड़ा में लाईवलीहुड कॉलेज की सफलता को देखते हुए राज्य के सभी 27 जिलों में एक नवीन परियोजना के अंतर्गत लाईवलीहुड कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत लिया गया और राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का गठन किया गया। लाईवलीहुड कॉलेजों में युवाओं को उनकी रुचि के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण। प्रशिक्षण पश्चात् उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदाय करने में सहायता की जा रही है।

14.21.1 लाईवलीहुड कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा नक्सल प्रभावित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ जिला था। शिक्षा के प्रसार हेतु जावंगा में एजुकेशन हब की स्थापना की जा रही थी, परंतु समाज का एक बड़ा वर्ग औपचारिक शिक्षा से वंचित हो रहा था जो पूर्व में किसी कारणवश drop-out हो गया था। ऐसे युवाओं को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पअवधि के रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क देकर अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा में प्रारंभ किया गया। अक्टूबर 2012 में इसे औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया।

14.21.2 लक्ष्य एवं उद्धेश्य

लाईवलीहुड कॉलेजों में युवाओं को उनकी रुचि के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदाय करने में सहायता, जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध बजट व अन्य संसाधनों के संकेन्द्रीकरण (कन्वर्जेस) के जरिए जिले में उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग करते हुए लाईवलीहुड कॉलेज संचालित एवं प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय सुविधा का प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के सभी जिलों में लाईवलीहुड कॉलेजों में रोजगार मूलक निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किये जाने तथा 27 हजार हितग्राहियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया गया है। **वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 तक कुल 39162 प्रशिक्षित किए गए।**

14.21.3 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के अतिरिक्त सुविधायें :–

(1) उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क हॉस्टल तथा भोजन सुविधा – 15 स्थानों पर

(2) हॉस्टलर्स को भत्ता– एकमुश्त रहवासी भत्ता –रु. दो हजार, तथा छात्रवृत्ति रु. तीन सौ प्रतिमाह

(3) आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क प्रशिक्षण यूनिफार्म तथा कोर्स मटेरियल

(4) मल्टीमीडिया / प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण

(5) एक्पोजर विजिट – आधुनिक जीवन शैली से परिचित कराने हेतु

(6) रोजगार नियोजन हेतु प्लेसमेंट केम्प

(7) स्व–रोजगार हेतु सब्सिडी तथा लोन

(8) व्यक्तित्व विकास तथा अंग्रेजी ज्ञान हेतु कार्यशाला

14.21.4 प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन / प्रमाणीकरण

- प्रशिक्षण समाप्ति के 15 दिन पूर्व राज्य कौशल विकास प्राधिकरण से ABN प्राप्त किया जाना है।
- मूल्यांकन हेतु राज्य प्राधिकरण में 32 Third Party Assessment Agencies और 571 मूल्यांकनकर्ता हैं।
- मूल्याकन उपरांत परीक्षा परिणाम वेब पोर्टल में अपलोड किये जाते हैं और इसी आधार पर प्रमाण पत्र कवूदसवंक किए जाते हैं
- हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिला कौशल विकास प्राधिकरण एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के माध्यम से वितरित।

14.21.5 छात्रवृत्ति एवं आवासीय सुविधा :–

लाईवलीहुड कॉलेज में छात्रावासी प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति आई.टी.आई. में प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रचलित छात्रवृत्ति दर (वर्तमान में रु. 300 / – प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी) के समान, तथा इसके अतिरिक्त रु. 2000 / – प्रति प्रशिक्षणार्थी एकमुश्त अस्थाई रहवासी व्यवस्था भत्ता दिया जाए।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिसंबर 2016 की स्थिति में लाईवलीहुड कॉलेज के अंतर्गत 27 लाईवलीहुड कॉलेजों में 2621 से अधिक प्रशिक्षणार्थी आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें है।

14.21.6 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY)

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एक Convergence योजना है। जिसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत युवाओं को एकरूपता के साथ महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली की स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना (SDI) के अनुरूप ही विभिन्न सेक्टर्स के विभिन्न कोर्सेस में पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (VTP) में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है वर्तमान में 79 विभिन्न सेक्टर्स में 646 कोर्सेस पंजीकृत है। प्रशिक्षण उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण में तृतीय पक्ष मूल्यांकक एजेंसी के रूप में पंजीकृत संस्था द्वारा मूल्यांकन कर उनका प्रमाणीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत राज्य के 15 विभागों द्वारा प्रायोजित योजना के युवाओं को ब्वदअमतहम कर विभिन्न कोर्सेस में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु शासन द्वारा राशि रू. 100 करोड़ का प्रावधान किया गया।

राज्य में निवासरत् परिवारों के कौशल सर्वेक्षण एवं स्किल गेप एनालिसिस के आधार पर राज्य का त्रिवर्षीय कार्य योजना 2016–19 तैयार किया गया है वर्षवार लक्ष्य निम्नानुसार है

वर्ष 2016–17 से 2018–19			तीन वर्ष के लिए संचयी लक्ष्य
2016–17	**2017–18**	**2018–19**	
116325	147416	162605	426346

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत कुल 3,07,912 युवाओं (वर्ष 2013–14 में 57,465 युवा, वर्ष 2014–15 में 72,397 युवा, वर्ष 2015–16 में 82,794 युवा एवं वर्ष 2016–17 में 95,256 युवाओं) को विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किये गये हैं। वर्ष 2016–17 में 31 जनवरी 2017 तक 56,126 युवाओं को प्रमाणीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः वेब–पोर्टल http://cssda.cg.nic.in के माध्यम से किया जा रहा है।

14.21.7 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आवासीय प्रशिक्षण

राज्य के LWE जिले के 1565 युवाओं को सेंट्रल इन्स्टीट्यूट प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी रायपुर में लाकर आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसमें से 539 युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं। प्रशिक्षित युवाओं मे से 368 युवाओ को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में रोजगार प्राप्त हुआ है, उन्हें औसतन राशि रू. 10,000 प्रतिमाह वेतन प्राप्त हो रहा है।

15

स्वास्थ्य

मुख्य बिन्दु

- संस्थागत प्रसव की दर वर्ष 2005–06 में 14.3 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 70.2 प्रतिशत (2015–16) हो गई (NFHS 2015–16) ।
- राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दृष्टिहीनता को घटाकर वर्ष 2020 तक 0.3 प्रतिशत लाना है।
- राज्य में कुल 27 जिला क्षय नियंत्रण केंद्र, 152 टीबी यूनिट तथा 551 सूक्ष्मदर्शी जांच केंद्र (डीएमसी) द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु वर्ष 2016–17 में राशि रू. 360.00 लाख प्रावधानित।
- सिकल सेल से संबंधी परामर्श के लिए वर्ष 2016–17 में दिसंबर तक 1331 मरीज उपस्थित हुए।
- प्रदेश में वर्तमान में 49981 आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित हैं।
- नवाजतन योजना द्वारा 91259 बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया।
- वजन त्यौहार 2015 के अनुसार बच्चों में कुपोषण का स्तर 29.87 प्रतिशत है।
- मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजनांतर्गत 2015–16 में 1लाख 30 हजार एवं 16–17 नवंबर तक 64 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- सबला योजनांतर्गत औसत रूप से 3.51 लाख 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।
- पूरक पोषण आहार तैयार एवं वितरण करने हेतु 1646 महिला स्व–सहायता समूह लगे हुए हैं।
- 19707 महिला स्व–सहायता समूह नाश्ता बनाने हेतु नियोजित।
- राज्य में 2822 नलजल प्रदाय एवं 2915 स्थल जलप्रदाय योजनाओं से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार "स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल रोगों अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति से ही नहीं वरन् संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से है"। इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपचारात्मक के साथ साथ निवारक होना भी एक आवश्यक है। अनुपूरक घटक जैसे जल, स्वच्छता एवं पोषण आदि स्वास्थ्य की समग्र देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू है।

स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जिससे मानव की जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, बीमारियां तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी मानव की दक्षता में कमी लाता है। अतः यह आवश्यक है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को उच्च स्तर पर बनाये रखने के लिये इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में व्यय तथा विनियोग किया जाए, ताकि देश की मानव शक्ति कार्यकुशल एवं दक्ष बनी रहे।

सितंबर 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) की अवधि पूरी होने पर इन लक्ष्यों को और विस्तार देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगले 15 वर्षों यानी 2030 तक के लिए एक नया वैश्विक एजेंडा– सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) तय किया गया, जिनमें विश्व की बेहतरी के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया। इनमें लक्ष्य–3 सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने हेतु है।

15 मातृ स्वास्थ्य

राष्ट्र के समग्र विकास और कल्याण में मातृत्व स्वास्थ्य का निर्णायक महत्व है। गर्भावस्था एवं प्रसव पूर्व एवं पश्चात् महिलाओं का पर्यवेक्षण देखभाल और सलाह, उपयुक्त औषधि तथा इलाज कुशल स्वास्थ्य कर्मियों एवं संस्थागत प्रसव के कारण मातृत्व मृत्यु दर में कमी परिलक्षित हुई। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन ने राज्य में मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

मातृ मृत्यु दर 2001–03 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 379 थी। जो घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 167 व 221 (SRS Report 2015) हो गया। SDG में 2030 तक मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य 107 रखा गया है। विगत वर्षों में प्रदेश में गर्भवती माताओं का प्रसव अस्पतालों में कराने में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। संस्थागत प्रसव की दर वर्ष 2005–06 में 14.3 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 70.2 प्रतिशत (2015–16) हो गई (NFHS 2015–16) ।

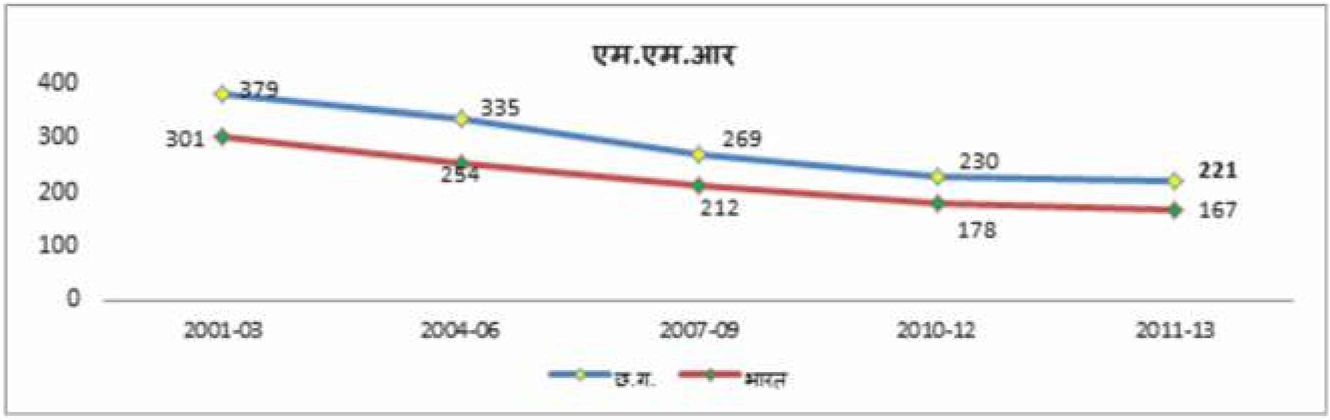

Source: Special Bulletin on Maternal Mortality in India, SRS, RGI

प्रथम संदर्भन इकाइयां (First Referral Units & FRU): जटिल प्रसव निष्पादन हेतु राज्य में 75 FRU चिन्हित किये गये जिसमें से 52 FRU क्रियाशील है जहाँ ऑपरेशन से प्रसव की सुविधा है। वर्तमान में राज्य के 16 संस्थाओं (जिला अस्पताल) में ब्लड बैंक तथा 70 संस्थाओं में (DH & CHC) ब्लड स्टोरेज यूनिट संचालित है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना:— संस्थागत प्रसव बढ़ाने हेतु राज्य में जननी शिशु सुरक्षा योजना संचालित है जिसमें अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक 155613 गर्भवती महिलाओं का लाभविंत किया गया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाईयां निःशुल्क भोजन, निःशुल्क लेबोरेटी व अन्य जांच एवं निःशुल्क रक्त अंतरण दिया जाता है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना में गर्भवती महिला तथा मितानिनों का संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का प्रावधान है जिसमें माह अप्रैल से सितम्बर 2016 तक 160716 माताओं तथा 12414 मितानिनों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

जन्म सहयोगी कार्यक्रम (Birth Companion Programme):— गंभीर प्रसव के कारणों में कमी, मातृ—शिशु मृत्यु में कमी लाने तथा बेहतर डॉक्टर पेशंट संबंध के लिए, प्रसव पूर्व, प्रसव, प्रसवोत्तर अवधि के दौरान बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने हेतु राज्य शासन द्वारा जन्म सहयोगी कार्यक्रम जनवरी 2016 से लागू किया गया है जिसके तहत सामान्य प्रसव के दौरान प्रसूता महिला प्रसव कक्ष में अपने निकट एक महिला को रख सकेगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान:— गर्भवती महिलाओं की गुणवता पूर्वक प्रसव पूर्व जांच एवं जटिल प्रकरणों की समय से पहचान व उपचार हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत सप्ताह में एक दिन समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों गर्भवती माताओं का ANC चिकित्सकों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में जून 2016 से अभियान शुरू किया गया तथा माह सितम्बर तक 66179 गर्भवती माताओं का ANC किया गया।

15.1 सुरक्षित गर्भ समापन (MTP): सुरक्षित गर्भपात सेवाएं मातृत्व स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, असुरक्षित गर्भपात के कारण 8 प्रतिशत मातृत्व मृत्यु प्रतिवर्ष होती है। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की प्रदायगी के लिए शासन प्रयासरत है, ताकि असुरक्षित गर्भपात से होने वाली जटिलताओं तथा मातृत्व मृत्यु को कम से कम किया जा सके। एम.टी.पी. एक्ट

1971 में निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को गर्भपात सेवाओं हेतु मान्यता देने की प्रक्रिया को 2003 में संशोधित कर जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत किया गया है जिसके अंतर्गत जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) को गर्भपात सेवाओं की प्रदायगी हेतु निजी नर्सिंग होम/अस्पताल को मान्यता देने के अधिकार दिये गये हैं।

15.2 24X7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अन्य सुविधाएं : प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पूर्ण समय (24X7) सुरक्षित प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में 492 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चिन्हांकन कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। 102 – महतारी एम्बुलेंस सेवा, 104 – स्वास्थ्य परामर्श सेवा, एवं 108 – संजीवनी एम्बुलेंस सेवा के द्वारा निःशुल्क 24 घन्टे सेवा दी जा रही है। टोल फ्री महतारी एक्सप्रेस की योजना अगस्त 2013 से प्रारंभ हुई। प्रदेश भर में 300 महतारी एक्सप्रेस वाहन संचालित हैं। जिनके द्वारा अब तक लगभग 16 लाख से ज्यादा माताओं और बच्चों को महतारी एक्सप्रेस की सुविधा दी जा चुकी है।

15.3 शिशु स्वास्थ्य :– शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों में माता का स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व एवं पश्चात् नवजात की देखभाल, सामान्य जीवन स्तर, बीमारी की दर, पर्यावरण का स्तर आदि है। शिशु मृत्यु दर को कम करने में छत्तीसगढ़ में प्रभावशील सुधार कार्य किये गये है। छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कारण राज्य स्थापित होने से अब तक शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 77 थी, जो वर्ष 2015 की स्थिति में घटकर 41 हो गई है (SRS 2001, 2015)। SDG में 2030 तक शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है।

भारत एवं छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्षों में शिशु मृत्यु दर

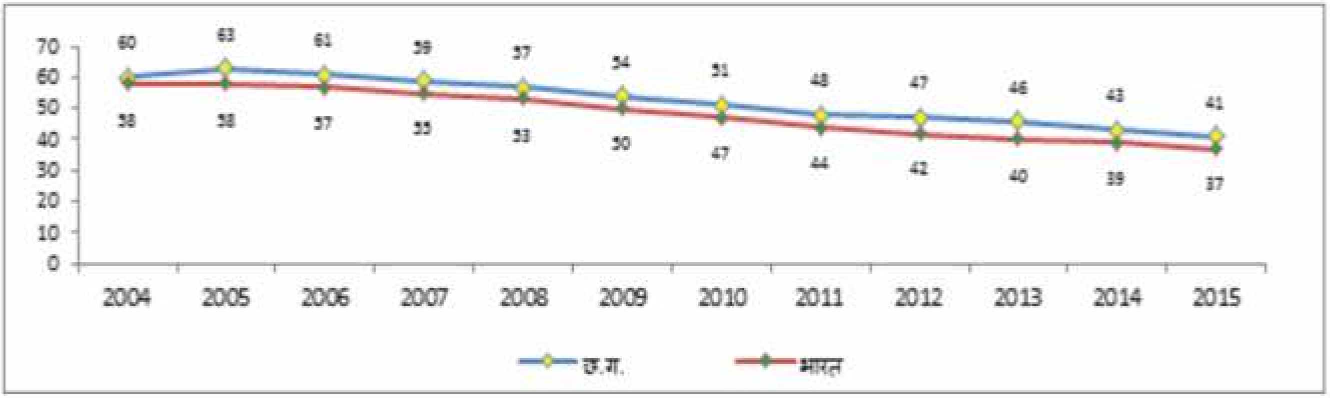

Source: SRS Reports

नवजात शिशुओं के देखभाल के लिए वर्ष 2016–17 में 13 Special New Born Stabilization Care Unit संचालित है व 24 New Born Stabilization Unit तथा 350 New Born Care Corner संचालित हैं। माह अप्रैल से सितम्बर 2016 में SNCU में 8324 बच्चे भर्ती किए गए तथा उक्त अवधि में इन NRC में 6601 बच्चे भर्ती किए गए। कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए 72 पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है जहां 2016 तक 6601 बच्चों का इलाज किया गया।

15.4 टीकाकरण

सम्पूर्ण टीकाकरण की दर 48.7 प्रतिशत (2005–06) से बढ़कर 76.4 प्रतिशत (2015–16) तक पहुंच गई है (NFHS 3,4) । SDG में 2024 तक टीकाकरण का लक्ष्य 90 प्रतिशत रखा गया है। नवम्बर 2016–17 तक राज्य ने टीकाकरण में 56.74 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है। टीकाकरण सुदृढ़ीकरण करने के लिए मेडिकल ओफिसर एवं आर.एम.ए. को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत वैक्सीन पाने से छुटे हुए बच्चों को टीकाकृत किया गया है।

छत्तीसगढ़ में टीकाकरण शाखा अंतर्गत कोल्ड चेन, वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक्स तथा नियमित टीकाकरण का सुदृढ़ीकरण करने हेतु निम्नानुसार गतिविधियां चलाई जा रही है।

15.5 कोल्ड चेन संबंधित जानकारीः

कोल्ड चेन के सुदृढ़कीरण के लिए UNICEF के माध्यम से EVM सर्वेक्षण कराया गया हैं एवं उसमें प्राप्त कमियों को दूर करने के लिए इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया जा रहा है।

UNDP के सहयोग से EVIN कार्यक्रम के अंतर्गत कोल्ड चेन उपकरणों के वास्तविक समय एवं तापमान कि निगरानी के लिए प्रशिक्षण उपरांत राज्य के 27 जिलों में वैक्सीन एवं कोल्ड चेन मैनेजर की नियुक्ति की है।

कोल्ड चेन के सुदृढ़ीकरण करने के लिए पांचों संभाग में जाकर राज्य स्तरीय वैक्सीन कोल्ड चेन हैंडलर का प्रशिक्षण नए मोड्यूल में दिया जा रहा है।

15.6 वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक्स संबंधितः

पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि दिसम्बर 2016 तक निम्नानुसार हैः–

- बी.सी.जी. – 56.65 प्रतिशत
- खसरा – 56.43 प्रतिशत
- विटामिन ए – 54.72 प्रतिशत
- पोलियो – 53.81 प्रतिशत
- पैंटावैलेंट – 53.9 प्रतिशत
- नए ILR एवं Deep Freezer कोल्ड चेन उपकरण बेमेतरा, सुकमा, नारायणपुर को जिले में आबंटित किया गया है।
- NID (राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस) का आयोजन दो चरणों में 29 जनवरी 2017 एवं 02 अप्रैल 2017 को किया जा रहा है।
- निचले स्तर तक वैक्सीन वितरण के दौरान वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भारत सरकार से रेफ्रीजरेटर वैक्सीन वैन की मांग की गई है।
- IPV का सिंगल डोज 14 week में पैंटावैलेन्ट वैक्सीन के साथ दिया जा रहा है।

15.7 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वेक्टर जनित बीमारियां प्रचलित हैः मलेरिया, फायलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानीज एनसेफालाइटीस एवं कालाजवर। छत्तीसगढ़ राज्य में तीन बीमारियां, मलेरिया, फायलेरिया एवं डेंगू पाये जाते है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिणी क्षेत्र में मलेरिया का अधिक प्रकोप रहता है। छ0ग0 के मध्य क्षेत्र में फायलेरिया के रोगी पाए जाते है। जिला सुकमा में जापनीज एनफालाइटीस के कुछ प्रकरण पाए गए है।

मलेरिया अतिसंवेदनशील कुल 86 विकासखंड (20 जिला) को चिन्हित किया गया है। उक्त जिलों में मानव संसाधन पदस्थ किया गया है तथा समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। व्यस्क मच्छर नियंत्रण हेतु घरों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। मच्छर लार्वा का स्त्रोत नियंत्रण किया जा रहा है। मलेरियारोधी दवाई एवं सामग्रियां मितानिन, उप स्वा. केन्द्र, प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र, सामु. स्वा. केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है। जन–जागरूकता हेतु उप– स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर विशेष प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। वर्ष 2016 में भारत सरकार से कुल 7 लाख दीर्घकालीन कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी प्राप्त हुई हैं जो जिला बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, राजनांदगांव एवं कवर्धा में वितरित की जा रही हैं। प्रतिमाह केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालाय प्रयोगशाला लालपुर में जांच किए गए रक्तपट्टी का क्रोस्चेक किया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग मलेरिया/ फायलेरिया एवं डेंगू के नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही में किया जाता है।

तालिका क्र. 15.1 मलेरिया रोग का एपियोडेमिलॉजिकल

क्र	विवरण	2014 (1 जनवरी से 31 दिसंबर 2014 तक)	2015 (1 जनवरी से 31 दिसंबर 2015 तक)	2016 (1 जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक)
1	रक्त पट्टी संगहण एवं परीक्षण	3942498	3886092	4432172
2	सकारात्मक	128993	144886	131385
3	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरण	108874	123839	106663
4	रक्तपट्टी सकारात्मक दर	3.27	3.72	2.96
5	वार्षिक परजीवी सूचकांक	4.72	5.21	4.70
6	रक्तपट्टी फेल्सीपेरम दर	2.76	3.18	2.41
7	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरणों का प्रतिशत	84.40	85.47	81.18
8	मृत्यु	53	21	32

15.8 रेपिड डायग्नोस्टिक किट (आर.डी.कीट):–

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मलेरिया प्रकरणों की तत्काल जांच हेतु रेपिड डायग्नोस्टिक किट (त्वरित निदान किट) का उपयोग किया जाता है। आर.डी. किट के उपयोग से उपचार की दृष्टि से मलेरिया प्रकरणों की तत्काल जांच अंतर्गत पी.व्ही. एवं पी.एफ. बाईव्हैलेन्ट किट उपलब्ध कराई जाती है, जिससे खतरनाक या व्हाईवैक्स व फैल्सीपेरम प्रकार के मलेरिया की तत्काल पहचान कर उन्हें सम्पूर्ण उपचार प्रदान कर मलेरिया से होने वाली मृत्युओं और

जटिलताओं को कम किया जाता है। वर्ष 2016 में आर.डी. किट के माध्यम से कुल 12,41,772 बुखार पीडीतों की रक्त परीक्षण किए गए जिसमें से 51,816 सकरात्मक पाए गए। यह सुविधा ऐसे पहुंच विहिन, दुर्गम एवं जोखिम क्षेत्रों के लिए अत्यंत कारगर है जहां बुखार प्रकरणों के रक्तपट्टी परीक्षण के परिणाम चैबीस घंटे में नहीं मिल पाते।

15.9 आरटीसुनेट कोम्बिनेशन थेरेपी (ए.सी.टी.) :–

भारत सरकार द्वारा जारी उपचार निर्देशिका 2014 सभी उपचारकर्ताओं के पास उपलब्ध है। गाइडलाइन्स के अनुसार मलेरिया वाइवेक्स (pv+) बुखार पीड़ितों को क्लोरोक्वीन एवं प्राइमाक्वीन तथा मलेरिया फेल्सीपेरम (pv+) बुखार पीड़ितों को ACT एवं प्राइमक्वीन टेबलेट द्वारा उपचारित किया जाता है।

15.10 फायलेरिया नियंत्रणः–

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया के अलावा फायलेरिया की रोकथाम की योजना है, इस परिपेक्ष्य में केन्द्र शासन के प्रस्ताव पर प्रति वर्ष राष्ट्रीय फायलेरिया दिवस मनाया जाता है। राज्य के कुल 7 जिले धमतरी, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर में 10 में से 12 अगस्त 2016 को सामुहिक दवा सेवन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। जिसमें लक्ष्य के विरूद्ध 91.03 प्रतिशत कव्हरेज किया गया है। उक्त कार्यक्रम में डी.ई.सी. 100 एमजी गोलियों के साथ–साथ एल्बेडेजोल 400 मि.ग्राम कृमिनाशक दवा भी दी जाती है।

15.11 डेंगू नियंत्रणः–

जनवरी 2016 से नवंबर 2016 तक मात्र 352 प्रकरण दर्ज हुए है। इस रोग के रक्त के नमूनों की जांच प्रदेश में स्थापित डेंगू सेन्टीनल साईट मेडिकल कॉलेज रायपुर, जगदलपुर एवं जिला चिकित्सालय बिलासपुर में की जाती है। डेंगू से बचाव हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, डेंगू रोग के मरीजों का उपचार प्रदेश की समस्त प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध है। डेंगू के पुष्टि होने पर मरीज के घर के आस–पास जमा पानी में मच्छर लार्वा स्त्रोत नियंत्रण किया जा रहा है।

वर्ष 2015 एवं 2016 में डेंगू प्रकरण एवं डेंगू से मृत्यु

डेंगू सकारात्मक प्रकरण 2015	डेंगू से मृत्यु 2015	डेंगू सकारात्मक प्रकरण 2016	डेंगू से मृत्यु 2016
384	1	352	0

15.12 पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ततान स्थिति एवं स्थितिजन्य विश्लेषण

छत्तीसगढ़ राज्य में आरएनटीसीपी कार्यक्रम वर्ष 2002 में 4 जिलों में प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 2004 तक समस्त जिलों में कार्यक्रम संचालित किया गया। राज्य में कुल 27 जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र, 152 टीबी यूनिट तथा 551 सूक्ष्यमदर्शी जांच केन्द्र (डीएमसी) द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शंकास्पद टीबी मरीजों की जांच वर्ष 2013 में 452 / लाख जनसंख्या से बढ़कर वर्ष 2015 में 652 प्रति लाख जनसंख्या हुआ है।

15.13 टीबी नोटिफिकेशन– राज्य में टीबी नोटिफिकेशन की जानकारी निजि चिकित्सकों एवं निजी केमिस्टों द्वारा अनिवार्य रूप से शासन को प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। निजी चिकित्सकों द्वारा टीबी नोटिफिकेशन की जानकारी वर्ष 2013 में 3 प्रति लाख जनसंख्या टीबी मरीज से बढ़कर वर्ष सितंबर 2016 तक 30 प्रति लाख जनसंख्या प्राप्त हुआ है।

15.14 ड्रग रेजिस्टेंट टीबी– ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के निदान की सुविधा जिला स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु सीबीनॉट मशीन 9 जिलों (रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, एवं कांकेर) में संचालित है। सीबीनॉट मशीन से शंकास्पद मरीजों का 2 घंटे में टीबी या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का पता लगाया जा सकता है। आईआरएल में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जांच एवं फोलोअप हेतु एलपीए, लिक्विड एवं सोलिड सॉलिड कल्चर की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में ड्रग रजिस्टेंट टीबी संदेहास्पद मरीजों की जांच की गई जिसमें 787 ड्रग रजिस्टेंट टीबी मरीज मिलें तथा 629 मरीजों का उपचार प्रारंभ किया गया ।

15.15 टीबी एचआईव्ही समन्वय– आरएनटीसीपी एवं छत्तीसगढ़ एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के समन्वय से समस्त डीएमसी में एचआईव्ही जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे राज्य में 90 प्रतिशत टीबी मरीजों का एचआईव्ही जांच किया जा चुका है जो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। सभी एचआईव्ही मरीजों को, जो टीबी से पीड़ित है, प्रतिदिन डॉट की दवाईयां पूर्ण कोर्स तक निःशुल्क दी जा रही है।

15.16 टीबी की खोज दर बढ़ाने हेतु लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयः–

पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती शिशुओं में टीबी की जांच की जा रही है।

समस्त खंखार ऋणात्मक (sputum negative) टीबी मरीजों का तत्काल निःशुल्क एक्सरे द्वारा जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य के समस्त जेलों के कैदियों में टीबी की खोज कर ईलाज हेतु शिविर आयोजित किये जा रहे है।

वर्ष 2017 में राज्य के समस्त वृद्ध आश्रम, खादान में कार्यरत कर्मियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में टीबी की खोज कर ईलाज हेतु शिविर आयोजित किया जावेगा।

15.17 अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम

15.17.1 कार्यक्रम के उद्देश्य – राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 से प्रारंभ किया गया था। प्रदेश में यह कार्यक्रम 1978 से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दृष्टिहीनता को घटाकर वर्ष 2020 तक 0.3 प्रतिशत करना हैं। इसके अंतर्गत निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन, शालेय छात्रों को निःशुल्क चश्मा तथा अन्य नेत्र रोगों का उपचार किया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलो में संचालित है। उपलब्धियां इस प्रकार हैं–

तालिका क्र. 15.2 राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम उपलब्धियां

क्र.	विवरण	अपेक्षित (2016–17)	उपलब्धिया (2015–16)	उपलब्धियां (नवम्बर 16 तक)
1	मोतियाबिन्द आपरेशन	89010	109190	77214
2	स्कूली छात्र परीक्षण	600000	1117448	994415
3	चश्मा वितरण	20000	25388	10931
4	नेत्रदान	300	282	218

15.17.2 विशेष कार्यक्रम –दिनांक 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा राज्य में तथा समस्त जिलों में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दुसरे गुरूवार को विश्व दृष्टी दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को विश्व ग्लूकोमा दिवस मनाया जाता है। सोमवार को ग्लूकोमा क्लिनिक, गुरूवार को रेटिना क्लिनिक तथा शनिवार को पीडियाट्रिक ओप्थोमोलोजी क्लिनिक का आयोजन जिला अस्पताल में किया जाता है।

15.17.3 एम्बेसडर फॉर आई केयर – राज्य में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के सहयोग से शालाओं के 47029 शिक्षको को प्रशिक्षण देकर एम्बेसडर फॉर आई केयर बनाया गया है। इनके द्वारा प्राथमिक जांच की जाती है और दृष्टी कम होने पर नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा चश्मा प्रदाय किया जाता है। इसमें अब तक लगभग 21 लाख छात्र लाभन्वित हो चुके है।

15.17.4 काम्प्रेहेंसिव आई केयर – मई–जून 2016 में राज्य के समस्त जिलों के एक – एक विकासखंड का चयन कर उसके प्रत्येक ग्राम में घर– घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति का नेत्र परीक्षण किया गया जिसके तहत कुल 27 विकासखंड के 3165 ग्राम के 37,85,064 व्यक्तियों का नेत्र परीक्षण किया गया। नेत्र रोग से ग्रस्ति मरीजों का उपचार जिला चिकित्सालय एवं जटिल प्रकरणों हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों में भेजा गया। इसी के साथ ग्लूकोमा, रेटिनोपेथी की जांच, अंधत्व प्रमाण पत्र जारी तथा चश्मे की जांच की व्यवस्था भी की गयी ताकि नेत्र का सम्पूर्ण उपचार किया जा सके।

15.17.5 टेलीओप्थेल्मिक विज़न सेंटर की स्थापना – राज्य में 146 सी.एच.सी. में टेलीओप्थेल्मिक विज़न सेंटर की स्थापना की योजना है। विज़न सेंटर में नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा मरीजों का नेत्र परीक्षण, ऑनलाइन केन्द्रों के विशेषज्ञों से संपर्क, उपचार हेतु परामर्श एवं रोगियों से वार्तालाप। प्रथम चरण में 40 सी.एच.सी. में टेलीओप्थेल्मिक विज़न सेंटर की स्थापना।

दुरस्थ स्थानों के मरीजों को भी नेत्र विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ।

15.17.6 स्पेशल क्लिनिक – सोमवार को ग्लूकोमा क्लिनिक, गुरूवार को रेटिना क्लिनिक, शनिवार को पीडियाट्रिक ओप्थोमोलोजी क्लिनिक का आयोजन जिला अस्पताल में किया जाता है।

15.17.7 कार्ययोजना – राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलो में घर– घर जाकर नेत्र रोग से पीड़ित मरीजो की जांच कर बेस हॉस्पिटल अप्रोच के तहत मोतियाबिंद ऑपरेशन तथा अन्य जटिल नेत्र रोगों का उपचार किया जा रहा है, नेत्र ऑपरेशन शिविर नही लगाये जा रहे हैं।

15.17.8 नेत्र बैंक – राज्य में 5 नेत्र बैंक है। नेत्रदान को बढ़ावा देने हेतु मेडिकल कॉलेज रायपुर एवं बिलासपुर में आई डोनेशन काउंसलर नियुक्त किया गया है।

15.17.9 नेत्र संग्रहण केन्द्र – प्रत्येक जिले में नेत्र संग्रहण केन्द्र स्थापित करने की योजना है। ऐसे केन्द्र में प्रतिवर्ष 50 नेत्र संग्रहण किया जायेगा। राज्य में जिला चिकित्सालय दुर्ग, चंदुलाल चंद्राकर अस्पताल दुर्ग, कोरबा एवं सरगुजा में नेत्र संग्रहण केन्द्र संचालित है। धमतरी एवं महासमुंद में नेत्र संग्रहण केन्द्र खोले जा रहे है।

15.17.10 नेत्र वार्ड एवं नेत्र शल्य कक्ष का निर्माण – भारत सरकार की सहायता से जगदलपुर, कोंडागांव, में नेत्र ऑपरेशन हेतु निमार्ण किया गया है। गत वर्ष बेमेतरा में डेडिकेटेड नेत्र अस्पताल हेतु 1.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी थी, जो की निर्माणाधीन है। इस वर्ष मुंगेली में डेडिकेटेड नेत्र अस्पताल हेतु 1.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है।

15.18 अन्य कार्यक्रम एवं उपलब्धियां

15.18.1 चिकित्सा शिक्षा

विगत दस वर्ष में चार नये मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए। वर्ष 2006 में बस्तर (जगदलपुर), वर्ष 2013 में रायगढ़, वर्ष 2014 में राजनांदगांव और इस वर्ष तीन सितम्बर 2016 को सरगुजा (अम्बिकापुर) में शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या छह तक पहुंची।

15.18.2 एकीकृत रोग निगरानी परियोजना

राज्य में वर्ष 2015–16 के लिये 220.95 लाख प्रावधानित थी जिसमें 155.35 लाख का उपयोग किया गया है। राज्य में वर्ष 2016–17 के लिये 284.51 लाख प्रावधानित है।

15.18.3 मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम

शहरी लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जून 2012 के मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरूआत की गई। वर्ष 2015–16 में राशि 500.00 लाख प्रावधानित थी। वर्ष 2016–17 में राशि 360.00 लाख प्रावधानित है।

15.18.3 बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम– केन्द्र प्रवर्तित योजना

बुजुर्गों के लिये स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की जरूरत को समझते हुये व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रारंभ करने हेतु एक मामूली प्रयास के रूप में इसकी शुरूआत की योजना में बुढ़ापे में निवारक उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गों को पीला कार्ड की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके अंतर्गत निःशुल्क दवाईयों, वॉकर, वॉकर स्टीक इत्यादि की सेवाएं प्रदान की जा रही है। वर्ष 2015–16 में राशि रू. 25.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2016–17 राशि रू. 25.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2016–17 में राशि रू. 154.97 लाख का प्रावधान किया गया है।

15.18.3 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा

आकस्मिक दुर्घटना और गंभीर बीमारी के दौरान पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने टोल फ्री नम्बर 108 पर आधारित संजीवनी एक्सप्रेस सेवा वर्ष 2011 से प्रारंभ। इसके अंतर्गत राज्य में 240 संजीवनी वाहनों का संचालन। इन वाहनों के

जरिए अब तक 12 लाख 75 हजार लोगों को मिली आपातकालीन चिकित्सा सहायता। निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श के लिए टोल फ्री नम्बर 104 पर आधारित आरोग्य परामर्श सेवा।

15.18.4 चिरायु योजना

अगस्त 2014 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना प्रारंभ। योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में अब तक 97 लाख से ज्यादा बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और इनमें से आवश्यकता अनुसार 16 लाख से ज्यादा बच्चों का निःशुल्क इलाज।

15.18.5 मुख्यमंत्री बाल ह्रदय सुरक्षा योजना

वर्ष 2008 से संचालित मुख्यमंत्री बाल ह्रदय सुरक्षा योजना संचालित है। ह्रदय रोग पीड़ित बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर करने का प्रावधान योजना के अंतर्गत है। योजना के तहत राज्य के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 6147 बच्चों को नव जीवन मिला है।

15.18.6 स्वास्थ्य अधोसंरचना

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए अधोसंरचना निर्माण भी तेजी से जारी है। विगत तेरह साल में सरकारी जिला अस्पतालों की संख्या सात से बढ़कर 26, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 114 से बढ़कर 169, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 512 से बढ़कर 785 और उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 3818 से बढ़कर 5186 तक पहुंच गई है। राज्य में वर्ष 2001–02 में केवल 07 सरकारी रक्त बैंक थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 19 हो गई है।

15.18.7 स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ–साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का सुचारू संचालन। इन दोनों बीमा योजनाओं के तहत प्रदेश के लगभग 55 लाख 80 हजार परिवारों को सरकारी और पंजीकृत अस्पतालों में वार्षिक 30 हजार रूपए तक निःशुल्क इलाज कि सुविधा।

15.18.8 संजीवनी सहायता कोष

राज्य सरकार ने संजीवनी सहायता कोष के तहत प्रदेश के ग्यारह हजार 870 से अधिक गरीब परिवारों को लाभान्वित किया है। वर्ष 2004 से प्रारंभ इस योजना के तहत पहले 13 बीमारियों का उपचार किया जाता था। योजना का विस्तार करते हुए अब 30 प्रकार की बीमारियों के इलाज का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत राशन कार्ड धारी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत अधिकतम डेढ़ लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, किन्तु हेड इन्ज्यूरी एवं गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए दो से तीन रूपए तक की सहायता देने का प्रावधान है। दुर्घटना एवं आपात स्थिति में पात्र मरीज पंजीकृत अस्पताल में भर्ती होकर योजना का लाभ उठा सकते है।

15.18.9 सिकल सेल रोगः

प्रदेश में अब तक सिकल सेल रोग से पीड़ित साढ़े 16 लाख मरीजों का पंजीयन हो चुका है। इसमें से दस प्रतिशत मरीज सिकल सेल पॉजिटिव पाये गए है। वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर तक एक हजार 331 मरीज सिकल सेल से संबंधी परामर्श के लिए जांच केन्द्र में उपस्थित हुए। सिकल सेल रोगी की पहचान रक्त की इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच द्वारा ही हो सकती है। यह जांच सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ मे उपलब्ध है। जांच में सिकल सेल की पुष्टि होने पर मरीजों को फोलिग एसिट टेबलेट वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निरंतर फलोअप भी किया जाता है।

15.19 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यकम अंतर्गत राज्य में एचआईवी पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए सतत् रूप से अनेकों कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिसमें कमशः 125 आईसीटीसी केंद्र, 30 एसटीआई केंद्र, 05 एआटी केंद्र, 08 लिंक एआरटी केंद्र, 19 ब्लड बैंक, 31 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

वर्ष 2003 से नवंबर 2016 तक कुल 2026523 लोगों को एचआईवी जांच की सुविधा प्रदान की गई जिसमें कुल 25537 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए, जो कि 1.26 प्रतिशत है।

एचआईवी पॉजिटिव की संख्या के कारणों को देखने से पता चलता है, कि राज्य में हेट्रोसेक्सुअल के कारण 82.25 प्रतिशत, होमोसेक्सुअल 2 प्रतिशत, रक्त एवं रक्त उत्पादों से 4 प्रतिशत, संकमित नीडिल एवं सिरिंज से 5 प्रतिशत तथा जिनके पास जानकारी नहीं है 2 प्रतिशत है।

15.19.1 छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी. की स्थिति :– सितंबर 2016 तक

○	कुल एच.आई.वी. जाँच की संख्याः(ICTC द्वारा रिपोर्ट की गयी संख्या)	–2026523
○	कुल एच.आई.वी. पॉजिटिव की संख्याः((ICTC द्वारा रिपोर्ट की गयी संख्या)	–25537
○	एच.आई.वी जाँच की संख्या (अप्रैल 16 से नवम्बर 2016)	–252365
○	एच.आई.वी. पॉजिटिव की संख्याः (अप्रैल 16 से नवम्बर 2016)	–2061
○	पॉजिटिव महिलाओं का प्रतिशत	–40%
○	पाजिटिव पुरूषों का प्रतिशत	–60%
○	सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग	–25–49 वर्ष
○	सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग का प्रतिशत	–74%
○	कुल ए.एन.सी. जाँच (अप्रैल 16 से नवम्बर 2016)	–162147
○	कुल ए.एन.सी. पॉजिटिव (अप्रैल 16 से नवम्बर 2016)	–135
○	राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान का प्रतिशत (अप्रैल 16 से नव.2016)	–77%
○	HIV Careके लिए ARTC में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या	–19364
○	HIV Careके लिए ART पर मरीजों की संख्या	–12557

तालिका 15.3 उपलब्ध सेवाएं–		
केन्द्र	संख्या	स्थान
ICTC (Integrated Counseling & Testing Centre)एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र	125	मेडिकल कॉलेज – 8 जिला अस्पताल – 25 सामुदायिक स्वा. केन्द्र – 79 सिविल अस्पताल – 5 प्राथमिक स्वा. केन्द्र – 7 सहकारी अस्पताल – 1
ब्लड बैंक (नाको सहायतित)	19	जिला अस्पताल – 12 मेडिकल कालेज – 6 रेड क्रॉस, रायपुर – 1
ए.आर.टी. प्लस	01	रायपुर
ए.आर.टी. केन्द्र	05	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर
लिंक ए.आर.टी. केन्द्र	08	महासमुंद, कोरबा, जाजगीर, रायगढ़, राजनांदगांव, बालौद, बेमेतरा, कवर्धा
केयर एंड सर्पोट सेंटर	05	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर
शा. एस.टी.डी. क्लीनिक	30	मेडिकल कालेज – 5, जिला अस्पताल – 24, सिविल अस्पताल – 01
एन.जी.ओ. (लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम)	37	राज्य के 21 जिलों में संचालित
रक्त संग्रहण हेतु मोबाईल वेन	01	मेडिकल कॉलेज रायपुर द्वारा संचालित
चलित एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र	03	दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़
ब्लड ट्रांसपोर्टशन वेन	04	रायपुर, बिलासपुर, जागदलपुर, अंबिकापुर
लिंक वर्कर स्कीम	04	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगाव
OSTसेंटर	06	बिलासपुर–– 2 दुर्ग, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर

15.19.2 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

तालिका 15.4 वर्षवार कुल एच0आइ0वी0 पॉजिटिव (जनवरी से दिसंबर 14)			
वर्ष	कुल एचआईवी जाँच	एचआईवी पॉजिटिव (आईसीटीसी)	प्रतिशत
2003	3395	37	1.1
2004	2725	209	7.7
2005	4663	344	7.4
2006	8369	639	7.6
2007	25048	1119	4.5
2008	51333	1508	2.9
2009	108479	2184	2.0
2010	147482	2287	1.6
2011	144287	2563	1.8
2012	208522	2910	1.4
2013	251547	2838	1.1
2014	283346	3246	1.2
2015	346083	2894	0.8
2016 (जन–नवम्बर)	441244	2759	0.6
कुल	2026523	25537	1.3

वर्षवार कुल एच0आइ0वी0 पॉजिटिव (प्रतिशत)
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1.1
7.7
7.4
7.6
4.5
2.9
2.0
1.6
1.8
1.4
1.1
1.1
0.8
0.6
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (Jan-Nov)
प्रतिशत

महिला एवं बाल विकास

नवंबर 2000 को गठित नवराज्य छत्तीसगढ़ को निरंतर उन्नति के पथ पर आगे ले जाने हेतु महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के प्रथम चार राज्यों मे छत्तीसगढ़ शामिल है। राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं एवं बच्चों के हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करता है। राज्य की महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक कल्याण तथा विभिन्न प्रकार की हिंसा से संरक्षण के लिये राज्य की राजधानी रायपुर में भारत का पहला **"वन–स्टॉप सेंटर" (सखी)** 16 जुलाई 2015 से आरंभ किया गया।

15.20 एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाः– भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 02 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया।

15.20.1 एकीकृत बाल विकास सेवा के उद्देश्यः–

एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

- बच्चों के उचित मानसिक (मनोवैज्ञानिक) शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
- 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रूग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
- उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

एकीकृत बाल विकास परियोजना की सेवायेंः–

- एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित छः सेवायें प्रदान की जाती हैः–

तालिका क. 15.5 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना

क्र.	सेवा	हितग्राही
1	टीकाकरण	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिकाऐं एवं 0–6 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
2	स्वास्थ्य जॉच	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, धात्री माताऐं, 0–6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकायें।
3	संदर्भ सेवाऐं	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के 0–6 वर्ष तक के गम्भीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलायें / शिशुवती माताऐं।
4	पूरक पोषाहार	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, शिशुवती मातायें, 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे
5	स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त 15–45 साल की महिलायें, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं किशोरी बालिकायें।
6	शाला पूर्व शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की , 03–06 वर्ष तक के समस्त बच्चे

15.21 आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदण्डः–

<u>ग्रामीण / शहरी परियोजनाओं में आंगनबाडी केन्द्र :</u>

1. 400–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र
2. 800–1600 जनसंख्या पर – 2 आंगनबाड़ी केन्द्र
3. 1600–2400 जनसंख्या पर – 3 आंगनबाड़ी केन्द्र

<u>ग्रामीण / शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :</u>

150–400 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

<u>आदिवासी क्षेत्र / पहाड़ी क्षेत्र / दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र :</u>

300–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

<u>मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :</u>

150–300 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

15.22 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण– आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सुदूर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका क्र. 15.6 आईसीडीएस परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति							
क्र.	केंद्र / परियोजना	छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व स्वीकृत	प्रथम चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2005–06)	द्वितीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2007–08)	तृतीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2010–11) एवं 2011–12	कुल स्वीकृत	वर्तमान में संचालित
1.	बाल विकास परियोजना	152	06	05	57	220	220
2.	आंगनबाड़ी केंद्र	20289	9148	5500	8826	43763	43583
3.	मिनी आंगनबाड़ी केंद्र	836	0	1483	4229	6548	6398
	योग (2+3)	21125	9148	6983	13055	50311	49981

टीप :– भारत सरकार द्वारा 2967 आं.बा. एवं 532 नवीन मिनी आं.बा. केन्द्र खोलने तथा 70 आं.बा. 1266 मिनी आं.बा. के समर्पण की स्वीकृति प्रदान की गई है उक्त स्वीकृति उपरांत प्रदेश में 46660 आं.बा. एवं 5814 मिनी आं.बा. स्वीकृत होंगे।

15.23 आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन अभियान :– कुपोषण की रोकथाम में समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने ''आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन अभियान'' का संचालन 04 जनवरी 2016 से किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत 3 लाख 24 हजार बालमित्र तथा 45 हजार आंगनबाड़ी मित्र बनाये गये। इस अभियान के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता प्राप्त कर 62000 बच्चों को कुपोषण की श्रेणी से सामान्य श्रेणी में लाया गया है।

15.24 कुपोषण मुक्ति अभियान :– विभाग द्वारा ''शासन समाज की सहभागिता'' को मानक सिद्धांत बनाते हुए कुपोषण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान अंतर्गत समुदाय में सुपोषण की अवधारणा स्थापित करने हेतु प्रचार–प्रसार समुदाय की सक्रिय सहभागिता, बाल विकास सेवाओं में चिन्हित की गई कार्यक्रमगत कमियों की पूर्ति करना, आंगनवाडी केन्द्रों को आवश्यक उपकरण वजन मशीन, ग्रोथ चार्ट इत्यादि उपलब्ध कराना, गंभीर कुपोषित बच्चों कों कुपोषण के चक्र से बाहर लाने हेतु अतिरिक्त चिकित्सकीय सहायता, स्वास्थ्य परीक्षण, दवाईयां आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ मैदानी अमलों – आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों को महत्वपूर्ण तकनीकि विषयों पर प्रशिक्षण देकर उनमें परामर्शदायी क्षमता एवं कौशल विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे. 2004–05 एवं वजन त्यौहार के अनुसार कुपोषण मुक्ति का स्तर इस प्रकार है:–

तालिका क्र. कुपोषण मुक्ति अभियान		
क्र.	आधार	स्तर (प्रतिशत)
1	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे. 2004–05	47.10
2	वजन त्यौहार, 2012	40.05
3	वजन त्यौहार, 2013	36.89
4	वजन त्यौहार, 2014	32.16
5	वजन त्यौहार, 2015	29.87

प्रदेश में कुपोषण के स्तर में लगभग 17 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार प्रदेश में 47.10 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे वजन त्यौहार वर्ष 2015 के अनुसार कुपोषण की दर 29.87 प्रतिशत पर आ गई है। निश्चित रूप से राज्य शासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों कुपोषण मुक्ति की दिशा में अच्छे परिणाम सामने आये है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के कुपोषण के प्रभावी मापन हेतु अब तक 42000 से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों में साफ्टवेयर आधारित इलेक्ट्रानिक वजन मशीन दी गई है इस प्रकार प्रदेश के 85 प्रतिशत केन्द्रों में साफ्टवेयर आधारित इलेक्ट्रानिक वजन मशीन उपलब्ध हो गई है।

15.25 नवाजतन योजना :– समुदाय के सहयोग से कुपोषण प्रबंधन की यह महत्वपूर्ण योजना है नवाजतन योजना के अब तक 4 चरण क्रियान्वित किए गए है। इन 4 चरणों में 194773 बच्चों लक्षित कर 91259 बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया। 2 अक्टूबर 2016 से नवाजतन का पंचम चरण प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से 110400 कुपोषित बच्चों को लक्षित करते हुए नवंबर 2016 तक 10635 बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाया गया।

तालिका क. 15.6 नवाजतन योजना

क.	विवरण	प्रथम चरण 2012	द्वितीय चरण 2013	तृतीय चरण 2014	चतुर्थ चरण 2015	पंचम चरण अक्टूबर 16 से मार्च 17
1.	लक्षित कुपोषित बच्चे	20033	33801	65007	75932	110400
2.	मूल्यांकन किए गए बच्चों की संख्या	20030	33801	63112	74257	-
3.	सामान्य श्रेणी में आए बच्चों की संख्या	7036	16547	29363	38313	10635
4.	सामान्य श्रेणी में आए बच्चों का प्रतिशत	35.12	48.95	46.53	51.60	-

- **मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना (5 वर्ष आयु तक के गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु)** :– मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा योजनांतर्गत वर्ष 2014–15 में 126751 मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को लाभांवित किया गया तथा 34641 बच्चे गंभीर कुपोषण से मुक्त हुए। आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 1,30,425 मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को लाभांवित किया गया तथा 44412 में बच्चे गंभीर कुपोषण से मुक्त हुए है। वर्ष 2016–17, नवंबर 16 तक योजनांतर्गत 64469 मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चे लाभान्वित हुए।

- **दत्तक पुत्री सुपोषण योजना** :– दत्तक पुत्री सुपोषण योजना अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से गंभीर कुपोषित बालिकाओं को कुपोषण से बाहर लाए जाने का प्रयास किया जाता है। विगत दो वर्षों में कुल 30828 बालिकाओं को लक्षित करते हुए 4458 बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाया गया है।

- **पूरक पोषण आहार कार्यकम** :– आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के लगभग 8.83 लाख सामान्य

व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ नाश्ता एवं प्रत्येक मंगलवार को इन बच्चों को मुर्रा लड्डू दिया जा रहा है।

6 माह से 3 वर्ष आयु के लगभग 11.59 लाख सामान्य बच्चों को 135 ग्राम, 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 211 ग्राम रेडी टू ईट टेक होम राशन पद्धति से दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सामान्य बच्चों को 20 ग्राम का मुर्रा लड्डू व इसी आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 40 ग्राम के मुर्रा लड्डू प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) के मान से दिया जा रहा है।

आंगनवाड़ी केन्द्र में आने वाले गर्भवती माताओं को प्रति हितग्राही प्रतिदिन 100 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदाय किया जा रहा है साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्म भोजन दिया जा रहा है। धात्री माताओं को प्रतिदिन 165 ग्राम के मान से रेडी टू ईट फूड तथा 40 ग्राम के मान से मुर्रा लड्डू दिया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री अमृत योजना** :– आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन, नाश्ता के साथ ही प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री अमृत योजना अन्तर्गत छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से 100 मि.ली. मीठा सुगंधित दूध का वितरण किया जा रहा है। योजनांतर्गत 3 से 6 वर्ष आयु के 8.39 लाख बच्चों को औसत से रूप से लाभान्वित किया जा रहा है।

- **महतारी जतन योजना** :– महतारी जतन योजनांतर्गत राज्य की गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन अन्तर्गत दिये जाने वाले रेडी टू ईट के अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र में एक पूर्ण आहार के रूप में गर्म भोजन दिया जा रहा है। इस योजना से अनुमानित लगभग 2.40 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

- **पूरक पोषण आहार प्रदाय का कार्य महिला स्व सहायता समूहों को** :– प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषण आहार का प्रदाय सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में 1646 महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा रेडी–टू–ईट फूड एवं 19707 महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में पूरक पोषण आहार का प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों को समयावधि में भुगतान हेतु भुगतान की सरलीकृत प्रक्रिया लागू की गई है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

- **सबला (किशोरी बालिका सशक्तिकरण) योजना** :– सबला योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार तथा गैर पोषण आहार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पोषण आहार अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की प्रत्येक शाला त्यागी तथा 14 से 18 वर्ष आयु की सभी बालिकाओं को प्रतिदिन 165 ग्राम के मान से 06 दिवस हेतु 990 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाता है। गैर पोषण आहार सेवा के तहत् किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, जीवन कौशल, कानूनी अधिकार, यौनिक स्वास्थ्य, गृहप्रबंधन आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सार्वजनिक सेवाओं का एक्सपोजर विजिट कराया जाता है तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, आईएफए एवं कृमिनाशक टेबलेट का प्रदाय भी किया जाता है।

तालिका क. 15.7 सबला योजना

क.	सेवाएं / प्रशिक्षण	लाभान्वित संख्या		
		2014-15	2015-16	2016-17 सितं.
1	पोषण आहार सेवा	361000	309334	382098
2	स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा	147350	126108	84962
3	परिवार कल्याण, प्रजनन एवं यौनिक स्वास्थ्य, बाल देखभाल पद्धितियाँ एवं गृह प्रबंधन	112817	80967	54768
4	जीवन कौशल	73068	77678	34317
5	एक्सपोजन विजिट	26000	23702	5256
6	व्यावसायिक प्रशिक्षण	1817	1946	193

- **गैर सबला जिलों में किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार का प्रदाय** :— छत्तीसगढ़ राज्य, संपूर्ण भारत वर्ष में सबला योजना की तरह 17 गैर सबला जिलों में 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी तथा 14 से 18 वर्ष आयु की समस्त किशोरी बालिकाओं को शत प्रतिशत राज्य निधि से पूरक पोषण आहार का प्रदाय करने वाला अग्रणी राज्य है।

- **किशोरी शक्ति योजना** :— 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को किशोरवय में होने वाले शारीरिक, मानसिक बदलावों के संबंध में जानकारी देने और इन परिवर्तनों के लिये उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने, स्वास्थ्य—पोषण, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य बच्चों की देखभाल, जीवन कौशल इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण देने, शालात्यागी बालिकाओं का शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश, आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं से संबद्ध कर उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं के संबंध में प्रशिक्षित करने, लघु व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किशोरी शक्ति योजना का संचालन 17 जिलों की 92 आईसीडीएस परियोजनाओं में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परियोजना 300 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2016—17 में नवंबर 2016 तक लगभग 26000 बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- **आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ECCE)** :— वर्ष 2013 में भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति जारी की गई है। राष्ट्रीय आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा विषय महिला एवं बाल विकास विभाग को आबंटित किया गया तथा मार्च 2015 में राज्य आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् का गठन किया गया। राज्य में आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति एवं आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना के आधार पर पाठ्यचर्या, आंगनबाड़ी केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय के लिए 52 सप्ताह की समयसारिणी, लगभग 360 गतिविधि युक्त गतिविधि कोष, थीम पुस्तिका, बच्चों के लिए आयु अनुसार गतिविधि पुस्तिका एवं बाल आंकलन पत्रक विकसित किया गया। आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के तहत गर्भस्थ शिशु के सर्वांगीण विकास हेतु तेजस्वी नामक योजना प्रारंभ की गई है। आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के रोल आउट हेतु

विभाग द्वारा विभागीय अमले के प्रशिक्षण हेतु विस्तृत कार्य योजना बनायी गई है। जिसके प्रथम चरण के तहत 56 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

- राज्य की बेटियों को सक्षम बनाने तथा उनका आर्थिक आधार मजबूत करने, शिक्षा स्तर बढ़ानें तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु सरकार ने नोनी सुरक्षा योजना लागू की है। योजना के अंतर्गत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने एवं 12वी कक्षा उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रूपये की राशि दी जायेगी। योजना अंतर्गत लगभग 15728 बालिकाओं को योजना से जोड़ा जा चुका है।

- महिलाओं तथा बालिकाओं के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए तथा 24 घंटे उनकी शिकायत सुनने व उनके निराकरण के लिए वनस्टाप सेंटर तथा टोल फ्री नम्बर 181 संचालित है। भारत के प्रथम वनस्टाप सेंटर का रायपुर में शुभारंभ किया गया है। अब तक 791 महिलाओ को सहायता दी गई है।

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय एवं पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में नवाबिहान योजना संचालित है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता की नियुक्ति की गई है।

- मानसिक बीमार महिलाओं के लिए रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस रायपुर के माध्यम से 50 महिलाओ के लिए अल्पकालिक आश्रय गृह राज्य में संचालित है। वर्तमान में 54 महिलाएं निवासरत है। अप्रैल 2014 से अभी तक 110 से अधिक महिलाओं/बालिकाओं का इलाज कर पुनर्वास किया गया है। इस केन्द्र में मानसिक बीमार महिलाओं की भर्ती एवं इलाज, संभावित मानसिक बीमार महिलाओं का चिन्हांकन के लिए बाह्य उपचार व्यवस्था, परामर्श सेवा तथा संदर्भ सेवा उपलब्ध कराई गई है।

- **एकीकृत बाल संरक्षण योजना** :– प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बच्चों के विकास के साथ–साथ उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी के निरंतर में बाल संरक्षण तंत्र को अधिक संवेदनशील एवं कारगर कियान्वयन के लिए विस्तृत स्वीकृतियां प्रदान की गई है। मैदानी स्तर तक अमले की पदस्थापना के साथ उन्हें संवेदनशील तरीके से बच्चों के प्रकरणों के निराकरण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है ।

- विधि विरूद्ध कार्य करने वाले बच्चों के लिए राज्य में 13 बाल सम्प्रेक्षण गृह स्वीकृत है। राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में सुरक्षित गृहों (Place of Sefty) के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्य में 51 बाल गृह संचालित है।

- वर्तमान में प्रदेश में बच्चों के लिए 9 खुला आश्रय गृह संचालित है।

- दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 जिलो में दत्तक ग्रहण स्थापन एजेंसी संचालित है। बच्चों की गैर संस्थागत देखरेख कार्यक्रम के अन्तर्गत स्पान्सरशिप, फास्टरकेयर कार्यक्रम एवं पश्चात्‌वर्ती देखरेख कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- राज्य के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, बस्तर एवं दंतेवाडा, कांकेर एवं महासमुंद में चाईल्ड हेल्पलाईन (1098) की सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है। जांजगीर एवं धमतरी में यह कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना** :— योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को पात्रता शर्तो को पूर्ण करने पर विवाह कराया जाता है।

  योजना के अन्तर्गत 11500 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में तथा 2500 रूपये आयोजन व्यय के रूप में तथा 1000 रूपये चैक/ड्राफ्ट के रूप में अर्थात् प्रति कन्या कुल 15000 रूपये की सहायता का प्रावधान है।

  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सूखे से प्रभावित किसानों को उनकी कन्या के विवाह हेतु रूपये 30000/— उनके खातों में दिये जाने के निर्देश है। यह योजना 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक के लिये लागू है। सूखे से प्रभावित किसानों के 6958 कन्याओं के विवाह हेतु 30000/— रूपये प्रति कन्या के मान से खाते में राशि अन्तरित किए गए। इस प्रकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत 86.28 करोड़ रूपये व्यय हुआ है।

  योजना प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2005—06 से दिसम्बर 2016 की स्थिति में 67364 कन्याओं का विवाह कराया गया है तथा 69.49 करोड़ रू. की सहायता प्रदान की गई।

- **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना** :— भारत शासन द्वारा वर्ष 2010 से संचालित सशर्त मातृत्व लाभ योजना प्रदेश के 3 जिलों बस्तर, कोण्डागांव एवं धमतरी में लागू है। गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी हेतु पूरक प्रतिपूर्ति, योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के तहत हितग्राहियों को निश्चित शर्तों के अधीन दो किश्तों में राशि खाते के माध्यम से इनसेन्टीव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत वर्ष 2014—15 में 34,986 महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 11 करोड़ 12 लाख रूपये व्यय तथा वर्ष 2015—16 में 14,687 महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 13 करोड़ 68 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2016—17 में 11,662 महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 4 करोड़ 61 लाख रूपये व्यय किये गये है।

- **छत्तीसगढ़ महिलाकोष अन्तर्गत ऋण योजना** :— महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यो को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय करने तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन,

सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक गतिविधि के लिए वित्तीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 2.2.2002 को किया गया है ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व–सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना का संचालन दिनांक 15.8.03 से किया जा रहा हैं। योजनांतर्गत स्व–सहायता समूहों को अधिकतम 50 रूपये तक का ऋण प्रथम बार में प्रदाय किया जाता है तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 1 लाख रूपये तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदान किया जाता हैं। योजना के तहत यह ऋण 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं। वर्ष 2015–16 में 2479 समूहों को 8.91 करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया गया। वर्ष 2016–17 में 1386 समूहों को 5.73 करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया गया।

- **सक्षम योजनाः**– छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में ''सक्षम योजना'' आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनीतौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तो पर 1.00 लाख रूपये तक का ऋण प्रदाय किया जाता है वर्ष 2015–16 में 346 प्रकरण में 2.16 करोड़ रूपये ऋण स्वीकृत किये गये।

- **स्वावलंबन योजनाः**– छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में ''स्वावलंबन योजना'' आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग की ऐसी महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो कानूनीतौर पर तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें है, व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनके स्वावलंबी बनने का आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही 5 हजार रूपये तक की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। वर्ष 2015–16 में 187 महिलाओं को प्रशिक्षण दिये गये। वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर तक 107 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान** :– भारत शासन द्वारा पूरे देश के 161 चयनित जिलों में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले का चयन किया गया है तथापि रायगढ जिले में बाल स्त्री पुरूष अनुपात 943 है जो कि राष्ट्रीय औसत 918 से अधिक है। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

- बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना है।

- बालिकाओं की उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना।

योजना अन्तर्गत भारत शासन द्वारा चयनित जिला हेतु निर्धारित लक्ष्य :–

- जन्म के समय बाल लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी करने हेतु प्रत्येक चयनित जिले में 10 अंकों की वृद्धि करना।
- 2017 तक बाल मृत्युदर के लिंग अंतर में कमी करते हुए 4 पाइंट पर लाना।
- 5 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना। न्यूनतम एनएफएच 3 के लेवल पर लाना।
- आईसीडीएस कार्यक्रम का सर्वव्यापीकरण करना तथा बालिकाओं की शत् प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चत करना। इस हेतु एनआरएचएम व आईसीडीएस कार्यक्रम में समन्वय करते हुए मातृ–शिशु रक्षा कार्ड के माध्यम से मॉनीटर करना।
- 2017 तक उच्चतर माध्यमिक स्तर पर न्यूनतम 79 प्रतिशत बालिकाओं का पंजीयन सुनिश्चित करना।
- चयनित जिलों में वर्ष 2017 तक सभी शालाओं में बालिकाओं हेतु शत् प्रतिशत शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चत करना तथा इस हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का प्रभावी कियान्वयन।

  जन प्रतिनिधियों को प्रेरित व प्रशिक्षित करते हुए बालिका जन्म एवं बालिका शिक्षा के प्रति उनका सहयोग प्राप्त करना / समुदाय को जागरूक करना तथा उनकी सोच में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक बदलाव लाना।

- **नोनी सुरक्षा योजना** :– प्रदेश में बालिकाओं को शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, बालिकाओं के अच्छे भविष्य हेतु, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह की रोकथाम के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2014 से इस योजना को प्रारंभ किया गया है।

प्रदेश के मूल प्रवासी बालिकाओं जो गरीबी रेखा के नीचे एवं 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी हो उन्हें कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर तथा 18 वर्ष तक विवाह न होने की स्थिति में वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रूपए परिपक्वता राशि दी जाएगी। राज्य शासन द्वारा पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉच वर्ष तक प्रतिवर्ष 5000 रू. विनियोजित किए जाएंगे। आदिनॉक तक 16605 हितग्राहियों का चिन्हांकन कर लिया गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

पेयजल जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता है। प्रदेश की शत–प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से एवं नगरीय जनसंख्या को न्यूनतम 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करता है।

विभाग के मुख्य दायित्व

15.23 ग्रामीण क्षेत्र :–

- शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं का सर्वेक्षण, रूपांकन एवं कियान्वयन करना।
- समस्त ग्रामों / बसाहटों में नलकूप खनन कर हैण्डपंप अथवा स्थल जलप्रदाय के माध्यम से न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति कराना।
- 1000 या 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में नलजल प्रदाय योजना द्वारा जल आपूर्ति।
- स्कूलों में पेयजल व्यवस्था।
- पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग एवं पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में वैकल्पिक शुद्ध पेयजल स्त्रोत निर्मित कर योजनाओं के कार्य सम्पन्न करना।

15.23.1 ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम :–

दिसम्बर 2016 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19716 ग्रामों के 74647 बसाहटों में 263072 हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें 70478 बसाहटों में पूर्ण रूप से, 3021 बसाहटों में आंशिक रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है शेष 1148 बसाहटें गुणवत्ता से प्रभावित हैं जिसमें 1025 लौह, 77 फ्लोराइड एवं 46 लवण प्रभावित बसाहटें हैं।

तालिका क. 15.7 ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम

क.	बसाहट	मार्च 15	दिसम्बर 16
1	पूर्ण आपूर्ति बसाहटें	68043	70478
2	आंशिक आपूर्ति बसाहटें	3964	3021
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें	1841	1148

राज्य में 2822 नलजल प्रदाय योजनाएं एवं 2915 स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। आदिनांक तक 2.80 लाख परिवारों को नलजल योजना में सम्मिलित किया गया है।

सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प स्थापना – ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहां पर 1054 सोलर पंप आधारित पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जाना है, जिससे ग्रामीणजनों को गैर परंपरागत बिजली के माध्यम से पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 10 आईएपी जिलों में 15–15 नग सोलर पंप स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

- प्रदेश की 55294 शालाओं एवं 26446 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलबध कराई गई है।

शासन द्वारा पेयजल गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल परीक्षण हेतु राज्य में 27 जिला स्तरीय प्रयोगशाला, 18 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशाला तथा 18 चलित प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे निरंतर पेयजल का परीक्षण किया जा रहा है।

राज्य के जलगुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आर्सेनिक से प्रभावित चौकी क्षेत्र के 18 ग्रामों के लिए रू. 28 करोड़ की पेयजल योजना तथा साजा, नवागढ़ एवं बेमेतरा के खारे पानी से प्रभावित 111 ग्रामों के लिए रू. 142.50 करोड़ की पेयजल योजना का कार्य प्रगतिरत है। विकास खण्ड साजा के खारे पानी से प्रभावित 41 ग्रामों के लिए 47.05 करोड़ की पेयजल योजना परीक्षण चल रहा है। इसी प्रकार फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों/बसाहटों में 569 फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 25 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलबध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

15.23.2 शहरीय जल प्रदाय कार्यक्रम :–

- 92 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है।
- 64 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

15.23.3 पेयजल हेतु जन समस्या निवारण व्यवस्था :–

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 887 प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जा चुका है। यह व्यवस्था सतत् जारी है।

16

सामाजिक क्षेत्र

मुख्य बिन्दु

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत वर्ष 2016–17 में माह सितंबर तक 514314 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में माह सितंबर तक 14053 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में माह सितंबर तक 204 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अंतर्गत वर्ष 2016–17 में माह सितंबर तक 621451 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में माह सितंबर तक 147083 हितग्राही लाभान्वित हुए।

समाज कल्याण

समाज कल्याण द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, प्रभावशील अधिनियमों एवं कार्यक्रमों से संबधित दायित्वों को सम्पादन किया जा रहा है। निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त व्यक्तियों की देख–रेख तथा किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत बालकों की देख–रेख एवं बाल संप्रेक्षण गृह आदि कार्यक्रम प्रभावशील है।

16 सामाजिक सहायता कार्यक्रम

16.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– राज्य शासन द्वारा संचालित सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासी को राशि रू. 350.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्न में से किसी एक श्रेणी का हो :–

- 06 से 17 वर्ष आयुवर्ग के अध्ययनरत निःशक्त बच्चे।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति।

16.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 350.00 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 650.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 150.00 राज्यांश सम्मिलित है।

16.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :– योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 20,000 रू. दिये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

16.4 सुखद सहारा योजना :– इसके अन्तर्गत 18–39 वर्ष तक की निराश्रित विधवा / परित्यक्ता महिलाओं को 350 रूपये प्रतिमाह–पेंशन राशि भुगतान की जाती है।

16.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन येाजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रू. 350.00 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में से राशि रू. 50.00 राज्यांश सम्मिलित है।

16.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन येाजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रू. 500.00 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। उक्त पेंशन राशियों में से राशि रू. 200..00 राज्यांश सम्मिलित है।

तालिका क्र. 16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

पेंशन योजना	2015–16		2016–17 सितंबर तक	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि / हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि / हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	29074.23	527951	18544.06	514314
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	18718.73	636847	8719.17	621451
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	2097.20	10536	909.90	4559
सुखद सहारा योजना	9086.21	240618	4185.64	237892
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन येाजना	5169.65	145430	2752.80	147083
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन येाजना	1353.20	37375	677.72	36140

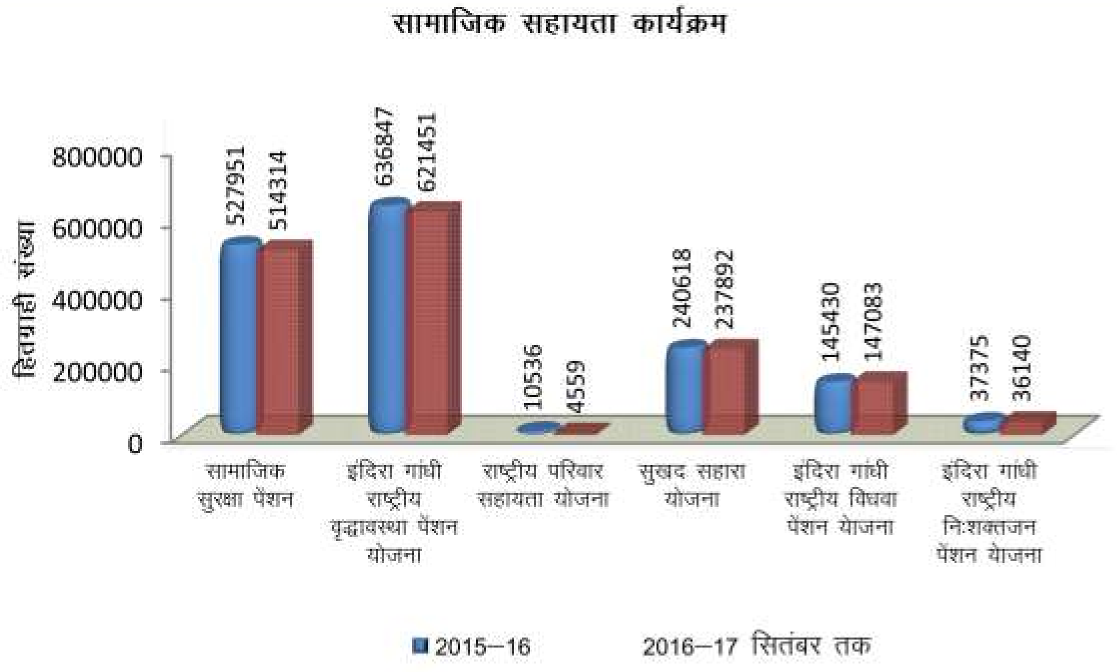

16.7 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :– समाज सेवा के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान–निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि बाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विशेष विद्यालय संचालित हैं। मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा कोरबा एवं रायगढ़ में विद्यालय संचालित हैं।

16.8 निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना :– इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत् निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रू. 50 से 240 प्रतिमाह छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रू. 50 से 100 वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

16.9 कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना :– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक तक निःशुल्क तथा रू. 5001 से रू. 8000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु दी जाती है।

16.10 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :– निःशक्तजनों को सामाजिक पुनर्वसन एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं एवं 21 से 45 वर्ष आयु के निःशक्त पुरूष जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो, को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के निःशक्त होने पर राशि रू. 50000 तथा दोनों के निःशक्त होने पर राशि रू. 100000 की सहायता राशि दी जाती है।

16.11 निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं :– विभाग द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण–प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं संचालित हैं।

सारणी 16.2 सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

योजना	2015–16		2016–17 सितंबर तक	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि / हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि / हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	282.36	2435	121.66	2423
निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	78.17	14055	10.53	14053
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	74.89	2352	14.59	1224
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	130.00	619	44.44	204
निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाऐं	937.83	1014	661.59	1228
सामर्थ्य विकास योजना	193.60	2926	32.00	1474

16.12 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :– वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर को **''अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस''** के उपलक्ष्य में जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। निराश्रित वृद्ध जनों के लिए प्रदेश में 21 वृद्धाश्रम संचालित है। जहॉ 479 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।

16.13 छत्तीसगढ़मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना :– योजना 04 दिसंबर 2012 से प्रभावशील है। योजनांतर्गत छत्तीसगढ़के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक) को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से कराई जाती है।

16.14 अनुसूचित जाति एवं जनजाति

सामान्यतः अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) भारत में ऐतिहासिक रूप से पिछड़े लोगों के विभिन्न समूहों को दिया पदनाम हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है और विभिन्न समूह एक या अधिक श्रेणी में नामित है। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दलित वर्ग के रूप में जाने जाते थे।

आधुनिक युग में, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यदाकदा "दलित" वर्ग जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए "आदिवासी" वर्ग प्रयोग किया जाता है।

जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भारत की आबादी का, क्रमशः 16.6 प्रतिशत और 8.6 प्रतिशत शामिल है। भारतीय संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 अनुसार 29 राज्यों में 1108 जातियों का तथा भारतीय संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 अनुसार 22 राज्यों में 744 अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है।

छत्तीसगढ़ में देश की कुल अनुसूचित जनजाति का 7.48 % जबकि अनुसूचित जाति का 1.63 % है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का क्रमशः 12.82% तथा 30.62% है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की 44 सूची में 102 जातियां तथा अनुसूचित जनजाति की 42 सूची में 146 जनजातियाँ हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया गया है।

तालिका 16.3 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसँख्या 2011

	छत्तीसगढ़			भारत		
कुल	जनसँख्या	पुरुष	महिला	जनसँख्या	पुरुष	महिला
अनुसूचित जनजाति	7822902	3873191	3949711	104545716	52547215	51998501
अनुसूचित जाति	3274269	1641738	1632531	201378372	103535314	97843058
ग्रामीण						
अनुसूचित जनजाति	7231082	3577134	3653948	94083844	47263733	46820111
अनुसूचित जाति	2511949	1258559	1253390	153850848	79118287	74732561
शहरी						
अनुसूचित जनजाति	591820	296057	295763	10461872	5283482	5178390
अनुसूचित जाति	762320	383179	379141	47527524	24417027	23110497

तालिका 16.4 लिंगानुपात

	छत्तीसगढ़						भारत					
	कुल			6 साल से नीचे			कुल			6 साल से नीचे		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अनुसूचित जनजाति	1020	1021	999	992	994	972	990	991	980	957	958	940
अनुसूचित जाति	994	996	989	967	970	954	945	945	946	933	936	922

तालिका 16.5 साक्षरता दर

	छत्तीसगढ़			भारत		
कुल	जनसँख्या	पुरुष	महिला	जनसँख्या	पुरुष	महिला
अनुसूचित जनजाति	59.09	69.67	48.76	58.95	68.51	49.36
अनुसूचित जाति	70.76	81.66	59.86	66.07	75.17	56.46
ग्रामीण						
अनुसूचित जनजाति	57.57	68.36	47.06	56.89	66.8	46.94
अनुसूचित जाति	68.97	80.48	57.46	62.85	72.58	52.56
शहरी						
अनुसूचित जनजाति	76.94	84.92	68.97	76.78	83.16	70.32
अनुसूचित जाति	76.57	85.48	67.61	76.17	83.32	68.64

तालिका 16.6 कार्य बल भागीदारी दर (WPR)

	छत्तीसगढ़			भारत		
कुल	जनसँख्या	पुरुष	महिला	जनसँख्या	पुरुष	महिला
अनुसूचित जनजाति	52.82	57.19	48.53	48.72	53.87	43.51
अनुसूचित जाति	45.24	52.14	38.31	40.87	52.75	28.3
ग्रामीण						
अनुसूचित जनजाति	54.08	57.73	50.51	50	54.32	45.64
अनुसूचित जाति	48.07	52.64	43.49	42.4	52.87	31.31
शहरी						
अनुसूचित जनजाति	37.41	50.67	24.13	37.18	49.84	24.26
अनुसूचित जाति	35.92	50.5	21.19	35.93	52.39	18.54

स्रोत– जनगणना कार्यालय, जनगणना 2011

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। इनकी स्थिति सुधारने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कल्याणकारी कार्य क्रियान्वित कर रही है। जिनमे से प्रमुख निम्नानुसार हैं :–

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाएं :-

16.14.1 नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा योजना – यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गयी है। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा दिया जाना हैं।

16.14.2 हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण – इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्र/छात्राओं को हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

14.14.3 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना – इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गयी है।

14.14.4 छात्रावासः– प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1633 प्री मेट्रिक एवं 403 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास संचालित है। प्रवेशित छात्र को 10 माह के लिये शिष्यवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है।

14.14.5 आश्रम शाला योजना :– प्रदेश के वनाँचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहा शैक्षणिक सुविधा नही है आश्रम शाला योजना की व्यवस्था है। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 710 एवं अनु. जनजाति के लिए 1175 आश्रम शालाएँ संचालित है।

14.14.6 अशासकीय संस्थाओं को अनुदानः– अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को शाला, छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिये अनुदान देने का प्रावधान है।

14.14.7 स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजनाः– विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।

14.14.8 रविदास चर्मशिल्प योजना :– प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत् अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है।

16.14.9 आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत –

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहूल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006–07 से संचालित हैं। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु प्रति देवगुड़ी राशि रू0 50,000/– रूपये उपलब्ध करायी जाती हैं।

16.14.10 आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी संस्कृतिक दलों को सहायता :–

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास यांजनांतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल राशि रू0 10,000/– दिये जाने का प्रावधान है।

❖ **लोक कला महोत्सव :–**

➢ **शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव** :– शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदा बाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।

➢ प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू0 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू0 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि 0.25 लाख दिया जाता है।

➢ उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

➢ **गुरूघासीदास लोक कला महोत्सव** :–

➢ वित्तीय वर्ष 2007–08 से ''गुरूघासीदास लोक कला महोत्सव'' का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाती के परम्परागत लोककला जैसे – पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारम्परिक लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करना है।

❖ **सम्मान/पुरस्कार** :–

छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा निम्नांकित सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं।

❖ **शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार** :–

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को इस सम्मान से पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि रू0 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। **वर्ष 2016–17 में श्री सैन कुमार मण्डावी, आत्मज श्री स्व0 अमर सिंह मण्डावी, ग्राम भनपुरी पोस्ट देमार, तहसील धमतरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़** को पुरस्कार दिया गया है।

❖ **स्व0 डॉ0 भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार :–**

यह पुरस्कार राज्य में आदिवासीयों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू0 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। **वर्ष 2016–17 में पुरखा के सुरता जन कल्याण समिति ग्राम चारभाठा, पो0 सुरपा तहसील पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़** को सम्मनित किया गया है।

❖ **गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार :–**

यह पुरस्कार राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गो के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू0 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। **वर्ष 2016–17 में श्रीमती समे बाई भास्त्री पति श्री फूलचंद ग्राम कोहका पोस्ट नेवरा तहसील तिल्दा जिला रायपुर छत्तीसगढ़** को सम्मानित किया गया है।

16.15 विभिन्न योजनाएं

- **शालेय शिक्षा:–** राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालाएँ संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा 14533 प्राथमिक शालाएँ, 5379 माध्यमिक शालाएँ, 884 हाई स्कूल, 454 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 14 कन्या शिक्षा परिसर, 13 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 01 गुरूकुल विद्यालय एवं 14 खेल परिसर संचालित हैं।
- **राज्य छात्रवृत्तियाँ:–** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 10 तक निरंतर विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा 10 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।
- **अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ:–** अस्वच्छ धंधों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु कक्षा पहली से दसवी तक के छात्र–छात्राओं को यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है।
- **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना:–** योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ऐसी कन्याएँ जो पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती है उन्हें 500 रू. प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- **अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम:–** सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति अंतर्गत जरूरतमन्द परिवारों को तुरंत राहत योजना लागू की गई।

- **स्वरोजगार योजनाः–** योजनांतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही को कौशल प्रशिक्षण दिया जाकर स्वरोजगार हेतु अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास के माध्यम से ऋण दिया जाता है।

- **मध्यान्ह भोजन योजना :–** प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना वर्ष 1995 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत छः वर्ष से चौदह वर्ष आयु समूह के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है।

- **मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजनाः–** इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्र/छात्राओं को जो दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हों, को 15 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 700 आदिवासी एवं 300 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने हेतु प्रावधान है।

- **सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजनाः–** अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग/छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर सफल होने पर रू. 1.00 लाख एवं रू. 0.10 लाख (प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर), छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल होने पर रू. 0.20 लाख राशि प्रदान की जाती है।

तालिका 16.7 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के लिए विभिन्न योजनावार प्रगति (राशि रू.लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ग	2015–16 (सितंबर) भौतिक उपलब्धि	2015–16 (सितंबर) वित्तीय उपलब्धि	2015–16 (मार्च) भौतिक उपलब्धि	2015–16 (मार्च) वित्तीय उपलब्धि	2016–17 (सितंबर) भौतिक उपलब्धि	2016–17 (सितंबर) वित्तीय उपलब्धि
1	स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन योजना	अ.जा.	4159	18.53	4378	19.50	2950	28.69
		अ.ज.जा.	61284	111.82	64509	117.70	64554	90.00
2	भोजन सहाय योजना	अ.जा.	4119	275.79	4336	290.30	5380	153.72
		अ.ज.जा.	12277	672.79	12923	708.20	11758	286.00
		अ.पि.व.	566	28.31	596	29.80	535	25.36
3	विशेष कोचिंग योजना	अ.जा.	5194	47.50	5467	50.00	-	32.50
		अ.ज.जा.	24824	166.25	26130	175.00	-	113.75
4	अशासकीय संस्था को अनुदान	अ.जा./ अ.ज.जा.	33	2573.91	33	5459.62	12	00
5	निःशुल्क वाहन चालक	अ.जा.	33	3.47	33	4.95	33	4.95
		अ.ज.जा.	33	3.43	33	4.95	33	4.95
6	नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुक्ल अध्ययन सुविधा	अ.जा.	511	181.59	511	259.41	511	158.25
		अ.ज.जा.	870	302.44	870	432.06	870	261.23
7	हॉस्पिटॉलिटी एवं होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण	अ.जा.	0	7.11	0	10.16	58	17.62
		अ.ज.जा.	0	16.07	0	22.96	41	17.98
8	शहीद वीरनारायण सिंह/भंवर सिंह पोर्ते पुरस्कार	अ.ज.जा.	2	3.15	2	4.50	2	4.50
9	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (देवगुड़ी)	अ.ज.जा.	565	197.75	565	282.50	600	210.00

क्र.	योजना का नाम	वर्ग	2015–16 (सितंबर) भौतिक उपलब्धि	2015–16 (सितंबर) वित्तीय उपलब्धि	2015–16 (मार्च) भौतिक उपलब्धि	2015–16 (मार्च) वित्तीय उपलब्धि	2016–17 (सितंबर) भौतिक उपलब्धि	2016–17 (सितंबर) वित्तीय उपलब्धि
10	आदिवासी लोक कला दलों का सहायता राशि	अ.ज.जा.	730	51.57	730	73.67	730	52.50
11	आदिवासी लोक कला महोत्सव	अ.ज.जा.	3	17.50	3	25.00	3	18.00
12	गुरू घासीदास सम्मान पुरस्कार	अ.जा.	1	1.58	1	2.25	1	2.25
13	अनुसूचित जाति लोक कला महोत्सव	अ.जा.	3	17.50	3	25.00	3	24.00
14	रविदास चर्म शिल्प योजना	अ.जा.	600	21.00	600	30.00	600	30.00
15	सामुदायिक भवन निर्माण	अ.ज.जा.	1	3.50	1	5.00	1	2.27
16	जवाहर उत्कर्ष योजना	अ.जा.	338	196.18	338	280.25	335	97.56
		अ.ज.जा.	791	553.70	791	692.99	687	240.36
17	विज्ञान विकास केन्द्र	अ.ज.जा.	329	69.30	329	99.00	397	125.00
18	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	अ.ज.जा.	2078	426.30	2076	710.50	2071	275.60
19	युवा कैरियर निर्माण	अ.जा.	140	65.21	138	108.69	130	26.20
		अ.ज.जा.	210	157.42	208	262.37	215	121.20
		अ.पि.व.	70	39.12	70	65.20	80	11.32
20	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाएं से स्थानीय विकास कार्यकम	अ.ज.जा.	00	00	47903	11203.70	676	11481.16
21	आदिवासी क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार	अ.ज.जा.	00	00	67048	9162.62	557	14677.70
22	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	अ.ज.जा.	00	00	29826	1434.53	32340	1470.00
23	वनबन्धु कल्याण योजना	अ.ज.जा.	00	00	10	361.38	00	00
24	पण्डो एवं भुजिया विकास अभिकरण	अ.ज.जा.	00	00	880	100.00	98	110.00

तालिका 16.8 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के लिए विभिन्न योजनावार प्रगति (राशि रू. लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ग	2015–16 (Sep) भौतिक उपलब्धि	2015–16 (Sep) वित्तीय उपलब्धि	2015–16 (मार्च) भौतिक उपलब्धि	2015–16 (मार्च) वित्तीय उपलब्धि	2016–17 (Sep) भौतिक उपलब्धि	2016–17 (Sep) वित्तीय उपलब्धि
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	अ.जा.	-	-	31423	2764.14	-	-
		अ.ज.जा.	-	-	47345	3733.36	-	-
		अ.पि.व.	-	-	107428	7483.38	-	-
3	छात्रावास योजना (शिष्यवृति)	अ.जा.	13733	1106.48	14456	1164.72	10952	1283.24
		अ.ज.जा.	65980	4221.57	69453	4443.76	57916	4316.90
		अ.पि.व.	359	26.93	378	28.35	359	24.05
	आश्रम स्कूल योजना(शिष्यवृति)	अ.जा.	4207	236.08	4428	248.50	2362	224.10
		अ.ज.जा.	69718	5578.78	73387	5872.40	72665	5123.44
		अ.पि.व.	-	-	-	-	-	-

16.16 नागरिक पंजीयन प्रणाली :

जन्म पंजीकरण को बच्चे के पहले अधिकार के रूप में जाना जाता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत, हमारे देश में घटित हर एक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु की घटना का पंजीकरण "छत्तीसगढ़ जन्म मृत्यु पंजीयन नियम 2001" के अंतर्गत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में, वर्ष 2008 से पूर्व, जन्म मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण पुलिस थानो में किया जाता था, जो जनवरी 2008 से शहरी एवं ग्रामीण इकाइयो को हस्तांतरित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। राज्य के 27 जिलों में 10975 ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म मृत्यु पंजीयन करते है।

ग्राम पंचायत सचिव, पंजीयन करने के पश्चात, सभी वैधानिक भाग को अपने पास सुरक्षित रखते है, एवं सभी सांख्यिकी भागों को जनपद पंचायत में हर महीने की मासिक बैठक में जनपद पंचायत सीईओ को प्रस्तुत करते है। छत्तीसगढ़ में 146 जनपद पंचायत है। हर महीने जनपद पंचायत उनके अधिकार क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों से सांख्यिकी भाग मासिक सारांश के साथ एकत्र करके जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में जमा करते है।

शहरी क्षेत्रों में, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जन्म मृत्यु पंजीयक है। राज्य में कुल 168 शहरी इकाइयाँ है, जो कि, तीन भागों में विभाजित हैः 1) नगर निगम, 2) नगर पालिका एवं 3) नगर पंचायत।

इसके अतिरिक्त राज्य में सभी शासकीय अस्पताल यथा – जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य शासकीय अस्पताल में घटित जन्म–मृत्यु (संस्थागत घटनाओं) का पंजीयन इन संस्थाओं में होता है।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में समस्त इकाईयों से प्राप्त सांख्यिकी भागों का संकलन एवं डाटा प्रविष्टि कर आर्थिक एवं सॉख्यिकीय संचालनालय को प्रेषित की जाती है, जहॉं संकलन एवं विश्लेषण कर राज्य की AVS रिपोर्ट तैयार की जाती है एवं महा रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रेषित की जाती है।

Level of Registration of Births

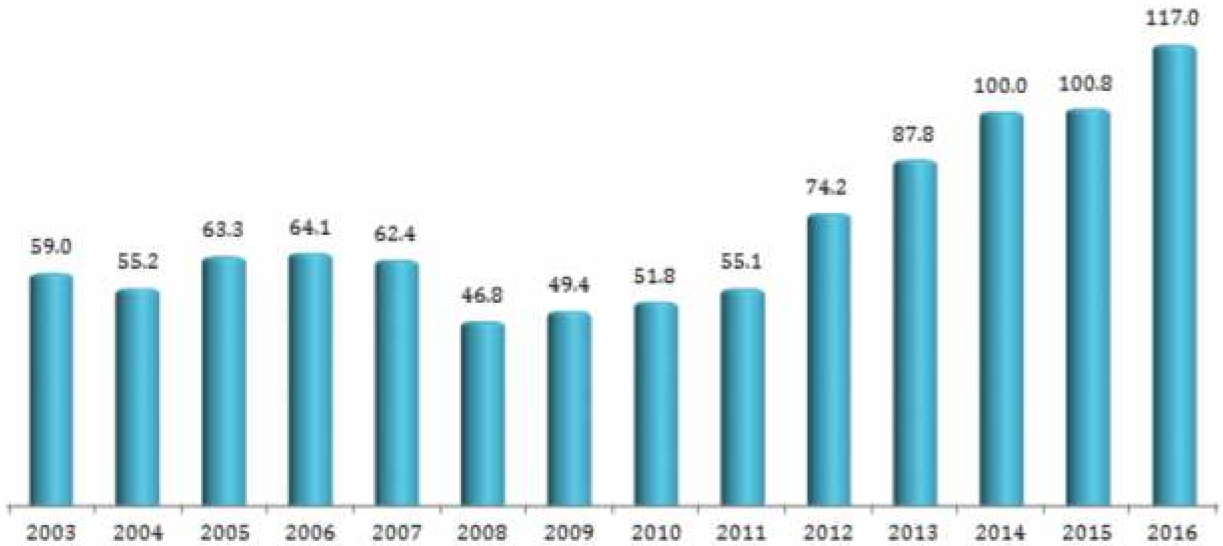

* data upto 2014 as per RGI report, 2015 as per AVS '15, 2016 as per (MIS data)

Due to registration of births of previous years the registration rate is sometimes above 100%

Level of Registration of Deaths

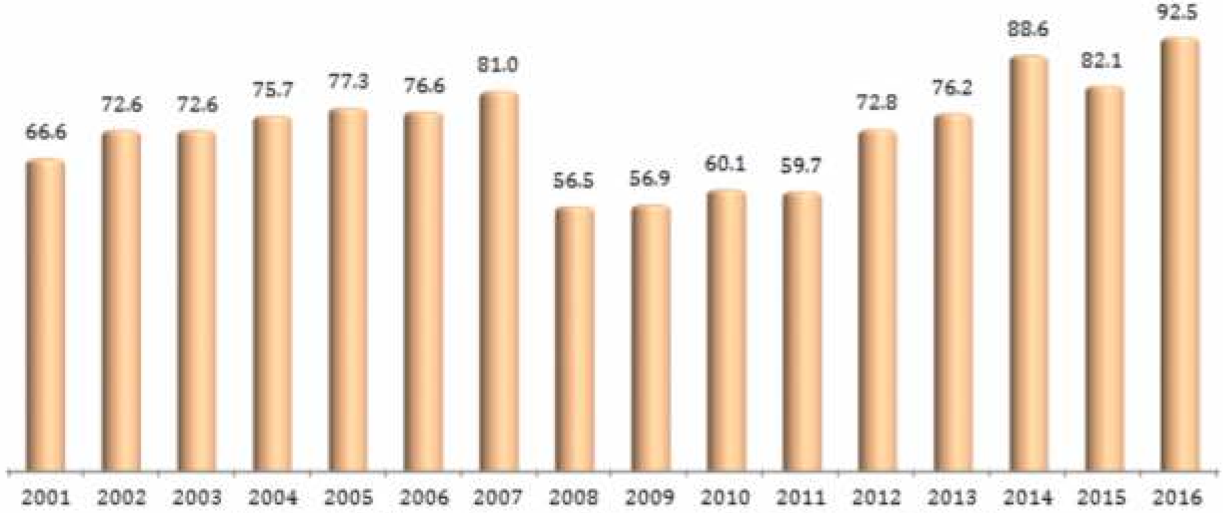

* data upto 2014 as per RGI report, 2015 as per AVS '15, 2016 as per (MIS data)

Level of Registration of Births 2013

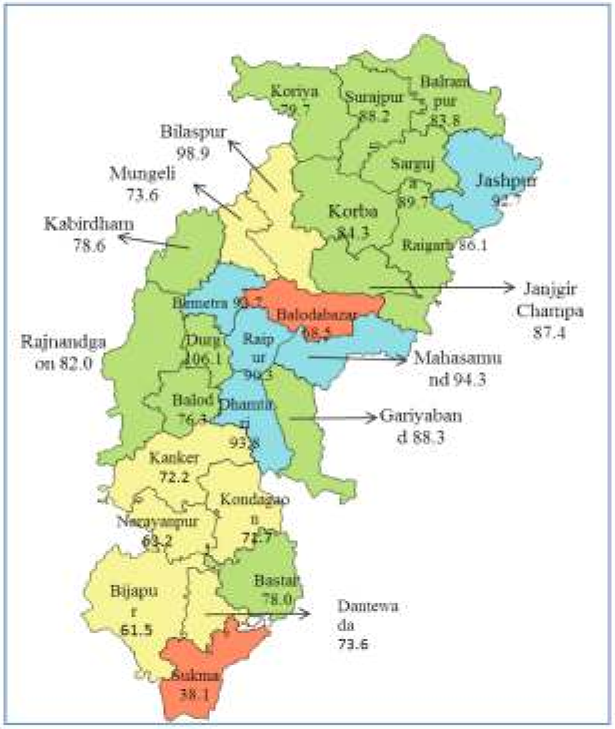

Level of Registration of Births 2014

Level of Registration of Births 2015

Level of Registration of Births 2016 (MIS data)

Level of Registration of Deaths 2013

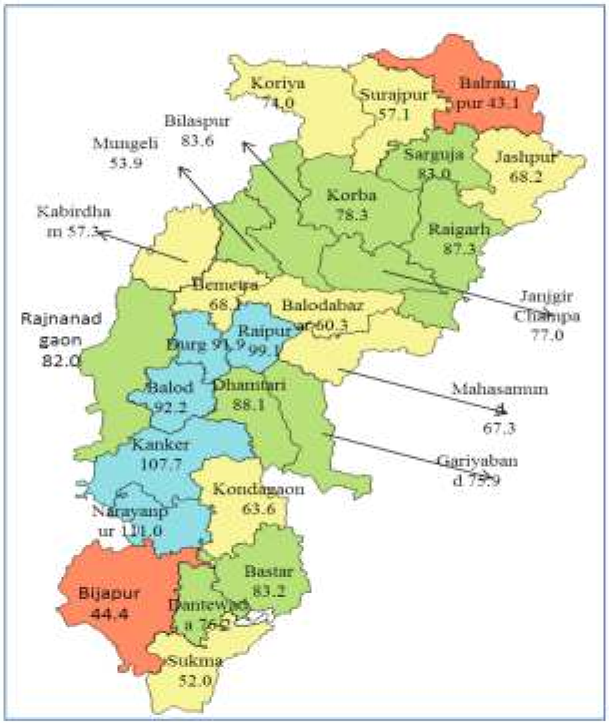

Level of Registration of Deaths2014

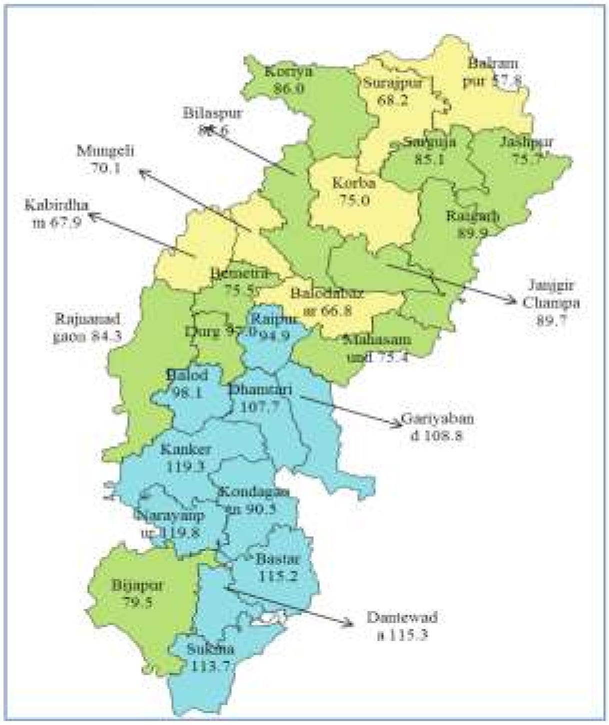

Level of Registration of Deaths 2015

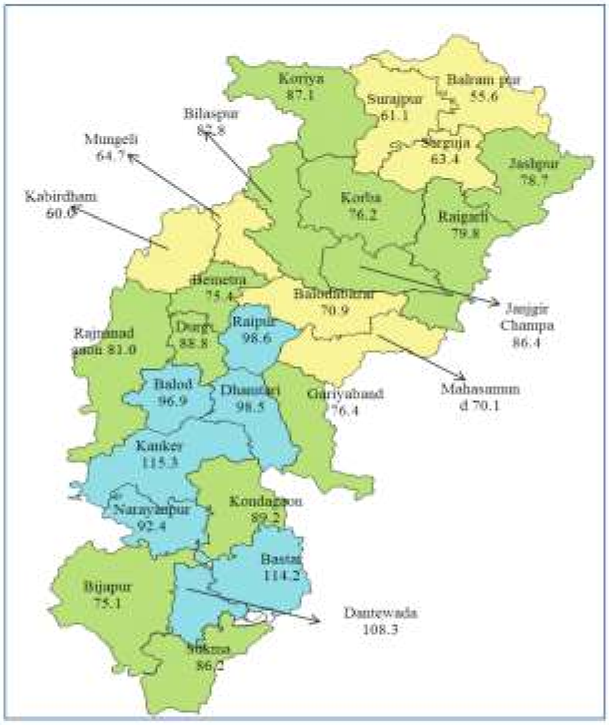

Level of Registration of Deaths 2016 (MIS data)

यह प्रकाशन www.descg.gov.in वेबसाइट में उपलब्ध है